प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-7

जुलाई 2019 से फरवरी-मार्च 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

(अगस्त 2021 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-7

जुलाई 2019 से फरवरी-मार्च 2021 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2021

निर्देशन :	**श्री ए.पी. सिंह**	--	**प्रमुख सचिव**
संपादन :	**श्री बीरेन्द्र कुमार**	--	**अपर सचिव**
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	**विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)**
	श्री एस.एन. गौर	--	**अवर सचिव**
	श्री माधव दफ्तरी	--	**शिष्टाचार अधिकारी**
	श्री गोविन्द पण्डा	--	**अनुभाग अधिकारी**
संकलनकर्ता :	**श्री संजीव सराठे**	--	**सहायक ग्रेड-1**
	श्री प्रवीण जैन	--	**सहायक ग्रेड-2**
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	**उप सहायक मार्शल**
	श्री मनीष बनोदे	--	**सहायक ग्रेड-3**

<u>प्रस्तावना</u>

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार जुलाई 2019 से फरवरी-मार्च 2021 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

भोपाल :
दिनांक : 02 अगस्त, 2021

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	1-5
2.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	6-8
3.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	9-13
4.	सितम्बर 2020 सत्र	--	--	14-22
5.	दिसम्बर 2020 सत्र	--	--	23-38
6.	फरवरी-मार्च 2021 सत्र	--	--	39-249

जुलाई, 2019

दिनांक 8 जुलाई, 2019

खेसरी दाल के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं. 1 (क्र. 14) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 16-17 एवं 17-18 में खेसरी दाल का कुल कितना उत्पादन हुआ? इससे कितनी मण्डी फीस प्राप्त हुई? **(ख)** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2000 द्वारा दिनांक 06.04.2000 खेसरी दाल के प्रयोग/उपयोग/भंडारण/सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? **(ग)** जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, तो खेसरी दाल के उत्पादन का औचित्य क्या है? **(घ)** जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा खेसरी दाल पर प्रतिबंध के बाद कृषि विभाग द्वारा उत्पादन पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं? इस पर प्रतिबंध कब तक लगाया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 0.28 लाख मेट्रिक टन एवं 2017-18 में 0.48 लाख मेट्रिक टन खेसरी दाल का कुल उत्पादन हुआ। प्रदेश में मण्डी वर्ष 2016-17 में लगभग रूपये 22764491/- एवं वर्ष 2017-18 में लगभग रूपये 27195699/- मण्डी फीस की प्राप्त हुई है। **(ख)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** कृषि विभाग द्वारा खेसरी दाल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है। **(घ)** जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(ख)** जी हाँ। तत्समय मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-62/58 सत्रह/मेडि-02, भोपाल दिनांक 20-03-2000 द्वारा खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 नियम, 1955 के नियम 44-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, द्वारा खेसरी दाल के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। **(घ)** कृषि विभाग द्वारा खेसरी दाल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है। संचालनालयीन पत्र क्रमांक 577, दिनांक 28-09-2020 एवं अर्ध्द शासकीय पत्र क्रमांक 703, दिनांक 25-11-2020 द्वारा तिवडा (खेसरी) को हतोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु जिलों को पत्र लेख किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 एवं 03 अनुसार** है। रबी वर्ष 2020-21 में तेवडा फसल न होने एवं चना फसल के साथ यदि तिवडा फसल है तो उसे उखाड़ कर अलग करने हेतु जिलो में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

भावांतर भुगतान योजना व लाभांवित किसान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 267) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना से लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्या क्या है? खरीफ और रबी फसलों में लाभान्वित किसानों की वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में भावांतर योजना में कितने किसानों के पंजीकरण हुए एवं कितने किसान लाभान्वित हुए? जिलेवार संख्या क्या है। **(ग)** क्या राज्य शासन ने भावांतर योजना को बंद कर दिया है? यदि हां, तो योजना किस दिनांक को बंद की गई? तत्संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(घ)** प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा और उससे लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्या बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मुख्यमंत्री भावांतर भगुतान योजना एवं फ्लैट भावांतर योजनान्तर्गत लाभान्वित किसानों की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार** है। रबी फसलों में भावांतर भुगतान योजना लागू नही थी। **(ख)** दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत किसानों का पंजीकरण नही हुआ है। **(ग)** वर्तमान में भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत मांग संख्या 13-2401-00-0101-800-1941 में बजट प्रावधान नही है। **(घ)** प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने हेतु विभागीय योजनाओं में विभिन्न घटकों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। विभागीय योजनाओं में लाभान्वित किसानों की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है।

<u>दिनांक 15 जुलाई, 2019</u>

कृषि उपज मण्डी के शुल्क खाते के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 1458) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषि उपज मण्डी अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत मण्डी शुल्क खाते में जमा करने के पश्चात अनुज्ञा पत्र दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रति उपलब्ध करावें। प्रदेश की किन-किन मंडियों द्वारा बिना मण्डी शुल्क खाते में जमा कराए अनुज्ञा पत्र जारी किए गए? पृथक-पृथक मण्डीवार विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी खाते में मण्डी शुल्क जमा कराए बिना अनुज्ञा पत्र जारी होने की जांच स्थानीय लेखा सम्परीक्षा विभागीय अंकेक्षण दल का द्वारा कब-कब की गई? क्या जो प्रकरण प्रकाश में आए उन फर्मों से उन मण्डी समितियों ने दाण्डिक मण्डी शुल्क 5 गुना वसूल किया गया? यदि हां, तो क्या मण्डीवार पृथक-पृथक विवरण देवें। दोषियों के विरूद्ध दायित्व निर्धारण करते हुए

वसूली की क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को कब-कब किसके-किसके द्वारा 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक शिकायत की गई है? उक्त शिकायतें विभाग को कब प्राप्त हुई? उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा क्र./बी-6/नियमन/अनुज्ञा/216/1067, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से जानकारी चाही गई थी? यदि हां, तो जानकारी बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 एवं उपविधि की कंडिका 20 (10) के अनुसार मण्डी फीस जमा करने के पश्चात अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रावधान है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। नियमानुसार मण्डी फीस जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं, तथापि इस विषय में अनियमितता के प्रकरणों जिनमें मंडियों में बिना मण्डी शुल्क चुकाये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना प्रकाश में आये हैं, संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** स्थानीय लेखा संपरीक्षा द्वारा प्रदेश की चयनित मण्डी समितियों में अंकेक्षण किया जाता है, जिनमें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** बिना मण्डी शुल्क चुकाये अनुज्ञापत्र **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** बिना मण्डी शुल्क चुकाये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना प्रकाश में आये हैं, जिनमें अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से पांच गुना दाण्डिक मण्डी फीस अधिरोपित की गई। दोषियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये जा चुके हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर तथा अशोकनगर में वर्ष 2017-18 एवं गोटेगांव मण्डी में वर्ष 2005-06 में स्थानीय लेखा संपरीक्षा तथा विभागीय अंकेक्षण के संज्ञान में आने पर मण्डी फीस जमा कराये बिना अनुज्ञापत्र जारी होने से व्यापारी फर्मों से पांच गुना मण्डी शुल्क अधिरोपित की गई है। कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर के दोषी अधिकारी को नोटिस जारी किया जाकर 02 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। **(ग)** प्रश्नागत शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। समस्त आंचलिक कार्यालयों से जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त जानकारी अति विस्तृत एवं वृहद स्वरूप की होने से जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(घ)** म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के समस्त आंचलिक कार्यालयों से अद्यतन स्थिति तक प्राप्त प्रश्नागत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। भोपाल संभाग की 39 मण्डी, इन्दौर संभाग की 29 मण्डी, जबलपुर संभाग की 01 मण्डी तथा रीवा संभाग की 02 मंडियों की जानकारी प्राप्त होना शेष है। जानकारी अप्राप्त रहने से संबंधित आंचलिक अधिकारियों को प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05.07.2021 को जारी किया गया है।

सहकारी संस्थाओं के ऋण के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. अता.प्र.सं. 53 (क्र. 1679) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जय किसान ऋण योजना के अंतर्गत 30 जून, 2019 तक ग्वालियर जिले में कितने किसानों के कुल कितने रूपये के ऋण के माफ किये गये? विकासखण्डवार बताएं। **(ख)** क्या सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण माफी वाले किसानों के नामों में वैसे नाम भी पाये गये हैं, जिन्होंने ऋण नहीं लिया है? **(ग)** क्या कुछ किसानों ने सूची में नाम होने पर एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शिकायतें की हैं? यदि हां, तो कितने कृषकों ने। **(घ)** फर्जी ऋण वितरण में कितनी सहकारी समिति संस्थाओं के विरूद्ध प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई? एफ.आई.आर. नंबर व दिनांक सहित थानावार सूची उपलब्ध करावें। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) में दर्ज एफ.आई.आर. में से कितने प्रकरणों में चालान की कार्यवाही की गई? शेष जिनमें चालान नहीं किया गया, उनकी सूची उपलब्ध करावें। दर्ज एफ.आई.आर. में चालान की कार्यवाही की समय-सीमा बतायें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** वर्तमान तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ग्वालियर से संबद्ध समितियों में ऋण माफी वाले किसानों में वैसे नाम नहीं पाये गये, जिन्होंने ऋण नहीं लिया हो। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** ऋण माफी सूची में नाम होने पर तथा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत वर्तमान तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ग्वालियर में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार 15 प्रकरण पंजीबद्ध हुये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 16 जुलाई, 2019

मंदिर मस्जिद से लगी हुई भूमि की जानकारी
[अध्यात्म]

5. परि.अता.प्र.सं. 40 (क्र. 1682) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि मंदिर, मस्जिद एवं बाबा कपूर से लगी हुई? किस-किस ग्राम से किस मंदिर, मस्जिद एवं बाबा कपूर की कितनी भूमि है, जिसमें प्रबंधक कलेक्टर महोदय या माफी औकाफ है? **(ख)** उक्त भूमि पर किसके द्वारा कब से खेती की जा रही है? स्पष्ट जानकारी नाम एवं ग्राम सहित दी जावे? **(ग)** उक्त भूमि से होने वाली आय का कितना प्रतिशत भाग मंदिर, मस्जिद या बाबा कपूर के जीर्णोद्धार में लगाया जाता है एवं कितना प्रतिशत भाग सरकार को भेजा जाता है

एवं किस रूप में? क्या इस बाबत शासन का कोई नियम है? यदि हां, तो नियम बतायें? **(घ)** किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार किसके द्वारा कितने वर्ष के लिये किस तरह प्रदाय किये जाते हैं एवं प्रदाय किये जाते हैं?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में शासन संधारित मंदिरों की भूमियों से प्राप्त होने वाली आय के भाग को शासन को प्रदान करने के संबंध में कोई नियम-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। शासन संधारित देवस्थानों की भूमि/संपत्ति के प्रबंधन हेतु निर्देश, परिपत्र दिनांक 04/10/2018 एवं 30/01/2019 एवं शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति नियम 2019 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार** है।

दिसम्बर, 2019

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

व्यापम घोटाले के संबंध में
[गृह]

1. अता.प्र.सं. 115 (क्र. 794) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 466, दिनांक 8 जुलाई, 2019 का उत्तर दिलाया जाए तथा बतावें की पूर्व मुख्यमंत्री ने व्यापम घोटाले में विधानसभा में जून 2013 में प्राप्त किस गुमनाम पत्र का जिक्र किया था? उस संदर्भ में अभी तक क्या अनुसंधान किया गया है? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री पर असत्य कथन का व्यापम की जांच को भ्रमित करने पर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** व्यापम घोटाले पर सी.बी.आई. द्वारा जिन प्रकरणों की जांच की जा रही है, उसके अलावा क्या अन्य बिंदुओं पर एस.टी.एफ. द्वारा विवेचना की जा रही है? यदि हां, तो बता दें कि इस संदर्भ में किस-किस शिकायतकर्ताओं के बयान किस-किस दिनांक को लिए गए तथा उनके आधार पर कौन-कौन सा प्रकरण दर्ज किया गया है? **(घ)** पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने अपने बयान में व्यापम घोटालों के संदर्भ में किस-किस से पूछताछ करने का उल्लेख किया तथा उनमें से कितनों से पूछताछ कर ली गई? सूची उपलब्ध करावें।

गृह मंत्री : [**(क)** विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 466 का उत्तर प्रेषित किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख अनुसार पत्र आना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख), (ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** व्यापम घोटाले पर सी.बी.आई. द्वारा जिन प्रकरणों की जांच की जा रही है, उसके अलावा अन्य शिकायतों की जांच पूर्व मंत्री, गृह एवं जेल विभाग म.प्र. शासन द्वारा आदेशिका, जावक क्रमांक 1859, दिनांक 03.09.2019 के परिपालन में एस.टी.एफ. द्वारा लंबित 197 शिकायतों की जांच की जा रही है। शिकायतों की जांच में 13 अपराधिक प्रकरण तथा 03 अपराध अन्य जानकारियों पर से, कुल 16 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में है एवं 70 शिकायतें नस्तीबद्ध की जा चुकी है। शेष 127 शिकायतों की जांच प्रचलन में है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** प्रकरण विवेचना से संबंधित होने से जानकारी दिया जाना न्याय सम्मत नहीं है।

जैविक खेती के लिए स्वीकृत योजना में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं. 139 (क्र. 935) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कृषि विभाग में वर्ष 2017-18 की आदिवासी मद में जैविक खेती के लिए स्वीकृत योजना में EOW द्वारा शिकायत दर्ज की गयी है? यदि हाँ, तो शिकायत क्रमांक,

अद्यतन स्थिति व जांचकर्ता अधिकारी का नाम बतावें? **(ख)** कृषि विभाग को उक्त योजना में किस ब्रांड नेम का प्रोम खाद देना था? किस ब्रांड नेम का प्रोम खाद मंडला, डिंडोरी जिले में दिया गया है? **(ग)** उक्त प्रकरण के जाँच अधिकारी द्वारा कृषि विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग को लिखे गये समस्त पत्रों व प्राप्त उत्तर की प्रति देवें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** EOW से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। **(ख)** एम.पी. एग्रो को प्रोम प्रदाय करने हेतु मंडला एवं डिंडौरी जिले द्वारा आदेशित किया गया था,किसी ब्रांड नेम से प्रदाय आदेश नहीं दिया गया। मंडला एवं डिंडौरी जिले द्वारा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। **(ग)** उक्त प्रकरण के जांच अधिकारी द्वारा कृषि विभाग को लिखे गये पत्र व उत्तर प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित से संबंधित पत्राचार की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सर्वे सूची
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. परि.अता.प्र.सं. 173 (क्र. 1139) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरदा जिले में राजस्व विभाग द्वारा किये गये सर्वे सूची में प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पोखरनी एवं खुदिया के नाम नहीं होने का क्या कराण है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में किसकी गलती से ग्राम के नाम छोड़े गये? क्या दोषी कर्मचारी/अधिकारियों पर जबाव देही निर्धारित करते हुये उन पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से अवगत करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संबंध में ग्राम पोखरनी एवं खुदिया को सूची में कब तक शामिल किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जिलावार तहसीलवार एवं पटवारी हल्कावार अधिसूचित की जाने वाली फसलों का राजपत्र में प्रकाशन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाता है। खरीफ 2019 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर द्वारा गूगल शीट के माध्यम से ईमेल दिनांक 31.5.2019 को प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची राजपत्र में प्रकाशित की गई। उक्त गूगल शीट के ग्राम पोखरनी एवं खुदिया से संबंधित अंश **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है, जिस पर कोई भी फसल अंकित नहीं है। आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर के पत्र क्र. 337/सां12/प्रमंफबीयो/खरीफ वर्ष 2019-20 दिनांक 16.10.2019 द्वारा उक्त दो ग्रामों में फसल अधिसूचित करने हेतु लेख किया गया, किन्तु खरीफ 2019 में कृषकों के बीमांकन तथा अधिसूचना जारी करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 होने से उक्त संशोधन जारी नहीं हो पाया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। आयुक्त, भू-अभिलेख

एवं बंदोवस्त ग्वालियर द्वारा प्रश्न की जानकारी के संबंध में लेख पत्र क्र. क्यू' सा12/वि.सभा/2019, दिनांक 9.12.2019 **की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** खरीफ 2019 में बीमांकन की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई, 2019 के पश्चात अधिसूचना में कोई भी संशोधन किया जाना संभव नहीं है।] **(ख)** फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2019 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर द्वारा गूगल शीट के माध्यम से ईमेल दिनांक 31.5.2019 को प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची राजपत्र में प्रकाशित की गई। आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर द्वारा उपलब्ध कराई गई गूगल शीट में ग्राम पोखरनी एवं खुदिया के समक्ष कोई फसल अंकित नहीं होने से फसलें अधिसूचित नहीं हुई। आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर के पत्र क्रमांक 537/सां-12/प्रमंफबीयो, दिनांक 16.10.2019 द्वारा उक्त 2 ग्रामों में फसल अधिसूचित करने हेतु लेख किया गया, किन्तु खरीफ 2019 में कृषकों के बीमांकन तथा अधिसूचना जारी करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई, 2019 होने के कारण उक्त संशोधन जारी नहीं हो पाया। इस हेतु कलेक्टर जिला हरदा को अर्ध्द शासकीय पत्र क्रमांक 226, दिनांक 31.1.2020 द्वारा अवगत कराया गया, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर जबाबदेही निर्धारित करते हुये उन पर कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर को पत्र लेख किया जा रहा है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 17 मार्च, 2020

प्रदेश में नाबालिकों शोषण पर दर्ज प्रकरणों स्थिति

[गृह]

1. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 216) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर संभाग में कितने नाबालिक बालक-बालिकाओं का यौन शोषण एवं अपहरण, गुमशुदगी के अपराध दर्ज किये गये हैं? अपराध दर्ज दिनांक को नाबालिक बालक-बालिकाओं की उम्र क्या थी? जिलेवार अपराध एवं धाराओं सहित जानकारी दें? कितने अपराधी पकड़े गये हैं और कितने अभी तक फरार हैं? **(ख)** उक्त अवधि में प्रश्नांश (क) वर्णित नाबालिक बालक-बालिकाओं के यौन शोषण के दर्ज अपराधों में से कितने प्रकरणों में न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया जा चुका है? कितनों में खात्मा भेजा गया है और उनमें से कितने प्रकरणों का न्यायालय से निराकरण हो चुका है? निराकृत प्रकरणों में से कोर्ट ने कितने अपराधियों को क्या-क्या सजा दी है और कितने आरोपी बरी किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के यौन शोषण के अरोपों से बरी किये गये कितने आरोपी हैं? उसका क्या कारण रहा? क्या शासन ने ऐसे कितने बरी किये गये आरोपीगण के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है? यौन शोषण में पीड़ित नाबालिक बालक-बालिकाओं के परिजन को उक्त अवधि में क्या आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सहायता शासन ने प्रदान की है? प्रकरणवार जानकारी दें। **(घ)** बालकों के यौन शोषण एवं हत्या के अपराधों में कितने आरोपीगण को मृत्युदण्ड, आजीवन करावास, अन्य करावास की सजा दी गई है? मृत्युदण्ड प्राप्त ऐसे आरोपी जिनके मामले उच्च न्यायालय से कन्फर्म होने के बावजूद भी लंबित है? उसका लंबित होने का क्या कारण है एवं अपहृत/गुमशुदा/यौन शोषण से पीड़ित बालक-बालिकाओं के पुनर्वास अथवा समाज में उनकों सम्मान पूर्ववत बना रहें, इसके लिये सरकार के पास क्या-क्या योजनायें हैं?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकिलत की जा रही है।] **(क)** से **(ग)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)**

जिला	**बालकों के यौन शोषण एवं हत्या के अपराधों के दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**उक्त प्रकरणों में आरोपीगणों को मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास एवं अन्य कारावास की सजा**
ग्वालियर	320	79
शिवपुरी	200	14
गुना	290	56
अशोकनगर	100	25
दतिया	60	08

म.प्र. उच्च न्यायालय में मृत्युदण्ड प्राप्त आरोपियों की क्रिमिनल डेथ रिफरेन्स प्रकरण एवं क्रिमिनल अपील उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदण्ड की सजा कन्फर्म होने के पश्चात प्रकरण निर्णित हो जाता है। अतएव प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित नहीं रहता है। अपहृत/गुमशुदा/यौन शोषण से पीड़ित बालक-बालिकाओं/अनाथ/परित्यक्त/अथवा उनके पिता होने के पश्चात भी बालक/बालिकाओं को यदि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है तो उन्हें बाल कल्याण समिति के माध्यम से समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित बालगृहों में आश्रय देते हुए शिक्षण प्रशिक्षण एवं पारिवारिक पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है। साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका होने की स्थिति में जन्म लेने वाली बालिका को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिये जाने का निर्देश है।

नरसिंहपुर जिले में पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी

[गृह]

2. परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 408) श्री जालम सिंह पटैल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 में नरसिंहपुर जिले में कितने, हत्या, बलात्कार, चोरी लूट, डकैती, नशीले पदार्थ (स्मैक आदि) बेचने के अपराध पंजीबध्द किए गए? वर्षवार, थानावार जानकारी अपराध क्र. सहित प्रदान करें। **(ख)** वर्ष 2019-20 में जिला नरसिंहपुर में महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा के कितने मामले पंजीबध्द हुए जानकारी देवें। उक्त कितने मामले न्यायालयों में चल रहे हैं? कितने मामलों में समझौता हुआ? संपूर्ण जानकारी अपराध क्र. सहित देवें। **(ग)** नरसिंहपुर जिले में तलाक के कितने मामले हुए एवं कितनों में तलाक हुआ? **(घ)** उक्त तलाक के प्रकरणों की रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री : [**(क)** वर्ष 2019-20 में नरसिंहपुर जिले में हत्या के 45, बलात्कार के 70, चोरी के 249, लूट के 06, डकैती के 02 एवं नशीले पदार्थ (स्मैक, गांजा आदि) के 89 मामले, इन सभी शीर्षों के कुल 451 मामले पंजीबद्ध है, जिसकी सूची **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2019-20 में नरसिंहपुर जिले में महिला उत्पीड़न के कुल 672 प्रकरण पंजीबद्ध है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** नरसिंहपुर जिले में तलाक के कुल 37 मामले दर्ज हुए तथा 16 मामले निराकृत हए। **(घ)** 1. तलाक के प्रकरणों की रोकथाम हेतु पर्याप्त संख्या में परामर्श केन्द्र तथा उनमें परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा रही है। 2. विधिक विशेषज्ञों को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है। 3. समाज कल्याण अभिकरणों का सहयोजन किया जा रहा है।

शस्त्र विक्रय दुकानों की जिलावार जानकारी

[गृह]

3. अता.प्र.सं. 102 (क्र. 646) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर एवं चंबल संभाग में शस्त्र विक्रय की कितनी दुकानें किन-किन जिलों में

संचालित हैं? दुकान के नाम, पता सहित जिलावार बतावें। **(ख)** उपरोक्त दुकानें कब प्रारंभ हुईं एवं इनका लायसेंस नवीनीकरण कब-कब किया गया? दुकानवार प्रारंभ दिनांक नवीनीकरण दिनांकों सहित जानकारी देवें। **(ग)** नवीनीकरण दिनांक निकल जाने के बाद भी जिन-जिन दुकानों में नवीनीकरण नहीं कराया, उनके नाम, पता सहित जिलावार जानकारी देवें। **(घ)** लायसेंस नवीनीकरण नहीं कराने वाली दुकानों की मान्यता कब तक समाप्त कर दी जावेगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकिलत की जा रही है।] **(क)** ग्वालियर एवं चंबल संभाग में शस्त्र विक्रय की दुकानें निम्नानुसार है :- ग्वालियर जिला-24 दुकानें, शिवपुरी जिला-06 दुकानें, जिला गुना-06 दतिया जिला-06 दुकानें, अशोकनगर-01 दुकान संचालित है। संभाग में कुल-43 आर्म्स डीलर्स की दुकानें संचालित हैं एवं चंबल संभाग के जिलों में श्योपुर-02 दुकान, जिला मुरैना में 17 आर्म्स डीलर एवं 4 रिपेयर कुल 21 जिला भिण्ड में 18 आर्म्स डीलर एवं 4 रिपेयर कुल 22 दुकानें संचालित हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जिलों में संचालित आर्म्स डीलर लायसेंस धारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर समय-सीमा में कार्यवाही की जाती है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बलात्कार की घटनाओं के संबंध में

[गृह]

4. अता.प्र.सं. 112 (क्र. 733) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में जनवरी 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक विभिन्न पुलिस थानों में बलात्कार के कितने मामले पंजीबद्ध हुए? इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं से बलात्कार के कितने मामले दर्ज हैं? पृथक-पृथक संख्या बतावें। **(ख)** राज्य सरकार द्वारा पीड़िताओं को प्रतिकर के रूप में कितनी सहायता दिये जाने का प्रावधान है एवं कितनी राशि दी जाती है? अनु.जाति, जनजाति की महिलाओं को कौन-कौन सी सहायता दी गई? संख्यावार बतायें। **(ग)** इस 14 माह के समय में प्रदेश के कितने थानों में कितने मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है एवं कितने मामलों में लेब की रिर्पोट नहीं आने से मामला आगे नहीं बढ़ रहा है? **(घ)** क्या सरकार मध्यप्रदेश में लेब से सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था कर रही है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकिलत की जा रही है।] **(क)** म.प्र. में 01 जनवरी, 2019 से 25.02.2020 तक विभिन्न पुलिस थानों में बलात्कार के कुल 6683 मामले पंजीबद्ध हुए। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं से बलात्कार के कुल 3795 मामले दर्ज हुए हैं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार**। **(ग)** प्रदेश में विगत 14 माह में एक भी आपराधिक प्रकरण का फैसला थाने में नही सुनाया गया है। सभी प्रकरणों में फैसले न्यायालय से सुनाये जाते हैं। उक्त अवधि में न्यायालय से बलात्कार के कुल 4327 प्रकरण निराकृत हुये हैं। एफ.एस.एल. रिपोर्ट की अनुपलब्धता में न्यायालय में कुल 3136 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 18 वर्ष से कम आयु की बालिका संबंधी कुल 1196

प्रकरण लंबित हैं। **(घ)** जी हां, सरकार म.प्र. में लेब से सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था निम्नानुसार कर रही है :- 1. क्षेत्रीय डी.एन.ए. लेब की स्थापना हेतु जिला भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के लिए डी.एन.ए. तैयार कर पत्र क्रमांक FSL/ST/657-A/2018, दिनांक 19.06.2018 के माध्यम से भेजी जा चुकी है। 2. भोपाल क्षेत्रीय डी.एन.ए. लेब दिनांक 26.02.2020 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। 3-04 नये क्षेत्रीय डी.एन.ए. लेब खाते जाने हेतु जिला रीवा, उज्जैन, छिन्दवाड़ा एवं मन्दसौर के प्रस्ताव भेजे गए हैं।

<u>दिनांक 18 मार्च, 2020</u>

समय पर जानकारी न देने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही बाबत्
[सामान्य प्रशासन]

5. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 309) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 25 दिनांक 18.01.2020 के माध्यम से आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा को पत्र लिखकर कार्यालय में 20.01.2020 को पत्र देकर जानकारी चाही गई थी उक्त जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं करायी गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्र. 1 से 5 में की जानकारी बाबत् आयुक्त कार्यालय से कब-कब पत्र लिखे गये, पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतावें अगर पत्र संबंधितों को नहीं लिखे गये जिसके कारण जानकारी संकलित नहीं हुई और न दी गई इसके लिये किनको जिम्मेदार मानकार कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? जिम्मेदारों के नाम सहित जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार जिले के जिम्मेदारों को अगर आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा द्वारा पत्र जारी किये गये उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई तो जिले के जिम्मेदार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही इनको जानकारी देने बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारों के नाम एवं पद सहित जानकारी देवें एवं इन पर किस तरह की कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे यह भी बतावें? साथ ही पत्र अनुसार चाही गई बिन्दुवार जानकारी दिये जाने बाबत् निर्देशित करेंगे एवं विलम्ब के लिये कार्यवाही क्या प्रस्तावित करेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** जी हाँ पत्र प्राप्त हुआ है। संबंधितों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने के कारण जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कार्यवाही प्रगति पर है इसलिए किसी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।] **(क)** संबंधितों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु

आयुक्त कार्यालय रीवा द्वारा फरवरी 2020 से निरंतर 16 पत्र संबंधित विभागों को माननीय विधायक द्वारा वांछित जानकारी प्रेषित करने हेतु लिखे गये हैं। वांछित जानकारी व्यापक स्वरूप की होने एवं कई शासकीय कार्यालयों एवं विभागों से संबंधित होने के कारण अधिनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ है। दिनांक 25/06/2020 तक जिन कार्यालयों/विभागों से जानकारी उपलब्ध हुई थी, को संकलित कर आयुक्त कार्यालय रीवा द्वारा पत्र क्रमांक अधीक्षक/विस/2020/1866, दिनांक 25/06/2020 को माननीय विधायक श्री सुभाष रामचरित्र वि.स. क्षेत्र देवसर जिला सिंगरौली को उपलब्ध कराई गई थी। जिन कार्यालय/विभागों से जानकारी अपेक्षित थी, उन्हें स्मरण पत्रों द्वारा निरंतर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र/अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे गये हैं। जिन कार्यालय/विभागों से जानकारी शेष थी, उन विभागों से जानकारी दिनांक 09/02/2021 की स्थिति में आयुक्त कार्यालय रीवा के पत्र क्रमांक अधीक्षक/2021/618 दिनांक 09/02/2021 द्वारा माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दी गई है।

सितम्बर, 2020

दिनांक 21 सितम्बर, 2020

जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता अभियान में नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 152) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत स्वच्छता अभियान एवं स्वजल धारा कार्यक्रम योजना को विभाग के पदाधिकारी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांरित किया गया था? (नियम एवं निर्देशों की प्रति सहित जानकारी देवें।) **(ख)** क्या टीकमगढ़ में पदस्थ जिला समन्वयक मनीष जैन की नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं नियुक्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद ही की गई थी? यदि हाँ, तो नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।) **(ग)** दिनांक 28.12.2011 को विकास आयुक्त कार्यालय राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक/7877/687/22/वि-7/टीएससी/11 में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** दिनांक 28.04.2012 को समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भोपाल के पत्र क्रमांक 5673/22/वि-9/एम.डी.एम./12 भोपाल जिसके अनुसार मध्यान्ह भोजन प्रभारी को दोषी मानकार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं वसूली की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था। क्या कार्यवाही की गई? **(ड.)** क्या दिनांक 27.12.2011 को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन विकास आयुक्त कार्यालय अनुसार व्यक्तिगत नस्ती चाही गई थी? **(च)** यदि उक्त सभी जांच में सम्बन्धित कर्मचारी दोषी पाया गया है तो उनके विरूद्ध आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों एवं कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हाँ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत् स्वच्छता अभियान एवं स्वजल धारा कार्यक्रम योजना को विभाग के पदाधिकारी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को पद सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांरित किया गया। **(ख)** समग्र स्वच्छता अभियान/स्वजलधारा योजना अंतर्गत तत्समय जिला समन्वयक नियुक्त करने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चयन समिति का गठन कर संभागीय आयुक्तों को मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 547 भोपाल दिनांक 21.06.2006 द्वारा आदेशित किया गया था। आयुक्त, सागर संभाग सागर को पत्र क्र. 1206 दिनांक 01.09.2020, पत्र क्र. 1259 दिनांक 08.09.2020 एवं पत्र क्र. 1305 दिनांक 11.09.2020 से जानकारी चाही गई है, जानकारी अपेक्षित है। **(ग)** विकास आयुक्त कार्यालय में स्थापना एवं बजट (आवक-जावक) शाखा में दिनांक 28.11.2013 की मध्यरात्रि में आग लगने के कारण जावक शाखा के डिस्पैच रजिस्ट्रर नष्ट हो गये है, जिससे विषय की जानकारी अप्राप्त होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** जी नहीं।

(च) वर्तमान में श्री मूलचंद वर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।] **(ख)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** विकास आयुक्त कार्यालय में स्थापना एवं बजट (आवक-जावक) शाखा में दिनांक 28.11.2013 की मध्यरात्रि में आग लगने के कारण जावक शाखा के डिस्पैच रजिस्टर नष्ट हो गये हैं, जिससे विषय की जानकारी अप्राप्त होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

व्यापम घोटाले में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के फर्जीवाड़े की जांच

[गृह]

2. अता.प्र.सं. 31 (क्र. 168) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 794 दिनांक 17/12/2019 के संदर्भ में लेख है कि प्रश्न क्र. 466 दिनांक 8 जुलाई 2019 का उत्तर प्रेषित करने के उल्लेख के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ, दिलाया जाए तथा खंड (ख) तथा (घ) की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। **(ख)** व्यापम घोटाले की अगस्त 2019 में STF द्वारा प्रारंभ की गई जांच में जिन 197 शिकायतों को शामिल किया गया था, उनमें निजी कॉलेजों की डी.मेट परीक्षा, एन.आर.आई. कोटे से भर्ती तथा पी.एम.टी. से भर्ती में हुए फर्जीवाड़ा शामिल है या नहीं तथा वर्तमान में जांच की अद्यतन स्थिति क्या है। **(ग)** क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा की सी.बी.आई. को भेजी गई शिकायत, जिसे सी.बी.आई. द्वारा सितंबर 2016 में मुख्य सचिव को भेजकर चार बिंदुओं पर जांच हेतु उल्लेख किया था वह एस.टी.एफ. की जांच में शामिल है या नहीं? **(घ)** प्रश्नांश (ख) अनुसार एस.टी.एफ. द्वारा दर्ज किए प्रकरण के क्रमांक, दिनांक, धाराएं, आरोपी के नाम तथा पता गिरफ्तारी की दिनांक तथा न्यायालय में चालान पेश करने की दिनांक सहित सूची देवें तथा बतावें कि जिले के थानों में भेजी गई 510 शिकायतों में जांच की अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्री : [**(क)** तारांकित प्रश्न क्रमांक 466,दिनांक 28.06.2019 को विभाग द्वारा दिये गये उत्तर की प्रति संलग्न प्रेषित है। **(ख)** एस.टी.एफ. म.प्र. भोपाल में जांच अंतर्गत व्यापम संबंधी 197 लंबित शिकायतों में पी.एम.टी. तथा एन.आर.आई. कोटे में भर्ती की जांच सम्मिलित है। डी-मेट से संबंधित शिकायतों की जांच इकाई निर्धारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्रमांक 114/15 एवं 115/15 लंबित है। इसी तारतम्य में माननीय पूर्व विधायक श्री पारस सकलेचा द्वारा भी ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) क्रमांक 327/2015 सहपठित Interlocutory Application (इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन) नंबर 13864/2015 दायर की गई है जो उपरोक्त रिट पिटीशन क्रमांक 114/15 एवं 115/15 के साथ सुनवाई हेतु लंबित है। डी-मेट से संबंधित शिकायतों की जांच के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णयानुरूप कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** व्यापम घोटाले से संबंधित शेष 197 लंबित शिकायतों की जांच में 13 अपराधिक प्रकरण तथा 03 अपराध अन्य जानकारियों पर से, इस प्रकार कुल 16 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये जा चुके है सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जिलों में भेजी गई 530 शिकायतों की जानकारी संकलित

की जा रही है।] **(घ)** जिलों में भेजी गई 530 शिकायतों में से 219 शिकायत नस्तीबद्ध की गई तथा 221 शिकायतों में जांच उपरांत अपराध दर्ज किये गये। इस प्रकार कुल 221 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं। शेष 309 शिकायतों में जांच कार्यवाही प्रचलन में है।

सतना मण्डी सचिव की मूल विभाग में वापसी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 175) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर एक कर्मचारी/अधिकारी को अधिकतम कितने वर्षों तक किन-किन मापदण्डों पर बनाये रखने का प्रावधान है? अनुशासनात्मक कार्यवाही होने के उपरांत भी प्रतिनियुक्ति समाप्त न करने के क्या प्रावधान हैं? शासनादेशों की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** कृषि-उपज-मंडी-समिति सतना में वर्तमान में पदस्थ सचिव, दुग्ध संघ से वर्ष 2005 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जबकि उक्त सचिव की 8 वेतन वृद्धि रोकने, 6 बार परिनिन्दा, 8 बार भविष्य के लिये चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है, क्या ऐसी स्थिति में भी संबंधित प्रतिनियुक्ति के मापदण्डों की पूर्ति करते हैं? **(ग)** मंडी बोर्ड भोपाल के आदेश दि. 9/9/2019 से उक्त सचिव की सेवायें पैत्रक विभाग को किन कारणों से वापस की गई, तथा दि. 20/11/2019 को किन कारणों से उक्त आदेश निरस्त किया गया, नोटशीट की प्रति देवें। **(घ)** मंडी अधिनियम में संशोधन होने, आय-आवक की दिन-प्रतिदिन गिरावट होने पर प्रतिनियुक्ति पर ऐसे सचिव को क्यों बनाये रखा गया है, जबकि मंडी में ही कार्यरत किसी वरिष्ठ निरीक्षक से सचिव का कार्य लिया जा सकता है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ड.)** प्रश्नांश (क),(ख),(ग),(घ) के प्रकाश में उक्त सचिव को प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सेवा अवधि में कई बार दण्डित किये जाने के कारण मूल विभाग को कब तक वापस करते हुये पदावनत की कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-सी/3-14/06/3/एक, दिनांक 29 फरवरी, 2008 अंतर्गत 4 वर्ष से अधिक के लिये प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रावधान है, जो कि प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले एवं प्रतिनियुक्ति पर देने वाले दोनों विभागों कि सहमति होने पर बढ़ाई जा सकती है। परन्तु वर्तमान सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सतना की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृध्दि करने हेतु उनकी पैतृक संस्था/विभाग से सहमति प्राप्त नहीं की गई है। **(ख)** जी हां, परन्तु प्रतिनियुक्ति कर्मी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होने अथवा लघु शास्ति अधिरोपित करने पर प्रतिनियुक्ति से वापसी के विषय में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 10696/2015 के आदेश दिनांक 24/07/2017 से खारिज हो जाने पर मण्डी बोर्ड के आदेश दिनांक 09/09/2019 से श्री राजेश गोयल प्रतिनियुक्त सचिव-अ की सेवाएं पैतृक संस्था को वापिस की गई थी, किन्तु प्रशासनिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रतिनियुक्ति सेवा वापसी को निरस्त करने बावत् आदेश दिनांक 20/11/2019 जारी हुआ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

(घ) म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 में अध्यादेश दिनांक 01 मई, 2020 से हुए संशोधन से अभी मंडियों की आय-आवक पर विशेष प्रभाव नही पड़ने, सचिव-अ की सीमित संख्या में उपलब्धता, अ एवं ब वर्ग की बड़ी मंडियों में मण्डी निरीक्षकों को प्रभारी बनाया जाना व्यवहारिक नहीं होने इत्यादि के कारणों से प्रतिनियुक्त सचिवों से कार्य लिया जाता है। प्रदेश की स एवं द वर्ग की मंडियों में मण्डी निरीक्षकों को भी प्रभारी सचिव बनाया गया है। **(ड.)** उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सचिव की प्रतिनियुक्ति सेवाऐं पैतृक संस्था को वापिस करने की बाध्यता नही हैं, तथपि संस्था में कार्य की आवश्यकता एवं व्यक्ति की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये मण्डी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर निरन्तर रखने/वापिस करने हेतु गठित समिति द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाता हैं। पदावनत की कार्यवाही पैतृक संस्था के क्षेत्राधिकार में हैं। उक्त सचिव को आदेश क्रमांक/मण्डी कार्मिक/अ-4/प्रति/335/4548, दिनांक 02-02-2021 से उनकी प्रतिनियुक्ति सेवायें पैतृक संस्था एम.पी. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल को वापस की जा चुकी है।

STF द्वारा व्यापम घोटाले की जांच

[गृह]

4. अता.प्र.सं. 46 (क्र. 226) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मन्दसौर गोलीकांड के लिये गिठत जैन आयोग का अंतिम प्रतिवेदन शासन को किस दिनांक को प्राप्त हुआ? उसे अभी तक विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा गया? **(ख)** क्या STF व्यापम घोटाले के प्राप्त 197 आवेदन की जांच कर रही है? यदि हाँ तो उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। यदि नहीं तो जांच बन्द करने की दिनांक और कारण बतावें। **(ग)** STF द्वारा व्यापम घोटाले पर प्राप्त आवेदन में से विभिन्न जिलों में भेजे गये 500 से ज्यादा प्रकरणों की अद्यतन स्थिति जिलेवार बतावें। आवेदन प्राप्ति की दिनांक, विभिन्न जिलों में भेजने की दिनांक से अवगत करावें। **(घ)** क्या शासन CBI को भेजे गये प्रकरणों के अतिरिक्त शेष व्यापम घोटाले की जांच के प्रति वचनबद्ध है? यदि हाँ तो उस हेतु क्या कार्यवाही प्रचलन में है?

गृह मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** मान. जैन आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** एवं **(घ)** प्रश्नांश की जानकारी विभिन्न जिलों से संकलित की जा रही है।] **(क)** मान. जैन आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी हां, एस.टी.एफ. म.प्र. द्वारा व्यापम घोटाले से संबंधित 197 आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। व्यापम घोटाले से संबंधित 197 शिकायतों की जांच में 13 अपराधिक प्रकरण तथा 03 अपराध अन्य जानकारियों पर से कुल 16 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में है एवं 67 शिकायतें नस्तीबद्ध की जा चुकी है। शेष 130 शिकायतों की जांच प्रचलन में है। **(ग)** जिलों में भेजे गये 530 आवेदन पत्रों में से 219 शिकायत पत्र नस्तीबद्ध किये गये तथा 02 शिकायतों में जांच उपरांत अपराध दर्ज किये गये। इस प्रकार कुल 221 शिकायत पत्र निराकृत किये जा चुके हैं। शेष 309 शिकायतों में जांच कार्यवाही प्रचलन में है। उपरोक्त आवेदन प्राप्ती की दिनांक तथा

जिलों में भेजने की दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश एस.टी.एफ. म.प्र. से संबंधित नहीं है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 332) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में रायसेन जिले के कितने किसानों को कितनी राशि फसल बीमा के तहत प्रदान की गई तथा कितने किसानों को राशि अभी तक देना बाकी है? सूची देवें। **(ख)** वर्तमान में रायसेन जिले में कितने किसानों का कितने हेक्टेयर का बीमा करवाया गया तथा 2019 में भारी वर्षा के कारण रायसेन जिले के कितने किसानों का नुकसान हुआ तथा कितनी राशि कितने व्यक्तियों को प्रदान की गयी? रायसेन जिले के किसानों की तहसीलवार सूची देवें। **(ग)** वर्ष 2019-20, 2020-21 में किसानों की उपार्जित की गई गेहूं एवं चने की फसलों में कितना भुगतान किया? क्या किसानों का भुगतान अभी शेष है? अगर हाँ तो यह भुगतान कब तक होगा? अगर नहीं तो किसान क्यों भुगतान नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं? **(घ)** वर्तमान में क्या रायसेन जिले के अंतर्गत प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि हाँ तो किसानों को उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है एवं यदि नहीं तो कब तक समुचित व्यवस्था हो पायेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। खरीफ 2019 के लिये बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया गया है। पात्र कृषकों को दावा राशि भुगतान का कार्य बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रिया में है। अत: संख्या बताना संभव नहीं है। रबी वर्ष 2019-20 के फसल कटाई प्रयोगों के आंकडे का संकलन आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर द्वारा किया जा रहा है। अत: संख्या बताना संभव नहीं है। **(ख)** खरीफ वर्ष 2020 में रायसेन जिले में लगभग 57743 किसानों का लगभग 116042 हेक्टेयर का फसल बीमा किया गया। खरीफ 2019 के लिये बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया गया है। पात्र कृषकों को दावा राशि भुगतान का कार्य बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रिया में है। अत: संख्या बताना संभव नहीं है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** रायसेन जिले के अंतर्गत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में किसान की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता है तथा किसानों को सुगमता से यूरिया उपलब्ध हो रहा है।

<u>दिनांक 22 सितम्बर, 2020</u>

कलेक्टर दर,संविदा एवं आउटसौर्स के स्वीकृत पद के विरुद्द भरे पदो के संबंध में
[वित्त]

6. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 42) श्री महेश परमार : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उपरोक्त विषय में उज्जैन संभाग और उज्जैन ज़िले के शासन के सभी विभाग एवं

परियोजनाओं के अंतर्गत संविदा पर, कलेक्टर दर पर, आउटसोर्स पर प्रश्न दिनांक तक कुल कितने कौन-कौन से पद स्वीकृत है? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे गए है और कितने पद रिक्त हैं? विभागवार एवं परियोजनावार विस्तृत जानकारी प्रदान करें। **(ख)** स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स पर कितने कर्मी कब से कार्यरत हैं? वेतन किस मदों से दिया जा रहा है? क्या कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया से की गयी है? हाँ अथवा नहीं? सीधे भर्ती वाले कितने कर्मी कार्यरत है? विज्ञप्ति के माध्यम से कितने कर्मी कार्यरत है? क्या इन सभी का पीएफ काटा जा रहा है? इनमें से 03 वर्षों से अधिक कार्य करने वाले कितने कर्मी हैं? **(ग)** यदि नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया से न की जाकर सीधे दोषपूर्ण विधि से की गयी है? तो इसके लिए कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? **(घ)** उपरोक्त भर्तियों के अलावा भर्ती का अन्य कोई प्रकार हो तो उसकी भी विस्तृत जानकारी देवें।

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एवं **(ख)** उज्जैन संभागायुक्त कार्यालय तथा संभाग के जिलों के कलेक्टर कार्यालयों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्राप्त जानकारी अनुसार नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया से की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं।

नियम विरूद्ध जॉच रिपोर्ट
[स्कूल शिक्षा]

7. अता.प्र.सं. 49 (क्र. 372) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर की जांच रिपोर्ट क्र. 182/शाजापुर, दिनांक 30.05.2019 की जांच रिपोर्ट को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रदान किये गये साक्ष्य एवं अनावेदक द्वारा प्रदान किये गये अभ्यावेदन को एवं समस्त साक्ष्यों को एवं माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में उक्त जांच रिपोर्ट को नस्तीबद्ध किया गया है अथवा नहीं? स्पष्ट करें। **(ख)** अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला शाजापुर की जांच रिपोर्ट को दिनांक 15.04.2019 को नस्तीबद्ध करते हुए क्या पुलिस अधीक्षक शाजापुर की जांच रिपोर्ट को मान्य की गई थी? **(ग)** क्या संविदा नियुक्ति वर्ष 2006-07 में शिक्षा विशारद की मान्यता होने पर ही जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर के लिखित आदेश पर ही प्रशिक्षण के अंक प्रदान किये गये थे, इसका उल्लेख पुलिस अधीक्षक शाजापुर की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है तथा उक्त जांच रिपोर्ट को ही अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मान्य करने पर अन्य जांच रिपोर्ट नस्तीबद्ध की जायेगी? इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा? स्पष्ट करें। **(घ)** आयुक्त लोक शिक्षा द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट कब नस्तीबद्ध की जायेगी?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा : [**(क)** माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25-11-2019 के अनुसार विधि अनुसार योग्य और स्वतंत्र निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजगढ़ के द्वारा लिया जाना है। तदनुसार आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजगढ़ को निर्देशित किया गया है। **(ख)** जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से चाही गई है। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश "क" में अंकित अनुसार न्यायालयीन निर्णय के अनुसरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजगढ़ के स्तर पर कार्रवाई प्रचलित है, इसके निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुये है।] **(ख)** जी हां। पुलिस अधीक्षक शाजापुर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त श्री पुरूषोतम शर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की जांच रिपोर्ट 15.04.2019 को नस्तीबद्ध की गई है।

<u>दिनांक 23 सितम्बर, 2020</u>

लेबड नयागांव टोल पर 1055 करोड़ के बदले 2650 करोड़ की वसूली

[लोक निर्माण]

8. अता.प्र.सं. 66 (क्र. 611) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा नयागॉव फोरलेन पर लागत 450.47 करोड़ के बदले अगस्त 2020 तक लगभग 14000 करोड़ तथा लेबड जावरा पर 605.45 के बदले 11300 करोड़ वसूल चुकी है। मात्र 09 वर्ष में लागत से दो से तीन गुना वसुली हो चुकी है? तो क्या इन दोनो फोरलेन की वित्तीय व्यवहार्यता का पुनः आकलन किया जायेगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या शासन राज्य और जनता के धन की लूट को रोकने के लिए दोनों फोरलेन टोल बूथ बंद करने की कार्यवाही करेगा? **(ग)** शासन स्तर पर किस गणना के आधार पर दोनो फोरलेन पर टोल अवधि 25 वर्ष तय की गई? अवधि तय करने संबंधी समस्त नोट शीट, पत्र व्यवहार, आंकडे, सर्वे आदि का विवरण प्रस्तुत करे। **(घ)** क्या अगर दोनों फोरलेन पर टोल बूथ बंद न किये गये तो पूर्व अवधि तक ये लागत का 12 गुना शुल्क वसुल करेंगे? क्या ये उचित होगा, शासन इस पर कोई कार्यवाही करेगा। यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** जी नहीं। जी नहीं। लेबड़-जावरा मार्ग के कंसेशन अनुबंध की कंडिका-29 अनुसार यातायात पुर्नगणना की जा रहीं है। तदानुसार अनुबंध के प्रावधानुसार टोल वसूली की अवधि का पुर्ननिर्धारण किया जावेगा। **(ख)** टोल वसूली अनुबंधानुसार की जा रही है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अनुसार टोल अवधि तय की गई है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार** एवं सर्वे डीपीआर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख-1, ख-2, ख-3 अनुसार**। समस्त नोटशीट एवं पत्र व्यवहार संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** जी नहीं। टोल वसूली अनुबंध की कंडिका-27 अनुसार की जा रही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ग)** इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अनुसार टोल अवधि 25 वर्ष तय की गई है। अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार** एवं सर्वे डी.पी.आर. की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख-1, ख-2, ख-3 अनुसार**। शासन स्तर से जारी मेमोरेंडम फॉर इम्पावर्ड इन्स्टीट्यूशन के अनुसार 25 वर्ष टोल अवधि की पुष्टि की गई, जानकारी की प्रति **पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट के प्रपत्र ग-1, ग-2 अनुसार। परियोजनाओं की स्वीकृति अनुसार प्रावधानित 25 वर्ष टोल अवधि के साथ निविदा आमंत्रित की गई, निविदा कार्यवाही की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र घ-1 एवं घ-2 अनुसार**।

संयुक्त संचालक की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

9. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 623) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति भोपाल के पत्र क्रमांक 244/खाद्य दुकान/2012 भोपाल दिनांक 10/01/2018 को आयुक्त द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह संयुक्त संचालक की जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर कलेक्टर छतरपुर को पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त जांच प्रतिवेदन में अधिकारिता विहीन आदेश जारी किया गया लेख था? यदि हाँ तो क्या अधिकारिता विहीन आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा पद एवं शक्ति का दुरूपयोग किया गया था? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो क्यों? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1286 दिनांक 19/12/2019 को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया था कि उक्त अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच एवं आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। क्या उक्त कार्यवाही को शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार समय-सीमा पर पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग में प्रचलित है, अत: पद एवं शक्ति के दुरूपयोग के संबंध में जांचोपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग में प्रकरण प्रचलित है, जानकारी दी गई थी। प्रकरण सामान्य प्रशासन में प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

कोविड मरीजों को चिकित्सा

[चिकित्सा शिक्षा]

10. अता.प्र.सं. 125 (क्र. 743) श्री हर्ष यादव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को कोविड 19 हेतु कितनी राशि दी गई? मदवार बताएं? कौन-कौन होटल भवन किस दर पर कितने दिन के लिए किराये पर लिए गए हैं? प्रश्न दिनांक तक कितना किराया भुगतान किया गया है? कहाँ कितने लोगों को रखा गया है? किराये पर लेने हेतु क्या निविदा आमंत्रित कि गई थी? निविदा बताएं यदि नहीं, तो क्या प्रक्रिया की गई? **(ख)** कॉलेज ने क्या-क्या सामग्री? किस दर पर? कितनी राशि की? कहाँ से? किस प्रक्रिया से खरीदी? खरीदी से प्राप्त सामग्री का गुणवत्ता परिक्षण किस सक्षम समिति ने/सक्षम अधिकारी ने किया है? क्या बगैर गुणवत्ता परीक्षण के सप्लायर को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट बताएं? **(ग)** कोविड पॉजीटिव मरीज को प्रतिदिन कौन-कौन खाद्य सामग्री दी जाती है? प्रतिदिन खुराक की कीमत क्या है? नाश्ता, चाय, दूध, खाना, पानी की अलग अलग कीमत बताएं? क्या भोजन सामग्री प्रदाय बगैर निविदा

की गई, इसका दोषी कौन है? उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो प्राप्त निविदा/तुलनात्मक बताएं? **(घ)** संस्थागत कोरेन्टीन सेंटर कहाँ-कहाँ थे? प्रश्न दिनांक तक कितने लोग रखे गए। यहाँ प्रति व्यक्ति भोजन, नाश्ता, चाय, दूध, पानी आदि पर कितना व्यय किया गया? कुल कितना व्यय किया गया। **(ड.)** क्या प्रश्न (ग) (घ) स्थानों आदि व्यवस्था का कभी भी सांसद विधायक कमिश्नर एवं कलेक्टर ने औचक निरीक्षण नहीं किया? क्या मरीजों ने दूषित गन्दा भोजन दिए जाने का वीडियो जारी किया था? इस पर किस अधिकारी पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कोविड-19 हेतु प्राप्त राशि निम्नानुसार है :-

No.	Head	Amount
1.	Equipment	4,38,44.537.20
2.	Medicine	75,44,663.05
3.	Consumables	2,41,78,065.22
Total Amount		**7,55,67,265.47**

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर का आदेश क्रमांक 1518/री.जि.दण्डा/2020, सागर दिनांक 01.04.2020 एवं पृ. क्रमांक 1750, 1746, 1754, दिनांक 18.04.2020 के आदेश द्वारा आवासीय भवनों (होटल एवं लॉज) का कलेक्टर जिला सागर द्वारा अधिग्रहण किया गया था। आदेशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। शेष प्रश्नांश विभाग से असंबंधित है। **(ख)** बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में निम्न सामग्री क्रय की गई :-

क्र.	सामग्री	कुल राशि	रिमार्क
1.	दवाइयां	7544663.05	संलग्न
2.	उपकरण	42815385.20	
3.	कन्ज्यूमेबल	18478065.22	
	कुल योग	**68838113.47**	

की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। जी नहीं। दवाइयों की गुणवत्ता हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में कोविड पॉजीटिव मरीज को नास्ता, चाय, दूध, खाना, पानी की व्यवस्था सी.एम.एच.ओ. सागर द्वारा की गई जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। शेष प्रश्नांश विभाग से असंबंधित है। **(घ)** विभाग से असंबंधित। **(ड.)** विभाग से असंबंधिता।

दिसम्बर, 2020

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

किसानों को बीमा राशि का लाभ
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 1) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कितने कृषकों की खरीफ, 2019 की कितनी बीमा प्रीमियम राशि काटी गई? बैंकवार, संस्थावार, कृषकों की संख्या एवं काटी गई प्रीमियम राशि की जानकारी से अवगत करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित कितने कृषकों को कितनी बीमा राशि प्रदान की गई है? बैंकवार, संस्थावार कृषकों की संख्या एवं बीमा राशि की जानकारी से अवगत कराएं तथा शेष रहे कृषकों को बीमा राशि का लाभ मिलेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ग)** यदि बीमा प्रीमियम जमा करने के उपरांत भी शेष रहे किसानों को बीमा राशि का लाभ नहीं दिया जाता है, तो क्या बैंकों पर कार्यवाही कर उन्हें बीमा राशि का लाभ दिलवाया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** इंश्योरेंस कंपनी से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (संशोधित) परिचालन दिशानिर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया है, जिन बीमित कृषकों से संबंधित कृषक अंश को बैंक के द्वारा बीमा कंपनी को प्रेषित कर उनसे संबंधित कृषक विवरण संबंधित बैंक के द्वारा केन्द्र शासन के फसल बीमा पोर्टल पर निर्धारित समयावधि के अंदर अपलोड किये थे एवं उन पटवारी हल्कों/अधिसूचित इकाई में संबंधित फसल हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदाय वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर उपज में कमी पाई गई थी। योजना प्रावधानों के अनुसार, क्षतिपूर्ति राशि तभी देय होती है, जब किसी अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज थ्रेशोल्ड उपज में कम पाई जाती है। खरीफ 2019 मौसम में भारत सरकार द्वारा पुन: दिनांक 16.5.2020 से 02.6.2020 व 01.3.2021 से 10.3.2021 के दौरान पोर्टल खोला गया था, जिस पर बैंकों द्वारा सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1202 शेष कृषकों की प्रविष्टि की गई थी, जिनके बीमांकन व आंकलन का कार्य प्रक्रियाधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है।

बीमा राशि से वंचित किसानों को भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं. 8 (क्र. 38) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला उज्जैन एवं प्रश्नकर्ता की तराना विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा वन क्लिक योजना में कुल कितने किसानों के क्लैम स्वीकृत किए गए? कुल कितने किसानों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? क्या अभी भी कुछ किसानों का भुगतान होना बाकी है? यदि हाँ, तो वंचित किसानों को बीमा राशि कब तक दी जाएगी? लाभान्वित किसान और वंचित किसान दोनों की प्रमाणित सूचियाँ उपलब्ध करायें। **(ख)** फसल बीमा हेतु कुल कितने क्लैम अस्वीकृत किए गए? कितनी बीमा कंपनियों को भुगतान हेतु अधिकृत किया गया? अधिकृत बीमा कंपनियों एवं शासन के मध्य किन-किन सेवा शर्तों के साथ उक्त बीमा राशि भुगतान का करार किया था और अभी तक बीमा राशि भुगतान में कुल कितनी लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई और उन शिकायतों पर अभी तक क्या कार्यवाहियां की गयी? **(ग)** उक्त बीमा राशि के अलावा चालू वित्तीय वर्ष में हुए फसल नुकसान के लिए क्या अतिरिक्त राहत राशि दी गयी थी? यदि हाँ, तो कब-कब और कितनी राशि स्वीकृत की गयी? लाभान्वित और वंचित किसानों की संख्या प्रदान करें। **(घ)** उक्त बीमा क्लैम हेतु नुकसान का आकलन एवं अधिकतम न्यूनतम राशि का निर्धारण किन-किन शासनात्मक आदेश के तहत किया गया? पूर्ण प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** जिला उज्जैन अंतर्गत 144123 किसानों का राशि रू.1058.86 करोड़ क्लेम स्वीकृत किया गया एवं 141241 किसानों को 1041.21 राशि रू.का भुगतान किया गया। तराना विधानसभा अंतर्गत 25534 किसानों का राशि रू. 168.52 करोड़ क्लेम स्वीकृत किया गया एवं 24165 किसानों को 165.99 राशि रू. का भुगतान किया गया। जिला उज्जैन 2882 किसानों को राशि रू. 17.65 करोड़ एवं विधान सभा तराना के 1369 किसानों को राशि रू. 2.53 करोड़ भुगतान हेतु शेष है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** संबंधित बैंकों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण फसल बीमा दावा राशि के लाभ से वंचित कृषकों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। वर्ष 2019-20 के लिए उज्जैन जिले के लिये बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्यारेंस कंपनी को अधिकृत किया गया था। बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (संशोधित) परिचालन दिशानिर्देश अनुसार किया गया। जिले में खरीफ 2019 के कुल 105 किसानों द्वारा फसल बीमा नहीं मिलने की शिकायत की गई है। जिनको संबंधित बैंकों एवं बीमा कम्पनी को निराकरण हेतु समय-समय पर भेजा गया। **(ग)** उक्त बीमा राशि के अलावा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित फसलों हेतु कुल 1411 प्रभावित कृषकों को आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत कुल राशि रूपये 132.92 लाख मात्र स्वीकृत किये गये। **(घ)** बीमा क्लेम एवं नुकसान का आंकलन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (संशोधित) परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका क्र. 21.1.1 अनुसार किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।] **(क)** जिला उज्जैन एवं विधानसभा क्षेत्र तराना के क्लेम स्वीकृत, भुगतान एवं शेष की **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। दिनांक 01 मार्च से 10 मार्च, 2021 के बीच भारत सरकार द्वारा पोर्टल खोला गया था, जिस पर 5429 किसानों की जानकारी संबंधित बैंकों द्वारा अपलोड की गई, जिनकी राशि रू. 27.25 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। लाभान्वित किसानों की प्रमाणित सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2** एवं वंचित किसानों की प्रमाणित सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। **(ख)** संबंधित बैंकों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर की गई तकनीकी त्रुटियों के कारण जिले के कुल 1737 किसानों का क्लेम वंचित रह गये थे, इनको मिलाकर दिनांक 01 मार्च से 10 मार्च, 2021 के बीच में खोले गये पोर्टल पर कुल 5429 किसानों की जानकारी संबंधित बैंकों द्वारा अपलोड की गई है, जिनकी राशि 27.25 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। जिले में खरीफ 2019 हेतु शासन द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया है। योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की गाईड-लाईन के अनुसार किया जा रहा है। जिले में खरीफ 2019 के कुल 105 किसानों द्वारा फसल बीमा नहीं मिलने की शिकायतें की गई हैं, जिनको संबंधित बैंकों एवं बीमा कंपनी को निराकरण हेतु समय-समय पर भेजा गया है।

खेल अधिकारी द्वारा जिले में खरीदी गई सामग्री
[खेल और युवा कल्याण]

3. अता.प्र.सं. 12 (क्र. 52) श्री मनोज चावला : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रतलाम जिले में जिला खेल अधिकारी या आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वयं के नाम से या अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से भुगतान हेतु चेक काट सकता है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक भुगतान हेतु कितने चेक किस-किस के नाम पर काटे गए हैं? वर्षवार, माहवार सूची उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या जिला खेल अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी, नियंत्रणकर्ता अधिकारी, जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर की बगैर अनुमति के लाखों रुपए की खरीदी एवं वित्तीय कार्य कर सकता है? यदि हाँ तो ली गई अनुमतियों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। **(घ)** 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले में कितने खरीदी एवं वित्तीय कार्य किए गए हैं? वर्षवार, माहवार जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ड.)** जिले को मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी खेल सामग्री प्रदाय की गई है? यह सामग्री किन-किन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की अनुशंसा पर जिले के किन-किन खेल संगठनों और संस्थाओं को प्रदाय की गई है? सूची उपलब्ध कराएं।

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिन खातों को खोलने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त हो, उनके संचालन हेतु जिला खेल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने से अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से विभागीय आयोजन, प्रतियोगिताएं, कार्यालयीन कार्य हेतु चेक काट सकते हैं। **(ख)** वर्ष 2016 में 10, वर्ष 2017 में 3, वर्ष 2018 में 19, वर्ष 2019 में 8, वर्ष 2020 में 10 इस प्रकार कुल 50 चेक काटे गये हैं, जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ**

अनुसार है। **(ग)** जिला खेल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने से अपने अधिकार अंतर्गत सक्षम स्वीकृतियां/अनुमतियां जारी कर सकते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. अता.प्र.सं. 15 (क्र. 73) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिसम्बर 2020 की स्थिति में भोपाल संभाग के जिलों में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कितने आवेदन पत्र किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? **(ख)** लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? विलंब के लिये कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है? **(ग)** प्रकरण स्वीकृति उपरांत राशि भुगतान के संबंध में क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। **(घ)** राशि भुगतान के लिये किन-किन के प्रकरण कब से किस स्तर पर क्यों लंबित हैं? कब तक राशि का भुगतान होगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रश्नाधीन अवधि में भोपाल संभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत राशि भुगतान के लिए 09 प्रकरण संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में बजट के अभाव में लंबित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/डी-15-7/15/14-3 दिनांक 01.04.2015 अनुसार योजना के नियम/प्रावधान के अंतर्गत हितग्राहियों से प्राप्त आवेदन को स्वीकृत कर भुगतान करने के पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त होने से प्राप्त प्रकरणों को 07 दिवस की समय-सीमा में जांच उपरांत स्वीकृत करने एवं 15 दिवस की समयावधि में हितग्राही को सहायता राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान स्थापित किया गया है। **(ख)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ग)** योजना अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों को 07 दिवस की समय-सीमा में जांच उपरांत स्वीकृत करने एवं 15 दिवस की समयावधि में संबंधित हितग्राही को सहायता राशि भुगतान किये जाने के निर्देश है। परिपत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में भोपाल संभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत राशि भुगतान के लिये संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में बजट के अभाव में लंबित 09 प्रकरणों में से 05 प्रकरणों का जिला कलेक्टर रायसेन द्वारा स्वीकृति उपरांत भुगतान/निराकरण किया जा चुका है, शेष 4 प्रकरण हेतु कलेक्टर कार्यालय रायसेन के अंतर्गत तहसील/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लंबित प्रकरणों के संबंध में आवश्यक पूर्ति/जानकारी संबंधितों से चाही गई है। वांछित जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। **(घ)** भोपाल संभाग अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में 36 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत होकर राशि के अभाव में लंबित थे,

जिनका भुगतान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** संबंधित हितग्राहियों किया जा चुका है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** अब कोई भी प्रकरण भुगतान हेतु शेष नहीं है।

सामान्य निर्वाचन शाखा कलेक्टरेट सतना की ऑडिट के संदर्भ में
[विधि और विधायी कार्य]

5. अता.प्र.सं. 17 (क्र. 88) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013 एवं 2018 में संपन्न हुए विधान सभा निर्वाचन एवं 2014 तथा 2019 में संपन्न हुए लोकसभा निर्वाचन में सतना जिले में किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि खर्च की गई? मदवार आय-व्यय का विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या आय-व्यय लेखे की ऑडिट कराई गई? यदि हाँ तो किस विभाग द्वारा कराई गई? साथ ही यदि ऑडिट टीम द्वारा यदि कोई आपत्ति की गई हो तो उसको भी बतायें एवं उन आपत्तियों पर की गई कार्यवाही को भी बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या ऑडिट टीम द्वारा किसी कर्मचारी को दोषी बनाया गया है? यदि हाँ तो क्या उस कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्ष 2013 एवं 2018 में संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचन एवं 2014 तथा 2019 में संपन्न हुए लोकसभा निर्वाचन में सतना जिले में किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि खर्च की गई की जानकारी निर्वाचनवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हां। महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा अवधि सितम्बर 2019 तक के जिला निर्वाचन कार्यालय, सतना के लेखाओं का निरीक्षण किया गया है। ऑडिट टीम द्वारा की गई आपत्ति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** ऑडिट टीम द्वारा किसी कर्मचारी को व्यक्तिश: दोषी नहीं पाया गया है। अत: कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कृषि उपज मंडियों की आय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. अता.प्र.सं. 37 (क्र. 186) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की कृषि उपज मंडियों की आय के क्या-क्या स्त्रोत हैं? वर्ष 2016 से जबलपुर संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडियों की कुल वार्षिक आय कितनी रही वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** क्या कृषि उपज अध्यादेश से पूर्व मंडियों के बाहर के व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था? यदि हाँ, तो जबलपुर संभाग अन्तर्गत मंडियों के द्वारा वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष मंडियों के बाहर के व्यापारियों से कुल कितना कर वसूल किया गया? **(ग)** क्या मंडियों द्वारा वसूल किये जाने वाले कर व अन्य आय के साधनों से अर्जित आय के माध्यम से मंडी कर्मचारियों का वेतन प्रदाय किया जाता था? यदि हाँ तो प्रदेश के

समस्त मंडी कर्मचारियों को वेतन देने में वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जा रही थी? **(घ)** कृषि उपज अध्यादेश लागू किये जाने के बाद से जबलपुर संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडियों की अब तक कितनी आय हुई है? क्या मंडियों की आय में भारी गिरावट आई है? यदि हाँ तो मंडी कर्मचारियों के वेतन प्रदाय के लिए शासन द्वारा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आय के स्त्रोत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। जबलपुर संभाग अंतर्गत मंडियों की वर्ष 2016 से वर्तमान तक की कुल वार्षिक आय मण्डीवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। मंडी में देय मंडी शुल्क का भुगतान किए बिना परिवहन प्रांगण के बाहर क्रय/प्रसंस्कृत/भंडारित किया जाना पाये जाने पर मंडी अधिनियम की धारा 19 (4) अनुसार पाच गुना मंडी फीस/दण्डात्मक मंडी फीस वसूली कार्यवाही की जाती है। प्रकरण प्रकाश में आने पर दण्डात्मक मंडी शुल्क की वसूली की कार्यवाही की गई। मण्डी शुल्क की मण्डीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। मण्डीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। **(घ)** जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(घ)** जून 2020 से नवम्बर 2020 तक जबलपुर संभाग की कृषि उपज मण्डी समितियों में रूपये 631540814.90 आय हुई है। उक्त माहों में पिछले वर्ष की तुलना में 17.99 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि 14 नवम्बर, 2020 में मण्डी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत में 0.50 प्रतिशत कर दिया गया है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नही होता है।

दुष्कृत्य के आरोपियों को फांसी की सजा

[गृह]

7. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 191) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक जिलावार दुष्कृत्य के कितने मामलों में कितने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? कितने प्रकरणों में अपील की गई है? जानकारी दें। **(ख)** जिला जबलपुर में प्रश्नांश (क) अवधि में महिलाओं, बालिकाओं, नाबालिग कन्याओं के साथ दुष्कृत्य सामूहिक दुष्कृत्य, दुष्कृत्य व हत्या, अपहरण, शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करना, छेड़खानी, धमकियों व ब्लैक मेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या करना, देहव्यापार व मानव तस्करी से संबंधित कितने-कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये है? थानावार संख्यात्मक जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांकित कितने मामले फास्टट्रेक न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये हैं? कितने प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा कितने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई? कितने प्रकरणों में अपील की गई है? कितने प्रकरणों में आरोपियों को पीड़िताओं की विस्तृत मेडिको लीगल जांच में साक्ष्यों के अभाव में जमानत का लाभ मिला है? कितने प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं एवं कितने प्रकरण विवेचना में हैं? **(घ)** शासन ने प्रश्नांश (क) अवधि में प्रदेश में दुष्कृत्य के कितने मामलों में पीड़िताओं का इलाज

कराया है एवं कितने पीड़िताओं के परिजनों को कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में लंबित दुष्कृत्य के प्रकरणों में आरोपियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई, 34 व्यक्तियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार** है। **(ख)** जिला जबलपुर में प्रश्नांश अवधि में महिलाओं के साथ दुष्कृत्य के 205, सामूहिक दुष्कृत्य के 22, दुष्कृत्य व हत्या के 03, अपहरण के 19, शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण के 219, छेड़खानी के 907, धमकियां व ब्लैक मेंलिंग से परेशान होकर आत्महत्या के 09, देह व्यापार के 06 व मानव तस्करी के 06 कुल 1396 प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं। नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य के 275, सामूहिक दुष्कृत्य के 19, दुष्कृत्य व हत्या के 04, अपहरण के 1188, शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण के 221, छेड़खानी के 482, धमकियां व ब्लैक मेंलिंग से परेशान होकर आत्महत्या के 03, देह व्यापार के 00 व मानव तस्करी के 09 कुल 2201 प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं। अपराध शीर्षवार महिलाओं एवं बालिकाओं पर घटित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'** पर एवं थानावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार** है। **(ग)** जिला जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित नहीं है। 01 प्रकरण में न्यायालय द्वारा 01 आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपील करने पर मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा फांसी की सजा को 30 वर्ष का आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। आरोपियों को पीड़िताओं की विस्तृत मेडीकोलीगल जांच में साक्ष्यों के अभाव में जमानत का लाभ की जानकारी निरंक है। महिलाओं पर घटित 1319 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं तथा 53 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं एवं बालिकाओं पर घटित 1057 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं तथा 209 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं। **(घ)** वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 (नवंबर 2020 तक)

दुष्कृत्य के मामलों में		**प्रदत्त प्रतिकर राशि (रूपये में)**
कितनी पीड़िताओं का इलाज कराया गया? (पीड़िताओं की संख्या)	**कितनी पीड़िताओं को प्रतिकर राशि प्रदाय की गई? (पीड़िताओं की संख्या)**	
10	820	137377300/-

भोपाल में राजनीतिक दलों को आवंटित शासकीय आवास

[गृह]

8. अता.प्र.सं. 57 (क्र. 253) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजधानी भोपाल में किन-किन राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों और राजनेताओं को शासकीय आवास गृह किस-किस टाइप के कहां-कहां पर कब-कब से किन शर्तों के आधार पर कितनी अवधि के आवंटित हैं? **(ख)** उपरोक्त आवंटित शासकीय आवास गृहों का किराया किस-किस दर से लिया जा रहा है तथा किन-किन आवंटियों पर कितनी-

कितनी किराये की राशि बकाया है? बकाया किराया राशि वसूली के लिये नियमानुसार क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? **(ग)** क्या जिन राजनीतिक दलों का मध्यप्रदेश में अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे राजनैतिक दलों को आवंटित किये गये शासकीय आवास गृह रिक्त कराने की दिशा में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त क्या कुछ आवंटित शासकीय आवास गृह आवंटन शर्तों के विरूद्ध किराये पर लंबे समय से दिये गये है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या उक्त आवंटित आवासों में वर्तमान में मूल आवंटित के स्थान पर कौन निवास कर रहा है? इसकी जाँच कराई जाएगी यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000" में दिये गये प्रावधानों अंतर्गत राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों और राजनेताओं को 03 वर्षों हेतु आवास आवंटन के प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है। **(ख)** म.प्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01-25/2013/दो-ए (3), दिनांक 11.09.2014 के अनुसार शासकीय आवास गृहों की किराया सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है, लोक निर्माण विभाग (किराया शाखा) के पत्र क्रमांक 789/20, दिनांक 11.12.2020 अनुसार आवंटितियों पर बकाया राशि विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है। समय-समय पर लोक निर्माण विभाग (किराया शाखा) द्वारा मांग पत्र जारी किये जाते हैं। **(ग)** नियमों में इस बाबत् पृथक से प्रावधान नहीं है। **(घ)** जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर जॉच कराई जाकर नियमानुसार मध्य प्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 अंतर्गत निष्कासन प्रकरण पंजीबद्ध कर बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओ एवं बालिकाओं से अश्लीलता

[गृह]

9. अता.प्र.सं. 72 (क्र. 302) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में 1 जनवरी 2015 के पश्चात कहां-कहां शासकीय एवं अशासकीय खेल मैदान, जिम सेंटर, स्टेडियम एवं अन्य स्थलों पर खेल प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ से अश्लीलता एवं छेड़छाड़ को लेकर किस-किस व्यक्ति के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रदेश में ऐसे कुल प्रकरणों की संख्या बतायें। **(ख)** उक्त प्रकरणों में कितने प्रशिक्षक शासकीय सेवाओं में हैं? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रदेश में कितने प्रकरणों में महिला एवं बालिकाओं द्वारा प्रशिक्षकों के खिलाफ अश्लीलता के प्रकरण दर्ज कराने के उपरांत प्रकरण झूठे पाये गये? प्रदेश की कुल संख्या बतावें।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में 01 जनवरी, 2015 के पश्चात शासकीय एवं अशासकीय खेल मैदान, जिम मैदान, जिम सेंटर, स्टेडियम एवं अन्य स्थलों पर खेल प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से अश्लीलता एवं छेड़छाड़ के प्रकरणों के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही की **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। प्रदेश में इस प्रकार कुल प्रकरण 03 है। **(ख)** कुल 02 प्रकरण शासकीय सेवकों के विरुद्ध पंजीबद्ध किये गए हैं, जो निम्नानुसार है :- 1. जिला बुरहानपुर में 01 आरोपी दिगम्बर पिता रामदास सोलंकी उम्र 38 वर्ष खेल प्रशिक्षक शासकीय सेवक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 217/18 धारा 354 (क) भा.द.वि., 7/8 पोक्सो एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया। 2. जिला भोपाल में 01 आरोपी भारत पिता विशंभर सिंह सिकरवार उम्र 48 वर्ष शासकीय सेवक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 756/19, धारा 354 भा.द.वि. 7/8 पोक्सो एक्ट में पंजीबद्ध कर, चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। **(ग)** जानकारी निरंक है।

राजगढ़ विधान सभा के लंबित बीमा प्रकरणों का निराकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 398) श्री बापूसिंह तंवर : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों का फसल बीमा का भुगतान लंबित है? ग्राम का नाम दर्शाते हुए बीमा भुगतान से छूटे हुए किसानों की संख्या बताएं। **(ख)** प्रश्न कंडिका (क) अनुसार यदि फसल बीमे की राशि का भुगतान लंबित है तो फसल बीमे का भुगतान कब तक हो जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** बीमा कंपनी से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (संशोधित) परिचालन दिशा-निर्देश अनुसार भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(क)** खरीफ 2019 मौसम में भारत सरकार द्वारा पोर्टल पुन: दिनांक 16.5.2020 से 02.06.2020 व 01.3.2021 से 10.3.2021 के दौरान खोला गया था, जिसमें बैंकों द्वारा फसल बीमा की प्रविष्टियां की गई थी। योजना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान की गई प्रविष्टियों में से राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 595 प्रविष्टियां की गई है, जिनके बीमांकन व आंकलन का कार्य बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है (पटवारी हल्कावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।)। प्रक्रिया पूर्ण होने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जावेगा।

बड़वानी जिले की कालोनियों के संबंध में

[नगरीय विकास एवं आवास]

11. अता.प्र.सं. 119 (क्र. 434) श्री बाला बच्चन : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में प्रश्न दिनांक तक कितनी कालोनियां हैं? विकसित, अर्द्धविकसित एवं स्वीकृति प्राप्त कालोनियों के नाम, कालोनाइजर नाम, स्थान नाम, रकबे सहित निकायवार बतावें। **(ख)** दिनांक 01.01.13 से 30.10.18 तक कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों को इन कालोनियों में कितने भूखण्ड विक्रय किये गये? उन लोगों के नाम, पता, भूखण्ड रकवा सहित कालोनीवार, निकायवार बतावें। **(ग)** जिन कालोनियों में प्रश्नांश (ख) अनुसार भूखण्ड विक्रय नहीं किए गए हैं उसका कारण बतावें। ऐसी कितनी कालोनियों

में कितने भूखण्ड आरक्षित हैं? निकायवार बतावें। **(घ)** इनके कालोनाइजरों द्वारा विलेखों के पंजीकृत करने का शुल्क जमा करने की जानकारी कालोनीवार देवें? इनके कितने प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को भेजे गए? इन पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(घ)** की जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

कृषक बीमा की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. अता.प्र.सं. 127 (क्र. 449) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 324 दिनांक 21 सितम्बर 2020 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतायें कि एग्रीकल्चर इंश्योरेस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किन शर्तों के आधार पर किया गया, शासन तथा कम्पनी के बीच हुये अनुबंध की प्रति देवें तथा इस कम्पनी का पूरा पता तथा डायरेक्टर भागीदार का नाम, पिता/पति के नाम की सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतावे की इश्योरेन्स कम्पनी को अनुमानत: कुल कितनी प्रीमियम राशि प्राप्त होगी तथा उसमें कृषक, केन्द्र शासन राज्य शासन का हिस्सा कितना-कितना होगा? **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 325 दिनांक 21 सितम्बर 2020 के संदर्भ में बतायें कि जिन कम्पनी का बीज परीक्षण में फेल हुआ उन पर पुलिस में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया तथा उन्होंने कितनी मात्रा में वह बीज बेचा तथा कितनी जमीन में वह बीज बोया गया? **(घ)** परीक्षण में कम्पनी का बीज फेल होने पर क्या-क्या कार्यवाही किये जाने संबंधी दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा उसी अनुसार कार्यवाही प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में की गई है? **(ड.)** अमानक बीज पर किसान को मुआवजा दिलाए जाने संबंधी क्या निर्देश हैं? उसकी प्रति देवे तथा बताये कि प्रश्नांश (ग) से संबंधित अमानक बीज पर कुल कितने किसान को कितनी राशि का मुआवजा दिलाया गया?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कंपनियों से निविदा में प्राप्त न्यूनतम वेटेड एवरेज प्रीमियम दरों के आधार पर खरीफ 2020 एवं रबी वर्ष 2020-21 में प्रदेश में कार्य करने हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. का चयन किया गया है। कंपनी का पूरा पता तथा डायरेक्टर भागीदार के नाम की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत केन्द्र शासन के फसल बीमा पोर्टल पर बैंकों द्वारा किये गये कृषकों की पोर्टल एंट्री के आधार पर प्रीमियम में कृषक अंश राशि रू. 5611989016, राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि रू. 20177229158 एवं केन्द्रांश प्रीमियम अनुदान राशि रू. 20177229158 प्राप्त होगी। **(ग)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कंपनियों से निविदा में प्राप्त न्यूनतम वेटेड एवरेज प्रीमियम दरों के आधार पर खरीफ

2020 एवं रबी वर्ष 2020-21 में प्रदेश में कार्य करने हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. का चयन किया गया है। शासन तथा कंपनी के बीच अनुबंध किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। कंपनी का पूरा पता तथा डायरेक्टर भागीदार के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। **(ड.)** अमानक बीज पर किसान को मुआवजा दिलाये जाने का बीज अधिनियम-1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 में निर्देश नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

खासगीदेवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज ट्रस्ट इंदौर की संपत्तियों का अवैध विक्रय
[संस्कृति]

13. अता.प्र.सं. 131 (क्र. 457) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आलमपुर जिला भिण्ड में स्थित महाराजा मल्हारराव होल्कर की छत्री से लगी भूमि को खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज ट्रस्ट इंदौर के प्रबंधकों द्वारा घोषित नजूल भूमि विक्रय किये जाने के लिये प्रतिबंधित (अहस्तांतरणीय) होने के बावजूद भी लगातार कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लीज के नाम पर विक्रय की जा रही है एवं इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन (संस्कृति विभाग) को दिनांक 10/10/2020 को पत्र लिखकर भूमि विक्रय की जांच कराने एवं शासकीय भूमि की सुरक्षा करने का अनुरोध किया था? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा जांच कराकर जांच निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर किन-किन राज्यों में खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज ट्रस्ट की संपत्ति कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी है तथा उक्त संपत्ति पर वर्तमान में किस-किस का आधिपत्य है? **(घ)** क्या खासगी ट्रस्ट की भूमि/भवन/संपत्तियों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बेचने एवं अतिक्रमण किये जाने के मामले शासन के संज्ञान में आये हैं? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या कार्रवाई की गई बताएं? पृथक-पृथक ब्यौरा दें।

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है.] **(क)** कस्बा आलमपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 986 रकवा 3.683 एवं 1003 रकवा 1.499 पर श्री सूबेदार मल्लाहराव होल्कर छत्री ट्रस्ट आलमपुर का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है। मान. म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा रिट अपील क्रमांक 92/2014 एवं 135/2014 तथा रिट याचिका क्रमांक 22234/2020 में पारित आदेश दिनांक 05.10.20 के उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) 12133 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 के अनुसार खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को लेकर यथास्थिति के आदेश के पालन में यथावत रखा गया है। उक्त सर्वे क्रमांक 986, 1003 पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित नही हो रहे हैं, न ही विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हुए हैं, न किसी नामान्तरण की प्रविष्टि वेव

जी.आई.एस. अभिलेख में दर्ज हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार मान. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) 12133 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 के पालन में यथास्थिति है। **(ग)** कस्बा आलमपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 986, रकवा 3.683 एवं 1003 रकवा 1.499 पर श्री सूबेदार मल्लाहराव होल्कर छत्री ट्रस्ट आलमपुर का नाम भूमि स्वामीस्वत्व पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसके अतिरिक्त होल्कर राज्य से संबंधित संस्कृति विभाग द्वारा निम्नांकित स्थल राज्य संरक्षित स्मारक है :- (1) महाराजा मल्हाराव होल्कर की छत्री, आलमपुरा जिला भिण्ड स्वामित्व शासकीय, (2) महाराजा यशवंतराव होल्कर की छत्री, भानपुर जिला मंदसौर स्वामित्व शासकीय, (3) कालेश्वर एवं जालेश्वर मंदिर जिला खरगौन - प्रबंधक कलेक्टर, खरगौन, (4) कृष्णा बाई होल्कर की छत्री एवं बोलिय सरकार की छत्री जिला इन्दौर- स्वामित्व शासकीय. प्रदेश में खासगी देवी अहिल्या बाई होल्कर ट्रस्ट की संपत्ति इसके अतिरिक्त और कहां-कहां कितनी है, इसकी अधिकृत जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। **(घ)** जी हां, उक्त ट्रस्ट की भूमि के 85 अतिक्रामकों के नाम अतिकमण पंजी में दर्ज की जाकर प्रकरण क्रमांक 0001/अ-68/2018-19 से अतिक्रामकों को न्यायालय नायब तहसीलदार आलमपुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये, वर्तमान में उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) 12133 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 के पालन में यथास्थिति है।

जिला सागर के किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. परि.अता.प्र.सं. 109 (क्र. 796) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर जिला सागर को पत्र क्र. बी.पी./00578/बी.पी.एल./20 प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर कार्यवाही की जानकारी दें। **(ख)** क्या ग्राम कोलुआ के पटवारी हल्का नं. 22 तहसील राहतगढ़ जिला सागर के 50 किसानों को वर्ष 2019 की खरीफ फसल सोयाबीन की बीमा राशि का लाभ मिला? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या उक्त किसानों को लाभ दिया जावेगा तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ, बीमा कंपनी को कार्यालयीन पत्र क्र. 1477, दिनांक 20.12.2020 द्वारा पात्र किसानों की दावा राशि भुगतान हेतु लिखा गया है। **(ख)** बीमा कंपनी से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (संशोधित) परिचालन दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(ख)** पटवारी हल्का नं. 22 (पटवारी मुख्यालय-मानकी सलैया) तहसील राहतगढ़ के ग्राम कोलुआ अंतर्गत खरीफ 2019 मौसम में फसल सोयाबीन हेतु कुल 28 बीमित किसान पात्र थे, जिनको राशि रू. 691913.75 का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया गया। इसके अलावा दिनांक 16.5.2020 से 02 जून, 2020 व 01 मार्च, 2021 से 10 मार्च 2021 के दौरान पुन: भारत सरकार द्वारा फसल बीमा पोर्टल खोला गया था, जिसमें बैंकों द्वारा प्रविष्टि की गई

थी, जिस अनुसार 23 प्रविष्टियां का बीमांकन व क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्रियाधीन है। प्रकिया पूर्ण होने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जावेगा।

दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

सर्मथन मुल्य पर गेंहू, धान की खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

15. अता.प्र.सं. 17 (क्र. 110) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में विगत 3 वर्षों में कितना गेहूँ, धान एवं अन्य जिन्स सर्मथन मूल्य पर क्रय किया गया। वर्षवार, समितिवार जानकारी दें। रीवा, जबलपुर संभाग की राईस मिलों द्वारा विगत दो वर्षों से प्रश्न दिनांक तक किन-किन राइस मिलों द्वारा कितना धान प्राप्त किया गया? कितना-कितना चावल जमा किया, कितने-कितने लॉट/स्टेक अमानक पाए गए? **(ख)** प्रश्नांश (क) के जिन राईस मिलों के तीन लॉट अमानक पाए गए उन राईस मिलों को ब्लैक लिस्ट करने के प्रावधान अनुसार ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? अब कब तक किया जावेगा तथा अमानक चावल किन-किन राईस मिलों द्वारा उठाकर बदला गया? किन-किन के द्वारा नहीं पृथक-पृथक जिलेवार राईस मिलवार बताएं। **(ग)** प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा क्या श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) रचना नगर कटनी की शिकायत संलग्न कर पत्र क्रमांक 776 दिनांक 14.10.2020 से माननीय मंत्री प्रमुख सचिव खाद्य एवं मुख्य सचिव को जाँच हेतु भेजा गया था। उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री राजगुरू कटनी द्वारा वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक खाद्य विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव खाद्य एवं मुख्य सचिव को जो शिकयतें की गई, उन शिकायतों पर कार्यवाहीवार का विवरण दें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कटनी जिले में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान, गेहूं एवं अन्य जिन्स का वर्षवार, समितिवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। रीवा एवं जबलपुर संभाग में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में जिलेवार, मिलर्सवार, धान प्राप्ति, जमा चावल एवं अमानक लॉट/स्टेक संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जिन राईस मिलर्स के 3 लॉट अमानक स्तर के पाए गए तथा राईस मिलर्स द्वारा अमानक स्टॉक को बदलकर मानक स्तर का चावल जमा कराया गया है, जिसकी मिलर्सवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए जारी कस्टम मिलिंग जारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप एक अनुबंध में पाए गए 3 लॉट अमानक स्तर के चावल को अपग्रेड कर मानक स्तर का चावल जमा कराया गया है। प्रदेश में उपार्जित धान की मात्रा की कस्टम मिलिंग हेतु निर्धारित समयावधि में कराने एवं प्रदेश में मिलिंग के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित मिलर्स को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही नहीं की गई है। **(ग)** शिकायत की जांच

क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा की जा रही है। **(घ)** वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में प्राप्त शिकायत की जांच क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से कराई जा रही है।

PDS में घटिया चावल वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

16. अता.प्र.सं. 62 (क्र. 519) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा जांच करने पर बालाघाट तथा मंण्डला जिले में पाए गए अमानक स्तर के चावल मिलने पर राईस मिलर्स तथा म.प्र.नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दें। **(ख)** PMO भारत सरकार द्वारा उक्त के संबंध में राज्य शासन को क्या निर्देश दिये गये थे तथा उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? **(ग)** क्या विभाग ने राईस मिलर्स को गोदामो से घटिया चावल वापिस ले जाकर उसके बदले में मानक स्तर का चावल वापिस देने हेतु क्या कोई आदेश जारी किया था? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो घटिया चावल अभी कहाँ है? **(घ)** राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु दिये गये धान की मिलिंग न करते हुए उस धान को बेचने तथा म.प्र. तथा अन्य प्रदेश से PDS से रिसाईकल किया हुआ चावल वापस गोडाउन में जमा करने की प्रक्रिया में जो संगठित अपराध किया जा रहा है उससे निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मिलिंग नहीं करने से बिजली के बिलों में जो कमी आयी है, क्या उसकी जांच करायी जायेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा जॉच करने पर बालाघाट तथा मण्डला जिले में पाए गए अमानक स्तर के चावल मिलने पर खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति दिनांक 31.03.2020 की कण्डिका 12.4 के अनुक्रम में बालाघाट एवं मण्डला जिले में राईस मिलर्स द्वारा अमानक चावल का अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण कर गुणवत्ता युक्त चावल जमा करने की कार्यवाही की गई है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों के विरूध्द की गयी कार्यवाही की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** तथा अमानक चावल के अपग्रेडेशन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.08.2020, अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.08.2020, स्मरण पत्र दिनांक 03.11.2020 एवं 03.12.2020 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। उपरोक्त के पालन में जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट को संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक 6957, दिनांक 06.10.2020 से तथा जिला आपूर्ति अधिकारी मण्डला को संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक

7026, दिनांक 16.10.2020 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों के विरूध्द की गयी कार्यवाही एवं पालन प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" अनुसार** है। **(घ)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत प्रदाय चावल का वितरण पात्र हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है, साथ ही उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के पश्चात शेष मात्रा का आगामी माह के आवंटन में समायोजन कर आवंटन जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में पी.डी.एस. अन्तर्गत प्रदाय चावल रिसाईकिल होकर गोदामों में जमा होने की स्थिति नही है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलर्स से मिलिंग कराई जाती है एवं प्राप्त चावल की गुणवत्ता परीक्षण उपरांत एफएक्यू गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया जाता है। प्रदेश के बाहर से आने वाली धान/चावल पर सतत् रूप से निगरानी कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न प्रदेशों से बालाघाट जिले की सीमा में लाए गए चांवल तथा भेजे गए धान की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

17. अता.प्र.सं. 63 (क्र. 522) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रथम लॉकडाउन के छः माह पूर्व से प्रश्न दिनांक तक जो चावल बालाघाट जिले की सीमा में आया है, उसकी जानकारी चावल कहाँ से आया कहाँ भेजा गया तथा ट्रक के नंबर सहित देवें। **(ख)** प्रदेश से अन्य प्रदेशों में भेजे जा रहे माल तथा विभिन्न प्रदेशो से प्रदेश में आ रहे माल की जानकारी राज्य शासन को कैसे होती है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताएं। **(ग)** विगत एक वर्ष में बालाघाट जिले में GST चोरी के कुल कितने प्रकरण बनाएँ गए हैं, प्रकरण अनुसार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में चावल के अंतर्राज्यीय व्यापार एवं परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कर अनुबंधित मिलर्स द्वारा चावल जमा कराया जाता है। बालाघाट जिले में मिलर्स द्वारा गोदामों में जमा चावल को अन्य जिलों में रोड/रेक के माध्यम से परिवहन कराया गया है। जिले से बाहर भेजा गया चावल के परिदान की ट्रक के नंबरवार, दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत इस प्रकार की कोई जानकारी संकलित नहीं की जाती है। **(ग)** विगत एक वर्ष में बालाघाट जिले में GST चोरी के प्रकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

बिगड़े वनों में निजी निवेश

[वन]

18. अता.प्र.सं. 67 (क्र. 576) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पी.सी.सी.एफ. वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक एफ-2/3620, दिनांक 20/10/2020 में राज्य की 37 लाख 42 हजार हेक्टेयर भूमि पर निजी निवेश से संबंधित पत्र जारी किया है? **(ख)** यदि हां, तो 37 लाख 42 हजार हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र में कितना आरक्षित वन है, कितना संरक्षित वन है, कितना असीमांकित वन है, कितना नारंगी वन है, कितनी भूस्वामी हक में दर्ज निजी भूमि है तथा कितना क्षेत्र संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में है? **(ग)** 37 लाख 42 हजार हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में समाज के कौन-कौन से अधिकार एवं कौन-कौन से सार्वजनिक प्रयोजन किन-किन शासकीय प्रयोजन किन-किन शासकीय अभिलेखों में दर्ज है? इनमें से कितने क्षेत्र की भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में लंबित है?

वन मंत्री : [**(क)** प्रश्नाधीन पत्र प्रदेश में स्थित 37420 वर्ग किलोमीटर बिगड़े वन क्षेत्र के विकास में निजी निवेश की संभावना को तलाशने के लिये प्रारंभिक रूप से क्षेत्र चिन्हांकन हेतु लिखा गया है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नाधीन पत्र प्रदेश में स्थित लगभग 37420 वर्ग किलोमीटर बिगड़े वन क्षेत्र के विकास में निजी निवेश की संभावना को तलाशने के लिये प्रारंभिक रूप से क्षेत्र चिन्हांकन हेतु लिखा गया है। **(ख)** वर्तमान कार्य आयोजनाओं के अनुसार प्रदेश के 34,01,701.08 हेक्टेयर बिगड़े वनक्षेत्र में से 20,41,555.92 हेक्टेयर आरक्षित वन, 12,95,273.75 हेक्टेयर संरक्षित वन, 49,887.12 हेक्टेयर असीमांकित (नारंगी) वन एवं 14,984.29 हेक्टेयर भूस्वामी हक में दर्ज भूमि है। कुल 30,51,156.22 हेक्टेयर क्षेत्र संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को आवंटित कर प्रबंधन में है। **(ग)** बिगड़े वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश आरक्षित वन भूमि पर समाज के कोई अधिकार वर्तमान में अभिलिखित नहीं है। पूर्व में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन एवं धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचित प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों को, सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच, जो अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की है, लंबित रहने के कारण अभिलिखित नहीं किया जा सका है। राजस्व अभिलेखों में, दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों के स्वरूपों की जानकारी सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा, जांच कर अभिलिखित की जा रही है, जिसे अभिलेखन उपरांत वन विभाग के संबंधित वनखण्ड इतिहास, कार्य-आयोजना एवं निस्तार पत्रक में दर्ज की जायेगी। संरक्षित वन भूमि राजस्व अभिलेखों में मुख्य रूप से छोटे झाड़ के जंगल, बड़े झाड़ के जंगल, पहाड़-चट्टान, चरनोई, घास, जंगल खुर्द, जंगलात आदि मद एवं प्रयोजनों हेतु दर्ज रही है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 के अन्तर्गत 1446104.87 हेक्टेयर क्षेत्र में जांच वर्तमान में लंबित है।

फरवरी-मार्च, 2021

दिनांक 23 फरवरी, 2021

मल्चिंग फिल्म के वितरण में अनियमितत
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

1. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 200) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग में गत दिनों 40 करोड़ रुपये की मल्चिंग फिल्म के वितरण में घोटाला सामने आया है? **(ख)** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदाय की गयी थी? उसका क्या-क्या उपयोग किया गया? अभिलेख उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अनियमितता की जांच हेतु विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को आदेशित किया गया था? यदि हाँ, तो दस्तावेज उपलब्ध करावें। **(घ)** जिलों में हुई जांच के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? जिलावार विस्तृत जानकारी मय प्रतिवेदन के बतावें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को प्लास्टिक मल्च फिल्म वितरण हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत कुल अनुदान राशि रूपये 3.56 करोड़ प्रदाय की गई थी। जिसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई। **(ख)** राशि रूपये 2.21 करोड़। जिसका उपयोग मल्चिंग कार्य हेतु किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। **(ग)** समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) को आदेशित किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है। **(घ)** रीवा तथा उज्जैन संभाग आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि प्रश्नांश "ग" में वर्णित अर्द्धशासकीय पत्र में उल्लेखित कंपनी द्वारा उनके संभाग में प्लास्टिक मल्चिंग प्रदाय का कोई कार्य नहीं किया गया है। इंदौर संभागायुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट में संबंधित एजेंसी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की अनुसंशा की है। रीवा, उज्जैन तथा इंदौर संभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार** है।

पृथक वितरित उत्तर

गरीबों के लिए गौण खनिज की खदानों का चिन्हांकन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 43 (क्र. 373) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रकाशित रेत नियम 2019 की कंडिका 4 में ग्राम के गरीबों के लिए गौण खनिज की खदानों का चिन्हांकन, आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी

पालन नहीं किया? **(ख)** यदि हाँ तो कंडिका 4 में क्या-क्या प्रावधान दिए हैं? उनके अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास म.प्र. शासन ने किस दिनांक को परिपत्र जारी किया? यदि परिपत्र जारी नहीं किया हो तो कारण बतावें। **(ग)** ग्राम के गरीबों से संबंधित शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में लगने वाले किस-किस गौण खनिज की खदानों के चिन्हांकन एवं आरक्षण की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** खनिज साधन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2019 से मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अधिसूचित किये गये हैं। मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के नाम से कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं है। अधिसूचित नियम में कंडिका 4 के नाम से कोई भी नियम क्रमांकित नहीं है। अधिसूचित नियम 2019 के नियम 4 में गौण खनिज के सीमांकन/चिन्हांकन का प्रावधान नहीं है। यह नियम रेत खनिज से संबंधित है। नियम 4 के कंडिका 3 में ग्राम सभा को अपनी अधिकारिता के भीतर इस नियम में उल्लेखित वर्गों के लिए क्षेत्र का सीमांकन एवं चयन किये जाने का अधिकार है। **(ख)** अधिसूचित नियम के नियम 4 के प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। यह नियम अधिसूचित नियम हैं, इसमें पृथक से निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश "क" में स्पष्ट किये अनुसार नियम 2019 गौण खनिजों के लिए प्रावधानित नहीं है। यह नियम रेत खनिज से संबंधित है। प्रश्नानुसार कार्यवाही किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा भुगतान राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं. 79 (क्र. 545) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी, खरगोन व धार जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सूरजधारा, अन्नपूर्णा व बीज ग्राम योजनाओं में कितनी बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? संस्था का नाम, योजना का नाम, खरीफ, रबी की पृथक-पृथक राशि की जानकारी देवें। **(ख)** इनका भुगतान लंबित रहने का कारण भी संस्थावार बतावें। **(ग)** यह लंबित भुगतान इन्हें कब तक कर दिया जाएगा? **(घ)** भुगतान लंबित करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** बड़वानी, खरगोन एवं धार जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सूरजधारा, अन्नपूर्णा व बीजग्राम योजनाओं में बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को भुगतान हेतु शेष राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", "स" अनुसार** है। **(ख)** प्रमुखतः आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है। जिलावार/संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", "स" अनुसार** है। **(ग)** सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजनायें वर्ष 2020-21 में स्थगित होने से बजट उपलब्ध नहीं है, इन योजनाओं के अंतर्गत बजट उपलब्ध होने पर लंबित भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। बीजग्राम योजनांतर्गत लंबित भुगतान हेतु जिलों

को आवंटन उपलब्ध कराया जाकर भुगतान किया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के तारतम्य में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मनरेगा में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 549) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2018-19 से 31 दिसम्बर 2020 तक मनरेगा योजना में चंबल संभाग के किन-किन जिलों में वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अनियमितताओं की शिकायतें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला कलेक्टर/राज्य शासन को प्राप्त हुई? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार हुई अनिमितताओं पर किस-किस सक्षम कार्यालय के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार, जिलेवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार मनरेगा में उपयोगिता एवं औचित्य को ताक पर रखकर की गई वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अनियमितताओं से कितनी-कितनी राशि को खुर्द-बुर्द करना जांच में पाया गया? जिलावार एवं पंचायतवार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अनियमितताओं से राशि खुर्द-बुर्द करने एवं कराने का कौन दोषी है? क्या दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही कर राशि वसूलने की कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में चंबल संभाग के जिला श्योपुर की प्राप्त शिकायतों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है, जिला मुरैना एवं भिण्ड की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** उतरांश 'क' के संदर्भ में जिला श्योपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' (I), (II) अनुसार** है, जिला मुरैना एवं भिण्ड की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** उतरांश 'क' के संदर्भ में जिला श्योपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' (I), (II) अनुसार** है, जिला मुरैना एवं भिण्ड की जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** उतरांश 'ग' के संदर्भ में जिला श्योपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' (I), (II), (II) अनुसार** है, जिला मुरैना एवं भिण्ड की जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के संदर्भ में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' (i), (ii) अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'क' के संदर्भ में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' (i), (ii) अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश 'ग' के संदर्भ में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'द' (i), (ii), (iii) अनुसार** है।

कृषि भूमि जोतकार की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. अता.प्र.सं. 84 (क्र. 562) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2004-2005, 2014-2015 तथा 2020-2021 में कृषक जोतों की संख्या बतायें तथा बतावें कि इस अवधि में कृषक जोतों में कमी अथवा वृद्धि हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि में औसत कृषि भूमि हेक्टेयर में कितनी है? क्या इस अवधि में

औसत कृषि भूमि में कमी हुई है? यदि हाँ तो इसका कारण बतायें। **(ग)** प्रदेश में कृषि संगणना 2010-2011 के बाद कृषि संबंधित विभिन्न जानकारी एकत्रित करने हेतु क्या गतिविधि की गई? शासन के पास कास्तकार, खेतीहर मजदूर, कृषि भूमि, कृषक जोतों की संख्या, कृषक जोतों का क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल आदि संबंधित जानकारी किस वित्तीय वर्ष तक उपलब्ध है? उसे प्रदान करें। **(घ)** वर्ष 2018-19 में कुल खाद्यान्न, उत्पादन, तिलहन (सोयाबीन छोड़कर) सोयाबीन, धान, गन्ना, कपास, चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ का कितना-कितना उत्पादन हुआ तथा बोया गया तथा क्षेत्रफल कितना-कितना था? पिछले वर्ष से प्रत्येक में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी उत्पादन तथा क्षेत्रफल में हुई?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** आधार वर्ष 2005-2006 के आधार पर जोतों की संख्या 7907997, आधार वर्ष 2010-11 में 8872377 हुई, जिसमें वर्ष 2005-2006 की तुलना में 12.19 प्रतिशत की वृध्दि हुई तथा आधार वर्ष 2015-16 में जोतों की संख्या 10003135 हुई, जिसमें वर्ष 2010-11 की तुलना में 12.74 प्रतिशत की वृध्दि हुई तथा आधार वर्ष 2020-21 की कृषि संगणना होना शेष है। **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि में औसत कृषि भूमि कृषि संगणना आधार वर्ष 2005-2006 में 155993572 हेक्टेयर थी, जो कि आधार वर्ष 2010-11 में घटकर 15835877 हेक्टेयर रह गई तथा आधार वर्ष 2015-16 में घटकर 15760237 हेक्टेयर रह गई। कमी का मुख्य कारण कृषि भूमि का आवासीकरण तथा सड़क निर्माण आदि के कारण है। वर्ष 2020-21 की कृषि संगणना होना शेष है। **(ग)** प्रदेश में कृषि संगणना 2010-11 के बाद कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि संगणना आधार वर्ष 2015-16 कराई गयी है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "1" एवं "2" अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – "एक"</u>

प्रदेश में पॉली हाउस निर्माण में अनियमितताएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

6. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 576) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संरक्षित खेती योजनान्तर्गत आधुनिक तकनीक से खेती करने हेतु पॉली हाउस लगाकर प्रदेश में निवेश किया जा रहा है? यदि हाँ तो किस-किस जिले में कितने पॉली हाउस का निर्माण कर कितनी अनुदान राशि का लाभ कितने हितग्राहियों को दिया गया है? संख्या बतावें। **(ख)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में क्या पॉली हाउस लगाने के संबंध में कृषकों/हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हाँ तो किस स्तर के प्रशिक्षण कब-कब, किस-किस स्थान पर कितने कृषकों/हितग्राहियों के आयोजित किये है? उक्त प्रशिक्षण में क्या-क्या जानकारी दी गई? यदि नहीं तो क्यों? बिना जानकारी के पॉली हाउस लगाने से हुये नुकसान के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? **(ग)** उपरोक्त के तारतम्य में पॉली हाउस इंश्योरेन्स कराने की कोई नीति है? यदि हाँ तो इस संबंध में कृषकों/हितग्राहियों

को जानकारी दी गई है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? इंश्योरेन्स नहीं होने से होने वाली क्षति एवं नुकसान के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये विभाग द्वारा पृथक से क्या कार्ययोजना बनाई जा रही है? **(घ)** पॉली हाउस कृषक/हितग्राही स्वयं नहीं बनाता है, तो क्या पॉली हाउस बनाने हेतु वेण्डर/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी अनुबंधित किये गये हैं? यदि हाँ तो उन्हें अनुबंधित करने के क्या नियम हैं? उनके नाम, पते बतायें। बनाये गये पॉली हाउस की गुणवत्ता किस-किस पर निरीक्षण अथवा परीक्षण उपरांत चालू की जाती है? यदि हाँ तो किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निरीक्षण अथवा परीक्षण किया गया है? यद्यपि गुणवत्ताविहीन पाये जाने पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** जी नहीं। कृषकों द्वारा स्वयं की भूमि पर पॉली हाउस निर्मित करवाने पर योजना प्रावधान अनुसार अनुदान दिया जाता है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। पॉली हाउस निर्माता कंपनी द्वारा हितग्राही कृषकों को निर्माण स्थल पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त प्रशिक्षण में निर्मित संरचना के अंदर उगाई जाने वाली फसलों के संबंध में जानकारी एवं रख-रखाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हितग्राही कृषक, निर्माता कंपनी एवं विभाग के मध्य होने वाला निष्पादित अनुबंध संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। उत्तरांश "ख" के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक - 13 अनुसार** बीमा की व्यवस्था है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। पॉली हाउस बनाने हेतु वेण्डर/ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का अनुबंध मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा किया जाता है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। निर्मित पॉली हाउस का प्रथम एवं द्वितीय भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय गठित समिति के द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग (सीपेट) द्वारा किया जाता है। निर्धारित मानक अनुसार गुणवत्ता पाये जाने पर ही अनुदान का भुगतान किया जाना है। सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भौतिक सत्यापन में यदि अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार** है।

मिड-डे मील वितरण में अनियमितताएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. अता.प्र.सं. 91 (क्र. 577) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मीड-डे मील में स्कूली बच्चों को बांटे गये 285 करोड़ रूपये के सूखे राशन वितरण में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें शासन को प्राप्त होने पर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर

समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर राशन बांटने एवं बच्चों तक पैकेट पहुँचाने की सत्यापन रिपोर्ट 25 जनवरी 2021 तक मांगी है? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो क्या सभी जिलों से उक्त सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है एवं प्राप्त रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हाँ तो किस-किस जिले में क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? जिलेवार ब्यौरा दें तथा कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [(क) प्रदेश की समस्त शालाओं में दाल एवं तेल तथा कुपोषण हेतु चिन्हित 75 विकासखण्डों की शालाओं में दाल एवं तेल के अतिरिक्त चिक्की वितरण की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 25-01-2021 तक उपलब्ध कराने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है। **(ख)** जिलों से पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर जानकारी संकलित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **]** (ख) जी हाँ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन कर, सत्यापन रिपोर्ट विभागीय नोटशीट क्र. 338 दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से दी गई है। प्रश्न दिनांक तक आपूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में थी। सत्यापन रिपोर्ट में सूखा राशन वितरण में अनियमितताओं का कोई उल्लेख नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 24 फरवरी, 2021

जिला मुरैना में 06 माह पूर्व की गई घोषणाएं

[सामान्य प्रशासन]

8. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 241) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 06 माह पूर्व मा. मुख्यमंत्री, मा. सांसद लोकसभा क्षेत्र 01 मुरैना श्योपुर (मंत्री भारत सरकार) एवं मान. ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद राज्य सभा द्वारा भ्रमण के दौरान कितन-कितने लागत के किन-किन विभागों में शिलान्यास एवं लोकार्पण किये गये हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भ्रमण के समय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में बहुत कम अर्थात न के बराबर कार्यों के निर्माण हेतु घोषणा की गई? यदि हाँ तो क्या विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ के रहवासियों के साथ यह भेद-भाव की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न "ख" उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "दो"</u>

प्रोटोकॉल के उल्लघंन पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

9. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 265) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यपालन यंत्री श्री पी.एन. नाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के विरूद्ध

प्रोटोकॉल के उल्लघंन किये जाने की शिकायत की गई थी? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही गई? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रोटोकॉल के संबंध कोई दिशा-निर्देश विभागों को भेजे गये हैं? क्या प्रोटोकॉल के तहत दिये गये निर्देशों का अधिकारियों के द्वारा पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? क्या ऐसे अधिकारी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? **(ग)** क्या शासन द्वारा प्रोटोकॉल के दिशा-निर्देशों के पालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। श्री पी. एन. नाग, कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 28.01.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है तथा आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा श्री नाग को स्थानांतरित कर कार्यालय मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग सिवनी में पदस्थ किया गया है। **(ख)** एवं **(ग)** जी हाँ। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों का वेतनमान दिया जाना
[सामान्य प्रशासन]

10. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 511) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05 जून 2018 से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके समकक्ष नियिमत पदों के वेतनमान का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो इस आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एवं उसकी सम्बद्ध ईकाईयों में प्रश्न दिनांक तक संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा मॉनिटरिंग/पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था की गई है? अभी तक आदेश के पालन के लिए कितनी समीक्षा बैठक विभाग द्वारा कब-कब आयोजित की गई हैं? **(ग)** राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वेतन निर्धारण न किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में आदेश का पालन न करने के कारण संबंधित विभागों की समीक्षा कर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेशानुसार क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण किया जाकर भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक उक्त आदेश का पालन किया जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पद के न्यूनतम वेतनमान के 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : [(क) जी हाँ। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के

लिए परिपत्र दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** **(क)** जी हाँ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीन नियमित पदों के अधीन कार्यरत संविदा पैरा मेडिकल एवं कुष्ठ नियंत्रक कार्यक्रम के अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों को राज्य शासन आदेश दिनांक 27.9.2018 द्वारा न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत संविदा मानदेय स्वीकृत किया गया है। **(ख)** आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों के 90 प्रतिशत वेतन भुगतान करने की स्वीकृति हेतु नस्ती क्रमांक 5396 दिनांक 23.12.2019 को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित की गई थी। वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने हेतु परामर्श दिया गया है। **(घ)** जी नहीं। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण स्पष्ट समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

11. अता.प्र.सं. 45 (क्र. 595) श्री राकेश गिरि : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधायकों द्वारा जनहित व जनसुविधाओं सहित अन्य विषयों संबंधी पत्राचार पर कार्यवाही/पत्रोत्तर देने हेतु शासन द्वारा विभिन्न विभागो को निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ तो ऐसे आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा टीकमगढ़ जिले के विभिन्न शासकीय विभागों/निकायों को दिनाँक 01.01.2019 से 31.12.2020 तक की अवधि में जनहित व जन समस्याओं से संबंधित पत्राचार किये गये हैं? यदि हाँ, तो कुल कितने पत्र विभागवार लिखे गये ब्यौरा दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में वर्णित पत्रों में से कितने पत्रों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई? इसके क्या कारण है? इसके लिये कौन दोषी है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में शेष पत्रों पर कब तक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी एवं दोषियों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही कर उसका उत्तर देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 11 दिसम्बर 2019 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** प्राप्त सभी पत्रों का निराकरण किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "तीन"

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना
[सामान्य प्रशासन]

12. परि.अता.प्र.सं. 49 (क्र. 626) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 936 उत्तर दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में विभाग द्वारा कहा गया था कि लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति गोपनीय स्वरूप की होने से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पोर्टल पर प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है? उक्त प्रतिबंधित किये जाने संबंधी शासकीय निर्णय/आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन, सी.बी.आई. और आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्यूरो से अधिक गोपनीय प्रकृति की हैं? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। **(ग)** सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 68/2016 में पारित आदेश के पालन में जब सी.बी.आई. और ई.ओ.डब्ल्यू. जैसी एजेंसियां अत्यंत संवेदनशील एवं अतिगोपनीय प्रकृति की एफ.आई.आर. भी पोर्टल पर सार्वजनिक कर रही हैं तो लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना उक्त न्यायालयीन आदेश की परिसीमा से स्वयं को कैसे पृथक मान सकता है? **(घ)** लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन करने के स्थान पर की जा रही मनमानी पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। विशेष पुलिस स्थापना, (लोकायुक्त) म.प्र. को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) के अंतर्गत, मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक एफ-11-39-2005-सूअप्र-1-9, दिनांक 25 अगस्त, 2011 के माध्यम से लोकायुक्त संगठन म.प्र. की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किये गये अन्वेषण के मामलों में सूचना प्रकटन से मुक्त रखा गया है। म.प्र. राजपत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत** है। प्रकरणों में अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने एवं अभियोजन प्रक्रिया में अड़चन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रकृति प्रायवेसी स्वरूप की होने के कारण पोर्टल पर पब्लिश नहीं की जा रही थी। यह भी कि सी.सी.टी.एन.एस. के अंतर्गत एन.सी.आर.बी. की साईट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन, तकनीकी कारणों से अपलोड नहीं हो पा रही थी। पोर्टल पर पब्लिश करने की प्रक्रिया के तकनीकी कारणों का समाधान किया जा रहा है, जिससे कि शीघ्र ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन पोर्टल पर प्रकाशित की जा सकेगी। **(ख)** जी नहीं। विशेष पुलिस स्थापना, (लोकायुक्त) म.प्र. द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रकृति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) के अंतर्गत निर्दिष्ट है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. उक्त न्यायालयीन आदेश की परिसीमा से स्वयं को पृथक नहीं मानती है तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पार्टल पर पब्लिश करने की प्रक्रिया के तकनीकी कारणों का समाधान किया जा रहा है, जिससे कि शीघ्र ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन पोर्टल पर प्रकाशित की जा सके। **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "चार"</u>

अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन
[सामान्य प्रशासन]

13. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 739) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना माहमारी को देखते हुए ऑनलाइन भूमिपूजन, उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं? प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कितने ऑनलाइन कार्यक्रम किए गए हैं? प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण दें। **(ख)** मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन भूमिपूजन, उद्घाटन व अन्य कार्यक्रमों में विपक्षी पाटी के उज्जैन जिले के विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रमों में अतिथि के तौर पर क्यों नहीं बुलाया जाता है? **(ग)** ऑनलाइन उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रमों के पत्थरों पर प्रोटोकॉल के तहत क्षेत्रीय विधायक का नाम उनके विधानसभा क्षेत्र में अतिथि के रूप में क्यों दर्ज नहीं कराया जाता है तथा अन्य कार्यक्रमों में अतिथि के तौर पर ना बुलाते हुए सिर्फ आमंत्रण सूचना दी जाती है जबकि अन्य लोगों को उसी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है? कारण सहित विवरण दें। **(घ)** क्या शासन ऐसे अधिकारियों जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर विधायकों के विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं? के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्पन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** शासन एवं स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना सर्व संबंधितों को प्रदान कर आमंत्रित किया जाता है। **(ग)** निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत समुचित कार्यवाही की जाती है। **(घ)** उज्जैन जिले में प्रोटोकॉल उल्लंघन एवं विशेषाधिकार हनन का कोई प्रकरण नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

14. परि.अता.प्र.सं. 82 (क्र. 888) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने जिला सागर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों/विभागीय जिला प्रमुखों को अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक अनेक पत्र, अनेक विषयों/समस्याओं के संबंध में भेजे? यदि हाँ तो कब-कब कितने पत्र भेजे? कलेक्टर एवं अन्य जिला प्रमुख अधिकारियों ने इन पत्रों के जवाब कब-कब भेजे? भेजे गये पत्र एवं जवाब की प्रति दें। प्रश्नकर्ता के पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण दें। **(ख)** क्या शासन ने शासकीय कार्यक्रमों में विपक्षी दलों के विधायकों को आमंत्रित नहीं करने का आदेश जारी किया है? यदि नहीं तो कलेक्टर सागर द्वारा विपक्षी विधायकों को शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित क्यों नहीं किया जाता? **(ग)** क्या गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम हेतु 25 जनवरी 2021 को सागर आये माननीय मंत्री भार्गव जी को जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल के तहत सत्कार न कर

शासन की उपेक्षा की है? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? यदि नहीं तो समाचार माध्यम की खबर कैसे बनी? **(घ)** विधायकों के पत्रों का उत्तर नहीं देकर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की अव्हेलना एवं विधायकों को शासकीय कार्यक्रमों में नहीं बुलाने तथा मंत्री को प्रोटोकॉल नहीं देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** नियमानुसार आमंत्रित किया जाता है। **(ग)** पी.डब्ल्यू.डी. के विभागीय अधिकारियों पर शासन स्तर से कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब लिये गये हैं। **(घ)** माननीय विधायकों के पत्रों का उत्तर दिया जाता है। उन्हें शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। प्रश्नांश (ग) के उत्तर में शेषांश की जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

15. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 939) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल 20 से नवम्बर 20 तक कुल कितनी घोषणाएं की, विधान सभा क्षेत्रवार घोषणा की दिनांक कार्य तथा अनुमानित राशि (यदि ज्ञात हो तो) की सूची देवें। **(ख)** हाल ही में जिन 28 विधान सभा क्षेत्रों में उप चुनाव हुये उनमें अप्रैल 20 से चुनाव तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल कितनी घोषणाएं की? विधान सभावार घोषणाओं की संख्या बतावें। **(ग)** माननीय मुख्यमंत्री ने प्रश्नांश (ख) की विधान सभा में अप्रैल 20 से सितम्बर 20 तक कुल कितने शासकीय कार्यक्रम में शिरकत की इन कार्यक्रमों में जनता को लाने के किये कुल कितनी बसें अधिग्रहित की तथा उनका कितना भाड़ा देय हुआ? **(घ)** प्रश्नांश (ग) उल्लेखित कार्यक्रम में कौन-कौन अतिथि मुख्यमंत्री के अलावा थे तथा उन्हें प्रोटोकॉल के किस नियम के तहत आमंत्रित किया गया?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

पृथक वितरित उत्तर

दिनांक 25 फरवरी, 2021

विभिन्न प्रदेशों से बालाघाट जिले की सीमा में लाए गए चावल तथा भेजे गये धान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

16. अता.प्र.सं. 11 (क्र. 256) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रथम लॉकडाउन के छः माह पूर्व से प्रश्न दिनांक तक जो चावल बालाघाट जिले की सीमा में आया उसकी जानकारी, चावल कहाँ से आया, कहाँ भेजा गया तथा ट्रक के

नम्बर सहित देवें। **(ख)** प्रदेश से अन्य प्रदेशों में भेजे जा रहे माल तथा विभिन्न प्रदेशों से प्रदेश में आ रहे माल की जानकारी राज्य शासन को कैसे होती है? इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताएं? **(ग)** विगत एक वर्ष बालाघाट जिले में GST चोरी के कुल कितने प्रकरण बनाएं गए हैं? प्रकरण अनुसार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रथम लॉकडाउन के छः माह पूर्व से प्रश्न दिनांक तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बालाघाट जिले में चावल की आवक नहीं हुई है। जिले में मिलिंग एजेन्सी विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कर अनुबंधित मिलर्स द्वारा चावल जमा कराया जाता है। मिलर्स द्वारा गोदामों में जमा चावल को आवश्यकता वाले जिले को रोड/रैक परिवहन के माध्यम से भेजा जाता है। प्रेषण चावल की ट्रकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है। **(ख)** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत इस प्रकार की कोई जानकारी संकलित नहीं की जाती है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

शिकायतों की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

17. परि.अता.प्र.सं. 21 (क्र. 413) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के नागरिक आपूर्ति निगम में वर्ष 2016-17 से लेकर प्रश्न दिनांक तक गेहूँ धान, परिवहन, अमानक धान खरीद, 10 राईस मिलों का अमानक चावल सप्लाई, 10 हजार कुन्टल एवं 2010-18 में जबलपुर से भोलाराम वेयर हाउस स्लीमनाबाद में मिट्टी युक्त गेहूँ परिवहन वितरण एवं ग्रेडिंग में आर्थिक क्षति पहुंचाने बाबत् तत्कालीन जिला प्रबंधक की शिकायत तथा अन्य गंभीर कई शिकायतें श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) रचना नगर कटनी द्वारा की गई है। क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाक 19.09.2020 को अमानक गेहूँ खरीदी परिवहन की शिकायत लोकायुक्त महोदय को दिनांक 01.09.2020 को की जाकर कलेक्टर कटनी को भी कार्यवाही हेतु दिया गया है। दिनांक 14.12.2020 को प्रश्नकर्ता द्वारा जो शिकायत मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव खाद्य को पी.डी.एस. में वितरित अमानक चावल की है, उस पर कब कार्यवाही की गई? बताएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं कलेक्टर कटनी को की गई है। उक्त शिकायतों की जांच प्रश्न दिनांक तक शिकायतकर्ता को सुनाकर क्यों नहीं की गई? क्या शिकायतों की जांच न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध शासन कब क्या कार्यवाही करेगा? बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों में से यदि किसी शिकायत की जांच की गई तो उसका जांच प्रतिवेदन की प्रति तथा जांच प्रतिवेदन अनुसार की गई है, तो कार्यवाही से अवगत करावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) की अवधि में श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) द्वारा कलेक्टर कटनी को शिकायतें की गई है, उन पर कलेक्टर द्वारा क्या

कार्यवाही की गई है? पृथक-पृथक विवरण दें। यदि नहीं की गई तो क्या कारण है? बताएं तथा कब की जायेगी? यह भी बताएं।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) से प्राप्त शिकायत की जांच हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर को दिनांक 29.12.2020 से निर्देशित किया गया है एवं दिनांक 09.02.2021 से स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। जी नहीं। प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.09.2019 एवं 14.12.2020 को की गई शिकायत की प्रति कार्यालय कलेक्टर कटनी अथवा संचालनालय को प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जो शिकायतें कलेक्टर कटनी को की गई है उसमें आवश्यकता अनुसार शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। विस्तृत विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) **में** उल्लेखित शिकायतों के जांच प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (क) **में** उल्लेखित शिकायतों पर कलेक्टर कटनी द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है।

गेहूँ उपार्जन की भण्डारण व्यवस्था
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

18. परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 552) श्री राकेश मावई : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। दिसम्बर 2020 तक कुल भण्डारण क्षमता कितनी है और कितने लाख मीट्रिक टन गेहूँ भण्डारित है? जानकारी देवें। **(ख)** म.प्र. शासन द्वारा जून, 2020 तक कितने लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया एवं उसके भण्डारण की क्या व्यवस्था की गई? क्या लाखों टन गेहूँ सुरक्षित भण्डारण नहीं होने के कारण वर्षा में भीगकर खराब हो गया था? **(ग)** यदि हाँ तो प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितना कितना गेहूँ प्रदेश के किस-किस जिले में खराब हुआ? **(घ)** प्रदेश में भण्डारण क्षमता से अधिक गेहूँ खरीदी एवं उसका सुरक्षित भण्डारण नहीं करने का दोषी कौन है? उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमश: 73.16 लाख मे.टन एवं 73.69 लाख मे.टन गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया है। प्रदेश में माह दिसम्बर 2020 तक लगभग 205 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी, जिसमें से 85 लाख मे.टन भंडारण क्षमता मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के अधिपत्य में थी। माह दिसम्बर, 2020 तक 96.35 लाख मे.टन गेहूँ का भंडारण किया गया। **(ख)** प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में माह जून, 2020 तक कुल 129.42 लाख मे.टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूँ के भंडारण हेतु लगभग 167 लाख मे.टन क्षमता के गोदाम के साथ-साथ 9

स्थानों पर 4.5 लाख मे.टन स्टील सायलो, 11 स्थानों पर 6.54 लाख मे.टन के सायलो बैग एवं 27 लाख मे.टन क्षमता के कैप में भंडारण की व्यवस्था की गई। प्रदेश में 26999.67 मे.टन गेहूँ असामयिक वर्षा से प्रभावित हुआ। **(ग)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन के दौरान असामयिक वर्षा से खराब हुए गेहूँ की जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** प्रदेश के गेहूँ उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ देने हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जाकर पंजीकृत सभी किसानों को अपनी उपज विक्रय करने का अवसर प्रदान किया जाता है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का कार्य माह मार्च, 2020 के स्थान पर अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ किया जा सका। समस्त पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय का अवसर प्रदान करने हेतु उपार्जन का कार्य दिनांक 12 जून, 2020 तक तथा समितियों से गेहूँ के परिवहन का कार्य जून, 2020 अंत तक जारी रहा। माह मई के अंतिम सप्ताह में 'निसर्ग' चक्रवात के कारण पूरे प्रदेश में भारी बारिश हुई। साथ ही, मानसून समय से पूर्व आने के कारण उपार्जित गेहूँ पानी से प्रभावित हुआ, जिसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "पांच"

पी.डी.एस. में घटिया चावल का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

19. अता.प्र.सं. 48 (क्र. 852) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा जांच करने पर बालाघाट तथा मण्डला जिले में पाए गए अमानक स्तर के चावल मिलने पर राईस मिलर्स तथा म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दें। **(ख)** पी.एम.ओ. भारत सरकार द्वारा उक्त के संबंध में राज्य शासन को क्या निर्देश दिये गये थे तथा उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? उसकी भी जानकारी दें। **(ग)** क्या विभाग ने राईस मिलर्स को गोदामों से घटिया चावल वापिस ले जाकर उसके बदले में मानक स्तर का चावल वापिस देने हेतु क्या कोई आदेश जारी किया था? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो घटिया चावल अभी कहाँ है? **(घ)** राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु दिये गये धान की मिलिंग न करते हुए उस धान को बेचने तथा म.प्र. तथा अन्य प्रदेश से पी.डी.एस. से रिसाईकल किया हुआ चावल वापस गोडाउन में जमा करने की प्रक्रिया में जो संगठित अपराध किया जा रहा है उससे निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाऐ हैं? मिलिंग नहीं करने से बिजली के बिलो में जो कमी आयी है क्या उसकी जांच करायी जायेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** बालाघाट एवं मण्डला जिले में पदस्थ निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया था :-

क्र.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम	पद	पदस्थी स्थल
01	श्री आर.के. सोनी	प्रभारी जिला प्रबंधक	बालाघाट
02	श्री मनोज श्रीवास्तव	प्रभारी जिला प्रबंधक	मण्डला
03	श्री नागेश उपाध्याय	गोदाम सहायक	बालाघाट
04	श्री राकेश सेन	गोदाम सहायक	बालाघाट
05	श्री मुकेश कन्हैरिया	गोदाम सहायक	बालाघाट
06	श्री संदीप मिश्रा	गोदाम सहायक	मण्डला

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त बालाघाट एवं मण्डला जिले में आउट-सोर्सिंग से नियोजित 02 गुणवत्ता नियंत्रकों व 02 गुणवत्ता निरीक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा मिल मालिकों, वेयर हाउस प्रबंधक, गुणवत्ता निरीक्षकों एवं MPSCSC मण्डला एवं अन्य के विरूद्ध प्रारंभिक जांच कर प्रकरण क्रमांक 18/20 दिनांक 04.09.2020 को दर्ज किया गया है। **(ख)** उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.08.2020, अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.08.2020 स्मरण पत्र दिनांक 03.11.2020 एवं 03.12.2020 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उपायुक्त द्वारा लिये गये कुल 32 सेम्पल, मंत्रालय द्वारा जारी किये गये Uniform Specifications अनुसार Beyond Below Rejection Limit पाये जाने से उपार्जन से वितरण तक के चैनल में संयोजित जिला अधिकारी/प्राधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के पालन में जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 6957 दिनांक 06.10.2020 से तथा जिला आपूर्ति अधिकारी मण्डला को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 7026 दिनांक 16.10.2020 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही प्रश्नांश "क" में दिये उत्तर अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत प्रदाय चावल का वितरण पात्र हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है साथ ही उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के पश्चात शेष मात्रा का आगामी माह के आवंटन में समायोजन कर आवंटन जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में पी.डी.एस. अन्तर्गत प्रदाय चावल रिसाईकिल होकर गोदामों में जमा होने की स्थिति नहीं है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलर्स से मिलिंग कराई जाती है एवं प्राप्त चावल की गुणवत्ता परीक्षण उपरांत एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया जाता है। प्रदेश के बाहर से आने वाली धान-चावल पर सतत् रूप से निगरानी कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

गरीब कल्याण योजना के सरकारी गेहूँ बेचने की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

20. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 863) श्री राकेश मावई : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला ग्वालियर में मार्च से अगस्त 2020 तक कोरोना काल में ही गरीबों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 3 करोड़ 7 लाख रूपये के सरकारी गेहूँ के बेचने के दोषियों के विरूद्ध जांच कर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग भोपाल को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 67 दिनांक 26-12-2020 दिया गया तथा की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु भी लिखा गया? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत क्यों नहीं कराया गया? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार योजनांतर्गत सरकारी गोदामों से गेहूँ निकाल कर मुन्नालाल अग्रवाल एवं राहुल अग्रवाल के ट्रांसपोर्ट द्वारा उचित मूल्य की 120 दुकानों तक नहीं पहुँचा और रास्ते में ही पूरा गेहूँ गायब हो गया, जिसकी शिकायत कई दुकानदारों ने विभाग में की थी तथा मामले के तूल पकड़ने पर ट्रांसपोर्टरों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई? यदि हाँ तो इस योजना का कितना गेहूँ, किसने, कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे बेचा? **(ग)** क्या गरीबों को सरकारी खाद्यान्न के आवंटन के लिये एम.पी. स्टेट सिविल कार्पोरेशन एवं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी रहती है और सरकारी उचित मूल्य की 120 दुकानों पर इन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में ही गेहूँ पहुँचना था? यदि हाँ तो इन दोनों विभागों के जिम्मेदार अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी क्या कर रहे थे? इनकी जानकारी में यह पूरा मामला क्यों नहीं आया तथा दुकानदारों की शिकायतों पर इन्होंने तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या इसके लिये दोनों विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदारी नहीं है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गयी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। माननीय सदस्य को पत्र दिनांक 23.07.2021 से अवगत कराया गया है। **(ख)** जी नहीं। जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निम्नानुसार गेहूँ की मात्रा का अपयोजन पाया गया है- मुरार सेक्टर में मात्रा- 117.20 मे.टन, ग्वालियर सेक्टर में मात्रा- 269.30 मे.टन, ग्वालियर शहरी में मात्रा- 42.42 मे.टन। उक्त प्रकरण में उपरोक्त तीनों सेक्टर के परिवहनकर्ताओं मे. अग्रवाल रोड केरियर स्वामी राहुल अग्रवाल एवं मे. अग्रवाल महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी स्वामी मुन्नालाल अग्रवाल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज है, प्रकरण की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। **(ग)** म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं जिला खाद्य विभाग की जिम्मेदारी आवंटित सामग्री को उचित मूल्य दुकान तक सुरक्षित पहुंचाने, ऑनलाइन पावती दिलाने एवं उसकी निगरानी की होती है। उक्त खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर नहीं पहुंचने का मामला संज्ञान में आने पर प्रकरण में दोषी परिवहनकर्ता पर कार्यवाही की गई है। प्रकरण में उचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण न करने से खाद्य विभाग के तीन अधिकारियों के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

नवीन खाद्य गोदाम की स्वीकृति
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

21. अता.प्र.सं. 68 (क्र. 1025) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्राम रेहगांव एवं सिरलाय में नवीन खाद्य गोदाम की स्वीकृति के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 2084 दिनांक 28/8/19 के तारतम्य में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही पूर्ण कर क्या स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ तो कब? नहीं तो उक्त प्राप्त पत्र में विलंब के क्या कारण हैं? कार्यवाही विवरण सहित जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कब तक स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे?

खाद्य मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नांकित पत्र अप्राप्त है। अत: शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** यद्यपि खरगोन जिले में वर्तमान में पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। भविष्य में आवश्यकता होने पर व्यवसायिक सुसम्पन्नता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

22. अता.प्र.सं. 72 (क्र. 1050) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ तो रतलाम जिला अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन योजनाओं में किस-किस प्रकार के पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत किया जाता है? **(ग)** साथ ही जिला अंतर्गत केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं में योजनानुसार पात्र हितग्राहियों की जानकारी पृथकतः शहरी व ग्रामीण विकासखंडवार बताएं? **(घ)** जानकारी दें कि वर्ष 2017-18 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने पात्र हितग्राहियों को परिवार सहायता अथवा अन्य सहायता प्रदान की गई? जावरा व पिपलोदा तहसील की स्थिति से अवगत कराएं।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ, खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चिन्हांकित पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत राशन सामग्री का प्रदाय कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रावासों के विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों एवं अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के लाभार्थियों को चिन्हांकित कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। पात्रता श्रेणियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** रतलाम जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों की विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

खाद्यान्न सामग्री गुणवत्ता एवं अनियमितता की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

23. अता.प्र.सं. 73 (क्र. 1051) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रतलाम जिले में वर्ष 2014. 15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक राशन दुकानों को प्राप्त होने वाले गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न तथा हितग्राहियों का राशन अवैध रूप से बेचे जाने और फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाए जाने की अनेकों शिकायतें प्राप्त होती रही हैं? **(ख)** यदि हाँ तो बताएं कि उपरोक्त वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त उल्लेखित प्रश्नांश (क) उक्ताशय व इसके अतिरिक्त भी किन किन वर्षों में किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई? किन-किन स्थानों से कुल कितनी शिकायतें आई? वर्षवार जानकारी दें। **(ग)** बताएं कि उपरोक्त वर्षों में जिले भर के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त शिकायतें किन-किन आशय की होकर उन्हें जांच/परीक्षण में कब-कब लिया गया तथा किस-किस सक्षम अधिकारी के माध्यम से जांच/परीक्षण किए गए? वर्षवार जानकारी दें। **(घ)** अवगत कराएं कि जांच/परीक्षण में अंतिम निराकरण व शिकायतों का निवारण वर्षवार किस तरह से किया गया? किन-किन स्थानों की जांच कब से चल रही है, लंबित है तथा कितना अवैध खाद्यान्न जप्त किया जाकर तत्सम्बन्धी क्या-क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार जानकारी बताएं।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** रतलाम जिले में प्रश्नांकित अवधि में राशन दुकानों को प्राप्त होने वाले गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न तथा हितग्राहियों का राशन अवैध रूप से बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

दुकान आवंटन की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

24. अता.प्र.सं. 82 (क्र. 1109) श्री मनोज चावला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर रतलाम के आदेश क्रमांक 786 दिनांक 6/4/2017 के तहत डिप्टी कलेक्टर ने 12 दुकानों को रैंडम जांच के लिए चुना? यदि हाँ तो बतावें कि उन दुकानों के नाम क्या थे तथा जांच में किस-किस प्रकार का घोटाला पाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदनों की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच के बाद शेष दुकानों की जांच नहीं करने को लेकर भारी राशि का लेनदेन हुआ तथा शेष दुकानों पर जिन में 21202 फर्जी हितग्राही थे तथा जांच होती तो लगभग 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा पाया जाता? जांच क्यों नहीं की गई? **(ग)** क्या शेष दुकानों पर फर्जी हितग्राही को लेकर 8 दुकानों की तरह उन पर भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** रतलाम जिले के भंडार गृहों में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के कई भंडार गृह में खराब चावल पाए जाने का परीक्षण किया गया या नहीं? यदि हाँ तो उसकी रिपोर्ट देवें। यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। कलेक्टर रतलाम के आदेश क्रमांक 786 दिनांक 06.04.2017 द्वारा रतलाम शहर की समस्त दुकानों की जांच के निर्देश दिये गये थे, इस आदेश के तहत डिप्टी कलेक्टर द्वारा कुल 25 दुकानों को रेण्डम जांच हेतु चुना गया। जिनमें डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल भाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार फर्जी परिवार आई.डी. बनाकर उन पर राशन वितरण किये जाने, दर्शाये जाने की अनियमितितायें पाई जाने के कारण दिनांक 13.01.2018 को 8 उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं, नगर निगम के कर्मचारी एवं विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की गई है। 8 जांच प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जांच हेतु चयनित दुकानों की जानकारी एवं की गई कार्यवाही का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। रेण्डम जांच में शामिल 08 दुकानों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दिनांक 13.01.2018 को दर्ज कराई गई है। इसके उपरांत 21202 परिवारों को 6 माह से राशन न लेने के कारण संदिग्ध मानते हुये मार्च 2018 में एन.आई.सी. भोपाल से हटा दिया गया, इससे शेष दुकानों की जांच नहीं की जा सकी। हटाये गये परिवार राशन प्राप्त करने दुकानों पर नहीं पहुँच रहे थे जिनका सत्यापन किया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जांच में प्रकरण जांच होने के उपरांत ही दर्ज किया जा सकता है किन्तु 21202 काल्पनिक परिवार (जो राशन प्राप्त करने उपस्थित नहीं हो रहे थे) को माह मार्च 2018 में एन.आई.सी. भोपाल द्वारा हटा दिये जाने से, प्रमाणीकरण के अभाव में शेष दुकानों की जांच की जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ। जांच प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

बालाघाट जिले में खराब गेहूँ की आपूर्ति
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 1170) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माह जनवरी 2021 में बालाघाट जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बंटने वाले गेहूँ की गुणवत्ताहीन होने की शिकायत मिली है? यदि हाँ तो खराब गेहूँ होने की समुचित जानकारी मात्रा एवं बाजार मूल्य सहित दी जाये। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित अनाज का परिवहन किन-किन भण्डारण गृहों से कब-कब बालाघाट पहुंचाया जाने की पूर्ण जानकारी, जैसे भण्डारण का दिन, भण्डारण गृह का पता, भण्डारण गृह के स्वामी का नाम एवं पता अनाज निकासी का दिन एवं मात्रा एवं उत्तरदायी शासकीय सेवक का नाम बताया जाये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में वर्णित अनाज को बालाघाट में कब-कब प्राप्त किया गया है? जानकारी देते हुये प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम बताया जाये। **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बटने से पूर्व परीक्षण क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? उसका नाम एवं पद बताते हुये संबंधित के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दिया जाये।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता, परन्तु सीहोर जिले से प्राप्त रैंक के, निम्नानुसार गेहूँ की मात्रा को प्राथमिक जांच में अमानक पाया गया है:-

उपार्जन वर्ष	मात्रा क्विंटल में	दर	कुल राशि रूपये
2017-18	22379.41	1730.17	38720183.80
2018-19	3888.17	1815.59	7059322.57
कुल	26267.58		45779506.37

(ख) जानकारी निम्नानुसार है:-

भण्डार गृह का नाम एवं पता	भण्डार गृह स्वामी का नाम	भण्डारण का दिन	अनाज निकासी का दिन	मात्रा (मे.टन में)
श्री राम वेयर हाउस बकतरा गोदाम क्र. 33 एवं 34	श्री शोभरण सिंह चौहान	दिनांक 11.05.2017 से 17.05.2017 तक	दिनांक 06.जनवरी से 08 जनवरी 2021	2237.9
कृषि उपज मण्डी शाहगंज ओपन कैप	MPWLC			386.16

उत्तरदायी शासकीय कर्मचारी की जानकारी निम्नानुसार है :- 01. श्री बी.एस. डाबर, शाखा प्रबंधक, एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी., बकतरा। 02. श्री एल.के. मिश्रा, केन्द्र प्रभारी, एम.पी.एस.सी.एस.सी., बुदनी/बकतरा। 03. श्री दीपक विश्वकर्मा, एम.पी.एस.सी.एस.सी., सीहोर।
(ग) जानकारी निम्नानुसार है:-

प्राप्ति का दिनांक	प्रदाय केन्द्र	प्राप्त करने वाले MPSCSC केन्द्र प्रभारी का नाम	प्राप्त करने वाले MPWLC शाखा प्रबंधक का नाम
13.01.2021	बालाघाट	कु. आरती सहारे	श्री एम.वी. पाटील
13.01.2021	वारासिवनी	श्री रिंकज देशमुख	श्री नवीन विसेन
13.01.2021	कटंगी	श्री रामकुमार नागभिरे	कु. लक्ष्मी मरावी
13.01.2021	लांजी	श्री लक्ष्मण रजावत	श्री नवीन विसेन
13.01.2021	बैहर	श्री मुकेश धुर्वे	श्री जितेन्द्र डोंगरे

(घ) वर्णित रैंक से प्राप्त अनाज प्राथमिक जांच में भी अमानक पाया गया। अत: वितरण के पूर्व परीक्षण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा इस अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित नहीं किया गया। इस हेतु कोई उत्तरदायी न होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बड़वानी/खरगोन जिले में गेहूँ उपार्जन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. अता.प्र.सं. 106 (क्र. 1216) श्री बाला बच्चन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बड़वानी, खरगोन जिलों में कितने कृषकों से कितनी मात्रा में गेहूँ का उपार्जन किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार, जिलावार, कृषक संख्या, गेहूँ की मात्रा उपार्जन स्थलवार वर्षवार देवें। **(ख)** उपरोक्त अवधियों में उपरोक्त जिलों में भंडारण स्थलों पर जिन केंद्रों से गेहूँ लिया गया इसकी जानकारी भंडारण स्थलवार, गेहूँ की मात्रा सहित विधानसभा क्षेत्रवार, जिलावार देवें। प्रत्येक भंडारण स्थल की जमापर्ची की प्रमाणित प्रति भी इसी अनुसार साथ में देवें। **(ग)** क्या उपार्जन केंद्र पर गेहूँ की मात्रा एवं भंडारण स्थल पर प्राप्त गेहूँ की मात्रा में असमानता पाई गई है? यदि हाँ तो ऐसा किन-किन स्थानों पर हुआ है? **(घ)** प्रश्न **(ग)** अनुसार ऐसी अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बड़वानी एवं खरगोन जिले में समर्थन मूल्य पर कृषकों से उपार्जित गेहूँ की जिलेवार, विधानसभा क्षेत्रवार, कृषक संख्यावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बड़वानी एवं खरगोन जिले में उपार्जित गेहूँ की विधानसभा क्षेत्रवार, भंडारण स्थलवार, गेहूँ की मात्रावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। उपार्जित गेहूँ की भंडारण स्थल की जमापर्ची की प्रमाणित प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ की मात्रा में असमानता का कारण समिति स्तर एवं परिवहन में कमी है, जिसकी प्रतिपूर्ति समिति/परिवहनकर्ता से की जाती है। वर्ष 2019-20 में बड़वानी जिले में उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ की मात्रा एवं भंडारण स्थल पर प्राप्त गेहूँ की मात्रा में असमानता नहीं पाई गई है। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में खरगोन एवं बड़वानी जिले में उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित एवं जमा गेहूँ की मात्रा में पाई गई कमी की केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(घ)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं जमा मात्रा में अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति संबंधितों से की जाती है। जिसमें किसी अधिकारी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

धान खराब होने की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 1294) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खरीफ वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया था? यदि हाँ तो कितनी मीट्रिक टन तथा इसमें से कितने मीट्रिक टन धान प्रदेश के किस-किस जिले में ओपन कैप में रखा गया था? **(ख)** क्या ओपन कैप में रखे गये धान के स्टोरेज एवं अच्छे रख-रखाव के लिये वेयर हाउस एवं विपणन संघ के

संभाग एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ तो किस-किस जिले के धान स्टोरेज का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब किया गया? **(ग)** क्या उपरोक्तानुसार ओपन कैप में रखे गये धान के रखरखाव में लापरवाही बरते जाने एवं समय-समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने से कितने मीट्रिक धान सड़ गया है एवं ओपन कैप के प्रबंधक सड़ी धान की मिलिंग हेतु मिलर्स को देते रहे एवं सड़े धान से निकले चावल को राशनों की दुकानों पर पहुंचाया गया तथा मिलर्स द्वारा सड़े धान की मिलिंग करने से इंकार करने पर उन पर जिला कलेक्टर द्वारा दबाव बनाया गया, इसके कारण राज्य की मिलिंग उद्योग बंद होने की कगार पर है तथा इस संबंध में मिलर्स के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के गोंदिया प्रवास के दौरान जानकारी दिये जाने के बावजूद किसी भी दोषी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ तो क्यों? **(घ)** क्या शराब माफियाओं से विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण गेहूँ खरीदी वर्ष 2020-21 में लगभग 3-4 लाख टन गेहूँ सड़ाकर शराब माफियाओं को बेचा गया ह? यदि नहीं तो क्या शासन इसकी उच्च स्तरीय कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 25.85 लाख में.टन धान का उपार्जन किया गया, जिसमें से जिलेवार ओपन कैप में भंडारित धान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा कैप में भंडारित धान के निरीक्षण की जानकारी अधिकारीवार एवं दिनांकवार **पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार** है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर उपर्जित धान में से ओपन केपों में भंडारित धान के रख-रखाव में लापरवाही नहीं बरती गई है एवं समय-समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा भंडारित स्कन्ध का निरीक्षण किया गया है। सतना जिसे रेउरा केपों में भंडारित धान में से 22, 515.673 में.टन धान के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के कारण श्री आनन्द पाण्डे, शाखा प्रबंधक, रेउरा कैप को निलंबित कर आगामी कार्यवाही की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त धान सड़ने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। मिलर्स को FAQ धान दी गई। जिसकी मिलर्स द्वारा मिलिंग की गई। धान मिलिंग से प्राप्त चावल की गुणवत्ता परीक्षण में नॉन एफ.ए.क्यू. पाए गए चावल को मिलर्स को वापस कर अपग्रेडेशन की कार्यवाही कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण समर्थन मूलय पर गेहूँ उपार्जन का कार्य माह मार्च के स्थान पर अप्रैल से प्रारम्भ किया जा सका। समस्त पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय का अवसर प्रदान करने हेतु उपार्जन का कार्य दिनांक 12 जून, 2020 तक तथा समितियों से गेहूँ के परिवहन का कार्य जून, 2020 अंत तक जारी रहा। माह मई के अंतिम सप्ताह में 'निसर्ग' चक्रवात के करण पूरे प्रदेश में भारी बारिश हुई। साथ ही, मानसून समय से पूर्व आने के कारण गेहूँ पानी से प्रभावित हुआ, जिसका निस्तारण वैधानिक प्रक्रिया से किया गया है, जिसमें किसी के दोषी होने एवं कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन संभाग की राशन दुकानों में फर्जी हितग्राही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

28. परि.अता.प्र.सं. 113 (क्र. 1300) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1113 दिनांक 10 जुलाई 2019 के संदर्भ में बतावें कि 10 शहरों में किस-किस प्रकार का घोटाला किस मात्रा में पाया गया? शहर अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न के खण्ड (ग) का स्पष्ट उत्तर दें कि क्या वर्ष 2014 से 2017 में हितग्राहियों की संख्या में काल्पनिक सदस्य होने की रतलाम के तर्ज पर जांच क्यों नहीं की गई? जांच की जावेगी या नहीं? **(ग)** रतलाम में 08 दुकानों की जांच के बाद किस माह में कितने-कितने हितग्राही की संख्या कम हुई? संदर्भित प्रश्न में संलग्न परिशिष्ट में रतलाम जिले के हितग्राहियों की संख्या में 2017 भिन्न-भिन्न क्यों है? वास्तविक क्या है? **(घ)** रतलाम जिले में 2017 से 2018 में 1.09 लाख तथा 2016 से 2017 में उज्जैन में 1.18 लाख हितग्राही कम क्यों हुए? अगर कम होने भिन्न-भिन्न कारण हैं तो बतावें कि किस-किस कारण से कितने-कितने कम हुए?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश के 10 शहरों में पाई गई अनियमितताओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न के खण्ड (ग) में वर्ष 2014 से 2017 की अवधि में हितग्राहियों की संख्या में काल्पनिक सदस्य होने संबंधी कोई मामला प्रकाश में न आने से रतलाम की तर्ज पर जांच किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ। **(ग)** रतलाम में 8 दुकानों की जांच के बाद माह मार्च 2018 में 117684 हितग्राहियों की संख्या कम हुई। 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं लेने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल से एन.आई.सी. भोपाल के स्तर से पात्रता से हटा देने से हितग्राहियों की संख्या 2017 से भिन्न है। **(घ)** वर्ष 2016 से 2017 में उज्जैन जिले में 1.18 लाख हितग्राही राशन नहीं ले जाने से एवं जिनके डाटाबेस में एक भी सदस्य का आधार नम्बर दर्ज नहीं था, उन्हें एन.आई.सी. भोपाल से कम किया गया है। वर्ष 2017 से 2018 में रतलाम जिले में 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं लेने वाले परिवारों को पोर्टल से हटाने के कारण 1.09 लाख हितग्राही कम हुये हैं।

<u>अवैध उत्खनन के प्रकरण</u>

[खनिज साधन]

29. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 1301) श्री कुणाल चौधरी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग पूर्व शासन द्वारा पत्थर, गिट्टी को लेकर खनिज नियमावली-1996 की अनुसूची 01 तथा 02 में विरोधाभास को खत्म करने का प्रयास करेगा तथा पत्थर, गिट्टी, रोड, मेटल के लिए खदान आवंटित करने की जगह खदान नीलाम करने का न्यायालय के आदेश का पालन करेगा? **(ख)** वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक प्रतिवर्ष अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किए गये तथा उन पर कितनी शास्ती आरोपित की गई? आरोपित जुर्माने में कितनी राशि वसूल हुई तथा कितनी राशि से संबंधित कुल कितने

प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं? **(ग)** 2015-16 से 2020-21 तक अवैध उत्खनन के प्रकरण पर कितने प्रकरण पर न्यायालय में फैसले हुए तथा कितने में शासन जीता तथा कितने में हारा तथा जनवरी 2021 के अनुसार विभाग के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभिन्न एजेंसी में भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हुए हैं? **(घ)** पिछले 05 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बी.ओ.टी. के तहत सड़क बनाने वाले किस-किस ठेकेदार के खिलाफ अवैध उत्खनन के प्रकरण बनाकर कितनी-कितनी शास्ती आरोपित की गई? इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग तथा मुम्बई-दिल्ली 08 लेन के निर्माण में ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया गया या नहीं? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई?

खनिज साधन मंत्री : [(क) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक एवं दो में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रश्न में उल्लेखित खनिजों को नीलामी में रखे जाने का वर्तमान में कोई न्यायालयीन आदेश नहीं है। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** एवं शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर दर्शित** है।

अमानक एवं निम्न गुणवत्ता के चावल का वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

30. अता.प्र.सं. 120 (क्र. 1305) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लॉकडाउन अवधि में जबलपुर, छतरपुर, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाड़ा आदि 30 जिलों के भण्डारगृह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को वितरित किया गया 1.20 लाख टन चावल केन्द्रीय जांच एजेन्सी द्वारा अमानक, निम्न गुणवत्ता का पशु के खाने लायक पाया गया? यदि हाँ तो बतावें कि किस-किस भण्डारगृह में कितना-कितना चावल अमानक पाया गया? जांच प्रतिवेदन की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार जो चावल अमानक पाया गया वह सप्लायर से कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ था तथा उसमें से कितना वितरित कर दिया तथा कितना रोक दिया गया? जो चावल रोका गया उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? कहाँ किस मात्रा में रखा है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अमानक चावल की सप्लायर्स फर्म का नाम, मालिक भागीदार का नाम, सप्लाई की गई मात्रा, दिनांक भाव, कुल देय राशि, भुगतान की दिनांक सहित सूची देवें एवं सप्लायर्स की बिल की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** बतावें कि अमानक पाए गए 1.20 लाख टन चावल को सप्लायर्स को बदलने हेतु किस नियम तथा आई.पी.सी. की धारा के तहत कहा गया? किस-किस सप्लायर्स ने कितना चावल बदला तथा उन पर प्रकरण दर्ज किया गया या नहीं? **(ड.)** चावल काण्ड में किस-किस सप्लायर्स पर किस थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया? एफ.आई.आर. की प्रति देवें तथा बतावें कि क्या इसकी विधायकों की कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच कराई जावेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। अमानक चावल हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया। केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा मण्डला एवं बालाघाट जिले में गोदामों से 31 सैंपल लिए गये एवं जांच की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जबलपुर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा जिलों में FCI द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा भंडारित चावल की गुणवत्ता की जांच की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जांच में पाया गया अमानक चावल संबंधित मिलर को वापस कर उसे बदल कर मानक गुणवत्ता चावल प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। **(ग)** जिलेवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** कस्टम मिलिंग नीति में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मिलर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। सप्लायरवार **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(ड.)** ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा मिल मालिकों, वेयर हाउस प्रबंधक, गुणवत्ता निरीक्षकों एवं MPSCSC मण्डला एवं अन्य के विरूद्ध प्रारंभिक जांच कर प्रकरण क्रमांक 18/20 दिनांक 04.09.2020 को दर्ज किया गया है।

अमानक स्तर के खाद्यान्न का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

31. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1311) श्री जितू पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लॉकडाउन अवधि में किस-किस जिले में भण्डारगृह में कितने-कितने अमानक स्तर का चावल पाया गया? कुल कितने मेट्रिक टन चावल इस अवधि में अमानक स्तर का पाया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चावल सप्लायर फर्म का नाम मालिक/भागीदार का नाम पता सप्लाई की गई चावल की कुल मात्रा, दिनांक कुल राशि, भुगतान की गई राशि तथा दिनांक सहित सूची देवें। **(ग)** क्या प्रदेश के सारे भण्डार गृह में रखे गये चावल का परीक्षण प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किया गया था? यदि हाँ तो किस-किस भण्डार गृह में गुणवत्ता का चावल पाया गया मात्रा तथा सप्लायर का नाम बताएं। **(घ)** क्या एक भी निम्न गुणवत्ता का चावल प्रदान करने वाले पर पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं कराया है 10 माह बीत जाने के बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं कराये जाने का कारण बताएं। **(ड.)** क्या प्रश्नांश (क) में जितनी मात्रा भण्डार गृह में पाई गई उससे 2 से 3 गुना मात्रा गरीबों में वितरित कर दी गई जिससे कई गरीबों के स्वास्थ्य में गम्भीर रोग उत्पन्न हो गए? क्या शासन प्रति प्रभावित परिवार को 25 हजार रूपये का मुआवजा देगा तथा यह राशि सप्लायर से वसूल करेगा?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** लॉकडाउन अवधि में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा किये गये KMS 2019-20 के चावल के गुणवत्ता निरीक्षण में 1.06 लाख मेट्रिक टन चावल की मात्रा मानक गुणवत्ता की नहीं पाई गई। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चावल सप्लायर फर्म का नाम मालिक/भागीदार का नाम पता, सप्लाई की गई चावल की कुल मात्रा, दिनांक कुल राशि, भुगतान की गई राशि तथा दिनांक सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** प्रदेश के सारे भण्डार

गृह में रखे गये चावल का परीक्षण प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किये जाने एवं भण्डार गृह में गुणवत्ता का चावल पाये जाने की मात्रा तथा सप्लायर के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। इस प्रकरण में ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ड.)** जी नहीं। ऐसी कोई स्थिति संज्ञान में नहीं आई है।

दिनांक 26 फरवरी, 2021

कटनी में संचालित पेट्रोल पम्प
[नगरीय विकास एवं आवास]

32. अता.प्र.सं. 20 (क्र. 415) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी नगर निगम क्षेत्र में कितने पेट्रोल पम्प निर्मित हैं? नाम, मालिक का नाम, कब से स्थापित है, किस खसरे पर स्थित है? नगर पालिक निगम कटनी से भवन अनुज्ञा कब स्वीकृत कराई? स्वीकृत भवन अनुज्ञा का विवरण दें। यदि स्वीकृत नहीं है तो अवैधानिक निर्माण कब तोड़ा जायेगा? बताएं। अंतिम अनुज्ञप्ति स्वीकृत के समय चैक लिस्ट को नजर अन्दाज करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे तथा अंतिम निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति दें। **(ख)** सम्राट होटल की भूमि का स्वामित्व किसका है? भूमि स्वामित्व संबंधी खसरे की प्रति उपलब्ध करावें। क्या निगम द्वारा किसी दूसरे की भूमि पर निर्माण राशि व्यय करने अधिकारिता है, तो किस नियम में है? यदि हाँ तो नियम की प्रति दें। उक्त होटल निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? बताएं। किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वीकृत किया गया था? **(ग)** प्रश्नांश (ख) का होटल कितने वर्षों के लिए लीज पर किसको दिया गया? क्या लीज अवधि पूर्ण हो गई? यदि हाँ तो लीज का नवीनीकरण कब किया गया? यदि नहीं किया गाय तो बिना लीज नवीनीकरण के होटल कैसे संचालित है? संचालन कब तक बन्द कर दिया जायेगा? **(घ)** पैट्रिक डन कॉलोनी की भवन अनुज्ञा कब निरस्त की गई थी? उसकी प्रति उपलब्ध करावे तथा अनुज्ञा निरस्त करने के पश्चात निगम द्वारा कॉलोनाईजर के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की है? विवरण दें। यदि नहीं की गई तो कब करेंगे?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) नगर निगम, कटनी क्षेत्र में कुल 21 पेट्रोल पंप निर्मित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं। शेषांश की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** होटल सम्राट की भूमि खसरा में शासकीय दर्ज है। खसरे की **प्रति परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। निगम द्वारा किसी दूसरी की भूमि पर निर्माण राशि व्यय करने की अधिकारिता नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इंदिरा गांधी शॉपिंग कॉम्पलेक्स होटल सम्राट के निर्माण पर लगभग 7, 41, 283/- रूपये व्यय किये गये हैं। उक्त कॉम्पलेक्स की स्वीकृति तत्कालीन प्रशासक श्री व्ही.के. बैनर्जी द्वारा प्रदान की गई थी। **(ग)** होटल का आवंटन श्री मुकेश अग्रवाल आत्मज श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, श्री राजकिशोर अग्रवाल वल्द श्री नन्द किशोर अग्रवाल, श्री राकेश अग्रवाल वल्द श्री नन्द किशोर अग्रवाल,

निवासी-मालवीय गंज वार्ड, कटनी को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित किया गया था। जी हाँ। लीज की अवधि दिनांक 08.08.2015 को पूर्ण हो चुकी है। लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया है। नवीनीकरण के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** पैट्रिक डन कॉलोनी की भवन अनुज्ञा (विकास अनुज्ञा) कार्यालयीन पत्र क्र. 5173 दिनांक 14.03.2011 द्वारा निरस्त की गई है, आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलन में है।] **(क)** नगर निगम कटनी क्षेत्र में कुल 21 पेट्रोल पंप निर्मित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। बिना अनुमति निर्माण के संबंध में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 में अवैध निर्माण को हटाने का प्रावधान है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुये WP-8820/2021 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2021 एवं 15.06.2021 से 15 जुलाई 2021 तक भवनों को ध्वस्त करने की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 25 अगस्त 2021 को नियत है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से अवैध निर्माण को तोड़ने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत अनुज्ञप्ति जारी करते समय नियमों में चैकलिस्ट का प्रावधान नहीं होने से चैकलिस्ट का संधारण नहीं किया गया था। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "छ:"</u>

राज्य पात्रता परीक्षा 2016 के संबंध में

[उच्च शिक्षा]

33. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 813) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2016 (सहायक प्राध्यापक के भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा) म.प्र. सेट-2016 के विज्ञापन क्रमांक 08/परीक्षा/2016 दिनांक 13/12/2016 के परिणाम घोषित करते समय अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का पालन किया है? **(ख)** उक्त परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी 20 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर 7.5 प्रतिशत अभ्यर्थी ही पात्र किये गये? ऐसा किस नियम एवं कानून के प्रावधान के तहत किया गया है? उक्त नियम एवं कानून के प्रावधानों की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त राज्य पात्रता परीक्षा 2016 में म.प्र. आरक्षण नीति 1994 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के 15 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत अभ्यर्थियों को पात्र किया गया, लेकिन अनुसूचित जनजाति के 20 प्रतिशत स्थान पर 7.5 प्रतिशत अभ्यर्थी को ही पात्र किया गया है जिसके कारण सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये रिक्त 991 पदों में से 436 पदों पर भर्ती की गई तथा 555 पद रिक्त रखे गये है? इसके लिए कौन सक्षम अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी? **(घ)** क्या म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2016 में म.प्र. आरक्षण नीति 1994 के अनुसार अ.ज.जा. के लिये आरक्षण 20 प्रतिश प्रावधान अनुसार

(20-7.5=12.5%) पुन: परिणाम घोषित किया जाएगा? यदि हाँ तो अ.ज.जा. के सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 555 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संशोधित परिणाम कब तक घोषित किया जाएगा? उक्त पात्रता परीक्षा 2016 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), 16 (4) एवं 16 (4क) में प्रदत्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है? इसके लिए कौन सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है तथा उसके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** राज्य पात्रता परीक्षा-2016 आयोजिन नहीं हुई है, किन्तु सहायक प्राध्यापक भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा हेतु वि.क्र.08/परीक्षा/16 दिनांक 13/12/16 द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2017 का विज्ञापन जारी किया गया। राज्य पात्रता परीक्षा - 2017 में पद रिक्तियां न होने के कारण पदों पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य पात्रता परीक्षा - 2017 के विज्ञापन में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन अभ्यर्थियों हेतु पृथक-पृथक उत्तीर्णांक निर्धारित थे, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। विभिन्न श्रेणियों के उन अभ्यर्थियों जिन्होने उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक अर्जित किये थे, में से यू.जी.सी. गाईडलाईन के अनुसार गुणानुक्रम के प्रत्येक श्रेणी के 15 प्रतिशत तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित कर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2017 का विज्ञापन एवं यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों **की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष न्यायालय
[विधि और विधायी कार्य]

34. अता.प्र.सं. 86 (क्र. 1191) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई हेतु कितने विशेष न्यायालय स्थापित हैं? जिलेवार ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक दर्ज कितने मामले 60 दिनों के अवधि में निपटाए गए? कितने मामले प्रश्न दिनांक तक लंबित होने के क्या कारण हैं? जिलेवार ब्यौरा दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के लंबित मामलों का कब तक निपटारा कर दिया जाएगा? **(घ)** अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम तथा त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किन मामलों में कितना मुआवजा देने का प्रावधान है?

गृह मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई हेतु समस्त 50 जिलों में विशेष न्यायालय कार्यरत है। 43 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित है एवं 07 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष लंबित है। अन्य 10 स्थानों में जहां पर लंबित प्रकरणों की संख्या

500 से अधिक हो गई है उन स्थानों पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को विशेष प्रकरणों की सुनवाई करने हेतु अधिसूचित किये जाने का प्रावधान किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के तहत जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक दर्ज कितने मामले 60 दिनों की अवधि में निपटाए गए, सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। प्रश्नांश "ख" कितने मामले 18.02.2021 तक लंबित है, **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। प्रकरण लंबित होने के कारण:- 1. अभियोजन साक्षियों की अनुपस्थिति। 2. प्रकरण की अधिकता है प्रकरणों की संख्या के अनुरूप शासन स्तर पर पद स्वीकृत नहीं है। 20 विशेष न्यायालयों की पदों की स्वीकृती हेतु वित्तीय भार पत्रक सहित प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है। 3. साक्षी पुलिस अधिकारी, डॉक्टरों आदि का स्थानांतरण अन्य स्थानों पर हो जाना। 4. गवाहों को मजदूरी जीवन यापन के लिये अन्यत्र जगह चले जाना। 5. आदेशिकाएं तथा समन की तामीली न हो पाना। 6. कोविड-19 का संक्रमण। **(ग)** लंबित मामलों का निपटारा किये जाने हेतु यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं। **(घ)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम तथा त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु उठाये जा रहे कदम :- 1. विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उनके अधिकारों एवं विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की जाती है। 2. नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। 3. जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की समन्वय बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं। 4. प्रकरण में उपस्थित होने वाले साक्षियों का उसी दिन परीक्षण किया जाता है तथा आने जाने का व्यय एवं भोजन व्यय शासन के नियमानुसार प्रदान किया जाता है। 5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समयबद्ध कमेटियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें जिला न्यायाधीशों एवं विशेष न्यायाधीशों को मार्गदर्शन/निर्देश प्रसारित किये जाते है। किन मामलों में कितना मुआवजा देने का प्रावधान है:- 1. म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजनाएं 2015 के अंतर्गत सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। 2. अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 के अनुसार। अथवा 3. जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की समिति के अनुसार। अथवा 4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रदान की जाती है।

स्कूल की अनुमति में अनियमितता पर कार्यवाही हेतु
[नगरीय विकास एवं आवास]

35. अता.प्र.सं. 88 (क्र. 1202) श्री सुनील सराफ : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** साकेत इन्टरनेशनल स्कूल अंजड, जिला-बड़वानी की तत्कालीन न.प. अंजड द्वारा जारी समस्त अनुमतियों एवं इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां देवें। **(ख)** क्या कारण है कि न.प. अंजड, जिला-बड़वानी के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा नगर परिषद् के सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस स्कूल के लिए अनुमतियां जारी की? **(ग)** ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐसी अवैध

अनुमतियों को शासन कबतक निरस्त करेगा? यदि नहीं तो इसे संरक्षण देने का कारण बतावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है **(ख)** विभागीय स्तर पर परीक्षण उपरांत पाया गया है कि साकेत इन्टरनेशनल स्कूल अंजड नगर परिषद् अंजड के वार्ड क्र. 06 की सीमा से लगा हुआ परंतु नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर है। तत्संबंध में नगर परिषद् अंजड की सीमा एवं साकेत इन्टरनेशनल स्कूल की स्थिति प्रदर्शित करता हुआ मानचित्र **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। साकेत इन्टरनेशनल स्कूल अंजड को भवन निर्माण अनुज्ञा एवं पेयजल (मलजल एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी अनुमति) अनुमति अधिकारिता के विपरीत तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, श्री दिनेश जमरे, नगर परिषद् अंजड द्वारा दी गई है। **(ग)** नगरीय सीमा के बाहर अनुमतियां देने के लिए तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिनेश जमरे, उत्तरदायी है। श्री दिनेश जमरे, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अंजड का दिनांक 14-04-2021 को स्वर्गवास हो चुका है। मृत्यु हो जाने से कार्यवाही नहीं की जा सकती है। **(घ)** अनियमित अनुमतियों को निरस्त किये जाने हेतु म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 323 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवीन खोले गए कॉलेजों के संबंध में
[उच्च शिक्षा]

36. परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 1266) श्री राकेश मावई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 4 वर्षों में प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर नवीन कॉलेज खोले गये तथा उनमें कौन-कौन सी संकाय खोली गयी एवं उनमें कौन-कौन प्राचार्य व कितने-कितने प्राध्यापक पदस्थ हैं? विषयवार समयचक्र के हिसाब से जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार खोले गये कॉलेजों में भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगिक सामग्री (लैब) की क्या स्थिति है? यह भी बतायें कि इन कॉलेजों में विषयवार, कक्षावार छात्र संख्या कितनी-कितनी है तथा अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को कौन-कौन सी छात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? **(ग)** प्रदेश में कॉलेज खोलने के लिये क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? नियम एवं निर्देश की प्रतियों सहित जानकारी देवें। क्या प्रश्नांश (क) अनुसार खोले गये कॉलेज मापदण्डों की पूर्ति करते हैं? यदि नहीं तो कौन-कौन से कॉलेज मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं? **(घ)** क्या शासन तथा विभाग द्वारा तीन हजार से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को बंद करने की योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ तो फिर प्रश्नांश (क) अवधि में नये कॉलेज खोलने का क्या औचित्य है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड हेतु बनाए गए निर्देश एवं

नियम/मार्गदर्शिका की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। प्रश्नांश ''क'' अनुसार खोले गए कॉलेज निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं। **(घ)** जी नहीं। **] (क)** विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 57 शासकीय महाविद्यालय एवं उनमें खोले गये संकाय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 पर** है। शेष जानकारी पृष्ठ क्रमांक 01 से पृष्ठ क्रमांक 106 तक संलग्न है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार खोले गये शासकीय महाविद्यालय में भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रायोगिक सामग्री (लेब) एवं महाविद्यालय में विषयवार, कक्षावार छात्र संख्या एवं छात्र हितग्राही योजनाओं की जानकारी पृष्ठ क्रमांक 01 से 106 तक संलग्न है।

दिनांक 1 मार्च, 2021

हरे-भरे वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा
[वन]

37. अता.प्र.सं. 27 (क्र. 1245) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चम्बल संभाग एवं अन्य स्थानों पर विगत वर्षों में सड़क किनारे छाया एवं फलदार वृक्षों पर विभाग द्वारा लाखों रूपये खर्च किये गये हैं लेकिन वर्तमान में यह हालत हैं कि उन वृक्षों में पानी देने वाला, देख-रेख करने वाला कोई न होने से लगाये गये वृक्ष सूख कर नष्ट हो गये हैं। **(ख)** यदि हाँ तो जिससे शासन को लाखों रूपये का नुकसान हुआ हैं? पर्यावरण हेतु लगाये गये वृक्षों की देखभाल के लिए विभाग द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा हैं? अगर हाँ तो किस प्रकार? अवगत करावें।

वन मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। **(ख)** विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा रोपित किया गया वृक्षारोपण सफल रहा है। अत: शासन को कोई हानि नहीं हुई है। रोपित किये गये वृक्षों की सुरक्षा फेंसिंग/ट्री गार्ड लगाकर विभागीय अमले एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा की जा रही है।

छात्रवृत्ति भुगतान की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

38. अता.प्र.सं. 60 (क्र. 1604) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर स्थित सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत वर्ष 2010 से 2015 तक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किन-किन छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान की गयी है? छात्रों की वर्षवार, कक्षावार सूची देवें। **(ख)** वर्ष 2010 से 2015 तक की समयावधि में उक्त कॉलेज को पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस बैंक खाते में भुगतान की गयी? सूची देवें। **(ग)** वर्ष 2010 से 2015 तक की समयावधि में उक्त कॉलेज में कौन-कौन से छात्र विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित हुए तथा उनका परीक्षा परिणाम क्या रहा? छात्रवार जानकारी देवें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जबलपुर स्थित सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत वर्ष 2010 से 2015 तक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नाम से प्रदान की गई छात्रवृत्ति भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2010 से 2015 तक सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज को पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भुगतान की गई राशि एवं बैंक खाते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]

39. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 2046) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 26.03.2003 के द्वारा समस्त कलेक्टर को पत्र जारी किया गया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक के रूप में व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए गए थे? **(ख)** यदि हाँ तो इसके साथ परिशिष्ट (अ), (ब), (स) एवं (द) संलग्नक किए गए थे, इसमें से परिशिष्ट 'ब' में विकासखण्ड समन्वयक व्याख्याता के रूप में विकासखण्ड में नियुक्ति हेतु पदों की संख्या प्रदर्शित की गई थी। इन संख्याओं में संविदा आधार पर बी.आर.सी. जिन जिलों में पदस्थ थे वहां उनको छोड़कर नियुक्ति हेतु पद दर्शाए गए थे, जैसे सतना में एक राजगढ़, मंदसौर, नीमच एवं रतलाम में शून्य। **(ग)** यदि हाँ तो व्याख्याता वेतनमान पद पदस्थ संविदा बी.आर.सी.सी. को उनके पद से पृथक क्यों किया गया जबकि पद रिक्त न थे? स्पष्ट करें। **(घ)** क्या इनमें से राजगढ़ सतना व अन्य जिले के संविदा बी.आर.सी.सी. को वर्ष 2011 में ही माननीय हाईकोर्ट में पुन: मूल पद बी.आर.सी.सी. पर नियुक्त करने का आदेश पारित किया था? **(ड.)** यदि हाँ तो फिर भी अभी तक इन्हें इनके मूल पद पर नियुक्त क्यों नहीं किया गया है? इसके पीछे कारण क्या है और कब तक इन्हें न्याय स्वरूप सभी अधिकारों के साथ बी.आर.सी.सी. पद पर नियुक्त किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** राजीव गांधी शिक्षा मिशन के परिपत्र दिनांक 04/04/2003 की कण्डिका 2.2.4 अनुसार पृथक नहीं किया गया, अपितु योग्यतानुसार विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक की नए ढांचे में पूर्व से प्राप्त संविदा वेतन पर समायोजित किया गया। **(घ)** जी हाँ। **(ड़)** प्रकरण नीतिगत होने के कारण समप्रकृत्ति के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दिये निर्णय के विरूद्ध शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में डब्ल्यू.ए. क्रमांक 120/2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.ए. क्रमांक 916/2015 एवं डब्ल्यू.ए. क्र. 917/2015 दायर की गई है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में

विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के आगामी निर्णय पर नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 2 मार्च, 2021

व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

40. अता.प्र.सं. 13 (क्र. 646) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सी.बी.आई. द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित कौन-कौन सी परीक्षाओं की जांच की जा रही है? सूची उपलब्ध कराएं तथा बतावें कि इन परीक्षाओं में चयन परीक्षा तथा भर्ती परीक्षा कौन-कौन सी है? **(ख)** एस.टी.एफ. द्वारा सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जांच को छोड़कर कौन-कौन सी परीक्षाओं की जांच की जा रही है? उनकी सूची उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) तथा (ख) में उल्लेखित परीक्षा अनुसार बताएं कि किस-किस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए तथा कुल कितना शुल्क परीक्षा अनुसार प्राप्त हुआ है? परीक्षा में घोटाले के मद्देनजर क्या शुल्क वापस किया जावेगा? **(घ)** विभाग के किन-किन अधिकारी कर्मचारी को प्रश्नाधीन जांच में आरोपी बनाया गया है? किस-किस परीक्षा के संदर्भ में बनाया गया है? क्या विभागीय स्तर पर व्यापम घोटाले के संदर्भ में जांच की गई है? यदि हाँ तो जांच की रिपोर्ट की प्रति देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** एस.टी.एफ. द्वारा शिकायत पत्र में उल्लेखित आरोपित बिन्दुओं की जांच की जा रही है। परीक्षाओं का विभक्तिकरण किया जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। परीक्षा शुल्क वापसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। **(घ)** व्यापम घोटाले से संबंधित समस्त अपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों को माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा रिट याचिका क्रमांक-372/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 के अनुसार सी.बी.आई. को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। विभागीय स्तर पर शिकायत के संबंध में जांच नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "सात"</u>

बीज वितरण के आवंटित लक्ष्य
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

41. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 2164) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में खरीफ 2019-20 एवं रबी 2020-21 के अंतर्गत विभाग की अलग-अलग योजना अंतर्गत कितनी मात्रा के बीज वितरण के लक्ष्य आवंटित किये गये थे? फसलवार विवरण देवें। इस आवंटन के विरूद्ध योजनाओं में उप संचालक कृषि, सिवनी में किन-किन संस्थाओं से कितनी-कितनी मात्रा में बीज प्राप्त कर वितरण किया गया? **(ख)** क्या शासन के आदेशानुसार योजनाओं में बीज आवंटन के विरूद्ध प्रथमत: म.प्र.

बीज निगम एवं अन्य शासकीय संस्थाओं से बीज प्राप्त करें, इसके पश्चात जिले का बीज प्राप्त करें। योजनान्तर्गत बीज वितरण में क्या उक्तानुसार आदेश का पालन किया गया है? यदि नही, तो संबंधितों पर कोई कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या शासन के यह भी आदेश थे कि जिले में संस्थाओं के पास बीज उपलब्धता होते हुये भी अन्य जिले से बीज प्राप्त नहीं करें। क्या सिवनी जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों की कृषक सहकारी संस्थाओं से बीज प्राप्त कर योजनाओं में वितरण किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** सिवनी जिले में खरीफ 2019-20 एवं रबी 2020-21 के, बीज वितरण के लक्ष्य, योजनावार, फसलवार एवं संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(ख)** हाँ, शासनादेश **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। शासन आदेश अनुसार बीज राष्ट्रीय बीज निगम, म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, म.प्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीज उत्पादक सहकारी समितियों से ही प्राप्त किया गया है। **(ग)** जी नहीं, इस संबंध में शासन का आदेश नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर बीज, बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, नाफेड, बीज उत्पादक सहकारी समितियों से बीज योजनाओं में वितरण किया गया है। संबंधितों पर कार्यवाही का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 3 मार्च, 2021

प्रदूषण रोकने हेतु शासन की योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

42. अता.प्र.सं. 4 (क्र. 360) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माँ नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से किन-किन सहायक नदियां सहित राज्य की सीमा तक कितने किमी. बहती है? उनके तटवर्ती शहर कौन-कौन से है? **(ख)** 1 जनवरी 2018 से फरवरी 2021 तक की अवधि में माँ नर्मदा नदी के घाटों की रेत नीलामी तथा नोकघाट नीलाम से प्रतिवर्ष क्या आय प्राप्त होती है तथा नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शासन की क्या-क्या योजना है तथा बजट प्रावधान क्या है? **(ग)** माँ नर्मदा के किनारे बसे शहरों, ग्रामों उद्योगों द्वारा प्रदूषित किये जाने, गंदे नालों का पानी माँ नर्मदा मिलने से रोकने हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है? पूर्ण विवरण दें। **(घ)** "नमामि गंगे" प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। इसी भॉति "नमामि नर्मदे" प्रोजेक्ट हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायकों को पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में लगभग 1077 कि.मी. बहती है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार** है। नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन-जागृति एवं प्रचार-प्रसार संबंधी विभिन्न गतिविधियां जैसे पॉलिथीन जप्ती, वॉल राइटिंग, ईको फ्रेण्डली मूर्ति बनाने हेतु कार्यशाला आदि कार्य किये जा रहे हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार** है।

आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नस्तीबद्ध शिकायत
[सामान्य प्रशासन]

43. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 1602) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा शिकायत क्रमांक 07/2017 पुलिस अधीक्षक इंदौर के जिस प्रतिवेदन पर नस्तीबद्ध की गयी है, उस प्रतिवेदन की प्रति देवें। **(ख)** आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच भारतीय दंड संहिता या भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत की जाती है? विवरण दें। **(ग)** यदि किसी कानून या नियम में प्रारंभिक जांच का प्रावधान नहीं है तो पी.ई. किसके आदेश व किस नियम के तहत की जाती है?

मुख्यमंत्री : [(क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में शिकायत क्रमांक 07/2017 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा-154 के परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समय-समय पर पारित निर्णयों के आलोक में। 1. P. Sirajuddin V/s State of Madras. AIR 1971 SC 520 2. State of Haryana V/s Bhanjan lal. AIR 1992 SC 604 3. Rajindra Singh Katoch V/s Chandigarh Administration And other Creminal Appeal no. 1432 of 2007 SLP (CRI.) No. 3360 of 2006 decided on 2007. 4. Lalita Kumari V/s Govt. of U.P. AIR 2012 SC 1515. **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिपेक्ष्य से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अध्यात्म विभाग द्वारा प्रदाय वित्तीय आवंटन
[अध्यात्म]

44. अता.प्र.सं. 41 (क्र. 1778) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक अध्यात्म विभाग द्वारा कौन-कौन से मेन्टीनेन्स एवं निर्माण कार्य कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? उन निर्माण कार्यों के लिये कितनी-कितनी वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया था? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि हाँ तो क्या उन निर्माण एजेन्सी को राशि का भुगतान किया जा चुका है?

यदि नहीं तो क्यों? अब इनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? **(ख)** ग्वालियर जिले के भितरवार, चीनौर एवं घाटीगांव तहसील में कौन-कौन से शासकीय मंदिर हैं? उनकी सूची दें। किस-किस मंदिर से कितनी-कितनी भूमि लगी हुई है? उस भूमि पर कौन-कौन खेती या उपयोग कर रहा है तथा उस भूमि से कितना-कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? सम्पूर्ण मंदिर से लगी हुई भूमि का अलग-अलग विवरण दें। **(ग)** तहसील भितरवार, चीनौर एवं घाटीगाँव के मंदिरों पर कौन-कौन पुजारी है उनका नाम, पिता का नाम, किस दिनांक से नियुक्त किया गया है? क्या उनको पुजारी का मानदेय उपलब्ध हो रहा है? यदि हाँ तो कब तक प्राप्त हो चुका है तथा कितनों का कब से शेष है?

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार** है। **(ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार** है।

पेयजल समस्या के निराकरण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 1815) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन (PHE) डिपार्टमेंट द्वारा पेयजल व्यवस्था के निराकरण हेतु विभाग के क्या दिशा-निर्देश हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2020-21 तक जिला मुरैना को कितनी राशि आवंटित की गई? नियमानुसार यह राशि सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्डवार प्राप्त होकर व्यय की गई। **(ग)** मुरैना जिले को प्राप्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र सबलगढ़ में किन-किन ग्राम, मजरे, टोलों में हैंण्डपम्प लगाये गये? इन हैण्डपम्पों के खनन ठेकेदारों द्वारा अथवा विभागीय स्तर पर कराये गये, की जानकारी दी जावे। **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) में खनित हैण्डपम्प माननीय सांसद, विधायक या अन्य जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर किए गए अथवा पी.एच.ई. खण्ड मुरैना के कार्यालय द्वारा अपनी इच्छा अनुसार खनन किये गये, की जानकारी विस्तार से बतावें।

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। जी नहीं, राशि जिलेवार आवंटित की जाती है, विकासखण्डवार नहीं। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** मान. सांसद मान. विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुये आंशिक पूर्ण श्रेणी की पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों/बसाहटों में आवश्यक होने पर विभागीय मापदण्डानुसार नवीन नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना का कार्य किया गया है। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

चिरायु, अरविन्दों एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेजों को कोविड-19 का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. परि.अता.प्र.सं. 53 (क्र. 2098) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज, इंदौर के अरविन्दों एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत चिकित्सालयों में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कोविड-19 महामारी के कितने-कितने का उपचार किया गया है? इन मरीजों के उपचार के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त किन-किन चिकित्सालयों में कोविड-19 महामारी के कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई है? मृतकों के नाम, उम्र पते सहित सूची दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल में 10, 275 अरविन्दों मेडिकल कॉलेज में 11221 एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 3895 मरीजों का उपचार हुआ। चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, अरविन्दों मेडिकल कॉलेज एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर को मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 के मरीजों के उपचार हेतु किये गये भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल में 455, अरविन्दों मेडिकल कॉलेज में 337 एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 08 मरीजों की मृत्यु हुई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

अधिकारियों को अर्दली भत्ते का भुगतान
[वित्त]

47. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 2288) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन द्वारा नियंत्रित निगम, मण्डल बोर्ड, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों में पदस्थ आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अधिकारियों को कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ते के भुगतान का राज्य में क्या प्रावधान किस कानून, मैन्युअल या कोड के तहत प्रचलित है? **(ख)** आई.एफ.एस. अधिकारियों को किस-किस निगम, मण्डल, बोर्ड प्राधिकरण एवं सहकारी संस्थाओं में पदस्थ होने पर कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ते का भुगतान प्राप्त किए जाने की वित्त विभाग ने किस दिनांक को अनुमति या स्वीकृति प्रदान की है? यदि अनुमति या स्वीकृति नहीं दी हो तो उसका कारण बतावें। **(ग)** आई.एफ.एस. अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर रेट से प्राप्त किए जा रहे अर्दली भत्ते के भुगतान की वसूली किए जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वित्त विभाग द्वारा निगम, मण्डल, बोर्ड, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों में पदस्थ आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं

आई.एफ.एस. अधिकारियों को कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ते के भुगतान के संबंध में कोई नियम शासित नहीं किए जाते। **(ख)** निगम, मण्डल, बोर्ड प्राधिकरण एवं सहकारी संस्थाएं पृथक-पृथक अधिनियम, नियम के अंतर्गत गठित है जिसका प्रशासकीय नियंत्रण संबंधित प्रशासकीय विभाग के पास रहता है। **(ग)** अर्दली भत्ते के भुगतान होने की जानकारी नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

48. अता.प्र.सं. 71 (क्र. 2467) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से प्रश्न-दिनांक तक कटनी-जिला अंतर्गत जिले एवं तहसीलों के किन-किन विभाग के अधिकारियों को कब-कब, कौन-कौन से पत्र-प्रेषित किये गये? बतलावें। प्रेषित-पत्रों की पावती दिनांक सहित विभागवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि इन प्रेषित-पत्रों पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रेषित-पत्रों में से किन-किन पत्रों पर किन कारणों से कार्यवाही नहीं की गई बतलावें एवं यह भी बतलावें कि किन-किन पत्रों पर की गई कार्यवाही से किन कारणों से प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराया गया? कब तक की गई कार्यवाही से अवगत करा दिया जावेगा? **(ग)** क्या एस.डी.एम., तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अन्य तहसील स्तरीय कार्यालयों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रेषित पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजे गये थे? उत्तर में यदि हाँ, तो कब-कब, कौन-कौन से पत्र भेजे गये तथा इन भेजे गये पत्रों में से किन-किन पर कब-कब कार्यवाही की गई तथा किन-किन पर किन कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की गई? बिन्दुवार सभी उत्तर सूची में देवें। **(घ)** क्या सामान्य-प्रशासन विभाग द्वारा सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों की अलग पंजी बनाने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के निर्देश हैं? उत्तर में यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में दोषी कौन-कौन हैं? बतलावें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे पिरशिष्ट** में दी गई है। **(घ)** जी हाँ। माननीय विधानसभा सदस्य से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से संबंधित जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

49. अता.प्र.सं. 78 (क्र. 2572) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु म.प्र.के कौन-कौन से चिकित्सालय संबद्ध किए गए हैं? चिकित्सालयों की सूची स्थान, बीमारी के नाम

सहित उपलब्ध करावें। **(ख)** बैतूल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक कितने आवेदन गंभीर बीमारी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृत किया गया?

मुख्यमंत्री : [(क) मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत कोई भी चिकित्सालय संबद्ध नहीं किये गए हैं। शेष भाग का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(ख)** बैतूल विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक 307 आवेदन बीमारी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के स्वीकृत किये गये।

महुआ शराब पकड़े जाने पर दर्ज प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]

50. अता.प्र.सं. 100 (क्र. 2643) श्री आरिफ अक़ील : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के घरों में घुसकर महुआ शराब पकड़े जाने और आदिवासियों के विरूद्ध महुआ शराब के प्रकरण बनाए जाने के संबंध में राज्य में कौन सी प्रक्रिया एवं नीति वर्तमान में प्रचलित है? प्रति सहित बतावें। **(ख)** बैतूल, भोपाल एवं रायसेन जिले में जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासी ग्राम में महुआ शराब पकड़े जाने हेतु किस-किस आदिवासी के मकान की तलाशी ली जाकर कितने लीटर महुआ शराब का प्रकरण बनाया तथा इसकी अनुमति कलेक्टर से किस-किस दिनांक को प्राप्त की गई? **(ग)** कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के घरों में छापामारी करने के लिए शासन किसे जिम्मेदार एवं दोषी मानती है? पद एवं नाम सहित बतावें।

वित्त मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61-घ के उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्रों में धारा-5 वारन्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति के तहत् अवैध/महुआ शराब पकड़ा जाना प्रावधानित है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनयम 1915 की धारा के प्रावधान अंतर्गत आरोपियों के विरूद्ध बनाए गए महुआ/अवैध शराब के प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है। **(ख)** प्रदेश के जिला भोपाल एवं जिला रायसेन अधिसूचित क्षेत्र न होने के कारण जानकारी निरंक है। प्रदेश के बैतूल जिले में जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक आरोपियों के मकान की तलाशी ली जाकर जप्त अवैध मदिरा/महुआ शराब के प्रकरण बनाये गये है। प्रकरणों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। कलेक्टर बैतूल द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान के अंतर्गत अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन की रोकथाम हेतु आदेश जारी किये गये है। आदेशों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ग)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61-घ

के उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में धारा-54 के तहत आरोपियों के घरों की तलाशी लेकर अवैध/महुआ शराब पकड़ा जाना प्रावधानित होने से छापामारी किये जाने के लिए किसी को भी जिम्मेदार एवं दोषी नहीं मानती है।

मंदिरों एवं मौलवियों को मानदेय देने का प्रावधान
[अध्यात्म]

51. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 2701) श्री हर्ष यादव : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों के पुजारियों एवं ओकाफ बोर्ड की मस्जिदों के मौलवियों को प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो सागर जिले में कितने मंदिर एवं मस्जिदों, में पुजारियों एवं मौलवियों को किस मानदेय पर नियुक्त किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या सागर जिले में ऐसे कितने मंदिर मस्जिद है जिनमें पुजारी/मौलवी नियुक्त नहीं है, उक्त मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति कब तक की जायेगी? वर्तमान में उक्त मंदिरों में पूजा अनुष्ठान एवं प्रबंधन कार्य की क्या व्यवस्था की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में मंदिरों एवं मस्जिदों में पुजारियों एवं मौलवियों के मानदेय में कब-कब और कितनी-कितनी वृद्धि की गई है, उन्हें आवास निर्माण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किये गये है? क्या शासन द्वारा अतिरिक्त सुविधायें देने की योजना है?

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। विभागीय आदेश क्र. 7-13/2018/छै: दिनांक 04/10/2018 द्वारा मानदेय दिये जाने का प्रावधान किया गया है। औकाफ बोर्ड के देव स्थानों के सेवादारों को भी मानदेय दिया जाता है। सागर जिले के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर मंदिरों के पुजारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। आदेश दिनांक 15/2/2013 से रू. 1000/-, 700/- एवं 520/- रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया गया एवं विभागीय आदेश क्रमांक 7-13/2018/छै: दिनांक 04/10/2018 द्वारा मानदेय में वृद्धि की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है। शेषांश के संबंध में विभाग में कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]

52. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 2702) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सागर जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के बहुत से प्रकरण अनिर्णीत पड़े हुये हैं? यदि हाँ तो किस-किस विभाग में किस-किस के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण अनिर्णीत पड़े हैं? विभागवार प्रकरण ओर प्रकरणवार लंबित रहने के कारण सहित

जानकारी देवें। **(ख)** ऐसे अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण जो पद रिक्त न रहने के कारण निराकरण होना संभव नहीं होता है, उन प्रकरणों में आवेदक को मृत शासकीय कर्मचारी को मिले हुए अंतिम वेतन के आधार पर पांच वर्ष तक नियमित वेतन दिये जाने का कोई नियम है? 1 जनवरी 2014 से अब तक सागर जिले में कितने प्रकरणों में कितने और किस-किस विभाग के किस-किस आवेदक को उक्त नियम के तहत लाभान्वित किया गया है? उनकी जानकारी विभागवार प्रकरणवार देंवे। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का कब तक निराकरण करा दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। विभागवार एवं प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** जी हाँ। आवेदक श्री अंकित गोस्वामी पुत्र स्व. श्रीमती मंजू गोस्वामी, प्राचार्य द्वारा दिनांक 29.01.2021 को विकल्प प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है। **(ग)** संबंधित कार्यालय/विभाग में पद रिक्त होने पर ही अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

जानकारी उपलब्ध कराई जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 2767) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 87/नि.स./पी.एच.ई./सा.जा./04/20-21 दिनांक 15.01.2021 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विभाग, मुरैना से कोई जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ तो उक्त बिन्दुवार जानकारी प्रश्न पूछे जाने के दिनांक तक क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उक्त पत्र द्वारा जो जानकारी विभाग से चाही गई थी, उस जानकारी को बिन्दुवार प्रस्तुत करें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। कार्यपालन यंत्री खंड मुरैना द्वारा उनके पत्र क्रमांक-611 दिनांक 01.02.2021 द्वारा जानकारी उपलष्ध कराई गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" से "8" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र अनुसार वांछित पूर्ण जानकारी उपलष्ध न कराये जाने पर कार्यपालन यंत्री से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 4 मार्च, 2021

राशन कार्डो पर प्रदाय खाद्यान्न
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

54. परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 1467) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में गरीबी रेखा/अति गरीबी रेखा एवं सामान्य राशन कार्डों में प्रति कार्ड कितने-कितने किलो का कौन-कौन सा खाद्यान्न मिट्टी तेल अथवा वस्तु दी जाती है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के जिले अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों/स्व-सहायता समूहों के द्वारा संचालित दुकानों में क्या राशन कार्ड पर खाद्यान्न नहीं दिया जाता, यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन जनपदों में किन-किन दुकानों से कितने कार्डधारियों को कौन-कौन सा खाद्यान्न मिट्टी तेल अथवा वस्तु उपलब्ध कराई गई है? दुकानवार जानकारी देवें? **(ग)** यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) हां, तो यह बतायें कि यदि राशन कार्ड में खाद्यान्न नहीं दिया जाता तो राशन कार्ड बनाने का औचित्य क्या है तथा उपभोक्ताओं को किस नियम से कब कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है? वर्षवार माहवार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश **(क), (ख) एवं (ग)** के खाद्यान्न न देने में कौन-कौन दोषी है? दोषी पर कब क्या कार्यवाही करेंगे तथा खाद्यान्न पाने से वंचित परिवार को कब तक खाद्यान उपलब्ध करा देंगे? यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। सामान्य राशनकार्ड का प्रावधान नहीं है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात् पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) पर खाद्यान्न दिया जाता है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में पात्रता पर्ची पर ही राशन सामग्री दी जा रही है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम से भी राशन कार्ड की सेवा को हटा दिया गया है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरीफ वर्ष 2020-21 बाजरा खरीदी में अनियमित रूप से पंजीयन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

55. ता.प्र.सं. 9 (क्र. 1624) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** समर्थन मूल्य बाजरा खरीदी खरीफ वर्ष 2020-21 में मुरैना जिले में ऐसे कितने किसान है जिन्होंने बाजरा विक्रय कर पावती प्राप्त करने के उपरान्त आज दिनांक तक भुगतान प्राप्त नही हुआ है? कारणों सहित खरीद केन्द्रवार भुगतान हेतु कुल राशि का विवरण देवेंगे? **(ख)** क्या किसानों द्वारा फसल तुलाई के समय पंजीयन सत्यापित थे किन्तु तुलाई उपरान्त संबंधितों द्वारा किसानों से अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से असत्यापित कर

दिये गये? यदि हाँ तो क्यों यदि नही तो फसल पंजीयन करने का तहसीलदारों का उद्देश्य क्या था? **(ग)** फसल तुलाई तक दर्शित गिरधावली एप में सत्यापित पंजीयन किस अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा किये गये थे एवं फसल तुलाई उपरान्त उन्ही पंजीयन को किस अधिकारी द्वारा असत्यापित किया गया था? तुलाई पूर्व सत्यापन करने का आधार एवं तुलाई उपरान्त असत्यापित करने का आधार क्या था स्पष्ट करें? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में फसल पंजीयन को असत्यापित करने से किसानों को होने वाली परेशानी एवं समय पर भुगतान न होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या संबंधितों पर कार्यवाही की जायेगी तथा किसानों का भुगतान कब किया जावेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मुरैना जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 25962 किसानों से 146981.95 मे.टन बाजरा का उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य पर बाजरा की उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर बाजरा उपार्जन हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन में रकबा एवं फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाती है। समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसान को दिलाने एवं बिचौलियों को उपार्जन से दूर रखने के उद्देश्य से पंजीकृत किसानों में से विगत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक रकबे के पंजीयन, 4 हेक्टयर से अधिक रकबे वाले, सिकमी/बटाईदार किसान, अन्य की भूमि का पंजीयन कराने वाले, पंजीयन एवं भू-अभिलेख के डाटाबेस में नाम में अंतर पाये जाने वाले किसानों के रकबे एवं फसल का सत्यापन तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कराये जाने की व्यवस्था की गई थी। मुरैना जिले में तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा 22,819 किसानों के रकबे एवं फसल का सत्यापन कर 2,798 किसानों के खसरे असत्यापित किए जाकर कुल 8,041 हेक्टेयर रकबे में कमी आई है। मुरैना जिले के 61 किसानों से समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीदी की प्रविष्टि के दौरान फसल के रकबा सत्यापन में अंतर आने के कारण आनलाईन भुगतान में तकनीकी समस्या आई, जिसका निदान कर किसानों को भुगतान कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** गिरदावरी एप में किसान द्वारा बोई गई फसल एवं रकबे की जानकारी संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा दर्ज की जाती है। पंजीयन उपरांत चिन्हित श्रेणियों के किसानों द्वारा बोई गई फसल एवं रकबे का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के लॉगिन से किया गया है। समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसान को दिलाने एवं बिचौलियों को उपार्जन से दूर रखने के उद्देश्य से सत्यापन की कार्यवाही की गई। **(घ)** समर्थन मूल्य पर बाजरा की उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पृथक वितरित उत्तर</u>

रहवासी क्षेत्रों में गैस एजेंसी का संचालन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

56. अता.प्र.सं. 32 (क्र. 1748) श्री विनय सक्सेना : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गैस एजेंसी का संचालन/भण्डारण/वितरण रहवासी क्षेत्रों में किया जा सकता है? **(ख)** गैस एजेंसी स्थापना हेतु शासन के क्या नियम निर्देश हैं? **(ग)** जबलपुर संभाग में कितनी गैस एजेंसिया रहवासी क्षेत्रों में संचालित हैं तथा उसी स्थल पर भण्डारण व वितरण का कार्य करती हैं? सूची देवें। **(घ)** क्या विभाग रहवासी क्षेत्रों में संचालित गैस एजेंसियों को हटाने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब? यदि नही, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** गैस एजेंसी का संचालन शोरूम के माध्यम से रहवासी क्षेत्रों में किया जा सकता है। गैस सिलेंडरों के भण्डारण हेतु गोदाम के विस्फोटक लाईसेन्स की शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यह अनुज्ञप्ति गैस सिलेण्डर नियम, 2016 के अंतर्गत पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है। **(ख)** गैस एजेंसी (एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप) की स्थापना (शहरी वितरक, ग्रामीण वितरक एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक) के लिए लोकेशन की पहचान वहां संभावित गैस सिलेंडर की बिक्री और एल.पी.जी. वितरक को आर्थिक रूप से viability को बनाए रखने के आधार पर की जाती है। यह viability गैस सिलेंडर बिक्री क्षमता, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, लोकेशन की आर्थिक समृद्धि और वर्तमान गैस वितरक से न्यूनतम दूरी सहित कई कारकों पर आधारित होती है। साथ ही चयन के लिए पात्र आवेदक को ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित पात्रता के मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। **(ग)** जबलपुर संभाग में ऑयल कंपनियों द्वारा संचालित गैस एजेंसियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** गैस एजेंसी (वितरक) का संचालन शोरूम के माध्यम से रहवासी क्षेत्र में किया जा सकता है। गैस सिलेंडर के भण्डारण हेतु गोदाम का विस्फोटक लाईसेन्स के निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों के पालन अनिवार्य है। यदि गैस एजेंसी का संचालन पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया जाना पाया जाता है, तो गैस एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

<u>परिशिष्ट - "आठ"</u>

खाद्यान्न से वंचित बी.पी.एल. कार्डधारी उपभोक्ता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

57. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 2053) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम जबलपुर सीमान्तर्गत बी.पी.एल. कार्डधारक उपभोक्ताओं का सर्वे (सत्यापन) कार्य डोर टू डोर कब से कब तक चलाया गया? इसमें कितने कार्डधारक उपभोक्ता फर्जी/अपात्र पाये गये? इनमें से कितने उपभोक्तओं के नाम काटे गये एवं कितने उपभोक्ताओं

के नाम जोड़े गये तथा कितने नाम जोड़ना बकाया है एवं क्यों? कितने कार्डधारक उपभोक्ता के मुखिया का नाम पिरवर्तित किया गया एवं कितने शेष हैं एवं क्यों? वार्डवार फरवरी 2021 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में कार्डधारक कितने उपभोक्ता पात्रता पर्ची से वंचित हैं एवं क्यों? कितने उपभोक्ताओं का नाम खाद्यान्न वितरण करने वाली सूची में दर्ज न होने से खाद्यान्न से वंचित हैं तथा कितने उपभोक्ताओं का पात्रता फर्जी बनाकर उनके नाम खाद्यान्न वितरण करने वाली सूची में जोड़े गए हैं? वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने कार्डधारक उपभोक्ताओं को आधार कार्ड रीडिंग से जोड़ा गया है एवं कितने कार्डधारकों का नाम जोड़ना बकाया है एवं क्यों? बतलावें। वार्डवार मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की जानकारी दें। **(ग)** जिला प्रशासन जबलपुर ने डोर टू डोर सर्वे कार्य में लापरवाही करने भेदभाव पूर्वक नाम काटने अनियमितता करने की प्राप्त शिकायतों पर दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत अंत्योदय एवं बी.पी.एल. सहित प्राथमिकता परिवार की सभी श्रेणियों के पात्र परिवारों के सत्यापन हेतु माह नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 तक अभियान संचालित किया गया। माह मार्च 2020 में कोविड-19 की आकस्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप उक्त अभियान पूर्ण नहीं हो सका। नगर निगम जबलपुर में स्थानीय निकाय के अमले द्वारा विवाह हो जाने से परिवार से पृथक हुई सदस्य/ मृत्यु/दोहरे होने आदि कारणों से बी.पी.एल. श्रेणी के चिन्हांकित 31,935 अपात्र परिवारों को पोर्टल से अस्थाई रूप से पृथक किया गया है। इनमें से नगर निगम जबलपुर में माह सितंबर 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक पुन: वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले, पात्र पाए गए 3169 बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों हेतु पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न आवंटन जारी किया गया है। आवेदक परिवारों द्वारा आवश्यक वैध दस्तावेजों सहित पुन: आवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी पात्रता व दस्तावेजों का परीक्षण, सत्यापन कर पात्रता पर्ची एवं सामग्री आवंटन जारी कर प्रदाय किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक राशनकार्ड में मुखिया के नाम परिवर्तन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार समस्त वैध पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न आवंटन जारी किया गया है। वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत नगर निगम जबलपुर के प्रत्येक पात्र परिवार के कम से कम 1 सदस्य के डाटाबेस में आधार सीडिंग पूर्ण की गई है इन पात्र परिवारों में 4,27,557 सदस्यों की आधार कार्ड सिडिंग की गई है एवं 9,415 सदस्यों की आधार कार्ड सीडिंग शेष है, यह एक सतत् प्रक्रिया है। आधार सीडिंग का डाटा माहवार डाटा संधारित नहीं किया जाता है, प्रतिदिन होने वाली आधार सीडिंग अनुसार यह डाटा परिवर्तनीय होने से माह मार्च 2020 से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। माह फरवरी 2021 की स्थिति में आधार सीडिंग किए जा चुके तथा शेष परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–'ब' अनुसार** है। **(ग)** जबलपुर जिले में

सत्यापन अभियान में लापरवाही करने, भेदभाव पूर्वक नाम काटने की अनुशंसा जैसी अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में न आने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

समर्थन मूल्य पर धान व गेहूं का उपार्जन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

58. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 2054) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश शासन ने जिला जबलपुर में किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान व गेहूं का किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का उपार्जन करने, संग्रहक एवं भण्डारण की कहां-कहां पर क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई एवं खरीदी केन्द्रों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? निर्धारित लक्ष्य के तहत कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का धान, गेहूं का उपार्जन किया गया? वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में कहां-कहां की किन-किन गोदामों, भण्डार गृहों वेयर हाउस ओपन कैंप में कितनी-कितनी मात्रा में भण्डारित रखा गया है। इनकी क्षमता कितनी-कितनी है? कहां-कहां पर भण्डारित, ओपन कैंप में रखा गया, वे मौसम बरसात से गीला, खराब हुआ व चोरी हुआ है किन-किन भण्डार गृहों वेयर हाउस में रखा कितनी-कितनी मात्रा में अमानक धान, गेहूं को कब-कब किसने जब्त किया है एवं निरीक्षण में कहां-कहां पर क्या-क्या अनियमितताएं व अव्यवस्था पाई गई है शासन व जिला प्रशासन ने दोषी अधिकारियों पर कब क्या-क्या कार्यवाही की है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में किन-किन खरीदी केन्द्रों में किसानों/व्यापारियों से अमानक व घटिया किस्म का धान, गेहूं का उपार्जन करने से अवैध राशि की वसूली करने राशि का समय पर भुगतान न करने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि में जबलपुर जिले में कृषकों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित कुल 1124930.78 मे.टन धान की राशि रूपये 204462 लाख एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं कुल 1118323.75 मे.टन की राशि रूपये 205680.76 लाख का भुगतान किसानों को किया गया। उपार्जित धान एवं गेहूं का भंडारण शासकीय, पी.ई.जी. योजना अंतर्गत अनुबंधित गोदाम एवं ओपन केप में किया गया। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। खरीदी केन्द्रों पर किसानों हेतु पेयजल, प्रसाधन, बैठने आदि की व्यवस्था उपार्जन केन्द्र संचालन करने वाली समिति द्वारा की गई है। **(ख)** वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि में उपार्जित धान एवं गेहूं के भण्डारण हेतु भण्डारण स्थल की क्षमता एवं भंडारित मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। जिले में असामयिक वर्षा के कारण गेहूं एवं धान का स्कंध खराब नहीं हुआ है। वर्ष 2019-20 में ओपन केप दर्शनीय से 2 मे.टन गेहूं चोरी का प्रकरण प्रकाश में आया था। प्रकरण में संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। **(ग)** जिले में 04 खरीदी केन्द्रों पर शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें जांच उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, प्रकरण में

कार्यवाही प्रचलन में है। 01 प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

चावल घोटाले की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

59. अता.प्र.सं. 49 (क्र. 2063) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बालाघाट एवं मण्डला जिले में आदिवासियों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल वितरित किये जाने की शिकायत की, ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा की गई जांच में कब से कब तक कितने क्विंटल चावल का वितरण करना पाया गया है? शासन ने इसमें दोषी किन-किन अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की है? **(ख)** प्रदेश में कोरोना काल से माह मार्च से जून 2020 तक बालाघाट जिले के किन-किन मिलर्स द्वारा किन-किन जिलों को कब-कब, कितने-कितने क्विंटल केटल ग्रेड का चावल भेजा गया है? जांच हेतु लिये गये सैम्पल में कितने क्विंटल चावल केटल ग्रेड का पाया गया है? इसमें किन-किन अधिकारियों व मिलर्स की क्या भूमिका रही है? शासन ने दोषी किन-किन अधिकारियों व मिलर्स पर क्या-क्या कार्यवाही की है? किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? **(ग)** जिला बालाघाट में माह मई 2019 में पोल्ट्री ग्रेड का कितने क्विंटल चावल रिजेक्ट किया गया था? गोदामों में कितने क्विंटल चावल भण्डारित था? इसमें से कितने-कितने क्विंटल चावल कब-कब किन-किन जिलों को भेजा गया है? शासन ने इसमें दोषी पाये गये किन-किन अधिकारियों व मिलर्स पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मण्डला एवं बालाघाट जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आदिवासियों को पोल्ट्रीग्रेड का चावल वितरित नही किया गया है। EOW द्वारा प्रकरण की जांच प्रचलन में है तथा EOW द्वारा जांच संबंधी जानकारी विभाग से साझा नहीं की गई है। मण्डला एवं बालाघाट जिले के गोदामों में संग्रहित चावल के केन्द्रीय जॉच एजेन्सी के उपायुक्त द्वारा 32 सेम्पल लिये गये एवं चावल के गुणवत्ता की जॉच की गई। जॉच में चावल मानक गुणवत्ता का नही पाये जाने के कारण बालाघाट एवं मण्डला जिले में पदस्थ निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया है:-

क्र.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम	पद	पदस्थी स्थल
01	श्री आर.के. सोनी	प्रभारी जिला प्रबंधक	बालाघाट
02	मनोज श्रीवास्तव	प्रभारी जिला प्रबंधक	मण्डला
03	श्री नागेश उपाध्याय	गोदाम सहायक	बालाघाट
04	श्री राकेश सेन	गोदाम सहायक	बालाघाट
05	श्री मुकेश कन्हैरिया	गोदाम सहायक	बालाघाट
06	श्री संदीप मिश्रा	गोदाम सहायक	मण्डला

उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जॉच प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त बालाघाट एवं मण्डला जिले में आउट सोर्सिंग से नियोजित 02 गुणवत्ता नियंत्रकों व 02 गुणवत्ता निरीक्षकों की सेवाऐं समाप्त की गई है। EOW द्वारा मिल मालिकों, वेयर हाउस प्रबंधक, गुणवत्ता निरीक्षकों एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मण्डला एवं अन्य के विरूद्ध प्रारंभिक जॉच कर प्रकरण क्रमांक 18/20 दिनांक 04.09.2020 दर्ज किया गया है। **(ख)** बालाघाट जिले से अन्य जिलों को केटल ग्रेड का चावल प्रेषित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त बालाघाट जिले से माह मार्च 2020 से जून 2020 तक अन्य जिलों को प्रेषित किये गये चावल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। बालाघाट जिले में जॉच हेतु 436 सेम्पल लिये गये थे जिसमें 180 सेम्पल Beyond PFA पाये गये। जांच हेतु लिये गये सेम्पल में 41128 मे.टन चावल अमानक पाया गया। प्रश्नांश (क) अनुसार बालाघाट जिले के 04 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया जाकर विभागीय जॉच प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त EOW द्वारा मिल मालिकों, वेयर हाउस प्रबंधक, गुणवत्ता निरीक्षकों एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मण्डला एवं अन्य के विरूद्ध प्रारंभिक जॉच कर प्रकरण क्रमांक 18/20 दिनांक 04.09.2020 को दर्ज किया गया है। **(ग)** बालाघाट जिले में माह मई 2019 में पोल्ट्री ग्रेड का चावल रिजेक्ट नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

थोक केरोसीन डीलरों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

60. अता.प्र.सं. 66 (क्र. 2456) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छिंदवाड़ा जिले के तीन थोक केरोसिन डीलरों (1. इंडियन ट्रेडर्स परासिया, 2. फ्रेन्डस् पेट्रालियम सौंसर, 3. मिनी ऑईल को. अमरवाड़ा) को वर्ष 1998-2002 के मध्य शासन की केरोसिन भावांतर योजना से बहुत अधिक नुकसान हुआ था? जिसकी भरपाई करने का शासन ने वायदा भी किया था? शासन ने थोक केरोसिन डीलरों का ऑडिट भी वर्ष 2005-06 में कराया था? **(ख)** छिंदवाड़ा जिले के तीनों थोक केरोसिन डीलरों ने जिन्होंने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर नहीं किया है और विगत 18 वर्षों से क्षतिपूर्ति की राशि पाने हेतु अनेकों आवेदन पत्र शासन/विभाग में दे चुके है, जिसका प्रकरण खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिवालय में निर्णय हेतु अभी तक लम्बित है? प्रकरण में अभी तक निर्णय नहीं होने का क्या कारण है? **(ग)** छिंदवाड़ा जिले के उपरोक्त तीनों थोक केरोसिन डीलरों के आवेदन पत्रों/प्रकरण पर शासन/विभाग द्वारा कब तक आवश्यक कार्यवाही कर निर्णय लेकर, थोक डीलरों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान कर दी जायेगी? समय-सीमा निर्धारित कर, अवगत करायें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 830/खा.ले./2004 छिंदवाड़ा दिनांक 02.07.2004 द्वारा संचालक, खाद्य को जिले के थोक विक्रेताओं को राउंडअप राशि की गणना के समय उन्हें आर्थिक नुकसान होने

का उल्लेख करते हुए तथा महालेखाकार के लेखापरीक्षण दल द्वारा उक्त डीलरों को राशि भुगतान करने हेतु प्रतिवेदित करते हुए आयुक्त सह-संचालक खाद्य को पत्र भेजा गया था एवं तत्समय राउंडअप राशि के अंतर्गत जिले अथवा संचालनालय के राउंडअप राशि से भुगतान करने हेतु अनुमति मांगी थी। **(ख)** महालेखाकार के वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26/09/2002 को जिला कलेक्टर को ऑडिट नोट प्रस्तुत कर जवाब चाहा गया था जिसमें होल सेलरों द्वारा राज्य शासन से प्राप्त की जाने वाली राशि का भी उल्लेख है। प्रश्नांकित अवधि में ऑडिट कराने एवं राउंडअप राशि की अंतिम ऑडिट प्रति हेतु महालोखाकार कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जायेगी। **(ग)** जिले के 05 थोक विक्रेताओं में से 01 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रकरण दायर किया गया है जिसमें अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं हुआ है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश पारित होने के उपरांत जिले के 05 थोक विक्रेताओं के भुगतान के संबंध में समान रूप से निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि केरोसीन की राउंडअप जमा कराई गई राशि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक CA 3249 & 3250/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20/04/2004 के पालन में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को राशि वापिस की गई है। प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत की जाने वाली खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

61. अता.प्र.सं. 76 (क्र. 2644) श्री आरिफ अक़ील : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का आंशिक भुगतान नहीं मिल पा रहा है? **(ख)** यदि हां तो 31 जनवरी 2021 तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का भुगतान नहीं मिला है। **(ग)** केन्द्र सरकार द्वारा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत की जाने वाली खरीदी के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उपार्जन का समस्त कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृत खाद्यान्न साख सीमा से राशि आहरित कर किया जाता है। उपार्जित मात्रा में अतिशेष मात्रा (अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के पश्चात बची मात्रा) का परिदान भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरित खाद्यान्न की त्रैमासिक विक्रय के आधार पर दावे प्रस्तुति उपरांत अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/भुगतान की जाती है। **(ख)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत दिनांक 31.01.2021 तक केन्द्र सरकार द्वारा 8781.58 करोड़ के भुगतान किए जाने हेतु दावे लंबित है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा अनुदान राशियों की स्वीकृति आवंटित बजट की उपलब्धता अनुसार की जाती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

62. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 2725) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विषयांकित योजना हेतु पात्र परिवारों को 5 किलो अनाज (चावल या गेहूं) तथा 1 किलो दाल देने के प्रावधान थे? क्या जबलपुर संभाग में निर्धारित मात्रा से कम अनाज तथा दाले वितरित की गई। संभाग अन्तर्गत आने वाले जिले अनुसार कम आपूर्ति किए गए चावल, गेहूं तथा दालों की मात्रा जिले अनुसार दें? क्या दालें खराब पाई जाने पर दाल मिलर्स पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? खराब दाल सप्लाई करने वाले मिलर्स के नाम बताएं? **(ख)** चावल, गेहूं तथा दालों की आपूर्ति कम करने के लिए म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम के दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई तथा यह कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। विषयांकित योजना अंतर्गत PMGKAY-I के अंतर्गत 05 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं 01 किलोग्राम प्रति परिवार दाल के वितरण करने के निर्देश थे। PMGKAY-II के अंतर्गत केवल 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य वितरित करने के निर्देश हैं। जबलपुर संभाग के जिला जबलपुर एवं बालाघाट में नेफेड से दाल विलम्ब से प्राप्त होने से निर्धारित मात्रा से कम दालें वितरित हुई। संभाग अंतर्गत आने वाले जबलपुर एवं बालाघाट में आपूर्ति किए गए चावल एवं दालों की मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जिला बालाघाट में 522.75 क्विंटल अमानक स्तर की तुअर दाल नेफेड के मिलर्स से प्राप्त हुई थी, जिसका वितरण उपभोक्ताओं को नहीं कराया गया। चूंकि दालें नेफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई इसलिए मिलर्स पर राज्य शासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। **(ख)** दालों की आपूर्ति कम करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज का कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं। गेहूं एवं चावल की आपूर्ति के संबंध में जांच कराई जाकर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

<u>परिशिष्ट- "नौ"</u>

बालाघाट जिले में उपार्जन केन्द्रों में गड़बड़ी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

63. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 2726) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उपार्जन में गड़बड़ी को रोकने हेतु कोई सख्त कानून न होने के कारण इसके लिए दोषियों पर कार्यवाही करने में परेशानी होती हैं? क्या शासन उपार्जन नियंत्रण हेतु कोई सख्त कानून बनाने पर विचार करेगा? **(ख)** विषयांकित जिले में वर्ष 2020-21 में किन-किन उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता पाई गई? क्या कोई एफ.आई.आर. की गई? क्या प्रबंधकों तथा प्रशासकों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या विभाग द्वारा बालाघाट जिले में मनरेगा से बने केप की गुणवत्ता की जांच कराई गई? यदि हॉ तो जांच एजेंसी का नाम बताएं यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या 0.5% से अधिक अंतर वाले

उपार्जन केन्द्रों के स्थान पर जिन्हें उपार्जन का कार्य दिया गया है न तो वे स्व-सहायता समूह है ना ही खाद्य उत्पादक संगठन इस संबंध में विस्तृत जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न के उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन की अनिवार्यता है, जिसमें कृषक के आधार नंबर, गिरदावरी से फसल एवं रकबे की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा बड़े रकबे वाले सिकमी बटाईदार कृषकों की भूमि एवं फसल का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले से कराया जाता है। उपार्जन के पूर्व खाद्यान्न की जांच उपार्जन केन्द्र एवं गोदाम स्तर पर सर्वेयर द्वारा की जाती है। खाद्यान्न उपार्जन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर भा.द.वि. की धारा के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है। साथ ही, घटती एवं गबन के मामलों में संबंधितों से राशि वसूली की कार्यवाही भी की जाती है। विभाग द्वारा उपार्जन कार्य को विनियमित करने हेतु कानून बनाने पर भी कार्यवाही प्रचलित है। **(ख)** जिले में वर्ष 2020-21 में तहसील लालबर्रा अंतर्गत उपार्जन केन्द्र बड़गांव, गारापुरी एवं खमरिया में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण निर्मित किए गए है। उपार्जन केन्द्र बड़गांव अंतर्गत संबंधित समिति प्रबंधक केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। उक्त कर्मचारियों में से प्रबंधक केन्द्र प्रभारी को निलंबित तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त की गयी है एवं खमरिया समिति के प्रबंधक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है तथा केन्द्र गारापुरी का प्रकरण प्रचलन में है। **(ग)** जिले में मनरेगा के तहत बने केप की गुणवत्ता की जांच निर्माणकर्ता एजेंसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गई है। **(घ)** जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु निर्धारित केन्द्र का संचालन के लिए 0.5 प्रतिशत से अधिक अंतर वाली सहकारी संस्थाओं को उपार्जन का कार्य दिया गया है। जिले में महिला स्व-सहायता समूह एवं कृषक उत्पादक संगठन द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं करने के कारण इन्हें उपार्जन का कार्य नहीं दिया गया है।

अभिलेखों में अनाधिकृत लीज अंकित करने पर कार्यवाही
[खनिज साधन]

64. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 2817) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खनिज लीज स्वीकृत होने से लीज धारक को बिना प्रतिकर किसानों एवं निजी व्यक्तियों के खसरे में लीज की प्रविष्टि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे किसानों को ऋण की सुविधा बंद हो जाती है, खरीद बिक्री पर रोक लग जाती है एवं किसान की भूमि पर लीज धारक को अधिकार प्राप्त हो जाता है? शासनादेशों सहित जानकारी देवें। **(ख)** क्या रैगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रेवती सीमेंट को ग्राम शिवपुरवा में 292.979, टिकुरीकला में 48.803, टिकुरी कोठार में 50.561, उमरी में 181.007 एवं भरजुनाकला में 192.870 हे. भूमि लीज में आवंटित की गई है, इनमें से किन-किन खसरे नम्बर की कितनी आराजियों पर बिना प्रतिकर भुगतान किये खसरा खतौनी में 'लीज' किसके आदेश से अंकित की गई है? कब-कब कितना-कितना प्रतिकर लीजधारकों द्वारा लीज प्रदान

करने से प्रश्न दिनांक तक भुगतान किया गया, इसकी जानकारी वर्षवार दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** अनुसार प्रदान लीज का उपयोग नहीं करने एवं शासन राजस्व समय पर नही जमा करने पर कब तक लीजें निरस्त की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त अवैधानिक 'लीज' प्रविष्टि कब तक विलोपित कर दी जायेगी? समय-सीमा बतायें। साथ ही उक्त के लिये दोषियों पर क्या और कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो कारण बतावें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** लीज धारक को खसरे में लीज प्रविष्टि का कोई अधिकार नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। लीज प्रविष्टि प्रथम दृष्टया अवैधानिक नहीं है। प्रतिकर की जानकारी निरंक है। **(ग)** खनिपट्टा की शर्तों के उल्लंघन पर लीज निरस्त किया जाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** लीज प्रविष्टि प्रथम दृष्टया अवैधानिक नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषकों द्वारा विक्रय की गई धान का भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

65. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 2824) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी गई है जिसका भुगतान कृषकों को किया जाना शेष है? **(ख)** यदि हाँ, तो कितने कृषकों को कितने क्विंटल धान की कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? **(ग)** वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषकों द्वारा बेची गई धान का भुगतान प्रश्न दिनांक तक न होने का क्या कारण रहा है? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या संबंधित के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नही तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। FAQ गुणवत्ता का धान विक्रय करने वाले कोई किसान भुगतान से शेष नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** सिवनी विधानसभा क्षेत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता नंबर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड होने से भुगतान विफल होने तथा समय पर परिवहन न होने के कारण कुछ किसानों को भुगतान में विलंब हुआ है। परिवहन में विलंब के कारण रूपए 37 लाख परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राजसात की गई है।

पात्र हितग्राहियों को बगैर सर्वे के अपात्र घोषित करना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

66. अता.प्र.सं. 95 (क्र. 2825) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिवनी जिले में 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने बी.पी.एल. के राशन कार्ड के आवेदन प्राप्त हुये? तहसीलवार सूची सहित देवें। **(ख)** बी.पी.एल. राशन कार्ड हेतु कुल प्राप्त आवेदनों में कुल कितने आवेदन पात्र हुये और कितने अपात्र पाये गये हैं? अपात्रता का क्या कारण है? वार्डवार एवं गांववार विवरण देवें। **(ग)** क्या बी.पी.एल. कार्ड हेतु दिये गये आवेदन की जॉच फील्ड पर जाकर नहीं करते हुये ऑफिस में बैठक कर अपात्र घोषित कर दिया जाता है? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो पात्रता रखने वाले आवेदनकर्ताओं के भी आवेदन क्यों अपात्र घोषित किये जा रहे हैं? **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) अवधि के दौरान अनेक अपात्र व्यक्तियों के बी.पी.एल. राशन कार्ड बना दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो उक्त अवधि के प्राप्त आवेदन पत्रों, जॉचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का प्रतिवेदन सहित तहसीलवार, वर्षवार उपलब्ध करावें। **(ड.)** बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करने संबंधी शासन स्तर से जारी आदेश/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** बी.पी.एल. राशनकार्ड हेतु कुल 6211 प्राप्त आवेदनों में से 1670 आवेदन पत्र सर्वे के मापदंडों के आधार पर पात्र पाए गये एवं 4511 आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में न होने से निरस्त किए गये। **(ग)** जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

रियायती दरों पर कैरोसिन का वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

67. परि.अता.प्र.सं. 94 (क्र. 2831) श्री राकेश गिरि : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासन द्वारा थोक डीलर/सेमी होल सेल डीलर को रियायती दरों पर कैरोसिन उपलब्ध कराया जाता है? यदि हाँ तो टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2017-18 से 2019-20 में कितना-कितना कैरोसिन कौन-कौन से डीलर को दिया गया? सूची दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त कैरोसिन, डीलरों द्वारा क्या वितरण हेतु समितियों को दिया जाता है? यदि हाँ तो किस-किस समिति को कब-कब और कितना-कितना कैरोसिन दिया गया? ब्यौरा उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त कैरोसिन, डीलरों द्वारा शत-प्रतिशत मात्रा में समितियों को दिया गया है? यदि हाँ तो ब्यौरा उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या स्टॉक पंजी और वितरण पंजी का सत्यापन किया जाता है? यदि हाँ तो सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम और माहवार किये गये सत्यापन का विवरण

उपलब्ध करायें। यदि सत्यापन नही किया गया तो, इसके लिये कौन दोषी है? दोषी पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो, कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार** है। **(ख)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** हां। जानकारी प्रश्नांश (ख) के उत्तर में समाहित है। एक स्थान पर डीलर द्वारा केरोसीन शत-प्रतिशत मात्रा में नहीं दिये जाने का तथ्य प्रकाश में आने पर संबंधित डीलर पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। **(घ)** जी हां। प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राशन कार्ड वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

68. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 2838) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितने गरीबी एवं अतिगरीबी के राशन कार्ड जारी हुए हैं? वार्डवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** उन हितग्राहियों के राशन का क्या किया जाता है जो वितरित नही होता है एवं जो राशन नहीं लेते हैं? क्या उन कार्डधारकों की पात्रता/अपात्रता की सत्यता की जांच हुई है? यदि हां, क्या कार्यवाही हुई है? यदि नही, तो कब तक होगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित जिले के प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में 27789 बी.पी.एल. परिवार एवं 2884 अंत्योदय परिवारों के राशनकार्ड जारी हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5886 बी.पी.एल. परिवार एवं 1456 अंत्योदय परिवारों के राशन कार्ड जारी हैं। वार्डवार एवं पंचायतवार सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रतिमाह सभी दुकानों की अवितरित राशन सामग्री का समायोजन करके आगामी माह का आवंटन जारी किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित परिवारों की पात्रता का सत्यापन जिले में स्थानीय निकाय के अमले द्वारा किया जाता है। अक्टूबर, 2019 से प्रश्न दिनांक तक सतना विधानसभा अंतर्गत नगर निगम सतना में 2742 एवं जनपद सोहावल में 577 परिवार कुल 3319 परिवारों को पोर्टल से विलोपित किया गया है।

<u>परिशिष्ट- "दस"</u>

खाद्यान्न वितरण की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

69. अता.प्र.सं. 100 (क्र. 2845) श्री संजय उइके : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत खाद्यान्न (राशन) वितरण किया गया है? **(ख)** यदि हां तो बालाघाट जिले में योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक वितरण केन्द्रवार पात्र व्यक्ति/परिवार/हितग्राही की संख्या, पात्र संख्यानुसार कितना-कितना खाद्यान्न

चाहिये था, कितना-कितना प्राप्त हुआ? कितना-कितना वितरित कब-कब किया गया? योजना हेतु शासन द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या योजनानुसार खाद्यान्न विवरण में कमी की गई? **(घ)** यदि हां तो किस-किस अधिकारी के आदेश द्वारा कमी की गई? कमी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। **(ख)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत प्रति सदस्य 05 किलो ग्राम खाद्यान्न का वितरण किया गया है। योजनांतर्गत माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक प्राप्त राशन सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। केन्द्रवार प्रदाय राशन सामग्री के वितरण एवं वितरित सामग्री के पात्र परिवारों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। योजना हेतु जारी किए गए आदेश/निर्देश की छायाप्रति की **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। योजनांतर्गत खाद्यान्न वितरण में कमी नहीं की गई है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केरोसिन विक्रेता डीलरों को लंबित केरोसिन भावांतर राशि का भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

70. अता.प्र.सं. 102 (क्र. 2853) श्री सुनील उईके : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सन् 1998-2002 के मध्य शासन की केरोसिन भावांतर योजना से छिंदवाड़ा जिले के तीन थोक केरोसिन डीलरों को नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई करने का शासन ने वायदा भी किया था? **(ख)** क्या शासन ने थोक केरोसिन डीलरों का ऑडिट भी 2005-06 में कराया था? **(ग)** तीन थोक केरोसिन डीलरों ने जिन्होंने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय में केस दायर नहीं किया है, विगत अठारह वर्षों से क्षतिपूर्ति की राशि पाने हेतु अनेक आवेदन दे चुके थे, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिवालय में निर्णय हेतु अभी तक लंबित हैं? **(घ)** इन तीन डीलरों को शासन कब तक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कर देने की कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 830/खा.ले./2004 छिंदवाड़ा दिनांक 02.07.2004 द्वारा संचालक, खाद्य को जिले के थोक विक्रेताओं को राउंडअप राशि की गणना के समय उन्हें आर्थिक नुकसान होने का उल्लेख करते हुए तथा महालेखाकार के लेखापरीक्षण दल द्वारा उक्त डीलरों को राशि भुगतान करने हेतु प्रतिवेदित करते हुए आयुक्त सह-संचालक खाद्य को पत्र भेजा गया था एवं तत्समय राउंडअप राशि के अंतर्गत जिले अथवा संचालनालय के राउंडअप राशि से भुगतान करने हेतु अनुमति मांगी थी। **(ख)** महालेखाकार के वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26/09/2002 को जिला कलेक्टर को ऑडिट नोट प्रस्तुत कर जवाब चाहा गया था जिसमें होल सेलरों द्वारा राज्य शासन से प्राप्त की जाने वाली राशि का भी उल्लेख है।

प्रश्नांकित अवधि में ऑडिट कराने एवं राउंडअप राशि की अंतिम ऑडिट प्रति हेतु महालेखाकार कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जायेगी। **(ग)** जिले के 05 थोक विक्रेताओं में से 01 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रकरण दायर किया गया है जिसमें अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं हुआ है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश पारित होने के उपरांत जिले के 05 थोक विक्रेताओं के भुगतान के संबंध में समान रूप से निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि केरोसीन की राउंडअप जमा कराई गई राशि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक CA 3249 & 3250/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20/04/2004 के पालन में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को राशि वापिस की गई है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार।

पात्रता पर्ची का प्रदाय
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

71. अता.प्र.सं. 105 (क्र. 2863) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रदेश के कितने परिवारों की पात्रता-पर्ची जारी की गई हैं एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रति परिवार/सदस्य को किस मान से खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** 1 जनवरी 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने पात्र परिवारों की पात्रता-पर्ची विलोपित की गई? अथवा पोर्टल की तकनीकी कारण से पात्रता-पर्ची डिलीट की गई है? उनकी अपात्रता का कारण सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें एवं पात्र हितग्राहियों को अपात्र करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई? तो कब-तक की जावेगी? **(ग)** विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कोविड-19 अर्थात् कोरोनाकाल में राज्य के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रति व्यक्ति किस मान से शासन द्वारा कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया? खाद्यान्न वितरित करने के क्या निर्देश/नियम थे? छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं शासन की मंशानुरूप उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कितना राशन वितरित किया गया? कितने परिवारों का राशन वितरित होना शेष है? माहवार विकासखण्डशः दुकानवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी के अनुसूचित जाति/जनजाति सभी परिवारों की पात्रता-पर्ची जनरेट हो गई है? यदि हां, तो कितनी? संख्या बतावें। यदि नहीं, तो कब-तक कर दी जावेगी? सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवारों को अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की पात्रता पर्ची जनरेट की गई? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? शुगनबाई पत्नी भारतसिंह भील, निवासी ग्राम फतेहगढ़ विकासखण्ड लटेरी की पात्रता पर्ची कब-तक जनरेट कर प्रदाय कर दी जावेगी? **(ङ)** अंत्योदय (एएवाय) कार्डधारियों की पात्रता-पर्ची बी.पी.एल. श्रेणी में जनरेट की गई हैं? यदि हां, तो क्यों एवं सुधार उपरांत कब-तक अंत्योदय श्रेणी की पात्रता-पर्ची जारी की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित अवधि तक मध्यप्रदेश के 905122 नवीन वैध पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्रता पर्ची पर प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य तथा AAY श्रेणी के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, प्रतिमाह खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है, प्रति पात्र परिवार प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में किसी भी वैध पात्र परिवार की पात्रता पर्ची विलोपित नहीं की गई और न ही तकनीकी कारण से पात्रता पर्ची डिलीट की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** विदिशा जिले के विकासखंड सिरोंज एवं लटेरी में कोविड-19 अर्थात कोरोनाकाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अप्रैल, मई और जून माह में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल एवं माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टबूर में 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल तथा माह नवम्बर में 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के मान से प्रदाय किया गया। खाद्यान्न वितरित करने संबंधी नियम/निर्देश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। उचित मूल्य दुकानों द्वारा वितरित राशन एवं शेष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी हां, विकासखण्ड सिरोंज में कुल 3078 एवं विकासखंड लटेरी में 2429 अनुसूचित जाति/जनजाति के वैध पात्र आवेदक परिवारों की पात्रता-पर्ची जारी कर वितरित की गई है। लटेरी अंतर्गत किसी भी सामान्य/पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति/जनजाति की पर्ची जारी नहीं की गई है। जनपद पंचायत सिरोंज अंतर्गत IP Address 182.70.165.237 से जिला आपूर्ति अधिकारी, विदिशा के लॉगिन का दुरूपयोग कर सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के 1-1 परिवार को अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत पात्रता पर्ची जारी होने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें श्री मुश्ताक खां परिवार आई.डी. क्र. 28539694 सामान्य वर्ग से है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत किसी भी श्रेणी में पात्रता नहीं रखते हैं, मुश्ताक खां परिवार आई.डी. क्रमांक 28539694 अपात्र परिवार के विलोपन की कार्यवाही कर दी गई है। श्री घस्सु खां परिवार आई क्र. 28549574 अन्य पिछड़ा वर्ग से है और उनके पुत्र सलमान खान का कर्मकार मण्डल में पंजीयन होने से इनका परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में पात्रता रखता है। इनके श्रेणी परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त दोनों प्रकरणों की जांच कराई जा रही है। शगुन वाई पत्नी भारत सिंह भील फतेहगढ़ की परिवार समग्र आई.डी. 24176720 है इस आई.डी. पर 7 सदस्यों की पात्रता पर्ची पूर्व से ही जारी है। इसमें शगुन वाई का नाम जोड़ने हेतु जिले द्वारा माह फरवरी 2021 में एम-राशन मित्र पोर्टल पर कार्यवाही की गई है। डाटा के परीक्षणोपरांत आगामी मासिक आवंटन के समय उक्त परिवार की संशोधित पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। **(ड.)** भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु अंत्योदय (एएवाय) कार्डधारियों की अधिकतम संख्या 15.82 लाख निर्धारित है, उक्त सीमा पूर्ण हो जाने के कारण अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता परिवार (बी.पी.एल. श्रेणी) अंतर्गत पात्रता-पर्ची जारी की जा रही थी। पूर्व से सम्मिलित अंत्योदय अन्न योजना के

परिवारों के सत्यापन उपरांत विवाह हो जाने से परिवार से पृथक हुई महिला सदस्य/मृत्यु/ दोहरे होने आदि के कारण से अपात्र हुए परिवारों को अस्थाई रूप से पृथक कर अंत्योदय परिवार श्रेणी अंतर्गत पात्रता पर्ची जारी करने की सुविधा दी गई है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान की खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

72. अता.प्र.सं. 107 (क्र. 2871) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले अंतर्गत विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं धान खरीदी परिवहन कब-कब, कहां-कहां किन-किन परिवहनकर्ताओं से परिवहन कराया गया? निर्धारित रूट चार्ट, समय सीमा, परिवहन निगरानी एवं भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम/पद नाम सहित बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में किन-किन परिवहनकर्ताओं से परिवहन विलंब एवं माल घटती को लेकर कितनी-कितनी राशि का कटौत्रा कब-कब किया गया? **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या परिवहनकर्ता एवं सक्षम अधिकारी की मिलीभगत से परिवहन विलंब एवं माल घटती का कटोत्रा न कर शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है? यदि हां तो इसमें कौन दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक राजगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जिले में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन निरंक है। उपार्जित गेहूं के दिनांकवार परिवहन मात्रा, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। उपार्जन, परिवहन एवं भंडारण का कार्य की निगरानी एवं भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी श्री बृजमोहन गुप्ता जिला प्रबंधक वर्ष 2017-18 से 2019-2020 दिनांक 21.07.2019 तक पदस्थ थे तथा श्री शरद कुमार अग्रवाल जिला प्रबंधक दिनांक 22.07.2019 से 24.07.2020 तक पदस्थ थे। उपार्जित गेहूं के परिवहन हेतु निर्धारित तय रूट चार्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि में उपार्जित गेहूं के परिवहन में विलंब एवं घटती राशि की कटौत्रा की परिवहनकर्तावार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, जिले में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासियों की गैर आदिवासी को विक्रय की गई जमीन
[राजस्व]

73. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 2889) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर तथा उज्जैन संभाग में वर्ष 2005 से 2019 तक में आदिवासियों की कुल कितनी जमीन की धारा 165 (6) के तहत गैर आदिवासी को विक्रय की गई? कुल प्रकरण की संख्या कितनी है तथा बतावें कि उक्त जमीन में से किसका डायवर्सन किस दिनांक को हुआ?

(ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में से कितने प्रकरण जांच के दायरे में आये? उनके क्रेता, विक्रेता का नाम, जमीन का गांव, रकबा, खसरा तथा जांच के बिन्दु सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में जांच में अनियमितता नहीं पाई गई? उनकी सूची देवें तथा जिनमें अनियमितता पाई गई उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जो कलेक्टर अथवा ए.डी.एम. द्वारा निरस्त कर दिये गए तथा उन प्रकरणों को संभागायुक्त ने स्वीकृति प्रदान कर दी? क्या धारा 165 (6) के प्रकरणों को स्वीकृत करने का संभागायुक्त को अधिकार है? यदि हां तो उसकी प्रति देवें।

राजस्व मंत्री : [**(क)** जानकारी निम्नानुसार है:-

जिले का नाम	**विक्रय भूमि का कुल रकबा**	**प्रकरण संख्या**	**डायवर्सन**
उज्जैन	179.171 हे.	165	2 प्रकरणों में डायवर्सन हुआ (1) रितेष पिता रमणलाल निवासी खाचरौद का प्रक.क्र. 4/अ-2/2016-2017 दिनांक 27/1/2017 को एवं (2) दशरथ पिता केशराम धाकड निवासी खाचरौद के ग्राम बेडावन्या की भूमि प्र.क्र. 88/अ-2/2019-20 आदेश दिनांक 22/07/2020 को भूमि परिवर्तन हुआ है।
रतलाम	305.268 हे.	373	4 प्रकरणों में डायवर्सन हुआ जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है।
नीमच	278.172 हे.	329	उक्त भूमि में से ग्राम जावी स्थित भूमि जिसका पुराना सर्वे नं. 765 व नया सर्वे नं. 1674 कुल रकबा 0.418 हे. को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड नीमच द्वारा प्र.क्र. 45/अ-2/2006-07 आदेश दिनांक 07.04.2007 से डायवर्सन किया गया।
मंदसौर	82.168 हे.	107	उक्त भूमि के 107 प्रकरणों में से एक प्रकरण ग्राम मोल्याखेडी में सर्वे नं. 423/2 रकबा 0.110 का अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ के प्रकरण क्रमांक 83/अ- 2/14-15 में आदेश दिनांक 05.01.2015 से 1100 वर्ग मीटर भूमि का व्यावसायिक डायवर्सन किया गया है।
शाजापुर	67.222 हे.	91	0
आगर मालवा	15.612 हे.	14	0
इंदौर	निरंक	निरंक	निरंक
देवास	141.99 हे.	97	उक्त भूमि में से अनुभाग देवास के ग्राम अनवटपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **154** रकबा **0.255** हेक्टर एवं सर्वे

			क्रमांक **142/1** रकबा **0.713** हेक्टर का डायवर्सन दिनांक **28-12-2011** एवं सर्वे क्रमांक **139** रकबा **2.165** हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक **141/3, 141/4** रकबा **1.139** हेक्टर का कुल रकबा **3.304** हे. का डायवर्सन दिनांक **29-08-2014,** ग्राम कालुखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **283** रकबा **0.162** हेक्टर का डायवर्सन दिनांक **30-06-2013,** ग्राम सुकल्या क्षिप्रा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **31** रकबा **0.713** हेक्टर का डायवर्सन दिनांक **26-11-2014** एवं अनुभाग कन्नौद के ग्राम सतवास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **421/6** रकबा **0.006** हेक्टर का डायवर्सन दिनांक **14-01-2011** को हुआ। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -दो अनुसार** है**।**
धार	148.415 हे	166	इसमें से ग्राम रिटोडा तहसील बदनावर की भूमि खसरा क्रमांक 142/1/2 क्षेत्रफल 0.012 हेक्टेयर का आवासीय प्रयोजन में दिनांक 04-07-2005 को डायवर्सन हुआ है।
झाबुआ	निरंक	निरंक	निरंक
खण्डवा	282.361 हे0	164	19 (**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।)
खरगोन	14.277 हे0	12	6 (**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है। **)**
अलीराजपुर	निरंक	निरंक	निरंक
बडवानी	निरंक	निरंक	निरंक
बुरहानपुर	196.408 हे0	66	0

(ख) इंदौर एवं उज्जैन संभाग से संबंधित जिलों से जानकारी निरंक है। आयुक्त इन्दौर संभाग की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** इंदौर एवं उज्जैन संभाग से संबंधित जिलों से जानकारी निरंक है। आयुक्त उज्जैन कलेक्टर अथवा ए.डी.एम. द्वारा निरस्त कर दिये गये प्रकरणों में वर्ष 2005 से वर्ष 2019 तक दायरा पंजी अनुसार न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा 04 प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई एवं न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा 111 प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 115 प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है। धारा 165 (6) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संभागायुक्त न्यायालय में म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील प्रकरणों का न्यायालीन प्रक्रिया के तहत गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निराकरण किया जाता है। नियम की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार** है। यदि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी को

स्वीकार ना हो तो सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा सकती है।] प्रश्नांश (ख) आयुक्त इदौर संभाग की शेष जानकारी निरंक है।

शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों पर कार्यवाही

[राजस्व]

74. अता.प्र.सं. 114 (क्र. 2895) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर, उज्जैन संभागों में 1 जनवरी 2017 के पश्चात किस-किस विभाग के अधिकारियों ने विभाग की शासकीय भूमियों पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे हटाने की शिकायत जिला एवं प्रदेश स्तर पर की? कब्जाधारियों के नाम, विभाग का नाम, कब्जा की गयी भूमि का क्षेत्रफल सहित समस्त जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित भूमियों में से उक्त अवधि में कहाँ-कहाँ भूमियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया? कितनी भूमि आज भी कब्जेधारियों के संरक्षण में है? कितनी भूमियों के प्रकरण मा.न्यायालय के पास लंबित हैं? उक्त अवधि में कितनों का निर्णय शासन के पक्ष में आया? समस्त जानकारी देवें। **(ग)** प्रदेश में उक्त अवधि में ऐसे कितने प्रकरण सामने आये जिनमें अन्य विभागों की भूमियों पर स्थानीय निकायों एवं भूमाफिया ने दुकानें, शापिंग माल अन्य कार्य भूमि सम्बन्धित विभाग के संज्ञान में लाये बिना कर दिए? उक्त अवधि में प्रदेश में ऐसे प्रकरणों कर क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** विभाग से विभाग भूमि हस्तांतरित करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये। क्या जिला कलेक्टर को अन्य विभाग की भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार है? यदि हां तो किस नियम के तहत? इंदौर-उज्जैन संभाग में ऐसी कितनी भूमियां हैं जो किसी प्रायोजन के लिए लीज रेंट पर दी गयी थी किन्तु अब वहाँ अन्य व्यावसायिक प्रयोजन शोरूम, रिसोर्ट, दुकानें लीज वाले व्यवसायी ने खोल दी? यह किस तरह से वैधानिक है?

राजस्व मंत्री : [**(क)** इंदौर संभाग के धार जिले में अनुभाग बदनावर अंतर्गत मौजा पटवारी ग्राम खेडा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया की श्री चन्द्रभानसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बदनावर द्वारा शासकीय भूमि सर्वे नंबर 573 एवं 571 कुल रकबा 0.447 हैक्टेयर मद नजूल पर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर से तहसीलदार, बदनावर द्वारा दिसम्बर 2019 में ग्राम बदनावर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 573 एवं 571 कुल रकबा 0.447 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किये जाने की तथा क्षेत्रफल 10 हजार वर्गफीट पर एक पक्का दो मंजिला भवन, एक स्वीमिंग पूल एवं शेष खुली भूमि पर मैरिज गार्डन संचालित करने पर प्रकरण क्रमांक 11/अ-68/2019-20 पर दर्ज किया गया। **उज्जैन संभाग** की जानकारी निरंक है। **(ख)** इंदौर संभाग के धार जिले में प्रश्नांश (क) के उत्तर में संदर्भित शासकीय भूमि ग्राम बदनावर खसरा क्रमांक 573 एवं 571 कुल रकबा 0.447 हैक्टेयर अतिक्रमण से तथा क्षेत्रफल 10 हजार वर्गफिट पर निर्मित संरचना मेरीज गार्डन एवं खुली भूमि को अवैध कब्जेदार से मुक्त कराई गई। उक्त भूमि में से कोई वर्तमान में कब्जेदार के संरक्षण में नहीं है। माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित नहीं है। प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष में

उज्जैन संभाग की जानकारी निरंक है। **(ग)** इंदौर संभाग के झाबुआ जिले की तहसील थांदला में कस्बा थांदला पटवारी हल्का नं. 33 स्थित राजस्व भूमि पर स्थानीय निकाय नगर परिषद थांदला द्वारा कुल 29 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। तहसील न्ययालय थांदला के प्रकरण क्रमांक 0029/बी-121/2020-21 के तहत प्रकरण दर्ज कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। उज्जैन संभाग की जानकारी निरंक है। **(घ)** विभाग से विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के लिए तथा जिला कलेक्टर को अन्य विभाग की भूमि हस्तांतरित करने के नियम मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अध्याय दो में उल्लेखित है जिसकी कण्डिका 16 एवं कण्डिका 18 के तहत जिला नजूल निवर्तन समिति की स्वीकृति पर किसी विभाग को हस्तांतरण करने की अधिकारिता जिला कलेक्टर को है। प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। इंदौर संभाग के इंदौर जिले में भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन कर व्यवसायिक उपयोग किये जाने के संबंध में जानकारी विस्तृत स्वरूप की है। जिसमें मौके की जांच भी करवानी होगी। उक्त जानकारी संकलित की जारी है। धार जिले में कुल 71 व्यक्तियों/संस्थाओं, विभागों को नजूल भूमि लीज रेंट पर आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षणिक, धार्मिक, कार्यालय इत्यादि प्रयोजन हेतु प्रदान की गई है। खण्डवा जिले में राजस्व प्रकरण क्रमांक 493-7/2 अ-20 (1) वर्ष 1946-47 में म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-370/334/1329 भोपाल दिनांक 16/04/1948 के परिप्रेक्ष्य में निमाड़ एजुकेशन सोसायटी खंडवा को खंडवा शहर में स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नंबर 70 प्लॉट नंबर 17 क्षेत्रफल 218210 वर्गफीट तथा ब्लॉक नंबर 73 प्लॉट नंबर 1 क्षेत्रफल 34834 वर्गफीट भूमि शून्य भू-भाटक पर अनुकूल शर्तों पर 5 वर्ष की अवधि अर्थात 1953 तक की अवधि के लिए लीज पर दी गई थी। न्यायालय कलेक्टर जिला खंडवा के पुनरावलोकन (नजूल) प्रकरण क्रमांक-1अ/20 (1) वर्ष 2017-18 मूल नजूल प्रकरण क्रमांक 290 अ-20/2001-02 में कलेक्टर खंडवा के पारित आदेश दिनांक 05/02/2018 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि क्षेत्रफल 253044 वर्गफीट को शासन में वेष्ठित करने संबंधी प्रस्ताव एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के क्रमांक 65/424/2018 सात/शाखा-3 के परिपालन में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित कर दी गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रिट पिटिशन क्रमांक 26342/2018 दिनांक 07/01/2019 के द्वारा स्थगन आदेश के पालन में यथास्थिति बनी है। उज्जैन संभाग की जानकारी निरंक है।] **(घ)** इंदौर संभाग के अन्तर्गत इंदौर जिले में जो भूमि किसी प्रयोजन के लिये लीज रेंट पर दी गई थी, किन्तु भूमि के आंशिक भाग पर व्यवसायिक प्रयोजन कर दुकानें निर्मित किये जाने के संबंध में, जो प्रकरण संज्ञान में आये हैं, उनकी **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उक्त प्रकरणों में नियमानुसार जांच कर नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 82 उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है।

<u>परिशिष्ट- ''ग्यारह''</u>

गिट्टी खदानों से प्राप्त राजस्व की जानकारी
[खनिज साधन]

75. ता.प्र.सं. 3 (क्र. 2996) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मनावर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितनी खदानों से कितने प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? कितनी खदानें गिट्टी क्रशर वर्तमान में संचालित हो रहे हैं? खदानों, गिट्टी क्रेशर के आवंटन की तिथि, लीज समाप्त होने की तिथि एवं संचालकों के नाम सहित ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के खदानों, गिट्टी क्रेशरों से जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त रायल्टी/राजस्व का वर्षवार ब्यौरा दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के खदानों, गिट्टी क्रेशरों को किन नियमों/शर्तों के तहत किस दिनांक से कितने वर्ष के लिये लीज पर दिया गया, आवंटन किया गया? लीज समाप्त होने की तिथि एवं लीज नवीनीकरण के नियमों/शर्तों की प्रति सहित ब्यौरा दें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) के खदानों, गिट्टी क्रशरों के आवंटन/नीलामी से पूर्व ग्रामसभा की अनुमति ली थी? अनुमति नहीं ली गई तो विधिसम्मत कारण बताएं। किसकी जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ड.)** प्रश्नांश (क) के खदानों, गिट्टी क्रेशरों के प्रदूषण जांच एवं निगरानी किसके द्वारा किस नियम के तहत की है? छमाही या वार्षिक जांच एवं निगरानी के लिये कोई कमेटी का गठन किया जाता है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें? किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना किन खदानों, गिट्टी क्रशरों से जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक किस नियम के तहत वसूला गया? **(च)** प्रश्नांश (क) के खदानों, गिट्टी क्रेशरों में क्या पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (घ), (ट), (ठ) का पालन किया गया? यदि हां तो प्रति सहित उसका ब्यौरा दें। यदि नहीं तो विधिसम्मत कारण बताएं। पंचायत अधिनियम 1996 के उल्लंघनकर्ताओं पर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? **(छ)** प्रश्नांश (क) के खदानों, गिट्टी क्रेशरों के आवंटन/नीलामी में आदिवासी/स्थानीय आदिवासी समितियों के लिये किस दिनांक को किस अधिसूचना के तहत कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया? वर्तमान में क्या प्रावधान प्रचलित हैं?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** मनावर विधानसभा क्षेत्र में चूनापत्थर, पत्थर/गिट्टी एवं रेत खनिज उपलब्ध है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में चूनापत्थर के खनिपट्टों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। क्रशर से गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर के उत्खननपट्टों एवं रेत की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व का वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** में उल्लेखित क्रशर से गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर के उत्खननपट्टे मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों/शर्तों के तहत प्रदान की गई है। ये नियम अधिसूचित हैं। जिसमें लीज नवीनीकरण के प्रावधान भी दर्शित है। शेष जानकारी भी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** नवीन खदानों में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र की खदानें गिट्टी क्रशरों के

प्रदूषण की जाँच समय-समय पर की जाती है। वर्तमान में छमाही या वार्षिक जाँच एवं निगरानी के लिये कोई कमेटी गठित नहीं है। बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियमों के तहत न्यायालयीन कार्यवाही करने व ईकाई को बंद कराने का प्रावधान है। वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी क्रशर से जुर्माना वसूल नहीं किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। **(च)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चूनापत्थर की खदानों अधिनियम में संशोधन दिनांक 12/01/2015 के पूर्व से स्वीकृत है। तत्समय खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत ऐसी स्वीकृति से पूर्व ग्राम सभा/ग्राम पंचायत का अभिमत लिये जाने का प्रावधान नहीं था। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधान अनुसार क्रशर द्वारा पत्थर से गिट्टी बनाने के लिये नये उत्खननपट्टा की स्वीकृति से पूर्व ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त किया गया है। अभिमत की प्रतियां एकत्रित की जा रही है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 में रेत की नवीन खदान घोषित करने से पूर्व अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अभिमत लिये जाने का प्रावधान है। परंतु धार जिले के मनावर में रेत की खदानें पूर्व से स्वीकृत हैं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। नियम/अधिनियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है। **(छ)** मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में गिट्टी क्रशरों के आवंटन/नीलामी में, आदिवासी/स्थानीय आदिवासी समिति के लिये अधिसूचना के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।] **(च)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मुख्य खनिज चूनापत्थर की खदानें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन दिनांक 12/01/2015 के पूर्व से स्वीकृत है। तत्समय उक्त अधिनियम के तहत मुख्य खनिजों की ऐसी स्वीकृति से पूर्व ग्राम सभा/ग्राम पंचायत का अभिमत लिये जाने का प्रावधान नहीं था। प्रश्नांश (घ) में दिये गये उत्तर के प्रकाश में उत्खनिपट्टों के संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिमत की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 में रेत की नवीन खदान घोषित करने से पूर्व अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अभिमत लिये जाने का प्रावधान है। परंतु धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र में रेत खदानें पूर्व से स्वीकृत हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। नियम/अधिनियम अधिसूचित है।

<u>पृथक वितरित संशोधित उत्तर।</u>

शासन के नियम निर्देशों का उल्लंघन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

76. अता.प्र.सं. 132 (क्र. 3030) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला छतरपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के आदेश क्रमांक 141 एवं 142 दिनांक 23/3/2010 को शा.उ.मू. दुकान की स्थिति, स्थान एवं संख्या का परिवर्तन किए जाने के आदेश किए गए थे? उक्त अधिकारी का मूल पद एवं नाम बताएं।

उक्त आदेशों के संबंध में कब किस के द्वारा जांच की गई थी? जांच का विवरण उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या न्यायालय कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/98/अपील/आदेश, दिनांक 8/1/2013 को 7/5/2012 का आदेश निरस्त करते हुए सक्षम समिति को दिया जाना सुनिश्चित करें प्रत्यावर्ती किया गया था? यदि हां तो 7/5/2012 को आदेश किसके द्वारा किया गया था? मूलपद एवं नाम बताएं। क्या दिनांक 7/5/2012 को आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा शासन के नियम का उल्लंघन किया जाना उल्लेखित होता है? **(ग)** यदि हां तो शासन के नियम के अनुसार कार्रवाई न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक कब कहां पर अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे हुए हैं। उक्त अधिकारी द्वारा कब शा.उ.मू. की दुकानों के आदेश संलग्नीकरण एवं आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं? उक्त आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित पत्र क्रमांक 23.03.2010 को नहीं अपितु 26.03.2010 को जारी किया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से उचित मूल्य दुकान की स्थिति में परिवर्तन किया गया था। उक्त अधिकारी का नाम श्री मिलिन्द नागदेवे पद अनुविभागीय अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) है। उक्त आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उक्त आदेश के संबंध में तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, रीवा से कराई गई जांच का प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जी हां। 07.05.2012 का आदेश श्री बी.के. पांडे, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर द्वारा पारित किया गया था। उक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील में उक्त आदेश अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, छतरपुर द्वारा निरस्त किया गया था एवं इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि शासकीय उचित मूल्य दुकान, दरगुंवा, भोजपुरा, सड़वा एवं सूरजपुरा रोड का संचालन जिला थोक भंडार से पृथक कर सक्षम समिति को दिया जाना सुनिश्चित करें। जी हां, विधिक भूल होने से ही अपील में निरस्त किया गया है। भ्रामक एवं प्रावधानों के विपरीत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले सहकारिता विस्तार अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त, सहकारिता को आदेशित किया गया था। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिशिष्ट 'अ' में करायी गयी जांच का परीक्षण एवं परिशिष्ट (ख) के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** जिला छतरपुर में श्री मिलिन्द नागदेवे दिनांक 05.02.2010 से दिनांक 30.01.2011 तक अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के रूप में पदस्थ रहे। उनके द्वारा पत्र क्रमांक 141 एवं क्रमांक 142 दिनांक 26.03.2010 को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त दुकानों के आवंटन अथवा संलग्नीकरण के अन्य आदेश किया जाना अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। श्री बी.के. पांडे, अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर दिनांक 15.07.2011 से 27.08.2012 एवं 15.05.2013 से 02.09.2014 तक अनुभाग बिजावर में पदस्थ रहे हैं। वे जिले में 02.09.2014 से 10.09.2014 तक अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर

पदस्थ रहे। उनके द्वारा दुकानों के संलग्नीकरण एवं दुकानों के आवंटन आदेश की जारी की गई प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** हैं।

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी

[सहकारिता]

77. परि.अता.प्र.सं. 118 (क्र. 3036) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्रमांक 674 दिनांक 29.12.2020 के (ख) उत्तर अनुसार प्रकरण में दिनांक 12.04.19 से अभी तक सुनवाई तिथि नहीं लगी है तो विभाग के अधिकारियों ने इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की है? **(ख)** इस प्रकरण का प्रकरण क्रमांक देकर बतावें कि यह किन शासकीय अधिवक्ता की निगरानी में है? **(ग)** इस संबंध में किए समस्त पत्राचार की छायाप्रति देवें। यदि विभाग के अधिकारियों ने दिनांक 12.4.2019 के बाद संबंधित शासकीय अधिवक्ता को कोई पत्राचार या प्रक्रिया नहीं की है तो इसके लिये शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** से **(ग)** के संबंध में प्रश्नाधीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में विचाराधीन है, पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट- "बारह"</u>

अवैध रेत खनन पर रोक के अदालती आदेश का पालन

[खनिज साधन]

78. परि.अता.प्र.सं. 122 (क्र. 3058) श्री बाला बच्चन : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2012 में मुरैना जिले में अवैध रेत खनन वाले 96 स्थानों सैटेलाइट इमेजरी तैयार कराई गई थी एवं हर तीन माह में इसकी समीक्षा के निर्देश शासन ने दिए थे तब से अब तक कितनी बैठकें हुई? प्रत्येक बैठक का विवरण देवें। **(ख)** क्या कारण है कि लंबे समय से इसकी समीक्षा नहीं हुई? इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही होगी? नियमित समीक्षा कब से प्रारंभ होगी? **(ग)** म.प्र. हाईकोर्ट के आदेश जिसमें चंबल के घाटों पर चौकियां बनाने व मुरैना जिला प्रशासन को अवैध रेत परिवहन के मार्गों को बंद करने का उल्लेख है की छायाप्रति देवें। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही की जानकारी वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) व (ग) अनुसार कब तक म.प्र. हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा एवं कब तक सैटेलाइट इमेजरी से अवैध खनन पर कार्यवाही व रोक लगाई जाएगी?

खनिज साधन मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक

18/11/2013 के पालन में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई:- (1) रेत माफियाओं द्वारा चंबल नदी के विभिन्न मार्गों से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किये जाने वाले मार्गों को गहरी खंती खोदकर बंद कराया गया। (2) अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु वन चौकियां स्थापित की गई है। (3) अवैध रेत उत्खनन/परिवहन में लिप्त माफियाओं की पहचान एवं उन पर निगरानी हेतु वन चौकी ए.बी.रोड में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाये गये हैं। (4) माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग चंबल अभ्यारण्य को गुना से एस.ए.एफ. की 26वीं वाहिनी की 01 कंपनी आवंटित की गई है, जिसके द्वारा समय-समय पर वन विभाग के साथ रहकर सतत् गश्ती एवं जप्ती की कार्यवाही की जाती है। (5) माननीय न्यायायल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सड़क से घाटों के लिये पहुंच मार्ग पर समय-समय पर वाहन अवरोधक लगाकर अवैध रेत परिवहन पर रोकथाम की जाती है। (6) माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग एवं एस.ए.एफ. द्वारा समय-समय पर नदी मार्ग द्वारा मोटर बोट से सतत् पेट्रोलिंग की जाकर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोकथाम की जा रही है। (7) अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में जप्त वाहन के साथ गिरफ्तार आरोपियों या फरार आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया जाता है तथा वाहन के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही की जाती है। (8) माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल 827 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें जप्त वाहन 735 हैं और इनमें से 575 वाहनों को राजसात किया जा चुका है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश अनुसार कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोदामों में रखा अनाज के खराब होने की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

79. परि.अता.प्र.सं. 135 (क्र. 3142) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2018, 2019, 2020 एवं प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के वेयर हाउस गोदामों/एग्रोटेक गोदामों में रखे गये गेहूँ, चावल खराब/सड़ गया था? यदि हां तो कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ और चावल खराब/सड़ गया? उसकी अनुमानित कीमत क्या थी? वर्षवार बतायें। **(ख)** क्या उक्त खराब/सड़े हुये गेहूँ, चावल की नीलामी की गई थी? यदि हां तो किन-किन फर्मों/व्यक्ति/शराब कंपनियों को उक्त खराब अनाज किस-किस दर पर बेचा गया? उससे कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनाज के सड़ने/खराब होने के कारण क्या-क्या थे? **(घ)** क्या गोदामों में रखे गये अनाजों को विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर पानी डालकर खराब किया जाता है, ताकि ओने-पौने दामों पर पशु आहार/मुर्गी दाने के नाम पर शराब माफियों को मोलासिस बनाने हेतु विक्रय किया जा सकें? यदि नहीं तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के स्कंध की DCC नहीं हुई है। अत: प्रदेश के वेअरहाउस गोदामों/एग्रोटेक गोदामों में रखा गया गेहूं, चावल खराब होने/सड़ने आदि के संबंध में जानकारी देना संभव नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश (क) उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'क' उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में कुल राशन की दुकानों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

80. परि.अता.प्र.सं. 139 (क्र. 3154) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्षवार बतावें कि 2014 से 2021 के जून माह में कुल राशन की दुकानें प्रदेश में कितनी थी तथा उनमें हितग्राहियों की संख्या कितनी-कितनी थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उल्लेखित वर्ष के जनवरी माह में कुल कितना-कितना राशन उक्त दुकानों से वितरित किया गया? प्रदेश स्तर पर कैसे निगरानी रखी जाती है कि पात्रता पर्ची में फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं? फर्जीवाड़े पर समूचित कानूनी कार्यवाही हो रही है या नहीं? क्या अपात्र पर्चियों को हटा दिया जाये तो पात्र हितग्राही को मिलने वाली मात्रा में वृद्धि होती है? **(ग)** क्या विभाग के यह संज्ञान में है कि रतलाम में 03 वर्षों तक 45 प्रतिशत अपात्र पर्ची पर 100 करोड़ से अधिक का राशन निकाला गया तथा मात्र 08 दुकानों पर प्रकरण दर्ज किया गया तथा 55 पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया? यदि हां तो क्या यह न्यायोचित है? 100 करोड़ किससे वसूला गया? **(घ)** क्या प्रदेश में राशन माफियाओं का संगठित गिरोह अधिकारियों की सांठ-गांठ से कार्यरत है तथा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जावेगी? कोई कमेटी बनाई जावेगी जिसमें विधायकों को भी शामिल किया जावेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।]**(क)** वर्ष 2014 से 2021 के जून माह में प्रदेश में राशन दुकानों एवं हितग्राहियों की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उल्लेखित वर्ष के जनवरी माह में वितरित राशन की मात्रा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन उपरांत दुकानवार आवंटन एवं वितरण की ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जाती है। उचित मूल्य दुकान पर लगायी गई POS मशीन से पात्र हितहग्राहियों की बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पहचान उपरांत राशन वितरण किया जा रहा है। पात्र परिवारों को जोड़ने हेतु उनके आधार नंबर प्राप्त किये जाते है तथा उचित मूल्य दुकान पर सामग्री के वितरण पश्चात शेष मात्रा समायोजन उपरांत आगामी माह का आवंटन जारी किया जाता है। इस व्यवस्था से अपात्रों के जुड़ने एवं फर्जी खाद्यान्न वितरण की संभावना नगण्य है। विभाग के अमले द्वारा सतत रूप से दुकानों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। NFSA अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह खाद्यान्न वितरण का प्रावधान है, इससे अधिक खाद्यान्न देने का प्रावधान नहीं है। मृत एवं विवाह आदि कारणों से राशन प्राप्त न करने

वाले हितग्राहियों को हटाने एवं नवीन हितग्राहियों को जोड़ने की कार्यवाही सतत रूप से की जाती है। **(ग)** यह सही नहीं है कि 03 वर्षों तक 45 प्रतिशत अपात्र पर्ची पर 100 करोड़ से अधिक का राशन निकाला गया। कलेक्टर रतलाम के आदेश क्रमांक 786 दिनांक 06/04/2017 द्वारा माह अप्रैल 2017 से रतलाम शहर की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच के आदेश दिये गए जिसके तहत डिप्टी कलेक्टर अनिल भाना रतलाम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 08 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर एफ.आई.आर. दिनांक 13.01.2018 को दर्ज कराई गई। इसके उपरांत कलेक्टर रतलाम के अनुरोध पर ऐसे परिवारों को जो राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो रहे थे एन.आई.सी. भोपाल द्वारा हटा दिया गया। रतलाम शहर के हटाए गए परिवारों की संख्या 21202 है। इन परिवारों के सत्यापन की जांच प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध ना होने से वर्तमान में संभव नहीं है। प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने से वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। **(घ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में बाटे गये खाद्यान्न की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

81. परि.अता.प्र.सं. 140 (क्र. 3163) श्री जितू पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014 से 2021 के प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में कंट्रोल की दुकान तथा हितग्राही एवं कूपन की संख्या जिलावार बतावें। **(ख)** क्या वर्ष 2014 से 2017 के मध्य जांच में कई शहरों में हजारों की संख्या में काल्पनिक हितग्राही पाये गये? यदि हां, तो उन शहरों के नाम तथा काल्पनिक हितग्राही की संख्या बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) की अवधि में किस-किस शहर में जांच में घोटाला पाया गया? क्या सभी घोटाले में शामिल दुकान तथा अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया? जिन पर प्रकरण दर्ज किया गया? उनकी सूची तथा जिन पर नहीं किया गया, उनकी सूची प्रदान करें। **(घ)** क्या रतलाम शहर की 63 दुकानों में लगभग 28 हजार काल्पनिक हितग्राही पाये गये, लेकिन मात्र 8 दुकानों पर 10 करोड़ के फर्जीवाड़े का प्रकरण दर्ज किया? शेष 55 दुकानों पर मात्र काल्पनिक हितग्राही हटाये लेकिन 100 करोड़ के संभावित फर्जीवाड़े पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया? यदि हां, तो इसका कारण बतावें। **(ड.)** फर्जीवाड़े पर प्रकरण दर्ज करना आवश्यक है या अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेता है? संबंधित परिपत्र की प्रति देवें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्ष 2014 से 2021 के प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में कंट्रोल की दुकान तथा हितग्राही एवं कूपन की जिलावार संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2014 से 2017 के मध्य जांच में रतलाम शहर में वर्ष 2017 में डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल भाना द्वारा संपादित जांच में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 2846 परिवारों के 18311 हितग्राही काल्पनिक होना पाए गए। प्रदेश के शेष शहरों में काल्पनिक हितग्राही नहीं पाये गये। **(ग)** प्रश्नांश (क) की अवधि में प्रदेश में केवल रतलाम शहर में वर्ष 2017 में डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल भाना द्वारा संपादित जांच में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 08 उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाए जाने

के कारण पुलिस में दिनांक 13.02.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई। उक्त प्रकरण में शामिल सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों एवं संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी जिन पर प्रकरण दर्ज कराया गया, उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल भाना रतलाम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 08 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर एफ.आई.आर. दिनांक 13.01.2018 को दर्ज कराई गई। जिसमें काल्पनिक/फर्जी परिवारों को 9.80 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री का वितरण कर अपयोजन करना पाया गया। इसके उपरांत कलेक्टर रतलाम के अनुरोध पर ऐसे परिवारों को जो राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो रहे थे, एन.आई.सी. भोपाल द्वारा हटा दिया गया, रतलाम शहर की समस्त 63 दुकानों से हटाए गए परिवारों की संख्या 21202 है। 21202 परिवारों को पूर्व में ही एन.आई.सी. भोपाल द्वारा हटाए जाने से शेष 55 दुकानों की जांच नहीं करवाई गई, न ही प्रकरण दर्ज किया गया। **(ड.)** अनियमितताएं पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया जाता है। परिपत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

दिनांक 5 मार्च, 2021

ग्वालियर संभाग के न्यायालयों में स्वीकृत पदों की जानकारी
[विधि और विधायी कार्य]

82. अता.प्र.सं. 11 (क्र. 1143) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर संभाग के जिलों (ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर) में स्थित जिला/तहसील स्तर के न्यायालयों में पदस्थ जिला अभियोजक, अपर जिला अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों, सहायक जिला अभियोजकों एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के स्वीकृत पदों एवं उन पदों पर पदस्थ अभियोजन अधिकारियों की संख्या की जिलावार जानकारी विवरण उपलब्ध कराएँ। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लिखित जिलों में स्वीकृत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालयों, सहायक जिला न्यायाधीश न्यायालयों, सी.जे.एम. न्यायालयों एवं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के न्यायालयों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराएँ?

गृह मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आरक्षित कोटे में नियुक्ति की जांच
[विधि और विधायी कार्य]

83. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 1495) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 2020/21-ब (एक) -774 दिनांक 29.02.2020 के द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय भोपाल की ओर श्री राधेश्याम मडिया तत्कालीन सी.जे.एम. झाबुआ वर्तमान में ए.डी.जे. कटनी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति कोटे का उम्मीदवार-1 सिविल जज की नौकरी प्राप्त की है? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि राधेश्याम मडिया के विरूद्ध तमाम गंभीर शिकायतें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर प्रेषित करने पर श्री मडिया द्वारा दिनांक 13.08.2020 को जिला जज कटनी के माध्यम से ए.डी.जे. की नौकरी से स्वैच्छिक त्यागपत्र प्रस्तुत किया है, तो बतावें कि त्याग पत्र स्वीकार किया जा रहा है अथवा श्री मडिया के विरूद्ध आरोपों की जांच के संबंध में कोई कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित शिकायत में मडिया की जन्म तिथि दिनांक 10.02.1960 को बदलकर दिनांक 10.02.1966 कर ली गई है जिस कारण मडिया को दिनांक 10.02.2020 को सेवानिवृत्त करना था जो नहीं किया गया क्यों?

गृह मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। **(ख)** श्री मडिया के विरूद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत उनके द्वारा दिनांक 13.08.2020 को ए.डी.जे. की नौकरी से स्वैच्छिक त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अपितु उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्ध आरोपों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है, जिसमें कार्यवाही लंबित है। **(ग)** इस संबंध में उनके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है।

नगर पालिक निगम मुरैना में व्याप्त अनियमितताएं
[नगरीय विकास एवं आवास]

84. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 1982) श्री कमलेश जाटव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका मुरैना में ऐसी क्या विशेष आवश्यकता थी कि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु, निगम की विशेष निधि से बिना शासन के पूर्व स्वीकृति लिये अथवा बिना शासन के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये राशि का आहरण कर उक्त राशि को साधारण निर्माण कार्यों के भुगतान में क्यों व्यय किया गया? जब कि वर्तमान समय में मुरैना जिला क्या पूरा देश कोविड-19, जैसी वैश्विक महामारी से ग्रस्त है? **(ख)** जिला मुरैना में नगर परिषद के कार्य काल पूर्ण होने के चार माह पूर्व से प्रश्न किये जाने के दिनांक तक कुल कितने देयकों के भुगतान किये गये क्या निगम में पूर्व से लम्बित देयकों को भुगतान में प्राथमिकता प्रदाय की गई। यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में जिन देयकों का भुगतान किया गया है वे किस दिनांक को निगम की आवक पंजी में अंकित हुए है, भुगतान किये गये देयकों एवं व्हाउचरों व मेजर मेन्ट, बिल की मापपुस्तिकाओं तथा आवक पंजी में भुगतान किए गए देयकों के दिनांक वाले पृष्ठों के विवरण के साथ समस्त अभिलेखों के साथ जानकारी उपलब्ध करावे। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित देयकों के भुगतान किस मांग संख्या किस मद से किया गया तथा उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति किस मांग

संख्या किस मद में शासन से प्राप्त हुई थी? समस्त प्रशासकीय स्वीकृतियों की छायाप्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** नगर पालिक निगम, मुरैना की निगम निधि में राशि उपलब्ध न होने के कारण, दीपावली के त्यौहार के पूर्व, ठेकेदारों के लंबित देयकों का भुगतान, विशेष निधि से 5 करोड़ रूपये का आहरण कर किया गया है, जिसकी स्वीकृति आयुक्त, चंबल संभाग सह प्रशासक नगर पालिक निगम, मुरैना के आदेश दिनांक 27.10.2020 से प्राप्त की गई है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कुल 820 देयकों का भुगतान किया गया है। जी हॉ। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है। **(ग)** निगम की आवक पंजी में देयकों को इंद्राज करने का कोई प्रावधान न होने से जानकारी निरंक है। भुगतान किये गये देयक व्हाउचरों एवं मापपुस्तिकाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। प्रशासकीय स्वीकृतियों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये ऋण की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

85. ता.प्र.सं. 3 (क्र. 2482) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर- भोपाल मेट्रो ट्रेन के पूरे प्रोजेक्ट में कितना-कितना खर्च आयेगा तथा उस खर्च की व्यवस्था किस प्रकार की जावेगी? **(ख)** मेट्रो ट्रेन के लिये किस संस्थान से कितना ऋण किस दर से कितनी अवधि में देय लिया गया है क्या यह ऋण प्राप्त करने के लिये किसी मध्यस्थ की सेवा ली गई है यदि हां तो उसे किस दर से कितना भुगतान किया गया है? **(ग)** वर्ष 2020-21 के बजट अनुसार प्रदेश को विभिन्न संस्थाओं से मिलाकर कुल कितना ऋण लेने की पात्रता थी तथा जनवरी 2021 तक कितना ऋण लिया जा चुका है। **(घ)** जनवरी 2021 तक कर्ज के अनुसार प्रदेश को अगले पांच वित्तीय वर्ष में कितना-कितना ब्याज तथा कितनी किस्त राशि का भुगतान करना है तथा वर्ष 2020-21 में ऋण पर ब्याज तथा किस्त के रूप में कितना भुगतान करना है तथा वह बजट का कितना प्रतिशत है। **(ड.)** वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक हमने कितना-कितना ऋण लिया यदि ऋण लेने में किसी मध्यस्थ की सेवा ली है तो उसे कितने का भुगतान किया गया।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क) से (ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत एवं वित्तीय पोषण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार** है। **(ख)** वर्तमान में दोनों में से किसी भी परियोजना के लिए ऋण नहीं लिया गया है तथा किसी भी मध्यस्थ की सेवा नहीं ली गई है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुसार प्रदेश को शुद्ध ऋण राशि रूपये 47,101.54 करोड़ के बाजार ऋण का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से जनवरी 2021 तक कुल रूपये 24,000.00 करोड़ का बाजार ऋण लिया गया। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे

महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं हैं। **(घ)** जनवरी 2021 तक के कर्ज के अनुसार, प्रदेश को अगले 5 वित्तीय वर्ष में भुगतान की जानी वाली ब्याज तथा मूलधन के रूप में देय राशि का विवरण अनुमानित है एवं भविष्य में परिवर्तित हो सकती है जो **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राशि रूपये 16,346.13 करोड़ के ऋणों के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है तथा राशि रूपये 16,460.21 करोड़ ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है जो कि विनियोग की राशि का क्रमशः 7.96% तथा 8.01% है। उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त होना शेष हैं। **(ड.)** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले वित्त लेखे के खण्ड-1 में विवरण पत्रक संख्या-2 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी किये गये वित्त एवं विनियोग लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं जो कि पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। जी नहीं।

<u>परिशिष्ट- "तेरह"</u>

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का संकलन
[विधि और विधायी कार्य]

86. अता.प्र.सं. 76 (क्र. 2734) श्री महेश परमार : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के सभी विभागों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किए गए परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा को लेकर जारी किए गए आदेश निर्देशों का संकलन किया गया है? **(ख)** क्या विधि विधाई कार्य विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई के लिए विभागीय आदेश निर्देश की प्रतियां जारी की जाती है? **(ग)** शासन के सभी विभागों को विधि और विधाई कार्य हेतु उचित प्रशिक्षण उचित दिशा-निर्देश और उचित प्रकाशनों के माध्यम से समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी गतिविधियां कौन-कौन से कार्यक्रम कौन-कौन सी कार्यशाला है? **(घ)** क्या राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों के परिपालन में समुचित कार्रवाई करने के उपरांत विधि विधाई कार्य विभाग को सूचित किया जाता है? यदि हां तो प्राप्त संसूचित जानकारी कौन सी शाखा में एकत्रित होती है और उचित कार्रवाई विभागों द्वारा प्राप्त न होने पर विधि विधाई कार्य विभाग द्वारा क्या-क्या प्रक्रिया है और क्या कार्रवाई की जाती है?

गृह मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उचित कार्यवाही संबंधित विभाग के द्वारा करनी होती है। **(ग)** शासन के सभी विभागों को विधि और विधायी कार्य हेतु उचित प्रशिक्षण, उचित दिशा-निर्देश और उचित प्रकाशनों के माध्यम से समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कोई भी गतिविधियां एवं कार्यक्रम नहीं है। **(घ)** विधि और विधायी कार्य विभाग को सूचित किये जाने का प्रश्न नहीं है, ना ही विधि विभाग अन्य विभागों के विरूद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है और ना ही ऐसा कोई विलेख संधारित है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गरीब व निराश्रित परिवारों को आवास दिये जाने की कार्ययोजना
[नगरीय विकास एवं आवास]

87. अता.प्र.सं. 77 (क्र. 2736) श्री महेश परमार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उज्जैन जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा भूखंड अभियान के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को आवास देने के लिए चिन्हित किया गया है? यदि हां तो कब-कब कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? सूची उपलब्ध कराएं? **(ख)** भूखंड अधिकार अभियान के अंतर्गत नगर निगम उज्जैन में कितने व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है? जिन्हें आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। वर्तमान में जिन व्यक्तियों को लाभान्वित करना है उनके नाम, पते की सूची वर्षवार देवें। **(ग)** क्या शहरी विकास के परियोजना अधिकारी द्वारा आवासीय पट्टे और आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को आवासविहीन परिवारों को आवास दिलाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए? **(घ)** क्या 17 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक आवास उपलब्ध कराने के लिए और भूमिहीन आवास इन परिवारों को पट्टे बांटने के लिए नगरी विकास नगर निगम ने क्या कार्रवाई की है और राजस्व विभाग में 17 जनवरी 2018 को जारी पत्र अनुसार क्या-क्या कार्यवाही शासन के नियमानुसार की गयी है? प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। **(ङ)** उज्जैन जिले में तहसील और जनपद राजस्व विभाग द्वारा भूखंड अधिकार अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए हैं? भूखंड अधिकार अभियान के अंतर्गत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए चरणबद्ध की गई गतिविधियों का ब्यौरा पटल पर रखे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा भूखण्ड अभियान के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को आवास देने के लिए ग्रामों की आबादी में स्थित कुल 44287 व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जाकर भूखण्ड धारकों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये है। तहसीलवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है, हितग्राहियों की सूची संकलित की जा रही है। **(ख)** भूखण्ड अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू होने से नगर निगम उज्जैन में व्यक्तियों का चिन्हांकन नहीं किया गया हैं। जानकारी निरंक है। **(ग)** शहरी विकास के परियोजना अधिकारी द्वारा जिला अंतर्गत 1183 पात्र हितग्राहियों को चयनित कर कुल 865 पट्टों का वितरण कराया गया है। शेष 318

पट्टों का वितरण की कार्यवाही प्रचलित है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिला उज्जैन में कुल 17464 हितग्राहियों का चयन किया जाकर 14977 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है शेष कार्यवाही प्रचलित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** 17 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक आवास उपलब्ध कराने के लिए और भूमिहीन, आवासहीन परिवारों को पट्टे बांटने के लिए नगर निगम उज्जैन द्वारा 71 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन द्वारा 71 चिन्हित व्यक्तियों में से 36 व्यक्तियों को पात्र पाये गये है, जिसे पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के तहत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण हेतु पुनः सूची अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन को प्रेषित की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला उज्जैन के पत्र कमांक 215 दिनांक 17 जनवरी 2018 अनुसार आवास उपलब्ध कराने के लिए और भूमिहीन, आवासहीन परिवारों को पट्टे बांटने के लिए जिला अंतर्गत तहसीलों में राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निम्न कार्यवाही की गयी। (1) सर्वेक्षण दल का गठन कर भूमिहीन कर परिवारों का सर्वेक्षण करवाया गया। (2) आवेदनों का नियमानुसार जांच उपरांत प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन करवाया गया। (3) अतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन करवाया गया। **(ङ)** उज्जैन जिले में तहसील और जनपद राजस्व विभाग द्वारा भूखण्ड अभियान अंतर्गत चरणबद्ध रूप से दिनांक 26 जनवरी से 14 अप्रैल 2018 तक निम्न कार्यक्रम चलाये गये। (1) क्षेत्रिय पटवारियों के द्वारा पात्र आवेदकों का चिन्हांकन कराया गया। (2) प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार जांच कार्य पूर्ण कराया गया। (3) आवेदनों का निराकरण कराया गया। (4) पात्र आवेदकों को अभियान अंतर्गत भूखण्ड प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये।] **(क)** उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा भूखण्ड अभियान के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को आवास देने के लिए ग्रामों की आबादी में स्थित कुल 44287 व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जाकर भूखण्डधारकों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये है। तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है, हितग्राहियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

दिनांक 8 मार्च, 2021

कुम्हार जाति को आरक्षण के लाभ का प्रदाय
[अनुसूचित जाति कल्याण]

88. अता.प्र.सं. 7 (क्र. 1489) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दतिया जिले में कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है? यदि हां तो म.प्र. में और कौन-कौन से जिलों में कुम्हार जाति अनुसूचित जाति में आती है?

(ख) क्या परिसीमन के दौरान शिवपुरी जिले में करैरा विधान सभा के 35 गांव दतिया जिला में सम्मिलित किये गये थे? क्या उन गांवों में कुम्हार जाति के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां तो आदेश की प्रति के साथ जानकारी देवें? **(ग)** यदि हां तो 2012 में करेरा विधान सभा के 18 गांवों को दतिया में सम्मिलित किया गया था? क्या उनको भी अनुसूचित जाति का लाभ दिया जा रहा है? नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में कुम्हार जाति के दतिया जिला में सौतेला व्यवहार किया जाता है। जबकि उनके आपस में रिश्ते होते हैं पूरी जाति एक तो दतिया जिले में सम्मिलित गांव के कुम्हार जाति को पूरे मध्यप्रदेश सहित अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिये तो कुम्हार जाति कब तक पूरे म.प्र. में अनुसूचित जाति में लाया जायेगा नहीं तो क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1976 में पारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम में म.प्र. के लिये अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 35 में दतिया जिले की तत्समय भौगोलिक सीमा में निवासरत कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है **(ख)** जी हां। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्ष 2012 में करैरा विधान सभा के 18 गांव दतिया जिले में नहीं जोड़े गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उपरोक्तानुसार उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट- "चौदह"</u>

जनपद पंचायत सिरमौर एवं जवा में विभागीय कार्यों के संबंध में
[अनुसूचित जाति कल्याण]

89. अता.प्र.सं. 25 (क्र. 2122) श्री दिव्यराज सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रीवा अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर एवं जवा में विभाग द्वारा हरिजन एवं आदिवासी बस्तियों में कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सिरमौर एवं जवा की कुल कितनी पंचायतों को विभाग की किस-किस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है? ग्राम पंचायतवार विवरण उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

संयुक्त संचालक एवं नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]

90. अता.प्र.सं. 29 (क्र. 2215) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संयुक्त संचालक स्थापना और विधि शाखा में कौन-कौन कार्यरत हैं? उनके नाम और प्रतिनियुक्ति पर आने की दिनांक और उनके समस्त स्थापना आदेश की सत्यापित प्रतियां देवें। **(ख)** राज्य शिक्षा केंद्र में नियंत्रक के कितने पद कौन-कौन सी शाखाओं में है और कौन-कौन कब से प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर कार्यरत हैं? क्या प्रतिनियुक्ति पर नियमानुसार उनके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं? इनका मूल पद क्या है? प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के नियम क्या है? नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर सेवा बढ़ने के कारण और शर्तें क्या हैं? **(ग)** मूल पद पर कब-कब इन्होंने कार्य किया? प्रतिनियुक्ति पर कब-कब लौटे उनका प्रमोशन कब-कब हुआ और राज्य शिक्षा केंद्र की किन-किन शाखाओं में किन-किन पदों पर कौन-कौन से कार्यों के लिए तैनात किया गया था?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा : [**(क)** संयुक्त संचालक, स्थापना एवं विधि शाखा में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** राज्य शिक्षा केन्द्र की सर्व शिक्षा अभियान मिशन इकाई परियोजना में पूर्व से प्रचलित ''प्रबंधक, वित्त'' के पदनाम को परिवर्तन कर नियंत्रक, वित्त किये जाने की स्वीकृति राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 29.8.2013 में दी गई है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक का पद स्वीकृत नहीं है। राज्य शिक्षा केन्द्र में 39 घटकवार कक्ष बनाये है। इन कक्षों के संचालन हेतु 15 अधिकारियों को कक्ष के नियत्रंक का दायित्व सौंपा गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'अ' अनुसार।** जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होकर कक्ष के नियंत्रक का दायित्व निर्वहन कर रहे है, के वर्तमान मूल पद एवं प्रतिनियुक्ति अवधि संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार**। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष, इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार**। राज्य शिक्षा केन्द्र में जिन शाखाओं में, जिन पदों पर तथा जिस कार्य के लिए तैनात किया गया है, उसका उल्लेख **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'अ' अनुसार** है।

सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काटे जाने पर कार्यवाही

[वन]

91. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 3255) श्री प्रदीप पटेल : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान आदिवासियों के इलाके और उनके कब्जे वाली/पट्टे वाली भूमि पर सागौन (टीक वुड) के पेड़ों को काटे जाने की वन विभाग के किस नाम/पदनाम के सक्षम अधिकारियों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ आदेश/अनुशंसा जिला प्रशासन के किस-किस नाम/पदनाम के कार्यालयों को कब-कब की? **(ख)** क्या उक्त प्रकरण में सागौन के वृक्षों को अवैध रूप से काटे जाने एवं परिवहन के लिये ट्रांसिट पास वन विभाग के द्वारा जारी किया गया था? अगर हां तो जारी सभी पत्रों/टीपी/आदेशों का विवरण दें। क्या उक्त प्रकरण में सागौन के वृक्षों को अवैध रूप से गिराये/काटे जाने पर करोड़ों रूपयों के राजस्व की हानि हुई थी? क्या 4000 से ज्यादा सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काटे गये? कुल कितने प्रकरण वन विभाग ने प्रश्नतिथि तक पंजीबद्ध किये? प्रकरणवार/आरोपीवार/प्रथम सूचना रिपोर्टवार (वन विभाग की) सूची उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या उक्त प्रकरण में तात्कालीन कलेक्टर के गृह ग्राम वेस्ट गोदावरी जिले में सागौन की लकड़ियां/अन्य/वृक्ष काटे जाने हेतु ट्रांसिट पास जारी किये थे? तात्कालीन जिला प्रशासन ने कितने वृक्ष अपने कब्जे में लिये जो बाद में प्रकरण दर्ज होने पर वन विभाग जब्त नहीं कर पाया? कितने वृक्ष (सागौन)/लकड़िया (घन फुट में) आज दिनांक तक गायब है? **(घ)** क्या तात्कालीन कलेक्टर बालाघाट के द्वारा वन विभाग को इस जगह के वृक्षों को धराशायी करने/काटे जाने/हेतु कोई पत्र व्यवहार स्थानीय/विभाग/शासन से किया था? यदि हां तो उसका विवरण देवें।

वन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में बालाघाट जिले में आदिवासी भूमि स्वामियों के कुल 9 प्रकरणों में संबंधित वनमण्डल के अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) के जिन प्रकरणों में अनापत्ति दी गई है उनमें अवैध वृक्ष नहीं कटे हैं अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** तत्कालीन कलेक्टर के गृह ग्राम वेस्ट गोदावरी हेतु सागौन की लकड़ियां/अन्य/वृक्ष काटे जाने हेतु ट्रांजिट पास जारी नहीं किये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश अनुसार कोई पत्र व्यवहार वन विभाग से नहीं किया गया है।

<u>परिशिष्ट- "पन्द्रह"</u>

जबलपुर के निजी पैरामेडिकल छात्रों का पंजीयन

[चिकित्सा शिक्षा]

92. अता.प्र.सं. 73 (क्र. 3321) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निजी पैरामेडिकल कॉलेजों द्वारा गत 3 वर्षों में उत्तीर्ण सभी छात्रों को मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन हेतु एडमीशन एप्लीकेशन नम्बर दे

दिये गये हैं? **(ख)** यदि नहीं तो कारण सहित छात्रों/कॉलेजों के नाम बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पैरामेडिकल छात्रों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन निराकृत हो चुके हैं? **(घ)** यदि नहीं तो कॉलेजवार लंबित संख्या एवं लंबित रखने के कारण बतावें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी हॉ। यह एक सतत प्रक्रिया है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।] **(क)** जी हां। **(ख)** उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सहायक वर्ग 3 को द्वितीय उच्चतर वेतनमान का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]

93. परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 3515) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत सहायक वर्ग-3 को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/4 दिनांक 24 जनवरी 2008 द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड पे) से द्वितीय उच्चतर वेतनमान (5200-20200+2800 ग्रेड पे), तृतीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+3200 ग्रेड पे) प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था? आदेश सहित पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल, ओपन बोर्ड, संस्कृत बोर्ड आदि स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित हैं, उनके मूल विभाग के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग ही है, बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पदस्थ सहायक वर्ग 3 को द्वितीय उच्चतर वेतनमान एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सहायक ग्रेड-3 में भिन्नता कर दी गई है? **(ग)** क्या सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के आदेश क्रमांक 4987-4988 दिनांक 8/2/2021 द्वारा सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान 4500-7000 (5200-20200 ग्रेड पे 2800) स्थान पर (9300-34800+3600 ग्रेड पे) स्वीकृत किया गया है? प्रतिलिपि के सरल क्रमांक 7 में प्राचार्य आदर्श उ.मा.वि. भोपाल, रीवा, जावरा अंकित किया गया है, इन संस्थाओं के सहायक ग्रेड-3 लोकसेवकों के नाम, मूल-विभाग की जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान (9300-34800+3600 ग्रेड पे) कब तक सचिव मा.शि.म. भोपाल के आदेश अनुसार स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। भिन्नता है। **(ग)** जी हाँ। मण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2021 के निर्णय के अनुक्रम में आदेश क्रमांक 4987-4988 दिनांक 08/02/2021 द्वारा सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान 4600-7000 (5200-20200 ग्रेड पे 2800) स्थान पर (9300-34800+3600 ग्रेड पे) स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में आदर्श उ.मा.वि. भोपाल में कुमारी कामिनी

श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 एवं आदर्श विद्यालय जावरा में श्री जगपाल सिंह चंद्रावत, सहायक ग्रेड-3 कार्यरत है। आदर्श विद्यालय रीवा में कोई सहायक ग्रेड-3 कार्यरत नहीं है। आदर्श उ.मा.वि. भोपाल, रीवा एवं जावरा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित है। **(घ)** ऐसा कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षकों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]

94. अता.प्र.सं. 92 (क्र. 3568) श्री मनोज चावला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में फरवरी 2020 तथा फरवरी 2021 की स्थिति में अध्यापन कार्य करने वाले विद्वान डॉक्टर (शिक्षक) के नाम, पिता का नाम, योग्यता, वेतनमान संबंधित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने की दिनांक सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में यूजी कक्षाओं में फरवरी 2020 तथा फरवरी 2021 में कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों के नाम, निवास का स्थाई पता तथा महाविद्यालय में प्रवेश का वर्ष सूची सहित उपलब्ध कराएं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश में किये गये घोटाले की जांच
[चिकित्सा शिक्षा]

95. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 3624) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष 2015 से 2020 तक एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्रदान की गई है? उनके नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, पता, प्रथम वर्ष में प्रवेश का वर्ष सहित सूची देवें। **(ख)** क्या वर्ष 2011 तथा 2012 पी.एम.टी. से घोटाले से निजी चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को जिनके खिलाफ सी.बी.आई. ने प्रकरण दर्ज किया है, उनको डिग्री प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ तो उनका नाम तथा डिग्री का वर्ष बतावें। क्या उनकी डिग्री वापस ली जावेगी? **(ग)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित वर्ष 2007 से 2014 में जिन विद्यार्थी का प्रवेश घोटाले के आरोपी में नाम होने से निरस्त किया, उनकी सूची देवे। उनमें से किस-किस ने उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया? उनके नाम, प्रकरण क्रमांक तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। **(घ)** प्रदेश के निजी चिकित्सालय की वर्ष 2014 से 2020 तक की यूजी कोर्स की वर्षानुसार फीस बतावें तथा ये महाविद्यालय किस-किस ट्रस्ट/संस्था के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं? उनके ट्रस्टी, सदस्य का नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची देवें। **(ड.)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय के जिन मालिकों पर प्रवेश में घोटाले के दो या ज्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके हैं,

उन महाविद्यालयों का नाम बतावें तथा अक्षम, अयोग्य का चयन कर उन्होंने जो गम्भीर अपराध किया है, उन पर क्या-क्या कार्यवाही किया जाना विभिन्न एक्ट में उल्लेखित है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है। **(ख)** यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। **(ग)** जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है। **(ड.)** यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। **(ख)** यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार**। **(ड.)** यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती।

दिनांक 9 मार्च, 2021

गैसावाद फैक्ट्री का कार्य प्रारंभ किया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

96. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 54) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला दमोह के हटा विकासखण्ड के ग्राम गैसावाद में सीमेंट फैक्ट्री की स्वीकृति शासन के द्वारा प्रदाय की गई थी? कितने किसानों की जमीन पर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जमीन खरीदकर अधिगृहण कर लिया गया है। नामवार जानकारी दी जावें। **(ख)** जिला दमोह में नरसिंहगढ़ माईसेम सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा इसी वर्ष भारी लापरवाहियों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें लगभग 100 करोड़ का शासन को हानि पहुँचाये जाने की बात कही थी तथा प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को पत्र के माध्यम से जांच हेतु लिखा गया था? आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई तत्संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध करावें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** दमोह जिले के हटा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-गैसावाद में इकाई मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. को 2.286 हेक्टेयर शासकीय भूमि दिनांक 19.10.2020 को एम.पी.आई.डी.सी द्वारा आवंटित की गई है। इकाई द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण एम.पी.आई.डी.सी के माध्यम से नहीं किया गया है, बल्कि किसानों से भूमि सीधे क्रय की गई है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश के संबंध में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 05/12/2020 को पत्र लिखा गया था। पत्र के परिप्रेक्ष्य में खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त

सीमेंट संयंत्र के विरूद्ध 5.50 करोड़ रूपये की खनिज राजस्व राशि अद्यतन स्थिति में बकाया पाई गई है जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

कोविड-19 सेन्टरों पर व्यय राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

97. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 1654) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना एवं रीवा जिलों में कोरोना काल में किन-किन जनपद पंचायतों के किस-किस ग्राम पंचायतों में कहां-कहां कोविड-19 सेंटर खोले गये तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कितने-कितने दिनों तक, इन सेंटरों में क्वारेन्टाइन करके रखा गया? जनपदवार, पंचायतवार, महिला/पुरूष का नाम/पिता/पति का नाम, स्थाई पता, क्वारेन्टाइन अवधि, उम्र, आधार नम्बर सहित सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार क्वारेंटाइन सेटरों में क्वारेंटाइन व्यक्तियों के रूकने, भोजन तथा अन्य मदों पर व्यय करने के नियम आदेश थे? यदि हां, तो उक्त क्वारेंटाइन सेन्टरों में प्रति व्यक्ति कितना-कितना व्यय किया जाना था? आदेश नियम के साथ जानकारी देवें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध भुगतान/बिना क्वारेंटाइन व्यक्तियों पर व्यय की गई राशि की जांच कराते हुये व्यय राशि की वसूली दोषियों से कराकर उनके विरूद्ध कठोर, दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** मुरैना जिले में कोरोनाकाल में किसी ग्राम पंचायत में कोई कोविड-19 सेंटर नहीं खोला गया है। रीवा जिले के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब" अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मुरैना के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 1149/विस/1654/कोविड/2021 दिनांक 25.02.2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड सेंटरों में व्यक्तियों के रूकने ठहरने, भोजन एवं स्वल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराई गई थी। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

98. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 1922) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार अशोक नगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो प्रस्ताव किस स्तर पर प्रचलित होकर विचाराधीन है? क्या शीघ्र स्वीकृति दी जावेगी? समय-सीमा बतावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का

चयन कर लिया है? यदि हाँ तो किस जगह और यदि नहीं तो कब तक भूमि चयन कर लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। शासन का पत्र क्र. 409 दि. 08.06.20 में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्थानीय बेरोजगार युवकों हेतु रोजगार सुनिश्चित किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

99. अता.प्र.सं. 28 (क्र. 2810) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवनों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] संशोधित उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोज़गार का 70 प्रतिशत रोज़गार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19.12.2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी है।

पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

100. ता.प्र.सं. 13 (क्र. 2994) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुच्छेद 243 ड (4) ख के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए बनाया गया कानून पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में लागू होते है? उक्त अधिनियम 1996 की धारा 4 के तहत आदिवासी विकासखंडों में म.प्र. राज्य विधानमंडल के कौन-कौन से नियम का कितना भाग लागू होते हैं एवं कौन-कौन से नियम लागू नहीं होते हैं? प्रति सहित बताएं। **(ख)** पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (ण) के तहत राज्य विधानमंडल प्रदेश के किन-किन विकासखंडों में छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण कर क्या कार्यक्रम किस दिनांक से संचालित कर रहा है? यदि नहीं कर रहा है तो विधि-सम्मत कारण बताएं? **(ग)** पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (ड.) के तहत किन-किन विकासखंडों में आदिवासी ग्रामसभा का गठन किन अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन किया गया है? उक्त ग्रामसभा के कौन-कौन सी शक्तियां दी गई है? **(घ)** पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (घ), (ट), (ठ) के तहत किन-

किन आदिवासी विकासखंडों में ग्रामसभा एवं स्वशासी जिला परिषद को माइनिंग लीज और गौण खनिज आक्शन पर लीज ग्रांट का अधिकार किस दिनांक को दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो विधि सम्मत कारण बताएं।

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हां। शेष प्रश्नांश स्पष्ट नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश स्पष्ट नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रदेश में म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 लागू है, तत्संबंधी प्रावधान **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(घ)** भारत सरकार द्वारा निर्मित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 बनाये गये हैं। इसमें प्रदत्त अधिकारों के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों में खदान के निर्धारण, आवंटन, नीलामी के प्रावधान हैं। यह प्रावधान समान रूप से सभी विकासखण्डों पर लागू होते हैं। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में गौण खनिज के समस्त क्षेत्रों में नवीन उत्खनिपट्टा स्वीकृति के पूर्व यथास्थिति ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से अभिमत/अनापत्ति प्राप्त किये जाने के प्रावधान है।

बिना निविदा के अवैध खरीदी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

101. अता.प्र.सं. 51 (क्र. 3346) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुसार कोई भी क्रय बिना खुली और ई निविदा के नहीं किया जा सकता? **(ख)** यदि हां तो फिर नाफेड नाम की सहकारी संस्था ने किसान कल्याण विभाग द्वारा बुलाई गयी ओपन निविदा में कब भाग लिया? यदि नहीं लिया तो प्रदेश की मार्कफेड को दरकिनार करके शासन द्वारा निरस्त घोषित दरों पर किस आधार पर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने 2018-19, 2019-20 में करोड़ों की खरीदी की? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम बतायें? जब खरीदी ही अवैध है, इसकी दर्जनों शिकायतें भी की गयी हैं तो इस संस्था के भुगतान रोके जाने की क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** विभाग की फूड सिक्योरिटी मिशन और दलहन योजनाओं की प्रगति निरंतर असंतोषजनक होने का कारण क्या है? क्या इन योजनाओं से सरकार डी.बी.टी. हटाने का विचार रखती है? यदि हां तो समय-सीमा बतायें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** संचालनालय में म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार सामग्री क्रय की जाती है। **(ख)** विभाग द्वारा नाफेड एवं अन्य शासकीय संस्थाओं से सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की जाती है। विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे बीज ग्राम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन), परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती, आत्मा आदि में बीज वितरण सहित अन्य आदान सामग्री का क्रय म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन

संघ मर्यादित (बीज संघ), सोपा, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, एच.आई.एल., नेफेड, कृभको, आई.एफ.एफ.डी.सी., म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एम.पी.आर.ए.एफ. (डी.पी.आई.पी) द्वारा गठित बीज उत्पादक कम्पनियां, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, कृषि साख सहाकारी समितियों से सीधे क्रय किया जाता है। प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत चना, मसूर एवं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नाफेड द्वारा उपार्जन किया जाता है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन सहित योजनाओं की प्रगति संतोषजनक है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। योजना अंतर्गत डी.बी.टी. लागू करने संबंधी निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किये गये है।

तत्कालीन सी.ई.ओ. के विरूद्ध जॉच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

102. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 3528) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी श्री स्वारोचिष सोमवंशी के विरूद्ध शासकीय वाहन का नियम विरूद्ध भुगतान व दुरूपयोग, अध्यापक संवर्ग का नियम विरूद्ध स्थानांतरण, संबल योजना अंतर्गत मुद्रण कार्य में वित्तीय अनियमितता, वृक्षारोपण अभियान के तहत नियम विरूद्ध पौधों का भुगतान इत्यादि की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो शिकायत की जॉच किस स्तर के अधिकारी से किन-किन बिन्दुओं पर कराई गई एवं अनियमितताओं के आधार पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या इनके विरूद्ध विभागीय जॉच सम्पादित की गई थी? यदि हाँ, तो जॉच का क्या निष्कर्ष निकला एवं उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण बतावें? **(ग)** क्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्री स्वारोचिष सोमवंशी के विरूद्ध प्रश्नांश (क) से संबंधित शिकायतों की जॉच प्रचलन में होने के कारण वर्ष 2017-18 व 2018-19 में आरोप प्रमाणित होने के उपरांत भी जॉच का रिकार्ड नोटशीट आदि गायब करवाकर फर्जी निर्दोष प्रतिवेदन के आधार पर इनकी पदोन्नति कलेक्टर के पद पर कर दी गई है? यदि हाँ, तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** विभाग में प्राप्त केवल शासकीय वाहन का नियम विरूद्ध भुगतान व दुरूपयोग संबंधी शिकायत की जॉच उपरांत प्रतिवेदन व वांछित अभिलेख अवर सचिव (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग को सक्षम स्तर से आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके है, आगामी कार्यवाही एवं शेष प्रश्नांश सामान्य प्रशासन विभाग स्तर पर प्रचलित है। **(ख)** एवं **(ग)** कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग स्तर पर प्रचलित है।

किसानों की जीवन स्तर में सुधार के सम्बन्ध में योजनाएं
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

103. ता.प्र.सं. 11 (क्र. 3909) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 304 दिनांक 28.12.2020 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें की कर्ज माफी की विस्तृत समीक्षा तथा समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई। क्या संविधान के नियमों के तहत पारित कि गई किसी योजना पर दूसरी सरकार विचार कर उसे निरस्त कर सकती है। स्थगित कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है जब की योजना के आधे भाग का क्रियान्वयन हो चुका हो। **(ख)** वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक सीमान्त लघु कृषक का प्रतिशत बतावें तथा इनके पास कितने-कितने प्रतिशत जमीन है बतावें क्या यह सही है कि प्रदेश में सीमान्त और लघु कृषकों की संख्या तेजी से बड़ी है जो यह प्रदर्शित करती है की कृषि कल्याण की हमारी योजना फ्लॉप रही है। **(ग)** क्या यह सही है कि शासन के पास किसानों की वार्षिक आय के आंकड़ें नहीं है। यदि हां तो वह किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में सुधार का दावा किस आधार पर करती है।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां।, जी हां। **(ख)** आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश से प्राप्त जानकारी अनुसार पंचवर्षीय कृषि संगणना आधार वर्ष 2010-11 में कुल जोतों की संख्या 8872377 थीं, जिसमें 43.85 प्रतिशत सीमांत कृषक एवं 27.59 प्रतिशत लघु कृषक शामिल थे तथा कुल जोतों का क्षेत्रफल 15835877 हेक्टेयर था, जिसमें से 12.09 प्रतिशत भूमि सीमांत कृषक एवं 21.88 प्रतिशत भूमि लघु कृषक के पास थी। पंचवर्षीय कृषि संगणना आधार वर्ष 2015-16 में कुल जोतों की संख्या 10003135 थीं, जिसमें 48.33 प्रतिशत सीमांत कृषक एवं 27.23 प्रतिशत लघु कृषक शामिल रहे तथा कुल जोतों का क्षेत्रफल 15670237 हेक्टेयर रहा, जिसमें से 15.14 प्रतिशत भूमि सीमांत कृषक एवं 14.47 प्रतिशत भूमि लघु कृषक के पास रही है। अतः शासन की किसान सम्बन्धी योजनाएं सफल रही हैं। **(ग)** किसानों की वार्षिक आय के आंकड़ें विभाग के द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते है। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि के क्षेत्र में नई-नई तकनीकियों जैसे फसल सघनता एवं अंतवर्तीय फसलों को बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा धान में मेडा गास्कर पद्धति,धान में उतेरा कल्टीवेशन, अरहर में धारवाड़ पद्धति एवं गन्ना में मल्चिंग पद्धति फसल आधारित प्रदर्शनों कृषि में कम लागत तकनीक का प्रचार कर जैविक खेती को बढ़ावा देना एवं अंतवर्तीय फसल प्रयोग आयोजित किये जा रहे है। कृषकों की आय का स्तर बढाने के लिये किये गये कार्यों में प्रमुख है। 1. कुल कृषि उत्पादन- वर्ष 2009-10 में 388.23 लाख मेट्रिक टन एवं वर्ष 2019-20 में 1208.58 लाख मेट्रिक टन रहा। वर्ष 2009-10 की तुलना 211.31 प्रतिशत वृद्धि रही। 2. बीज वितरण- वर्ष 2009-10 में 1897.03 हजार क्विंटल एवं वर्ष 2020-21 में 4333.56 हजार क्विंटल रहा एवं वर्ष 2009-10 की तुलना में 128 प्रतिशत वृद्धि रही। 3. उर्वरक वितरण- वर्ष 2010-11 में 43 मेट्रिक टन एवं वर्ष 2020-21 में 53.45 मेट्रिक टन रहा। जो वर्ष 2010-11 की तुलना में 24

प्रतिशत वृद्धि रही। 4. सिंचित क्षेत्र- वर्ष 2009-10 में 68.92 लाख हेक्टर एवं 2019-20 में 105.66 लाख हेक्टर रहा। वर्ष 2009-10 की तुलना में 53 प्रतिशत वृद्धि रही। इसके साथ ही किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है एवं सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 29 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया। वर्ष 2019-20 (विपणन वर्ष 2020-21) फसल चना का उपार्जन 262797 कृषकों द्वारा कुल खरीदी मात्रा 7.06 लाख मेट्रिक टन तथा कृषकों को राशि रू. 341847.49 लाख का भुगतान किया गया है। फसल मसूर का उपार्जन 1898 कृषकों द्वारा कुल खरीदी मात्रा 0.014 लाख मेट्रिक टन तथा कृषकों को राशि रू. 683.87 लाख का भुगतान किया गया है। फसल सरसों का उपार्जन 42603 कृषकों द्वारा कुल खरीदी मात्रा 1.15 लाख मेट्रिक टन तथा कृषकों को राशि रू. 50745.12 लाख का भुगतान किया गया है। रबी वर्ष 2020-21 (विपणन वर्ष 2020-21) में गेहूं के साथ चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना:- इस योजना की उप योजना दो के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत 40 वर्ष तक की आयु के ग्रामीण युवाओं को 25 लाख रू. राशि तक के कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के प्रोजेक्ट पर लागत का 40 प्रतिशत (अ.जा. एवं अ.ज.जा. के आवेदकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त) अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान बेक ऐण्डेड सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उपरोक्तानुसार कार्य करने से कृषकों की आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर में निश्चित ही सुधार होता है।

दिनांक 10 मार्च, 2021

शासकीय कर्मचारियों को कोविड संक्रमित होने से पर प्रदाय सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

104. ता.प्र.सं. 11 (क्र. 762) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोरोना वारियर्स कोविड-19 से प्रदेश में कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी संक्रमित हुए उनमें से कितने अधिकारी कर्मचारी शहीद हो गए ऐसे शहीद कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को शासन के ओर से क्या-क्या सहायता/सुविधाएं प्रदान की गई? नाम पद सहित जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा चिन्हित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचाररत रहे एवं इनके उपचार पर किस-किस चिकित्सालय को कितनी-कितनी राशि का भुगतान शासन द्वारा किया गया? **(ग)** शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के कोविड संक्रमित होने, होम आईसोलेशन होने अथवा परिवार में किसी सदस्य के संक्रमित होने से कर्मचारी के होम क्वारंटाइन होने से अवकाश पर होने से क्या उन्हें विशेष अवकाश कि पात्रता शासन द्वारा प्रदान की गई है? यदि हां तो कुल कितने दिवस की, यदि नहीं तो ऐसे शासकीय सेवकों की उक्त अवधि के अवकाश का निराकरण किस प्रकार किया जायेगा? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शासकीय सेवकों को कोविड संक्रमित होने के कारण

छत्तीसगढ़ शासन के समान विशेष अवकाश स्वीकृत करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां तो उस पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रश्न दिनांक तक कोरोना वारियर्स कोविड-19 से प्रदेश में कुल 4912 अधिकारी एवं कर्मचारी संक्रमित हुये उनमें से 66 अधिकारी एवं कर्मचारी की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत संकलित जानकारी अनुसार 26 दिवंगत कोरोना योद्धाओं के विधिक उत्तराधिकारी को रूपये 50.00 लाख (प्रति दिवंगत योद्धाओं) आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज – स्वास्थ्य कर्मियों के लिये बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों में दिनांक 25.11.2020 तक कुल 12 दिवंगत कोरोना योद्धाओं के विधिक उत्तराधिकारी को रूपये 50.00 लाख (प्रति दिवंगत योद्धा) आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गयी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनाकं 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों में से 3228 कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय, 788 शासन द्वारा चिन्हित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में एवं 896 होम आईसोलेशन में उपचाररत रहे। शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। आयुष्मान भारत "निरामयम्" कार्यालय में शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों द्वारा कोरोना उपचार पर किये गये व्यय का भुगतान किया जाता है। प्राप्त देयकों में शासकीय कर्मचारी का पृथक विवरण अंकित नहीं होता है। अत: निजी चिकित्सालयों में उपचाररत रहे कर्मचारियों की संख्या एवं उन पर किये गये व्यय की पृथक जानकारी दी जाना संभव नहीं है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। उत्तरांश (ग) अनुसार।

आर्थिक अपराध अनुसंधान के लंबित प्रकरणों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

105. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 3155) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने 01 जनवरी 2015 के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण किन लोगों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं? कितने मामलों में पी.ई. दर्ज की है? दर्ज मामलों में कितने मामले द्वितीय श्रेणी और उससे ऊपर के अधिकारियों पर दर्ज हैं? प्रकरणवार जानकारी दी जायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार दर्ज कितने मामलों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है? कितने मामलों में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही लंबित है? लंबित प्रकरणों की जानकारी बतायें। **(ग)** ई-टेंडरिंग घोटाले में कितने प्रकरण किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किये हैं? प्रकरण वार जानकारी देवें। **(घ)** ईओडब्ल्यू में भोपाल

सिटी लिंक लिमिटेड में 2013 में खरीदी ए.सी. बसों की खरीदी से जुड़ी कितनी शिकायतें लंबित हैं? उन पर अब तक ब्यूरो ने क्या कार्यवाही की है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** हैं। **(ख)** उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार 19 मामलों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं, शेष 323 प्रकरणों में चालान लंबित हैं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** हैं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** सभी शिकायतें प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 223/16 की जांच में सम्मिलित की जाकर वर्तमान में सत्यापनाधीन हैं।

पथरिया विस, क्षेत्र के मंदिर/धर्मस्थानों के नाम से निजी ट्रस्ट

[अध्यात्म]

106. ता.प्र.सं. 21 (क्र. 3686) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजस्व अनुभाग पथरिया जिला दमोह के लेखा अनुसार ऐसे कितने धर्म स्थान हैं जिनके नाम से निजी ट्रस्ट अथवा संस्था शासकीय अभिलेखें में दर्ज हैं? **(ख)** राजस्व अनुभाग पथरिया जिला दमोह में दर्ज निजी ट्रस्ट अथवा संस्था के पास देवस्थान के पास कितनी भूमि अथवा चल अचल संपत्ति है एवं वर्तमान में उनका अध्यक्ष, संचालक अथवा मालिका कौन है? **(ग)** यदि निजी ट्रस्ट अथवा संस्था के अध्यक्ष, संचालक अथवा मालिक दर्ज है तो वर्तमान में मौजूद है अथवा नहीं या फौत हो चुके हैं? **(घ)** यदि निजी ट्रस्ट अथवा संस्था के दर्ज अध्यक्ष संचालक अथवा महत्तमकार फौत हो चुके हैं तो ऐसे मामलों में लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, क्या भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है अथवा मंत्री महोदय के अनुसार इस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** से **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाती है।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

107. ता.प्र.सं. 17 (क्र. 3809) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की 28 विधान सभाओं के उप चुनाव की घोषणा होने के पूर्व तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 28 विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु अन्य प्रयोजनों के लिए 01 अप्रैल 2020 से उप चुनाव की घोषणा होने के पूर्व तक किस-किस विधानसभा के लिए कौन-कौन घोषणायें की थी? उन घोषणा के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है? **(ख)** क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त की गई घोषणाओं में अधिकांश घोषणायें मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज नहीं हैं, जबकि इस संबंध में जनसंपर्क विभाग द्वारा समय-समय पर प्रेस नोट जारी किये गये हैं? **(ग)** यदि नहीं तो क्या शासन मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के रिकार्ड संधारण नहीं किये जाने की जांच करायेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप 09 विधानसभा क्षेत्रों यथा डबरा,सुमावली,मुरैना,दिमनी,गोहद,ग्वालियर

(पूर्व),करेरा,आगर एवं ब्यावरा के लिये मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो क्या इन क्षेत्रों के विकास के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट का प्रावधान किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है। **(ख)** मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अधिकृत रूप से प्राप्त मान. मुख्यमंत्री जी की सभी घोषणाएं दर्ज की जाकर क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग को भेजी जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** संबंधित विभाग द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी की सभी घोषणाओं पर नियम/निर्देशों के तहत त्वरित कार्यवाही की जाती है। घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग द्वारा बजट प्रावधानित होता है।

पृथक वितरित उत्तर

टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी

[सामान्य प्रशासन]

108. ता.प्र.सं. 5 (क्र. 3921) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में कितने कर्मचारी अपने विभाग से अन्य विभागों में Deputation ओर Redeployment पर लगाये गये हैं? (जानकारी वांछनीय) **(ख)** किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को Deputation ओर Redeployment में भेजने की सरकार की क्या गाईड लाईन है और कितनी अवधि तक अन्य विभाग में कार्य कर सकता है? **(ग)** Deputation पर पदस्थ और Redeployment किये गये अधिकारी/कर्मचारी की अवधी को रिन्यू करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? **(घ)** टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में Deputation ओर Redeployment से अन्य विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की नीचे दी हुई सूची के अनुसार कॉलमवार जानकारी दें। 1. कर्मचारी का नाम 2. मूल विभाग का नाम 3. वर्तमान में पदस्थ विभाग का नाम 4. Deputation और Redeployment पर पदस्थ किये जाने का प्रथम दिनांक 5. अन्य विभागों में पदस्थ किये जाने का कारण 6. अवधि रिन्यु दिनांक 7. कितने सालों से Deputation और Redeployment से अन्य विभाग में कार्य कर है (समयावधि बतायें)। **मुख्यमंत्री :** [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिला टीकमगढ़ में 09 एवं निवाड़ी जिले में 21 अधिकारी/कर्मचारी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार**। **(ख)** प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिनांक 29 फरवरी 2008 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** एवं रिडिप्लायमेन्ट के संबंध में परिपत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2005 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार**। **(ग)** शासन के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2008 के अनुसार 4 वर्ष प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। रिडिप्लायमेन्ट के अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।**

पृथक वितरित उत्तर

राष्ट्रीय पर्व आदि में जनप्रतिनिधियों को न बुलाए जाना
[सामान्य प्रशासन]

109. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 3955) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में आयोजित शिलान्यास, लोकार्पण, राष्ट्रीय पर्व कार्यक्रम आदि व जिला स्तर एवं शासन स्तर प्राप्त पत्रों का उत्तर देने हेतु शासन के क्या नियम निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या प्रश्नकर्ता विधायक को जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक संबंधित क्षेत्र में कितने आयोजन हुए की जानकारी वर्ष दिनांक व आयोजित कार्यों का विवरण, भेजे गये आमंत्रण पत्रों की छायाप्रति जिसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर का उल्लेख आदि सहित जानकारी दी जावे। **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक को कुछ कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया जैसे 26 जनवरी 2021, (गणतंत्र दिवस) जैसे कार्यक्रम में आमंत्रित न करना प्रोटोकॉल एवं विशेषाधिकारों का हनन व शासन के नियम निर्देशों का उल्लंघन भी है। यदि हां तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी।

मुख्यमंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जनपद पंचायत सबलगढ़ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06.12.2019 को लोकार्पण से संबंधित कार्यक्रम में माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री बैजनाथ कुशवाह जी को सम्मान पूर्वक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। माननीय द्वारा किया गया लोकार्पण पट्टिका की फोटोग्राफ प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। लोक निर्माण विभाग सबलगढ़ अन्तर्गत प्रश्नांश अवधि में स्वीकृत झुण्डपुरा से करजौनी एवं सैमई विजयपुर से नाऊडाडा मार्ग का माननीय विधायक महोदय सबलगढ श्री बैजनाथ कुशवाह जी के निर्देशों के परिपालन में दिनांक 20.09.2020 को भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के फोटोग्राफ की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ग)** राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस एवं मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक कार्यक्रमों में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ श्री बैजनाथ कुशवाह जी को सदैव सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान लिये गये चित्रों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। जहां तक 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय विधायक जी विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ को आमंत्रित किये जाने का प्रश्न है। 26 जनवरी 2021 को कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सबलगढ़ में कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रोटोकॉल एवं विशेषाधिकारों का हनन व प्रशासन के नियम निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में आय व्यय तथा खरीद की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

110. अता.प्र.सं. 72 (क्र. 3984) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना में विभाग में विगत तीन वर्षों में किस-किस मद में, किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं प्राप्त आवंटन के विरूद्ध विभाग द्वारा किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया एवं विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा की गई, समस्त सामान्य काल की खरीदियों एवं कोरोना काल में कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार एवं अन्य के लिए की गई खरीदी की जानकारियां पृथक-पृथक रूप से प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त वर्षों में की गई समस्त खरीदियों की जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार, क्रय सामग्रीवार, प्राप्त आवंटन एवं व्ययवार, क्रय की गई एजेन्सीवार, एजेन्सी का पता तथा वितरण सामग्री के नाम तथा मात्रा के साथ समस्त सामान्य काल एवं कोविड काल की जानकारी पृथक-पृथक प्रदाय की जावे। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या विभाग द्वारा जिन एजेन्सियों से खरीद की गई क्या उनमें से किसी एजेन्सी द्वारा मानकों के विरूद्ध एवं गुणवत्ता विहीन सामान की सप्लाई उक्त वर्षों में दी गई? यदि हां तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा की गई समस्त जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार उक्त क्रय एवं सामग्री वितरण किन-किन अधिकारियों के आदेश से किये गए? उक्त अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि सहित जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** जिला मुरैना में विगत 03 वर्षों में मदवार एवं कार्यवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की सामान्य काल एवं कोविडकाल की **जानकारी पृथक-पृथक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। प्रशनांश के शेष भाग खरीदी संबंधी जानकारी प्रश्नांश "ख" के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" में सम्मिलित** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त वर्षों में की गयी समस्त खरीदियों की जानकारी वर्षवार, सामग्रीवार क्रय की गयी एजेंसीवार, एजेंसी का पता तथा आवंटन एवं व्यय का विवरण सामान्य काल एवं कोविडकाल की **जानकारी पृथक-पृथक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। विकासखण्डवार, वितरण सामग्री का नाम तथा मात्रा की जानकारी विस्तृत होने से एकत्र की जा रही है। **(ग)** जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश "ख" अनुसार चाही गई क्रय एवं सामग्री वितरण हेतु कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं कार्यकाल अवधि सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। कार्यरत अधिकारियों के द्वारा क्रय एवं सामग्री वितरण हेतु दिये गये आदेश सहित चाही गई जानकारी विस्तृत है जानकारी एकत्र की जा रही है।] **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त वर्षों में की गयी समस्त खरीदियों की जानकारी वर्षवार, सामग्रीवार क्रय की गयी एजेंसीवार, एजेंसी का पता तथा आवंटन एवं व्यय का विवरण सामान्य काल एवं कोविडकाल की **जानकारी पृथक-पृथक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। विकासखण्डवार सामान्य काल एवं कोविडकाल वितरण सामग्री के नाम तथा मात्रा की **जानकारी पृथक-पृथक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश "ख"

अनुसार चाही गई क्रय एवं सामग्री वितरण हेतु कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं कार्यकाल अवधि सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

पोषण आहार सम्बन्धित जानकारियां

[महिला एवं बाल विकास]

111. परि.अता.प्र.सं. 74 (क्र. 4115) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017 से 2021 की 31 जनवरी को इन्दौर और उज्जैन संभाग में किस-किस हितग्राही वर्ग में कितनी-कितनी संख्या में पूरक पोषण आहार (टेक होम राशन) दिया गया? कितनी संख्या में प्रोटीन युक्त सोयाबड़ी प्रदाय की गई तथा उक्त अवधि में इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में कितनी-कितनी आंगनवाड़ी थी तथा उसमें दर्ज बच्चों की संख्या कितनी-कितनी थी। जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1103 दिनांक 19.03.2020 के खण्ड "घ" के संदर्भ में बतावें कि उल्लेखित विभिन्न गतिविधियों पर वर्ष 2014 से 2021 तक कितना-कितना खर्च किया गया? **(ग)** वर्ष 2017-18 से 31 जनवरी 2021 तक विभाग में विभिन्न पोषण आहार का प्रदाय किस-किस फर्म से किस-किस मात्रा में कुल कितनी राशि का किया गया? जनवरी 2014 से जनवरी 2021 की 31 जनवरी तक कुपोषित बच्चों की संख्या क्या-क्या है तथा यह उस उम्र के कुल बच्चों का कितना प्रतिशत है? **(घ)** वर्ष 2017-18 से जनवरी 2021 तक प्रश्नांश (क) संभाग में 1 लाख से अधिक राशि की खरीदी की सूची, विक्रेता का नाम, वस्तु का नाम, दर, मात्रा, कुल राशि का भुगतान राशि सहित सूची देवें। (ङ) पिछले पांच वर्ष में विभाग में आर्थिक घोटाले के कितने प्रकरणों पर विभागीय स्तर पर जांच की गई? सूची देवें।

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1", "2", "3" एवं "4" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"5" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"6", 7" एवं "8" अनुसार** है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ड.) 1.** पिछले पांच वर्ष में संचालनालय स्तर से जांच समिति गठित कर भोपाल जिले अंतर्गत परियोजना कार्यालयों द्वारा मानदेय मद से किए गए अनियमित आहरण की जांच कराई गई, जिसका प्रतिवेदन समिति द्वारा दिनांक 31.08.2017 को दिया गया। **2.** संचालनालय स्तर से जांच समिति गठित कर भोपाल जिले अंतर्गत परियोजना कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त मानदेय मद से किए गए अनियमित आहरण की जांच कराई गई, जिसका प्रतिवेदन समिति द्वारा दिनांक 28.08.2018 को दिया गया।] **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

112. अता.प्र.सं. 117 (क्र. 4264) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.01.19 से 06.02.21 तक प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर अनूपपुर को दिए पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पत्रवार देवें। **(ख)** क्या कारण है कि प्रश्नकर्ता के पत्रों पर

की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया? **(ग)** कब तक प्रश्नकर्ता को समस्त कार्यवाही की जानकारी प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** कलेक्टर अनुपपुर द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को माननीय सांसद/विधायक के पत्रों पर कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। **(ग)** परीक्षण पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

सरकारी कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित किये जाने की जांच

[सामान्य प्रशासन]

113. अता.प्र.सं. 124 (क्र. 4299) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं/परियोजनाओं के शिलान्यास तथा उद्घाटन समारोहों में क्षेत्रीय विधायकों की अवहेलना रोकने के संबंध में कब-कब निर्देश/आदेश जारी कर समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया? **(ख)** क्या यह धार जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में शासन के उक्त निर्देशों/आदेशों का पालन जिला प्रशासन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाकर विशेषकर विपक्ष के क्षेत्रीय विधायकों की उपेक्षा/अवहेलना की जाती है? **(ग)** यदि नहीं तो धार जिले के धरमपुरी, सरदारपुर, मनावर एवं गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में 01 अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 की अवधि में कौन-कौन से सरकारी कार्यक्रम कब-कब आयोजित किए गए एवं किन-किन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायकों को किन कारणों से आमंत्रित नहीं किया गया? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या दिनांक 17 सितम्बर 2020 को धामनौद में कुटीर पट्टा वितरण आवास कार्यक्रम में नायब तहसीलदार ने क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित नहीं कर उनकी उपेक्षा की है? इस संबंध में जिला कलेक्टर को शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा कब तक इस प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 11 दिसम्बर 2019 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धार के क्षेत्र अन्तर्गत 01 अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** शिकायत संबंधी कोई पत्र कलेक्टर धार को प्राप्त नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट- "सोलह"</u>

दिनांक 15 मार्च, 2021

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

114. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 2244) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर, कटनी एवं सतना जिले में 01 जनवरी 2017 के पश्चात कितनी

कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर किन अनियमितताओं के लिए किस-किस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज हुए हैं? कितने के चालान पुलिस द्वारा मान. न्यायालय में दर्ज किये? कितनों के नहीं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के जिलों में उक्त अवधि में कितनी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों की अनियमितताओं के चलते लाइसेंस किस-किस सक्षम अधिकारी ने निरस्त किये तथा क्या कारण रहे कि अनियमितताओं के बावजूद पुन: उसी संचालक को दुकान संचालित करने हेतु लाइसेंस दे दिया? ऐसे कितने प्रकरण प्रकाश में आये। **(ग)** प्रश्नांश (क) के जिलों में प्रश्न दिनांक तक क्या सभी उचित मूल्य की दुकानों पर थम्ब इम्प्रेशन से राशन का भुगतान किया जा रहा है? क्या वर्तमान में शासन द्वारा सभी दुकानों पर ऑफ लाईन/बिना थम्ब इम्प्रेशन सामग्री वितरण देने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं? यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) जिलों में खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर गत 01 जनवरी 2018 के पश्चात कितने व्यक्तियों को किस-किस मिलावट के लिए कितने-कितने वर्ष की मान. न्यायालय द्वारा सजा/जुर्माना हुआ है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। **(ख)** निरस्त दुकान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। जिलों में किसी भी निरस्त दुकान को पुन: दुकान संचालन का कार्य नहीं दिया गया है। **(ग)** सतना जिले में 817 उचित मूल्य दुकानों में से 812 दुकानों में, कटनी जिले में 472 उचित मूल्य दुकानों में से 467 दुकानों में एवं जबलपुर जिले में 992 उचित मूल्य दुकानों में से 969 दुकानों में थम्ब इम्प्रेशन (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) से राशन का वितरण किया गया है। प्रश्न दिनांक में ऑफलाईन या बिना थम्ब इंप्रेसन के राशन वितरण के निर्देश नहीं दिए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

धान उपार्जन की खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

115. अता.प्र.सं. 12 (क्र. 2254) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन हेतु जिला उपार्जन समिति द्वारा कितने एवं कहां-कहां खरीदी केन्द्र स्थापित किये जाने की अनुशंसा की गई थी और किन-किन विभागीय निर्देशों से 15 नवम्बर 2020 एवं उसके पश्चात कितने और कहां-कहां पर कौन-कौन से खरीदी केन्द्र प्रारंभ किये गये? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में उपार्जन प्रारंभ होने, उपार्जन कार्य बंद होने तक किन-किन आदेशों से कहां-कहां के कौन-कौन से खरीदी केन्द्र कब-कब प्रारंभ और कब-कब किन कारणों से बंद किये गये और फिर कब किन कारणों से पुन: प्रारंभ किये गये? संपूर्ण सूची देवें एवं यह भी बताएं कि कौन-कौन सी समितियां किन कारणों से डिफाल्टर घोषित की गई? समितिवार केन्द्रवार सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में उपार्जन प्रारंभ होने पश्चात किन-किन केन्द्रों में किन-किन दिनांकों को बारदानों के कमी एवं परिवहन में देरी की वजह से खरीदी बंद रही?

केन्द्रवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें की बारदानों की कमी और परिवहन में देरी के लिए दोषी जिला प्रबंधक नान के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? **(घ)** कलेक्टर कटनी द्वारा नान के जिला प्रबंधक को जो कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किए गए उनमें अंतिम कार्यवाही क्या की गई? **(ड.)** विगत वर्षों में विलंब से परिवहन करने पर परिवहनकर्ताओं पर शासन एवं कलेक्टर द्वारा किन-किन परिवहनकर्ताओं पर कितना-कितना जुर्माना लगाया गया है और बताएं की जुर्माना की राशि वसूल हुई या नहीं?

खाद्य मंत्री : [प्रश्नांश **(क) से (ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जिला उपार्जन समिति कटनी द्वारा 102 उपार्जन केन्द्रों की अनुशंसा की गई थी। उपार्जन नीति के प्रावधानों के अनुसार 15 नवंबर 2020 तक जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा के आधार पर स्थापित किए गए उपार्जन केन्द्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। **(ख)** कटनी जिले में उपार्जन कार्य प्रारंभ होने से उपार्जन कार्य बंद होने की अवधि में Exit Protocol के तहत जो उपार्जन केन्द्र बंद किए गए उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार** है। बंद किए गए उपार्जन केन्द्र पुन: प्रारंभ नहीं किए गए। खरीफ उपार्जन नीति 2020-21 के प्रावधानों के तहत डिफॉल्टर पाई गई समितियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है। **(ग)** खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कटनी जिले में ऐसे धान उपार्जन केन्द्र जहां खरीदी के दौरान बारदानों के अभाव/कमी के कारण खरीदी प्रभावित हुई, की दिनांकवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'द' अनुसार** है। परिवहन में विलंब के कारण किसी उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी बंद हुई हो, ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कलेक्टर, कटनी द्वारा जिला प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। जिला प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत उत्तर के उपरांत प्रकरण में चेतावनी जारी की गई है। **(ड.)** कटनी जिले में विगत वर्षों में विलंब से परिवहन करने के कारण परिवहनकर्ताओं पर 9.27 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई जिसका निराकरण क्षेत्रीय स्तर की कमेटी द्वारा किया गया है।

गेहूँ उपार्जन की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

116. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 3035) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में कुल कितनी मार्केटिंग संस्थाएं है? इनके द्वारा दिनांक 01.01.2018 से 30-06-2020 तक गेहूँ का कितना उपार्जन किया गया? संस्थावार, मात्रा सहित वर्षवार बतावें। **(ख)** क्या कारण है कि नागदा जं. व खाचरौद संस्थाओं द्वारा उपार्जित गेहूँ व इनके द्वारा भण्डारण स्थल पर जमा गेहूँ की मात्रा में भारी अंतर हैं? प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार भण्डारित गेहूँ की मात्रा नागदा जं. व खाचरौद संस्थाओं के संदर्भ में देवें। **(ग)** उपरोक्तानुसार नागदा जं. एवं खाचरौद संस्थाओं में भारी अनियमितता से शासन को हो

रही हानि को देखते हुए इन संस्थाओं को बंद करके अन्य संस्थाओं को उपार्जन कार्य कब तक दिया जाएगा? **(घ)** यदि नहीं तो कारण बतावें कि शासन को हानि पहुँचाने वाली इन संस्थाओं को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है?

खाद्य मंत्री : [प्रश्नांश **(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** उज्जैन जिले में 5 ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाएं हैं, इनमें से 04 संस्थाओं द्वारा उपार्जन का कार्य किया गया है। दिनांक 01.01.2018 से 30.06.2020 तक संस्थावार एवं वर्षवार उपार्जित गेहूं की मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** विपणन सहकारी संस्था खाचरौद द्वारा खाचरौद व नागदा जं. में उपार्जन का कार्य किया गया है, संस्था द्वारा गेहूं की उपार्जित एवं भण्डारण स्थल पर जमा मात्रा में अंतर की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। रबी विपणन वर्ष 2019-20 के पूर्व में उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में अंतर का कारण समय पर स्कन्ध का परिवहन न होना है। इस संबंध में विपणन सहकारी संस्था, नागदा व खाचरौद द्वारा आर्बीट्रेटर कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य माह मार्च के स्थान पर अप्रैल से प्रारम्भ किया जा सका। समस्त पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का अवसर प्रदान करने हेतु उपार्जन एवं परिवहन का कार्य माह जून, 2020 में भी जारी रहा। माह मई के अंतिम सप्ताह में 'निसर्ग' चक्रवात के कारण पूरे प्रदेश में भारी बारिश हुई। साथ ही, मानसून समय से पूर्व आने के कारण उपार्जित गेहूं वर्षा से प्रभावित होने के कारण उपार्जित एवं जमा मात्रा में अंतर आया है, जिसका अंतिमीकरण प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जिला उपार्जन समिति के प्रस्ताव, किसानों की सुविधा एवं विगत वर्ष निसर्ग तूफान के कारण असामयिक वर्षा से उपार्जित गेहूं प्रभावित होने के कारण नागदा जं. एवं खाचरौद संस्थाओं को उपार्जन का कार्य सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट- "सत्रह"</u>

फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

117. अता.प्र.सं. 22 (क्र. 3054) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. में समर्थन मूल्य में किसानों पर फसल की खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन कराया गया है? यदि हाँ, तो विवरण सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने किसानों का पंजीयन हुआ? फसलवार विवरण सहित बतावें। जिले में लक्ष्य के अनुरूप कितनी खरीदी हुई? कितनी शेष है, शेष खरीदी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या जिले में टोकन जारी करने के बाद किसानों की फसल की खरीदी नहीं हो पाई है? यदि हाँ, तो कितने किसानों की कितनी-कितनी खरीदी शेष रह गई है? फसलवार बतावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीदी हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कुल 7,24,962 एवं रबी विपणन वर्ष 2021-22 में कुल 24,72,467 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया है। **(ख)** जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान के कुल 5570 एवं रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं -416, किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया। समर्थन मूल्य पर स्कंध के उपार्जन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। उपार्जन की तैयारी हेतु उपार्जन अनुमान लगाया जाता है जिसके अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन हेतु अनुमान 70000 मे.टन के विरूद्ध 71000 मे.टन की खरीदी की गई है तथा रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं उपार्जन अनुमान 3000 मे.टन के विरूद्ध 2749 मे.टन गेहूं की खरीदी की गई है। जिले में जिन किसानों को टोकन (कृषक तौल पर्ची) जारी किये गये है उन सभी किसानों के फसल की खरीदी की गयी। जिले में कोई किसान शेष नहीं है।

उचित राशन की दुकानों में गड़बड़ी की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

118. अता.प्र.सं. 25 (क्र. 3157) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में उचित मूल्य की कितनी राशन दुकानों पर 01 मार्च 2017 के बाद से प्रश्न दिनांक तक खाद्यान वितरण में अनियमितताएं पाई गई है? जिलावार संख्या बतायें। अनियमितता पाये जाने पर उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों पर क्या-क्या कार्यवाही इस अवधि में की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में काला बाजारी के कितने प्रकरण विभाग ने दर्ज कराये एवं कितना क्विंटल खाद्यान जब्त किया हैं? जिलावार बतावें। **(ग)** कालाबाजारी करने के कितने मामलों में दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया और कितनों के विरूद्ध ए.एस.ए. एवं अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये गये। **(घ)** शासकीय खाद्यान के वितरण में अनियमितता मिलने पर इंदौर, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, राजगढ़, मंडला और बालाघाट में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

गुणवत्ता विहीन कार्य करने एवं करवाने वालों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

119. ता.प्र.सं. 17 (क्र. 3222) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सिंगरौली व रीवा में आपेन कैप (शेड) क निर्माण बाबत् कहां-कहां स्वीकृति प्रदान की गई की जानकारी स्थान व लागत सहित बतावें कि उक्त कार्य किन संविदाकारों/ठेकेदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं प्राक्कलन अनुसार क्या कार्य कराये जा रहे हैं

इनके गुणवत्ता की जांच कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी आधारों पर की गई की जानकारी तिथिवार नाम सहित देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के शेड़ों के निर्माण में प्राक्कलन अनुसार किन-किन सामग्रियों के उपयोग बाबत् अनुमति प्रदान की गई है, के नाम व प्रतिशत की जानकारी देवें? क्या कार्य प्राक्कलन में दर्शाये सामग्रियों के उपयोग अनुसार कार्य कराये जा रहे हैं अथवा नहीं बतावें? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रीवा जिले की तहसील गुढ़ की ईटार पहाड़ में निर्माणाधीन आपेन कैंप का निर्माण प्राक्कलन अनुसार सामग्री का उपयोग कर नहीं बनाया जा रहा बल्कि लाल मिट्टी का उपयोग कर पटाई की जा रही है, इसकी जांच किन सक्षम अधिकारियों से समिति बनाकर करावेगें बतावें? अगर नहीं करावेगें तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) **(ख) (ग)** में उल्लेखित तथ्यों का पालन कर कार्य न कराया जाकर गुणवत्ता विहीन कार्य कराकर राशि का गबन किया जा रहा है एवं निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की रायल्टी जमा कर जिन विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्र लिये गये तो उसका विवरण देते हुये बतावें? अगर नहीं लिये गये खनिज संपदा का उपयोग बिना रायल्टी जमा किये संविदाकारों द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुये रायल्टी जमा कराये जाने बाबत् निर्देश जारी करेंगे? तो कब तक बतावें अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिला सिंगरौली गौड़वहरा सरई में 5000+5000 कुल 10000 मे.टन कैप निर्माण की स्वीकृतियां मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन के आदेश क्र. 3845 दिनांक 04/11/2020 एवं आदेश क्रमांक 3846 दिनांक 04/11/2020 द्वारा ठेकेदार मेसर्स रोली कंस्ट्रक्शन, सीधी एवं ठेकेदार मेसर्स आस्था इंजीनियरिंग, सतना को कार्यादेश राशि रूपये 40,82,944 के जारी किए गए हैं। रीवा जिले में इटार पहाड़ गुढ़ में 20000 मे.टन क्षमता के केप निर्माण की स्वीकृति मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के आदेश क्र. 3844 दिनांक 04/11/2020 द्वारा ठेकेदार मोहम्मद सलीम, रीवा को कार्यादेश राशि रूपये 1,62,20,736 का जारी किया गया है। प्राक्कलन एवं स्वीकृति डिजाइन ड्राईंग अनुरूप एवं मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा आनलाईन मीटिंग में जारी दिशा-निर्देशानुसार उक्त कार्य कराया जा रहा है। रीवा जिले में इटार पहाड़ गुढ़ में निर्माणधीन 20000 मे.टन क्षमता की केप का निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जाँच कलेक्टर, रीवा के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग से कराई जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग रीवा द्वारा चाहे गए दस्तावेज प्रेषित कर दिए गए हैं। कार्य की गुणवत्ता की जाँच हेतु मटेरियल टेस्टिंग एवं क्यूब का परीक्षण प्रमाणित एन.ए.बी.एल. लेब अवधिया कन्सल्टेंसी एवं टेस्टिंग लेबोरेटरी तथा शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, रीवा से सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन, रीवा के पत्र क्रमांक 2311 दिनांक 11/12/2020 एवं पत्र क्रमांक 2171 दिनांक 01/12/2020 अनुसार कराई गई है। सरई जिला सिंगरौली में भी केप निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच हेतु मटेरियल टेस्टिंग एवं क्यूब का परीक्षण प्रमाणित एन.ए.बी.एल. लेब अवधिया कन्सल्टेंसी एवं टेस्टिंग लेबोरेटरी से सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड

लाजिस्टिक कार्पोरेशन, रीवा द्वारा के पत्र क्रमांक/20-21/फ2 दिनांक 01/02/2021 अनुसार कराई गई है। **(ख)** कैप निर्माण का कार्य स्वीकृति प्राक्कलन एवं स्वीकृति डिजाइन ड्राईंग एवं निर्धारित माप अनुरूप 20 एमएम मेटल, 40 एमएम मेटल, रेत, अच्छी मिट्टी, मुरम, स्टोन डस्ट इत्यादि निर्माण मटेरियल का उपयोग करते हुए किया गया है। स्वीकृति प्राक्कलन एवं स्वीकृति ड्राईंग डिजाइन अनुरूप एवं मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार केप निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। **(ग)** इटार पहाड़ तहसील गुढ़ में निर्माणाधीन 20000 मे.टन क्षमता केप निर्माण का कार्य मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन एवं स्वीकृति ड्राईंग डिजाइन अनुरूप केप निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी जाँच कलेक्टर, रीवा के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग से कराई जा रही है। **(घ)** ठेकेदार द्वारा उपयोग की जा रही सामग्री के गुणवत्ता के अनुरूप एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा मटेरियल की प्रदत्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ठेकेदार को देयक अनुसार राशि रू. 28,72,987 का भुगतान किया गया है, जो कि सम्पूर्ण कार्य का मात्र 17% है। शेष किसी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि का गबन नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री का अनुज्ञा-पत्र किसी विभाग से प्राप्त नहीं है परन्तु, ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही खनिज सम्पदा की रायल्टी की राशि मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा उक्त कार्य के चलित देयकों से कटौत्रा की जा रही है, जो अंतिम देयक निराकरण के पूर्व संबंधित कलेक्टर/खनिज अधिकारी से रायल्टी की राशि जमा की अनापत्ति प्राप्त होने पर मुक्त की जाती है अन्यथा शासन के संबंधित मद में मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा जमा कराई जाती है। रायल्टी का कटौत्रा ठेकेदार के चलित देयकों से किया जा रहा है। ठेकेदार पर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पृथक वितरित</u>

राइस मिलरों द्वारा विभागीय सांठ-गांठ से की जा रही अनियमितता हेतु
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

120. अता.प्र.सं. 40 (क्र. 3471) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना एवं रीवा जिले के अन्तर्गत कितनी राइस मिलें वर्तमान में चालू हालत में हैं? उनके नाम, पार्टनर प्रोप्राइटर सहित बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की राइस मिलों द्वारा विगत 2 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक किन-किन राइस मिलों द्वारा कितनी-कितनी धान मिलिंग हेतु नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त की गई, कितनी मिलिंग की गई? मिलवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) की राइस मिलों द्वारा जमा किए चावल में से कितने लाट किस-किस राइस मिल के अमानक पाए गए? जानकारी देते हुए बतायें कि उस अमानक चावल का क्या किया गया? क्या उन राइस मिलरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज किया गया? यदि नहीं किया गया तो कब तक करेंगे। **(घ)** क्या रीवा जिले में विगत वर्षों में

परिवहनकर्ताओं द्वारा कई ट्रक धान और गेहूं वेयर हाउस में न पहुंचाकर गबन किया है अर्थात बाजार में विक्रय कर दिया गया है? उन प्रकरणों की क्या स्थिति है?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** सतना-66 एवं रीवा-31 जिले में राईस मिल चालू हालात में हैं जिनके नाम एवं उनके पार्टनर/प्रोप्राइटर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** सतना एवं रीवा जिले के राईस मिलर्स द्वारा विगत दो वर्षों में मिलर्सवार धान मिलिंग हेतु प्राप्त धान एवं धान मिलिंग से प्राप्त चावल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–'ब' अनुसार** है। **(ग)** राईस मिलर्स द्वारा जमा किए गए चावल में से अमानक पाये गये लॉट की मिलर्सवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–'स' अनुसार** है। धान की कस्टम मिलिंग नीति अनुसार मिलिंग से प्राप्त अमानक स्तर का चावल संबंधित मिलर्स को वापस कर उसके स्थान पर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया गया। मिलर्स के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं किया गया है। राज्य की कस्टम मिलिंग नीति अनुसार कार्यवाही की गई है। **(घ)** वर्ष 2019-20 में रीवा जिले में एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अनुबंधित परिवहनकर्ता मेसर्स सत्यम रोड़ लाईंस द्वारा गेहूं परिवहन में गबन किये जाने पर परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा परिवहनकर्ता को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है।

गेहूँ खरीदी केन्द्रों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

121. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 3535) श्री बाबू जण्डेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला श्योपुर की विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में गेहूं की फसल की बम्पर पैदावार को देखते हुये क्या नवीन गेहूं खरीदी केन्द्र/सायलोकेन्द्र प्रस्तावित किये गये है? यदि हां? तो कहां-कहां पर सूची उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यो? **(ख)** क्या श्योपुर वि.स.क्षे.के कृषक साइलोकेन्द्र नागदा,सलमान्या से भौगोलिक दृष्टि से दूर करीब सैकड़ों ग्रामों के कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने के लिये पन्द्रह से बीस किलोमीटर दूर से उक्त दोनों साइलो केन्द्रों के उबड़-खाबड़ सड़कों से होकर अपनी गेहूं की उपज विक्रय के लिये जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है तथा नागदा सायलो केन्द्र पर चम्बल नहर के खराब रास्ते के कारण विगत वर्षो में किसानों के ट्रेक्टर ट्रॉली नहर में गिरने से किसानों के मरने की घटना घटित हुई है? क्या उपज बेचने में करीब 2 से 4 दिनका समय लगता है,जिससे उन्हें अतिरिक्त भाड़ा भी चुकाना पड़ता है एवं कृषकों को लाभ की बजाय हानि हो रही है? **(ग)** यदि हां तो उक्त वर्णित समस्याओं के समाधान के लिये शासन/प्रशासन द्वारा कोई योजना एवं तैयारी की गयी है? यदि हां? तो क्या अवगत करावें? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? **(घ)** कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु क्या शासन प्रशासन विगत वर्ष 2020-21 की भांति वि.स. श्योपुर में संचालित साइलोकेन्द्र नागदा एवं सलमान्या से पृथक कर नवीन संचालित किये गये खरीदी

केन्द्र जलालपुरा, आसीदा, गोहेड़ा, सोईकलां, नागरगांवड़ा, तथा नयागांवतेहखण्ड, बोरदादेव, लुहाड़, यथावत रखेंगे? यदि हां तो सूची उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु 68 केन्द्र स्थापित किए गए थे। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु केन्द्र निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु ग्राम मानपुर एवं पानड़ी में सायलो बैग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु नागदा एवं सलमान्या में साइलो बैग स्थापित किए गए थे। गेहूं उपार्जन हेतु जारी नीति अनुसार यथासम्भव उपार्जन केन्द्र से सम्बद्ध मैप की गई पंचायतों के केन्द्र बिन्दु में हो, जिससे कृषकों को सामान्यत: 25 कि.मी. से अधिक दूरी तय न करने का प्रावधान किया गया है। नागदा एवं सलमान्या साइलो बैग पर उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषक की सड़क खराब होने से असामयिक मृत्यु की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। कृषकों को उपज विक्रय करने हेतु एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है एवं कृषक को अपनी उपज विक्रय करने हेतु 2 से 4 दिन का समय नहीं लगा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का भंडारण सुनिश्चित करने, किसानों के शीघ्रता से भुगतान, उपार्जन एवं परिवहन में होने वाली कमी को सीमित करने की दृष्टि से जिला उपार्जन समिति द्वारा साइलो की क्षमतानुसार उपार्जन केन्द्रों को साइलो बैग पर संलग्न करने की कार्यवाही की जाएगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पृथक वितरित</u>

कटनी जिले में खाद्यान्न का समर्थन मूल्य पर उपार्जन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

122. अता.प्र.सं. 60 (क्र. 4133) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2207,दिनांक 17/07/2019 के तारतम्य में विगत-02 वर्षों के रबी/खरीफ उपार्जन वर्षों में किन-किन खरीदी केन्द्रों में क्या-क्या अनियमितता किस प्रकार ज्ञात हुई और प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? **(ख)** खरीदी-केन्द्रों में बारदानों की आपूर्ति की ज़िम्मेदारी किस कार्यालय/विभाग की होती हैं? इसके क्या नियम/निर्देश हैं? क्या वर्ष 2019-20 से कटनी-जिले में बारदानों के अभाव में खरीदी कार्य प्रभावित हुआ हैं? हाँ,तो इसके क्या कारण रहे, और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** क्या खाद्य कार्यालय कटनी के पत्र दिनांक–21/12/2020 एवं 05/01/2021 से जिला-प्रबन्धक नान कटनी को बारदाना के लिए पत्राचार किया गया था? यदि हाँ,तो क्यों और बारदानों की अनुपलब्धता से धान का उपार्जन/परिवहन/भंडारण एवं भुगतान में खरीदी केंद्रवार कितना विलंब हुआ? क्या इस लापरवाही पर कोई कार्यवाही की गयी? हाँ,तो

क्या? नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के तहत कटनी जिले में खाद्यान्न के उपार्जन में लगतार गंभीर अनियमितता होने का संज्ञान लिया जाकर शासन स्तर से जांच/कार्यवाही की जायेगी और प्रदेश में केंद्रीयकृत व्यवस्था से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन किया जायेंगा? हाँ,तो किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्न क्रमांक 2207 दिनांक 17.07.2019 के तारतम्य में कटनी जिले में विगत दो वर्षों में अमानक/खराब धान, गेहूं एवं दलहन उपार्जन के 17 प्रकरण राजस्व एवं खाद्य के मैदानी अमले द्वारा जांच में पाए गए, जिन्हें कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न एवं दलहन उपार्जन, भंडारण एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण के संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। वर्ष 2019-20 में कटनी जिले में बारदानों के अभाव में खरीदी का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। कृषकों से खाद्यान्न का उपार्जन पूर्ण रूप से संपन्न किया गया है। बारदानों के अभाव में खरीदी का कार्य प्रभावित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां। खाद्य कार्यालय कटनी के पत्र दिनांक 21/12/2020, दिनांक 12.12.2020, 24.12.2020 एवं 05.01.2021 से जिला प्रबंधक नान कटनी को बारदाना की आपूर्ति करने के लिए पत्राचार किया गया था। जिसके पालन संबंधित उपार्जन केन्द्रों में बारदानों की पूर्ती की गयी। बारदानों की अनुपलब्धता से धान का उपार्जन/परिवहन/भंडारण एवं भुगतान में विलंब नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खनिज लीज से किसानों को होने वाली असुविधा
[खनिज साधन]

123. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 4458) श्री विक्रम सिंह : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खनिज लीज स्वीकृत होने से लीज धारक को बिना प्रतिकर किसानों एवं निजी व्यक्तियों के खसरे में लीज की पृविष्टि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे किसानों को ऋण की सुविधा बंद हो जाती है, खरीद बिक्री पर रोक लग जाती है एवं किसानों की भूमियों पर लीज धारक को अधिकार प्राप्त हो जाता है? **(ख)** सतना जिले के किस-किस विकासखण्ड में कितने-कितने भूमियों पर बिना प्रतिकर भुगतान किये लीज खसरा खतौनी में अंकित की गई है एवं किसके आदेश से की गई है? हल्कावार बतायें। **(ग)** उक्त अवैधानिक लीज प्रविष्ट कब तक विलोपित कर दी जावेगी?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है। **(ग)** लीज प्रविष्टी प्रथम दृष्टया अवैधानिक नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट- "अठारह"</u>

उपभोक्ता न्यायालय में शिकायतों का निस्तारण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

124. अता.प्र.सं. 92 (क्र. 4560) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला स्तर पर उपभोक्ता द्वारा किस-किस प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है? क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम2019 की धारा- 35 में प्रावधानित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है या कोई नया अधिनियम है? **(ख)** उज्जैन संभाग में जनवरी2018से दिसम्बर2020तक कितनी शिकायतें किस-किस तरह की प्राप्त हुईं और कितनों का निस्तारण किया गया और कितने प्रकरणों में जुर्माना किया गया? उक्त अवधि में निराकृत प्रकरणों में जुर्माने की राशि की जानकारी देवें। **(ग)** सरकार की मिलावट खोरी एवं जालसाजी के प्रकरणों से निपटने की क्या कार्ययोजना है? प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के कितने एनजीओ प्रदेश में कहाँ-कहाँ कार्य कर रहे हैं? उक्त अवधि में शासन द्वारा प्रदेश के एनजीओ को कुल कितनी राशि दी गयी, राशि के एवज में उक्त संस्थाओं द्वारा कहाँ-कहाँ शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक या अन्य कार्य किया? इन एनजीओ के खिलाफ प्रदेश में कहाँ-कहाँ,किस-किस व्यक्ति द्वारा शिकायत उक्त अवधि में की गयी? **(घ)** उक्त अवधि में प्रदेश में किन-किन एनजीओ को राज्य एवं प्रदेश स्तरीय पुरूस्कार दिए गये? क्या पुरुस्कार चयन हेतु कोई कमेटी का गठन किया गया? यदि हाँ तो इसमें कौन-कौन सदस्य थे? उनकी उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में योग्यता की जानकारी देवे। क्या प्रदेश में उपभोक्ता पुरुस्कारो को लेकर भारी अनियमितता हो रही है? इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** उपभोक्ता द्वारा मूल्य अदा करके क्रय किये गये माल/सेवाओं में त्रुटि/कमी एवं अनुचित व्यापार-व्यवहार होने पर राशि रूपये 1 करोड़ तक के मामले की शिकायत जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-35 में प्रावधानित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन ई-दाखिल पोर्टल पर अथवा ऑफलाईन दोनों ही माध्यम से उपभोक्ता द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दर्ज करायी जा सकती है। जी हॉ, अन्य कोई नया अधिनियम नहीं है। **(ख)** उज्जैन संभाग के जिला उपभोक्ता आयोगों में प्रश्नाधीन अवधि में आटोमोबाइल्स, बैंक, शिक्षा, विद्युत उपकरण, साधारण बीमा, जीवन बीमा, चिकित्सा, गृह निर्माण, पेट्रोलियम, डाक विभाग, टेलीफोन, परिवहन, सहारा क्रेडिट, एयरलाईन्स, रेल्वे, कोरियर, ज्वेलर्स, को-ऑपरेटिव सोसायटी, नगरपालिका, भविष्य निधि, आदि से संबंधित 3999 शिकायतें दायर हुई जिनमें से 813 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रशनाधीन अवधि में निराकृत प्रकरणों में रू. 3,49,79,367/- (रू. तीन करोड़ उनचास लाख, उन्यासी हजार, तीन सौ सड़सठ) का जुर्माना किया गया। **(ग)** मिलावटखोरों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जालसाजी के प्रकरणों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा आई.पी.सी की धारा-468 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण में अनुदान पर 10 एन.जी.ओ. कार्यरत है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र- अ अनुसार है। संस्थाओं को दी गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। संस्था द्वारा किये गये कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। इन एन.जी.ओ. के खिलाफ विभाग स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है। सदस्यों की उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में योग्यता से संबंधित जानकारी अभिलेखों में उपलब्ध नही है। जी नही, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नही आया है अत: प्रश्न उपस्थित नही होता।

म.प्र उपभोक्ता कल्याण कोष

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

125. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 4561) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अन्य प्रदेशों की तरह म.प्र में भी उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गयी है? यदि हाँ तो कब से? यदि नही तो क्यों? वर्तमान एवं विगत 3 वर्षों में कोष की सकल प्राप्तियों का विवरण क्या है? क्या राज्य में उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई? सहायता राशि सम्मिलित है? प्रदेश में युवाओं में उपभोक्ता आन्दोलन मजबूत करने के लिए शासन की क्या योजना प्रचलन में है? योजनाओं से अवगत करायें। **(ख)** कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान एवं विगत 3 वर्षों में प्रतिवर्ष कोष की निधि का उपयोग कौन-कौन से प्रयोजनों हेतु कितनी मात्रा में किया गया? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** उपभोक्ता क्लब के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? राज्य के कितने महाविद्यालयों/विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब स्थापित हैं? वर्तमान एवं विगत 3 वर्षों में उपभोक्ता क्लबों की कितनी सहायता दी गई? प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभाग को कुल कितना बजट गत 3 वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुआ, किस-किस कार्य के लिए कुल कितना उक्त अवधि में खर्च किया गया? **(घ)** विगत 3 वित्तीय वर्षों में उपभोक्ता क्लबों ने दी गई सहायता का उपयोग किन-किन प्रयोजनों पर किया?

खाद्य मंत्री : [प्रश्नांश **(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। मध्यप्रदेश में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना वर्ष 2010-11 में की गई हैं। कोष की वर्तमान में सकल प्राप्तियां राशि रूपये 12,17,28,370/- है विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है एवं विगत तीन वर्षों की ब्याज के रूप में सकल प्राप्तियां राशि 2,19,92,268 प्राप्त होना है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। जी हां। प्रदेश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वर्तमान में उपभोक्ता जागरूकता कार्ययोजनाएं प्रचलित हैं जिसके अंतर्गत उपभोक्ता क्लब योजना, उपभोक्ता मित्र योजना एवं ग्रामीण उपभोक्ता सशक्तीकरण योजना हैं, जिसमें उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित कर सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाना शामिल है। **(ख)** उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता का मूल उददेश्य उपभोक्ताओं के कल्याण एवं हितों को संरक्षित एवं

संवर्धित करना, उपभोक्ता में जागरूकता तथा उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करना है। वर्तमान एवं विगत 3 वर्षों में प्रतिवर्ष कोष की निधि के उपयोग का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** 'उपभोक्ता क्लब' का उददेश्य उपभोक्ताओं के कल्याण एवं हितों की रक्षा करने को उन्हें प्रोत्साहित करना, उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना तथा उपभोक्ता आंदोलन सशक्त करना है जिसमें उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित करना एवं इसमें सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाना शामिल है। उपभोक्ता क्लब के कार्यों में क्लब की बैठकों एवं गतिविधियों के माध्यम से शासन द्वारा प्रसारित जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाना एवं विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर एवं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च जैसे अवसरों पर सक्रिय भागीदारी प्रदान कर समाज में उपभोक्ता शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना एवं राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन का प्रचार-प्रसार करना शामिल है राज्य में उपभोक्ता कल्याण निधि से उपभोक्ता संस्थाओं को दिए गए अनुदान में से महाविद्यालय/विद्यालय में उपभोक्ता क्लब स्थापित नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उपभोक्ता क्लब को सीधे सहायता नहीं दी जाती है। गत 3 वित्तीय वर्षों में प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभाग को कुल प्राप्त बजट एवं उक्त अवधि में कार्यवार खर्च **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार** है। **(घ)** उपभोक्ता क्लब को सीधे सहायता नहीं दी जाती है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

126. अता.प्र.सं. 101 (क्र. 4657) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? उचित मूल्य की दुकानों पर कहां-कहां कितने हितग्राहियों की संख्या दर्ज है? उनमें से कितने हितग्राही गरीबी रेखा एवं कितने अति गरीबी रेखा में शामिल हैं? समस्त जानकारी उचित मूल्य दुकानवार उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में उचित मूल्य की दुकानों पर ऐसे कितने सेल्समैन हैं जिनके विरूद्ध शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही की गई है तथा कितने शिकायती प्रकरण लम्बित हैं? प्रकरण दिनांक सहित कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें। **(ग)** वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्यों की दुकानों में कितने प्रकार की कौन-कौन सी राशन सामग्री भेजी गई तथा प्रति हितग्राही के हिसाब से कितनी-कितनी मात्रा में वितरित की गई है? प्रति हितग्राही को कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी खाद्य सामग्री प्रदाय करने का प्रावधान है? उचित मूल्य दुकानवार जानकारी उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [प्रश्नांश **(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 123 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। शेष भाग की **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख) 06** उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के विरूद्ध शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 08 प्रकरण निर्मित किए गए हैं। कोई शिकायत लंबित नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नांकित अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक, केरोसीन, आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत गेहूं तथा चना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत गेहूं, चावल, दालें भेजी गईं। वितरण के मापदंड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

नियम विरूद्ध पेट्रोल पंप आवंटन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

127. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 4684) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नरसिंहपुर जिला अंतर्गत आई.ओ.सी.एल. कंपनी द्वारा नियम विरूद्ध पेट्रोल पंप आवंटन किये जाने संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 03 फरवरी 2021 को कलेक्टर नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था? **(ख)** यदि हां तो उक्त पत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? बिंदुवार जानकारी दें। **(ग)** क्या इसी संबंध में नितिन कोरी मु.पो. खमरिया तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर द्वारा भी शिकायत की गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** नियम विरूद्ध आवंटन को कब तक निरस्त कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। **(ख)** उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के समान ही बिंदु वाली शिकायत जो कि श्री नितिन कोरी द्वारा की गई थी, की जांच तहसीलदार गोटेगांव द्वारा की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** जी हां। प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार कार्यवाही की गई है। **(घ)** इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा प्रबंधक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर को लिखा गया है जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

खाद्यान्न परिवहन की निविदा शर्तों का उल्लंघन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

128. परि.अता.प्र.सं. 117 (क्र. 4762) श्री प्रदीप पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खाद्यान्न परिवहन के ठेकेदारों द्वारा उपार्जित स्कंध के परिवहन हेतु अनुबंध की कंडिका 32.1 अनुसार निविदा की शर्त का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी वसूली किया जाना प्रावधानित किया है? रीवा संभाग से किस-किस खाद्यान्न परिवहन के ठेकेदारों पर निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने के प्रकरण शासन के समक्ष आने पर 01.04.2018 से प्रश्नतिथि के दौरान जिलेवार/प्रकरणवार/ठेकेदारोंवार/राशिवार कितनी-कितनी राशि की पेनाल्टी प्रश्नतिथि तक शासन के द्वारा वसूल कर जमा करवाई गई? बिन्दुवार विवरण दें। **(ख)** क्या

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना के आदेश क्रमांक/435/उपार्जन/विपणन संघ/2020 सतना दिनांक 13.08.2020 से परिवहनकर्ता पर 7357119=00 (शब्दों में तिहत्तर लाख सन्तावन हजार एक सौ उन्नीस रूपये) की राशि जमा कराने जाने का आदेश जारी किया था? प्रश्नतिथि तक शासन/जिला प्रशासन ने कितनी राशि उक्त परिवहनकर्ता के देयकों से कटौती कर संबंधित कृषकों को नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है? सूची दें। राशि बतायें। अगर नहीं की गई है तो कारण दें। नियम बतायें। कब तक की जायेगी? **(ग)** क्या कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना के दूसरे आदेश क्रमांक 436/उपार्जन/विपणन संघ/2020 सतना दिनांक 13.08.2020 से किस परिवहनकर्ता पर 2,87,48,125=00 (शब्दों में दो करोड़ सतासी लाख अड़तालीस हजार एक सौ पच्चीस रूपयों) की राशि जमा कराने का आदेश जारी किया था? प्रश्नतिथि तक शासन/जिला प्रशासन ने कितनी राशि उक्त परिवहनकर्ता के देयकों से कटौती कर संबंधित कृषकों को नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है? सूची दें। राशि बतायें। अगर नहीं की गई तो कारण दें। नियम बतायें। कब तक की जायेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। परिवहनकर्ताओं पर प्रकरणवार/ठेकेदारोंवार/राशिवार पेनाल्टी अधिरोपित की जिलेवारी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश जारी होने के कारण सतना जिले में परिवहनकर्ताओं पर पेनाल्टी वसूली की कार्यवाही लंबित है। **(ख)** जी हां। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 13.08.2021 द्वारा वर्ष 2020-21 में गेहूं परिवहन के लिए अनुबंधित परिवहनकर्ता श्री दिलीप कुमार जैसवाल पर 73,57,119/- (तिहत्तर लाख सतावन हजार एक सौ उन्नीस रूपए) की परिवहन में विलंब होने के कारण पेनाल्टी अधिरोपित की गई, परिवहनकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश लिया गया है। न्यायालयीन प्रकरण होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सतना जिले के परिवहनकर्ताओं पर अधोरोपित 1260470 रूपए एवं वर्ष 2018-19 में सिंगरौली जिले के परिवहनकर्ता शांत्री प्रसाद तिवारी अधोरोपित 150000 रू. की पेनाल्टी की राशि परिवहनकर्ताओं के देयकों से कटौती कर निगम में जमा कराई गई है। **(ग)** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 13.08.2020 द्वारा वर्ष 2020-21 में गेहूं परिवहन के लिए अनुबंधित परिवहनकर्ता श्रीमती कुसुम जैसवाल पर 2,87,48,125/- (दो करोड़ सतासी लाख अड़तालीस हजार एक सौ पच्चीस रूपए) की परिवहन में विलंब होने के कारण पेनाल्टी अधिरोपित की गई, परिवहनकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश लिया गया है। न्यायालयीन प्रकरण होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट- "उन्नीस"</u>

धान उपार्जन के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

129. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 4796) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विगत तीन वर्षों में समर्थन मूल्य अंतर्गत कितने-कितने किसानों से धान उपार्जित किया गया? जिले अनुसार तथा उपार्जन एजेन्सी अनुसार बतावें। **(ख)** क्या उपार्जन एजेन्सीयों के द्वारा खरीदी केन्द्रों को खरीदी के बाद उपार्जित धान की राशि तथा लेबर व प्रासंगिक व्यय, कमीशन आदि का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? यह भुगतान कब तक कर दिया जाएगा तथा भुगतान में देरी के लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** क्या उपार्जित धान की राशि सभी किसानों को भुगतान कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? भुगतान में देरी का कारण स्पष्ट करते हुए इसके लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(घ)** बालाघाट जिले में कितने किसानों को धान की राशि का भुगतान करना शेष है? वर्षवार व केन्द्रवार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में विगत 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की जानकारी उपार्जन एजेंसीवर एवं जिलेवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के दौरान प्रासंगिक व्यय, कमीशन आदि तदर्थ दर से भुगतान की व्यवस्था है। उपार्जन अवधि समाप्त होने उपरांत उपार्जन समितियों द्वारा अंकेक्षित देयक प्रस्तुत करने के उपरांत शेष बकाया टीडीएस, शेष बारदाना की राशि का समायोजन करने के उपरांत शेष राशि का भुगतान उपार्जन समितियों को कर दिया जाता है। **(ग)** प्रदेश में खरीफ उपार्जन के दौरान एफएक्यू स्तर का धान विक्रय करने वाले समस्त किसानों को भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर एफएक्यू स्तर की धान विक्रय करने वाले किसानों का भुगतान शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उपार्जन केन्द्रों की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

130. परि.अता.प्र.सं. 142 (क्र. 4920) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में वर्ष 2020 में गेहूँ एवं चना के कुल कितने उपार्जन केन्द्र निर्धारित किए गए थे? इन पर कितनी खरीदी की गई? केन्द्रवार, विधानसभावार पृथक-पृथक देवें। **(ख)** क्या जिले में जितना गेंहू उपार्जित किया गया, उतना ही भंडारित भी किया गया? प्रत्येक भंडारण केन्द्र की जानकारी केन्द्रवार, विधानसभावार पृथक-पृथक देवें। **(ग)** भंडारण एवं उपार्जन में अंतर किस कारण से रहा? इस हानि के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** उज्जैन जिले में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु 175 तथा चना उपार्जन हेतु 20

उपार्जन केन्द्र निर्धारित किए गए थे। इन उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित मात्रा की केन्द्रवार, विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। उज्जैन जिले में वर्ष 2020-21 में कुल 8357049.48 क्विं. गेहूं का उपार्जन किया गया था जिसमें से जिले में तत्समय उपलब्ध रिक्त भण्डारण क्षमता के अनुसार शत-प्रतिशत पूर्ण भंडारण करने उपरांत सड़क एवं रेल मार्ग से अंतर जिला परिवहन कर कुल 8226739.85 क्विं. गोदामों में भंडारण किया गया है। निसर्ग चक्रवात तूफान के कारण हुई असामयिक वर्षा से उपार्जित मात्रा में से 130309.63 क्विं. क्षतिग्रस्त एवं अमानक हुआ है। जिसका भंडारण नही किया जा सका है। जिले में भंडारित किए गेहूं की केन्द्रवार, विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** उज्जैन जिले में उपार्जन अनुमान से अधिक उपार्जन होने, कोविड-19 के कारण उपार्जन कार्य माह जून 2020 तक करने तथा निसर्ग चक्रवात तूफान के कारण हुई असमायिक वर्षा के कारण 130309.63 क्विंटल उपार्जन केन्द्रों पर भंडारित गेहूं वर्षा से भीग कर क्षतिग्रस्त एवं अमानक होने के कारण गोदामों में जमा नहीं कराया जा सका। जिसके कारण उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में अंतर परिलक्षित हुआ है। असामयिक वर्षा से खराब हुए स्कंध के लिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। परिवहन में विलंब के लिए उत्तरदायी परिवहनकर्ता के विरूद्ध 5.09 करोड़ राशि रूपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है।

जलाशय योजना की नहरों का निर्माण

[जल संसाधन]

131. परि.अता.प्र.सं. 149 (क्र. 4948) श्री हर्ष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सागर जिले के विकासखण्ड केसली अंतर्गत सूरजपुरा जलाशय योजना की नहरों का निर्माण कार्य अधूरा है, फिर भी ठेकेदार को पूर्ण भुगतान किया गया है? **(ख)** क्या उक्त ठेकेदार का अंतिम देयक रू. 200 लाख का ऋणात्मक प्रस्तुत हुआ है? भुगतान कराने/करने में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? **(ग)** सागर जिले के अन्य अनुबंध के कौन-कौन से अंतिम देयक अन्य योजनाओं के ऋणात्मक प्रस्तुत हुए? उनकी क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को कब तक निलंबित कर विधिवत जांच करायी जावेगी एवं राशि की वसूली कब तक की जाकर कार्य पूर्ण करा लिये जावेंगे? **(ङ)** सागर जिले में वर्ष अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक कौन-कौन से अनुबंध को बगैर फाइनल किये ही किन-किन अधिकारियों द्वारा ठेकेदार की गारंटी राशि वापिस ली गयी है? क्या यह नियम विरूद्ध है? यदि हां तो ग्यारंटी वापिस करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) से (ड.)** जी हाँ, सूरजपुरा जलाशय परियोजना की नहरों का निर्माण कार्य अधूरा है। अनुबंधित ठेकेदार को राशि रू.1409.039 लाख के विरूद्ध रू. 1192.20 लाख भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। ठेकेदार का रू. 202.05 लाख का अंतिम ऋणात्मक देयक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हिलगन जलाशय के नहर का कार्य दिनांक 18.03.2020 से प्रगतिरत है

एवं सूरजपुरा जलाशय के शेष नहर कार्य को पूर्ण कराने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। सागर जिले में वर्ष अप्रेल 2015 से मार्च 2020 तक ठेकेदारों को अनुबंध फाइनल किए बगैर गारंटी राशि वापिस किए जाने के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही बाबत निर्णय लिया जाना संभव होगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

शिवपुरी जिले की सहकारी संस्थाओं की जानकारी

[सहकारिता]

132. अता.प्र.सं. 161 (क्र. 5293) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिला अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की विगत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट में किन-किन संस्थाओं में गंभीर आर्थिक अनियमिततायें पाई गई? विभाग द्वारा उक्त आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विभाग द्वारा की गई कार्यावाही की जानकारी वर्षवार संस्थावार उपलब्ध करावें। **(ख)** शिवपुरी जिला अंतर्गत विगत तीन वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर हुई खरीदी में किन-किन संस्थाओं द्वारा की गई खरीदी में कौन-कौन सी व कितनी-कितनी उपज की कितनी-कितनी राशि की शार्टेज हुई? इस हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार,संस्थावार,जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** शिवपुरी जिला अंतर्गत विगत तीन वर्षों में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संपन्न हुए निर्वाचन की संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। कहां-कहां निर्वाचन से संबंधित शिकायते प्राप्त हुई तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** शिवपुरी जिले में विगत तीन वर्षों में कुल कितना फर्टीलाईजर प्राप्त हुआ? कितना फर्टीलाईजर वितरण हेतु दिया गया? संस्था द्वारा वितरण उपरांत कितनी-कितनी राशि जमा की गई? किन-किन संस्थाओं द्वारा राशि जमा नहीं की गई? इस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ड.)** शिवपुरी जिले में सहकारिता विभाग का विगत तीन वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा मदवार, राशि वार वर्षवार उपलब्ध करावें।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** शिवपुरी जिला अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट के कुल 20 संस्थाओं में गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें पाई गई, संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। संस्था को हुई हानि की वसूली हेतु विभाग द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 बी अंतर्गत प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **जानकारी वर्षवार, संस्थावार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर हुई खरीदी में शार्टेज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त सहकारिता के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 216 दिनांक 08-03-2021 द्वारा निर्देश दिये गये है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन नहीं होने से निर्वाचन संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(घ)** शिवपुरी जिले के प्रश्नांकित अवधि में कुल 1,14,935.795 मे.टन फर्टीलाईजर प्राप्त हुआ। कुल 77,959.965 मे.टन फर्टीलाईजर वितरण हेतु दिया गया शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ड.)** कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला शिवपुरी से संबंधित प्रश्नांकित 03 वर्षों के आय-व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है।

दिनांक 16 मार्च, 2021

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[नगरीय विकास एवं आवास]

133. परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 3945) श्री तरूण भनोत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल एवं देवास नगर पालिक निगम में पिछले पांच वर्षों में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार/बिन्दुवार पृथक-पृथक जानकारी दी जावे। **(ख)** नगर पालिका निगम, भोपाल के आयुक्त द्वारा अपने पत्र क्रमांक 25/सा.प्र.वि./2021 दिनांक 06.02.2021 को प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर किसी अधिकारी को तत्काल निलंबन करने का अनुरोध किया है? यदि हां तो अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में वर्णित अनुसार उक्त अधिकारी कब-कब कहां-कहां पदस्थ रहे हैं तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें शासन को प्राप्त हुईं तथा अभी तक उन शिकायतों में क्या-क्या कार्यवाही की गई।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा श्री एस.पी. श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर) को सौंपे गये दायित्वों से हटकर बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य करने, शासकीय कार्य में व्यवधान डालने, स्वेच्छाचारिता तथा निगम हित में कार्य नही करने पर निलंबित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** श्री एस.पी. श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देवास, दुर्ग, रतलाम, जबलपुर, खण्डवा, उज्जैन में पदस्थ रहे है। वर्तमान में नगर निगम भोपाल में दिनांक 24.10.2011 से पदस्थ है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** 1.श्री एस.पी. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम भोपाल को निगम में आवश्यकता नहीं होने से प्रशासक संकल्प क्रमांक 181 दिनांक 24/08/2020 की परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 66/सा.प्र.वि/2020 भोपाल दिनांक 25/08/2020 द्वारा उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग नगर पालिक निगम देवास को वापस की गई। कार्यमुक्त करने के पश्चात श्री एस.पी.श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 14307/2020 में पारित आदेश दिनांक 06/10/2020 के पालन में श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी को निगम में पुन: कार्यभार ग्रहण कराया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 268/सा.प्र.वि/2020 भोपाल दिनांक 21.10.2020 द्वारा सी एम हेल्पलाईन महूआ एप मानिटरिंग आई.सी.सी. डोर-

टू-डोर मानिटरिंग का दायित्व सौंपा गया था, परंतु श्री श्रीवास्तव द्वारा अनाधिकृत रूप से अन्नपूर्णा भवन में बैठकर विवाह पंजीयन शाखा के कर्मचारियों को पत्र जारी कर अपने स्तर से कार्य करने के निर्देश दिये गये। जबकि उक्त कार्य श्री श्रीवास्तव को आवंटित नहीं है। जिस पर नगर निगम भोपाल के पत्र क्रमांक 842-843 दिनांक 02.11.2020 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 2. श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी को न्यायालय श्रीमान विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं माननीय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भोपाल में प्रचलित क्रमांक 3/14 में माननीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त कथन विधि अनुकूल नहीं होने से माननीय न्यायालय में असत्य शपथ प्रस्तुत करने बिना सक्षम स्वीकृति/निर्देश प्राप्त किये माननीय न्यायालय में कथन दिये जाने पर सौंपे गये दायित्वों में उदासीनता बरतने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 799-811/आ.क्र/2015 भोपाल दिनांक 25.02.2015 द्वारा निलंबित किया गया था। जिसका प्रकरण माननीय उच्च नयायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में नगर पालिक निगम भोपाल का पत्र क्रमांक269/सा.प्र.वि/2020 भोपाल दिनांक 17/11/2020 द्वारा श्री एस.पी.श्रीवस्तव स्वास्थ्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ति) मूल विभाग नगर पालिक निगम देवास की दो वार्षिक वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। 3. श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निरंतर उन्हे सौंपे गये दायित्वों से हटकर बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य संपादित किये जाने पर भोपाल नगर निगम के पत्र क्रमांक 25/सा.प्र.वि/2021 भोपाल दिनांक 08.02.2021 द्वारा शासन स्तर से निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। 4. श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी की दो वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से आयुक्त नगर पालिक निगम देवास का पत्र क्रमांक 947/स्था/देवास/दिनांक 15.02.2021 के द्वारा रोकी गई है। 5.आयुक्त नगर निगम देवास के आदेश क्रमांक 1390 दिनांक 05.03.2021 के द्वारा श्री श्रीवास्तव को मूलपद स्वच्छता निरीक्षक के पद पर पदावनत करने हुए पदस्थ किया गया था। किन्तु श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक आर.पी.28/2021 में पारित आदेश के तारतम्य में आयुक्त नगर निगम देवास द्वारा पत्र क्रमांक 1421/स्था/2021 दिनांक 06/03/2021 द्वारा यथास्थिति रखते हुए पदावनत आदेश क्रमांक 1390/स्था/2021/देवास दिनांक 05.03.2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

अपराध प्रकरणों की जानकारी

[गृह]

134. अता.प्र.सं. 72 (क्र. 4191) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक अपहरण/गुमशुदगी हत्या, चोरी, बलात्कार एवं मारपीट के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा कितनी देशी व विदेशी मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों की जप्ती की गई? थानावार दिनांकवार प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करायें एवं उक्त प्रकरणों

में क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में उल्लेखित प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ा गया तथा अब तक कितने फरार हैं?

गृह मंत्री : [**(क) एवं (ख)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

नगरीय निकायो के दै.वे.भो कर्मचारी का नियमितीकरण

[नगरीय विकास एवं आवास]

135. अता.प्र.सं. 84 (क्र. 4362) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल द्वारा विनियमितीकरण स्थाईकर्मियों को रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए हैं? रतलाम जिले की नगरीय निकायों में कितने स्थाईकर्मियों को किस-किस पद पर नियमित किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। अगर नहीं किया गया तो क्यों और कब तक कर दिया जावेगा? **(ख)** क्या म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूम्बर, 2016 के आदेशानुसार 01 सितम्बर 2016 तक के दै.वे.भो. तथा मस्टर कर्मियों को विनियमितीकरण योजना में शामिल किया जाना था किन्तु अभी तक नहीं किया गया? क्यों? प्रदेश में ऐसे कितने कार्मिक है? संख्या बताए तथा स्पष्ट करें कि कब तक इन्हें भी उक्त योजना में लाभ दिया जावेगा? **(ग)** उज्जैन संभाग में विनियमितीकरण उपरान्त कितने दैनिक वेतनभोगी/मस्टर कर्मी वर्ष 2016 के पूर्व कार्य कर रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें। क्या उक्त कर्मचारी को भी स्थाईकर्मी बनाया जायेगा? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रदेश की नगरीय निकायों में पदस्थ स्थाईकर्मी स्नातक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त भी हैं? क्या स्नातक स्तर के स्थायी कर्मियों को वर्ग 03 के पदों पर नियमित किया जावेगा। यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? **(ड.)** क्या शासन व्यापम से भर्ती को रोक कर निकायों में वर्तमान में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों, विनियमित कर्मचारियों, दै.वे.भो. तथा मस्टरकर्मियों को योग्यतानुसार तरक्की देने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करेगा? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क) से (ड.)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। रतलाम जिले की नगरीय निकायो द्वारा विनियमितीकरण उपरांत किसी भी स्थायीकर्मी को नियमित नहीं किया गया है। पद रिक्त होने पर स्थायीकर्मियों के विनियमितीकरण पर विचार किया जायेगा। निकायों में कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2016 की कंडिका 1.8 में दिये गये प्रावधान अनुसार समस्त पात्र दैनिक वेतनभोगियों को योजना में शामिल किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2016 की कंडिका 1.8 अंतर्गत दिये गये प्रावधान की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण विनियमितीकरण की पात्रता में नहीं आते है।

शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में दिये गये प्रावधान अनुसार विनियमित किये गये स्थायीकर्मियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2016 अनुसार पात्रता रखने वाले दैनिक वेतन भोगियों को विनियमितीकरण उपरांत स्थायीकर्मी किये जाने तथा स्थायीकर्मीयों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित करने के संबंध में प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मृत्यु प्रकरण पर पुन: विचार कर कार्यवाही
[गृह]

136. अता.प्र.सं. 87 (क्र. 4406) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र धरमपुरी अंतर्गत ग्राम होलीमाल, गोठानया निवासी टीबु पिता बुदीया मेडा की दिनांक 04/04/2020 को प्रात: 7.00 बजे किराना सामान लेने जाते वक्त पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्यवाही से घटना स्थल पर मृत्यु हो गई इस प्रकरण में आज तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या विभाग इन अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या टीबु मेडा कि पत्नि जो आंगनबाड़ी सहायिका थी उनकी भी उक्त सदमें में मृत्यु हो गई एवं अब परिवार में उनके बच्चे जो अनाथ हो गये उनका कोई सहारा नहीं, क्या विभाग परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी या कोई आर्थिक सहायता देगा जिससे परिवार को मदद मिल जाये। क्या शासन दोनों प्रकरणों पर विचार करेगा? यदि हां तो कब तक?

गृह मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। टीबु पिता बुदीया मेडा की मृत्यु हृदयघात से हुई है। अतः किसी पर कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। **(ख)** जी नहीं। टीबु मेडा की पत्नी कुंवरबाई की मृत्यु सदमे से नहीं हुई है। उक्त संबंध में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का संविलियन
[नगरीय विकास एवं आवास]

137. अता.प्र.सं. 104 (क्र. 4564) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कौन-कौन से विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" (साडा) थे? क्या इन्हें शासन के आदेशों के तहत विघटित किया गया? साडा में शामिल रहे किन-किन नगरो,ग्रामों को क्षेत्र की किन-किन निकायों तथा ग्राम पंचायतों में समाविष्ट किया गया? **(ख)** प्रदेश में विघटित साडा में पदस्थ रहे, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को,क्या अतिशेष घोषित कर,इनका शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन किया जा चुका है? **(ग)** विघटित साडा के कितने कर्मचारी,किन-किन पदों पर, वर्तमान में नगरीय विकास एवं आवास विभाग में पदस्थ हैं और इनका मूल पद क्या है? क्या इन कर्मचारियों का इस विभाग

में संविलियन किया जा चुका है? यदि नही तो क्यों? **(घ)** विघटित साडा में ऐसे कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जिन्हें नगरीय विकास एवं आवास विभाग में संविलियन किये बैगर ही पदोन्नति दे दी गयी? ऐसे किन-किन कर्मचारियों को,किन-किन पदों पर पदोन्नत किया गया है,क्या विभाग में संविलियन होने से पूर्व पदोन्नत कर दिए गये कर्मचारियों की पदोन्नति नियमानुसार सही है? यदि नहीं तो ऐसी पदोन्नति के लिए के लिए कौन कौन दोषी है? नियमों के विरुद्ध विभाग में संविलियन होने से पूर्व पदोन्नत कर दिए गये? ऐसे कर्मचारियों को क्या पुन: मूल पद पर पदावनत किया जाएगा? यदि हाँ तो कब-तक? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क) से (ड.)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों का विभाग में संविलियन हो चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करना

[गृह]

138. अता.प्र.सं. 129 (क्र. 4926) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजवीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी दोयेला भवन धूलकूट रोड़ धौलपुर राजस्थान के द्वारा म.प्र. राज्य का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर शासन के अधीन गृह विभाग में वर्ष 2012 में ए.डी.पी.ओ. के पद पर नियुक्ति प्राप्त की? यदि हां, तो बतावें वर्तमान में किस जिला में पदस्थ है? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गुर्जर जाति के राजवीर सिंह गुर्जर द्वारा म.प्र. के जिला मुरैना की तहसील अंबाह के द्वारा म.प्र. का निवासी बन पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 373/95 प्राप्त किया है जबकि जिला मुरैना तहसील अंबाह की दायारा पंजी का कोई राजस्व प्रकरण क्रमांक व जारी दिनांक अंकित नहीं है। **(ग)** दिनांक 10.2.2020 को उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र की शिकायत अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मंच ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा म.प्र. शासन के प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को की गई है? यदि हां, तो बतावें कि प्रकरण में कारगर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

गृह मंत्री : [**(क)** श्री राजवीर सिंह गुर्जर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद परपदस्थ है। इनका तहसील परगना अम्बाह जिला मुरैना द्वारा जारी प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका में उनके द्वारा प्रस्तुत करने पर संलग्न किया गया है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जांच विचाराधीन है। श्री गुर्जर की नियुक्ति दिनांक 24.07.2013 है। वर्तमान में लहार

जिला भिण्ड में पदस्थ हैं। श्री गुर्जर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र क्रमांक 373/95 दिनांक 27.09.1995 का है, जिसे तहसीलदार, अम्बाह जिला मुरैना के पत्र क्रमांक क्यू रीडर/1/219/175/19 अम्बाह, दिनांक 02.03.1995 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी को प्रेषित किया गया था जिसमें श्री राजवीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री शंकर सिंह गुर्जर निवासी भरतपुरा का अन्य पिछडा वर्ग जाति प्रमाण पत्र इस कार्यालय की दायरा पंजी क्रमांक 373, दिनांक 27.09.1995 में दर्ज होना पाया गया है, जिसे सत्यापित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा लेख किया गया है कि सन् 2000 के पश्चात अभिलेख संधारित किया गया है, किन्तु जारी होना नहीं पाया गया। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** शिकायत छानबीन शाखा को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 17 मार्च, 2021

वन भूमि व्यवस्थापन

[वन]

139. ता.प्र.सं. 17 (क्र. 1941) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा सूरजपुरा वनखण्ड से निजी भूमि को पृथक किये जाने के आदेश के विरूद्ध वनमंडल ने कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की? **(ख)** सूरजपुरा वन खण्ड में किस ग्राम के किस किसान के किस खसरा नं. का कितना रकवा शामिल किये किस खसरा नं. का पट्टे पर आवंटित कितना रकवा शामिल किया? इसमें से किस प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक में कितना रकवा वनखण्ड के बाहर पृथक किया? आदेश की प्रति सहित बतावें। **(ग)** वन व्यवस्थापन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर द्वारा निजी भूमि पृथक किये जाने के दिये आदेश के विरूद्ध वन विभाग ने कलेक्टर छतरपुर के समक्ष किस दिनांक को अपील प्रस्तुत की। **(घ)** निजी भूमि को वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान से पृथक करने की कार्यवाही प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं किये जाने का क्या कारण है? कब तक भूमि पृथक कर दी जावेगी?

वन मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-186 (वन) 54 दिनांक 21.03.1957 के अनुक्रम में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** सूरजपुरा वनखण्ड के 07 ग्रामों में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन व्यवस्थापन की कार्यवाही पश्चात आदेश पारित किया गया। जिस पर वन विभाग द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-38-87-दस-3 (14) दिनांक 18.12.1987 के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर एवं पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रश्नाधीन 07 प्रकरणों को पुनः सुनवाई में लिया गया। जिन पर वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** अपील प्रस्तुत नहीं की है। **(घ)** मंत्रि-परिषद्

की बैठक दिनांक 20.05.1976 में लिये गये निर्णय अनुसार वनखंडों के पुनरीक्षण कार्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 5-38-87-दस-3 (12) दिनांक 02.12.1987 मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18.12.1987 जारी की गई। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी छतरपुर द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की वन व्यवस्थापन कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त कार्यवाही पूर्ण कर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही निजी भूमि को वनखंडों एवं वर्किंग प्लान से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकेगी। वन व्यवस्थापन कार्यवाही अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वैकल्पिक वृक्षा रोपण हेतु राजस्व भूमि
[वन]

140. अता.प्र.सं. 14 (क्र. 2397) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वनभूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति में वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो इस संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? **(ख)** जिला रायसेन में 1 जनवरी 2018 से फरवरी 2021 तक की अवधि में किन-किन ग्रामों में सड़क निर्माण हेतु वन भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति में वन भूमि के बदले वैकल्पिक राजस्व भूमि उपलब्ध करवाने हेतु किन-किन के आवेदन पत्र कब-कब प्राप्त हुये? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के आवेदन पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** जिला रायसेन में लैण्डबैंक के पास कितनी राजस्व भूमि है तथा इसके अतिरिक्त भी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कितनी राजस्व भूमि सुरक्षित है।

वन मंत्री : [**(क)** जी हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कोई आवेदक संस्था व्यपवर्तन हेतु आवेदन करती है तो उसके बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन की कंडिका 2.3 का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** एवं राज्य शासन के निर्देश दिनांक 26.10.2005 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** संबंधित विभाग द्वारा किए गए आवेदन के उपरांत जिलाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि के संबंध में वन विभाग द्वारा किए गए पत्राचार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।]
(घ) प्रश्नांकित जिले में विभिन्न प्रयोजनों के लिए लैण्ड बैंक के अंतर्गत 277.840 हेक्टेयर राजस्व भूमि चिन्हित की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि पूर्व से सुरक्षित नहीं की जाती है, आवश्यकता पड़ने पर भूमि सुरक्षित की जाती है।

भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 के संबंध में
[वन]

141. अता.प्र.सं. 32 (क्र. 3718) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भा.व.अ. 1927 की धारा 4 में किस दिनांक को अधिसूचित किस वनखण्ड में शामिल कितनी भूमियों की धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही के पास वर्तमान में लंबित है? इसमें से किस वनखण्ड का प्रकरण किस दिनांक को जांच के लिए प्रस्तुत किया गया? **(ख)** धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए प्रस्तावित भूमि किस-किस जंगल मद एवं गैर जंगल मद में किस-किस सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि है? इनमें से कितनी भूमि वर्तमान में वन विभाग के कब्जें में है? **(ग)** धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लंबित भूमियों को वर्किंग प्लान में शामिल कर कब्जा करने की अनुमति कलेक्टर बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही ने किस दिनांक को प्रदान की? अनुमति में क्या-क्या उल्लेख किया है?

वन मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से धारा 19 तक की कार्यवाही के लिये लंबित भूमियाँ पूर्व से ही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित हैं। उक्त भूमियों का स्वरूप संरक्षित वन होने से वर्किंग प्लान में शामिल हैं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** धारा-5 से 19 तक की जांच के लिये प्रस्तावित भूमि बड़े झाड़, छोटे झाड़ जंगल मद में इमारती, जलाऊ लकड़ी चराई, पहाड़-चट्टान मद के प्रयोजनार्थ राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वर्तमान में रकबा 336.162 हेक्टेयर वनभूमि वन विभाग के आधिपत्य में है।

तेंदू पत्ता खरीदी में अनियमितता की जानकारी
[वन]

142. अता.प्र.सं. 114 (क्र. 5192) श्री जितू पटवारी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उत्तर वन मंडल उमरिया में तेंदू पत्ता संग्राहकों की विकास निधि में हेराफेरी की जानकारी देते हुये अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। क्या 2010 से 2020 की अवधि में 61 करोड़ रूपया फर्जी तरीके से निकाल कर बंदरबाट कर लिया गया। **(ख)** फर्जी 61 करोड़ में से किस किसने कितना पैसा पाया तथा पुलिस में FIR दर्ज कराने हेतु भेजे गए प्रतिवेदन की प्रति देवें तथा बतावें की दस वर्षों से यह घोटाला कैसे चलता रहा। ऑडिट रिपोर्ट में इसको क्यों नहीं पकड़ा पाये। **(ग)** क्या यह सही है कि विकास निधि का यह घोटाला लगभग सभी तेंदु पत्ता जिलों में हो रहा है तथा यह घोटाला राशि प्रतिवर्ष 300 करोड़ से ज्यादा है क्या विभाग इसकी जिलेवार जांच करायेगा। **(घ)** प्रदेश में वर्ष 2010 से 2020 के मध्य तेन्दू पत्ता

विकास निधि में कितनी-कितनी राशि जमा हुई तथा कितनी-कितनी रशि किस कार्य के लिये निकाली गयी वर्षवार जिलेवार जानकारी दें।

वन मंत्री : [**(क)** उत्तर वनमण्डल उमरिया में तेन्दूपत्ता संग्राहकों की विकास निधि में हेरा-फेरी नहीं हुई। प्रश्नांकित अवधि में उमरिया जिले के अंतर्गत जिला यूनियन कार्यालय में प्रथम दृष्ट्या धनादेशों में कूटरचित तरीके से हेरा-फेरी कर जालसाजी के आधार पर राशि रूपये 7,52,24,880/- के अधिक आहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2011-12 से नवंबर 2020 तक जारी किये गए 305 चेकों में प्रथम दृष्ट्या स्व. श्री कमलेश कुमार द्विवेदी, सहायक ग्रेड-3 द्वारा जालसाजी के आधार पर राशि रूपए 7,52,24,880/- के अधिक का आहरण किया गया। श्री कमलेश कुमार द्विवेदी, सहायक ग्रेड-3 का स्वर्गवास हो जाने के कारण पुलिस में FIR दर्ज कराने हेतु विधिक अभिमत लेकर कार्यवाही की जा रही है। जिला यूनियन सहकारी संस्था है, जिनका ऑडिट सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। **(ग)** जी नहीं। अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक की अवधि की सभी तेन्दूपत्ता जिला यूनियनों की कैशबुक एवं बैंक पासबुक का मिलान सभी जिला यूनियनों द्वारा किया गया है, जिसमें वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। **(घ)** जानकारी दस वर्षो की वृहद् स्तर की श्रमसाधक होने के कारण एकत्र की जा रही है।] **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 18 मार्च, 2021

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

143. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 1930) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी वर्ष 2018 से वर्ष दिसम्बर 2020 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लवकुशनगर द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का कब-कब स्थल निरीक्षण किया गया विवरण देवें। यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) से उक्त अवधि में क्या सतप्रतिशत निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया गया उनमें किन-किन पंचायतों के निर्माण कार्यों एवं अन्य शासन की संचालित योजनाओं पर कहां-कहां अनियमिततायें पाई गई यदि हां तो किनके विरूद्ध कार्यवाही की गई विवरण देवें? **(ग)** गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पाये जाने पर किन किन कर्मचारियों एवं उपयंत्रियों पर कार्यवाही की गई या की जावेगी। कारण स्पष्ट करें? **(घ)** ऐसे पंचायत सचिवों/रोजगार सहायकों के नाम बतायें जिनकी नियुक्तियां नियम विरूद्ध की गई हैं ऐसे कर्मचारियों के नाम बतायें एवं ऐसे कितने कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण गतिशील हैं।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। **(घ)** जनपद पंचायत लवकुशनगर अंतर्गत नियुक्त किसी भी ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति नियम विरूद्ध नहीं पायी गई। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है।

प्रदेश में निर्मित जल संरचनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

144. परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र. 4809) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जिन 57653 जल संरचनाओ का लोकार्पण हुआ बतावें की उनमें से मनरेगा से निर्मित धार जिले की जनपदों में कितनी तथा उन जल संरचनाओं से उस जनपद में कितने हेक्टेयर भुमि सिंचित होने का अनुमान हैं? **(ख)** प्रश्नांक (क) में उल्लेखित जल संरचनाएं किस किस प्रकार की किस-किस जनपद पंचायत में कितनी कितनी हैं तथा इन संरचनाओं पर कुल कितना खर्च हुआ किस अवधि में जल संरचनाए बनी? **(ग)** क्या प्रश्नाधीन संरचनाएं वर्ष 2020 में पहली बार बनी? यदि नहीं तो वित्तीय वर्ष (2018-19) से वर्ष (2019-20) तक की अवधि में इस प्रकार की कितनी जल संरचनाए धार जिले में निर्मित हुई? उनमें कितने हेक्टर जमीन सिंचित किये जाने की क्षमता विकसित हुयी? **(घ)** प्रश्नांश (क) तथा (ग) में उल्लेखित जल संरचनाओं से पिछले तीन वर्षों में कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** धार जिले की जनपदों में मनरेगा अंतर्गत निर्मित 1722 जल संरचनाओं का लोकार्पण हुआ, निर्मित जल संरचनाओं से धार जिले की जनपदों में अनुमानित कुल सिंचित रकबा 3356 हेक्टेयर है, जनपदवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जल संरचनाओं की जनपदवार व्यय सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, इस प्रकार की 2777 जल संरचनाएं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में निर्मित हुई हैं। जिससे अनुमानित विकसित सिंचित क्षमता 2853.75 हेक्टेयर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश (क) एवं (ग) में उल्लेखित जल संरचनाओं से सिंचित भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ एवं ब अनुसार** है।

मनरेगा अंतर्गत निर्मित चेक डेम की स्वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

145. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 5064) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अतंर्गत मनरेगा योजनांतर्गत अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने चेक डेम की कहां-कहां स्वीकृति दी गई। स्वीकृति किन-किन अधिकारियों के द्वारा दी गई। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में चेक डेम निर्माण के पूर्व जल संसाधन विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से तकनीकी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। यदि हाँ तो कितनी स्वीकृतिया ली गई। कितने कार्यों की स्वीकृतियां नहीं ली गई कारण सहित बतायें? **(ग)** मनरेगा अंतर्गत चेक डेम निर्माण की स्वीकृति के पूर्व नस्तियों में किन-किन अधिकारियों का अभिमत लिया जाता है। प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में जिला पंचायत छतरपुर के अति जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा उक्त चेक डेम निर्माण की स्वीकृति हेतु सभी अधिकारियों से अभिमत लिया था? यदि नही तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश "क" एवं "ग" के अनुक्रम में चेक डेम स्वीकृति के संबंध में प्रतिलिपि कलेक्टर को भेजी जाती है यदि हाँ तो संख्या बतलावें।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में 22 चेकडेमों की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की गई है। स्थल की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) में उल्लेखित 22 चेकडेमों के निर्माण कार्यों की लागत 20.00 लाख से कम है। अतएवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग का परीक्षण आवश्यक नहीं है। प्रस्तावित कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी की गई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** सभी 22 चैकडेम निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ secure.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन की गई है। अत: पृथक से प्रतिलिपि भेजे जाने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट- "बीस"</u>

आरक्षण रोस्टर का पालन न करने पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

146. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 5072) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला पंचायत सिवनी में सचिवों के वर्गवार कुल कितने पद है, उनमें वर्गवार कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? जनपद पंचायतवार पदस्थ सचिवों की वर्गवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं तथा क्या सचिवों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया? **(ख)** जिला पंचायत सिवनी के सचिवों की वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक के आरक्षण रोस्टर की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या आरक्षण रोस्टर का पालन

कर सचिवों की नियुक्ति की गई है? **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार उक्त रोस्टर अनुसार वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक में कितने सचिवों की नियुक्ति की गई है वर्गवार नाम सहित बताएं। **(घ)** जिला पंचायत सिवनी में प्रश्नांश "क" अवधि में सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गई है, नियुक्ति हेतु जांच समिति में कौन-कौन सदस्य थें और किस-किस पद पर पदस्थ थें। क्या उक्त नियुक्तियों में आरक्षण नियमों एवं शासन के नियमों का पालन किये बिना नियुक्ति की गई है, यदि हाँ, तो आरक्षण नियमों के उल्लंघन के लिये दोषी को कब तक दंडित किया जावेगा, कब तक? जांच कर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावेगा यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जिला पंचायत सिवनी में आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" एवं "द" अनुसार** है। नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों एवं शासन के अनुदेशों के पालन संबंधी परीक्षण किया जाकर समुचित कार्रवाई की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

147. परि.अता.प्र.सं. 107 (क्र. 5327) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले के सरदारपुर में मनरेगा योजना अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भुगतान निर्धारित समय से विलंब से होने की शिकायत मिली है? **(ख)** यदि हाँ, तो 31 जनवरी 2021 तक धार जिले की सरदारपुर जनपद पंचायत और आर.ई.एस. में कितने ऐसे मजदूर हैं जिनकी मजदूरी का भुगतान नियमानुसार मस्टर रोल बंद होने के आठ दिन के अंदर न करके विलंब से किया गया? **(ग)** मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भुगतान में विलंब का क्या कारण हैं?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शिकायत प्राप्त नहीं है, किन्तु मनरेगा पोर्टल अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 जनपद पंचायत अंतर्गत 687 मजदूर एवं आर.ई.एस. अंतर्गत 5216 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नियमानुसार मस्टर रोल बन्द होने के आठ दिन के अंदर न करके विलंब से किया गया। **(ग)** मनरेगा पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में मस्टर भुगतान हेतु फीड नहीं किये जाने से विलंब हुआ।

अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

148. अता.प्र.सं. 107 (क्र. 5339) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग में कार्यरत कितने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों में प्रकरण किन मामलों में दर्ज हैं? सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रदेश में 1 जनवरी 2015 के बाद कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय से सजा सुनाई गई है? **(ग)** प्रदेश में कितने प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है? सूची उपलब्ध कराएं। **(घ)** 1 जनवरी 2015 के बाद कौन-कौन से अधिकारियों को विभागीय जांच में दंडित किया गया है? किस-किस को दोषमुक्त किया गया है? सूची उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

149. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 5368) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय जनपद पंचायत डही जिला धार के पत्र क्र./2096/स्था./2020 दिनांक 18.09.2020 पृ.क्र. 2092/स्था./2020 दिनांक 17.09.2020, प.क्र./2309/स्था./20 दिनांक 17.10.2020 एवं आदेश दिनांक 25.08.2020 द्वारा रोजगार सहायकों के स्थानांतरण एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में किस नियम के तहत किए गए? **(ख)** इस नियम की प्रमाणित प्रति देवें। **(ग)** यदि किसी नीति/नियम के बिना यह स्थानांतरण किया तो ऐसा करने वाले अधिकारी पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो कारण बतावें।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डही ने ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य ग्राम पंचायत में कार्यसुविधा की दृष्टि से कार्य करने हेतु आदेशित किया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार के आदेश क्र. 3745 दिनांक 04.12.2020 के द्वारा उक्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर कार्या. पत्र क्र. 6490 दिनांक 22.03.2021 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को कारण बताओ सूचना पत्र एवं पत्र क्र 46 दिनांक 01.04.21 से सूचना पत्र जारी कर प्रति उत्तर चाहा गया, प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने

पर श्री मलखानसिंह कुशवाह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डही के प्रभार से मुक्त किया गया। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार, स्थानांतरण नहीं किए जाकर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। **(ग)** स्थानांतरण नहीं किए गए तथापि उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की गई है। **(घ)** उत्तरांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की जांच के सम्बंध में।
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

150. अता.प्र.सं. 114 (क्र. 5376) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग में कार्यरत कितने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों में प्रकरण किन मामलों में दर्ज हैं? सूची उपलब्ध करायें। प्रश्न दिनांक तक कितने अधिकारियों की विभागीय जांच चल रही है? नाम सहित स्पष्ट करें। **(ख)** प्रदेश में 1 जनवरी, 2015 के बाद कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय से सजा सुनाई गई है? 01 जनवरी, 2018 के बाद कितने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को दण्डित किया गया है एवं दोषमुक्त किया गया है तथा प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण प्रचलन में हैं? **(ग)** प्रदेश में कितने प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच पर क्या कार्यवाही हुई है? नहीं तो क्यों नहीं? **(घ)** 1 जनवरी, 2015 के बाद कौन-कौन से अधिकारियों को विभागीय जांच में दण्डित किया गया है? किस-किस को दोषमुक्त किया गया है? सूची उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

नियम विरूद्ध सचिव के स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

151. अता.प्र.सं. 137 (क्र. 5494) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी के द्वारा 01 मार्च 2020 से आज दिनांक तक कितने ग्राम पंचायतों के सचिवों का संलग्नीकरण अथवा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत स्थानांतरण किया गया है? अगर हाँ, तो शासन की कौन सी स्थानांतरण नीति आदेश निर्देशों के तहत स्थानांतरण किया गया है? शासन की नीति के विरूद्ध स्थानांतरण किया गया है तो दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** क्या जिला पंचायत सिवनी द्वारा 01 मार्च 2020 से आज दिनांक तक ग्राम पंचायत सचिवों के नियम विरूद्ध स्थानांतरण किये गये थे? जिला पंचायत सिवनी के द्वारा

कितने सचिवों का स्थानांतरण निरस्त किये गये हैं? अगर निरस्त किये गये हैं तो दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या उच्च न्यायालय जबलपुर के स्थगन होने के उपरांत भी कितने ग्राम पंचायतों के सचिवों का स्थानांतरण किया गया है? अगर स्थानांतरण किया गया है, तो मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवहेलना के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी के द्वारा मार्च 2018 से आज दिनांक तक कितने सचिवों को निलंबन से बहाल किया जाकर निलंबन अवधि को कार्य अवधि माना गया है? सम्पूर्ण जानकारी जनपद पंचायतवार, सचिववार, उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** चाही गई जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट- "इक्कीस"</u>

लॉकडाउनलोड के दौरान वापस आये मजदूरों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

152. अता.प्र.सं. 138 (क्र. 5495) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लागू किये जाने की तिथि कब से कब तक रही? **(ख)** प्रदेश के सिवनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान वापस आये प्रवासी श्रमिकों की संख्या ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या मजदूरों को मनरेगा में मजदूरी उपलब्ध कराई गई है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्न दिनांक तक समस्त मजदूरों को किये गये मजदूरी भुगतान की जानकारी जनपद पंचायतवार बतायें। **(घ)** यदि प्रश्नांश (ख) प्रवासी मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध न कराई गई तो मजदूरी उपलब्ध न कराने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉकडाउन लागू किये जाने एवं समाप्त करने संबंधी कार्य नहीं किया जाता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान वापिस आये प्रवासी मजूदरों को उनकी मांग के आधार पर मजदूरी उपलब्ध कराई गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों को किये गये मजदूरी भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रवासी मजदूरों द्वारा मनरेगा में रोजगार की मांग की गई जिन्हें मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रवासी मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध न कराये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 19 मार्च, 2021

प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

153. अता.प्र.सं. 1 (क्र. 351) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान.सांसद तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का एक माह की समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिये है? यदि हां तो रायसेन जिले में उक्त निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नकर्ता विधायक के 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक मा.मुख्यमंत्री जी को प्रदत्त पत्र क्र. 86, दिनांक 26.08.2020 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वंचित ग्रामों में सड़क स्वीकृत, पत्र क्र. 89, दिनांक 15.10.2020, सड़क निर्माण में वन विभाग की अनुमति, पत्र क्र. 91, दिनांक 15.10.2020 अवैध शराब की बिक्री पर रोक, पत्र क्र. 101 दिनांक 15.10.2020 अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन, पत्र क्र. 141, दिनांक 25.10.2020, पेंशन आपके द्वार के अंतर्गत पेंशन भुगतान, पत्र क्र. 147, दिनांक 25.10.2020 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस ।।। के प्रस्तावों की जांच, पत्र क्र. 178, दिनांक 24.11.2020 रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर क्रय फसल का किसानों को भुगतान, पत्र क्र. 185, दिनांक 24.11.2020 रायसेन जिले में मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन, पत्र क्र. 208, दिनांक 05.12.2020 रायसेन जिले में जल जीवन मिशन की कार्य योजना में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जांच करवाने के संबंध में प्रेषित किए गए थे। उक्त पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं को निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा उनका निराकरण कब तक होगा? समय-सीमा बतायें? **(ग)** प्रश्नकर्ता विधायक से प्राप्त पत्रों के संबंधित अधिकारियों द्वारा कब-कब जवाब दिये किन-किन अधिकारियों द्वारा जवाब क्यों नहीं दिये गये तथा कब तक पत्रों के जवाब देंगे? **(घ)** 1 अप्रैल 2020 ये प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्यों कब तक निराकरण होगा? समयावधि बतायें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** माननीय संसद सदस्य/विधायकों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये है। रायसेन जिले में इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है। **(ख)** से **(घ)** मुख्यमंत्री कार्यालय के संधारित अभिलेख अनुसार प्रश्नांकित अवधि में माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र क्रमांक 86 दिनांक 26/08/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पत्र क्रमांक 89 दिनांक 15/10/2020 वन विभाग, पत्र क्रमांक 91 दिनांक 15/10/2020 में उल्लेखित विषयवस्तु से संबंधित पत्र के स्थान पर पत्र क्रमांक 94 दिनांक 15/10/2020 विषयवस्तु से संबंधित पत्र आना पाया गया है जो वाणिज्यक कर विभाग, पत्र क्रमांक 101 दिनांक 15/10/2020 स्कूल शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक 141 दिनांक 25/10/2020

के स्थान पर पत्र की तिथि 27/10/2020 अंकित है जबकि उक्त पत्र की विषयवस्तु एक ही है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पत्र क्रमांक 178 दिनांक 24/11/2020 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पत्र क्रमांक 185 दिनांक 24/11/2020 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पत्र क्रमांक 208 दिनांक 05/12/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये हैं। पत्र क्रमांक 147 दिनांक 25/10/2020 मुख्यमंत्री कार्यालय के संधारित अभिलेख अनुसार आना नहीं पाया गया है। इस विभाग द्वारा भी इन विभागों को दिनांक 07/06/2021 को पत्र लिखकर माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों पर उनके विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी से माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराने हेतु लिखा गया है।

लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के संबंध में

[अध्यात्म]

154. अता.प्र.सं. 14 (क्र. 3441) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक न्यास अधिनियम 1951 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 लागू होती है या नहीं। **(ख)** जानकारी दें कि वर्ष 2019-2020 में लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों में प्राप्त कौन-कौन से आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 लागू न होने के कारण निरस्त किये गये। प्रत्येक की जानकारी दें।

पर्यटन मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अन्तरण एवं प्रत्याहरण की साधारण शक्ति से संबंधित है। लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 30 में यह प्रावधान है अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात से असंगत होने के सिवाए सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के प्रावधान इस अधिनियम में न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियों को लागू होंगे। **(ख)** जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

महिला एवं बाल विकास की संचालित योजनाओं के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

155. अता.प्र.सं. 68 (क्र. 5517) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में महिला एवं बच्चों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2019-20 में किस योजना पर कितना व्यय किया गया है? व्यय की राशि का विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अवधि में जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में उक्त योजनान्तर्गत किन-किन पंचायतों में कितनी महिला और बच्चों को लाभान्वित किया गया है? पंचायतवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। **(ख)** जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना में (छात्रवृत्ति) से लाभांवित महिलाओं एवं बच्चियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। विभाग की शेष योजनाओं में पंचायतवार जानकारी संधारित न की

जाकर परियोजनावार जानकारी संकलित की जाती है।] **(ख)** प्रश्नांश अवधि में मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में संचालित विभागीय योजनाओं अंतर्गत लाभांवित महिलाओं एवं बच्चों की पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ** अनुसार है।

मंदिर देव स्थानों की भूमि के संबंध में

[अध्यात्म]

156. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 5745) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिला अंतर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में शासनाधीन कुल कितने मंदिर, देवस्थान, अति प्राचीन मंदिर इत्यादि एवं उक्त आशय के शासनाधीन मंदिरों पर संलग्न भूमियां कहां-कहां पर स्थित होकर कितनी-कितनी हैं? जानकारी दें । **(ख)** शासनाधीन उक्ताशय के देव स्थानों की देखभाल, जीर्णोद्धार, आयोजन, प्रयोजन इत्यादि कार्य को किए जाने हेतु मंदिर देव पुजारी के साथ ही क्या मंदिर समितियां भी कार्यरत हैं तो किन किन स्थानों पर? बताएं । **(ग)** जानकारी दें कि प्रश्नांश (क) वर्णित शासनाधीन मंदिरों पर संलग्न कितनी-कितनी भूमियां किन-किन स्थानों पर हैं, उन पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा रहा है? क्या कही किसी मंदिर भूमि पर अतिक्रमण अथवा बलात कब्जा किया गया है तो वे कौन-कौन से स्थान हैं? इस हेतु क्या किया जा रहा है?

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** रतलाम जिला अन्तर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में शासनाधीन कुल 635 मंदिर स्थित है। मंदिरों पर संलग्न भूमियों संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जावरा विधानसभा क्षेत्र में तहसील पिपलौदा अन्तर्गत 08 देवस्थान पर प्रबंध समितियों का गठन आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा किया गया है। तहसील जावरा अंतर्गत कोई देवस्थान में प्रबंध समिति गठित नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार। जावरा विधानसभा क्षेत्र में शासनाधीन किसी भी मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण एवं बलात कब्जा नहीं है।

दिनांक 22 मार्च, 2021

श्रम कानूनों का पालन कराया जाना

[श्रम]

157. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 1656) श्री राकेश मावई : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितनी औद्योगिक इकाईयां खोली गई है? उन औद्योगिक इकाईयों में क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां तो किस श्रेणी अथवा श्रमिकों के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिये जाने का प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के औद्योगिक इकाईयों में श्रम नीति क्या है? श्रम नीति की प्रति दें तथा उक्त इकाईयों में स्थानीय स्तर के युवाओं अथवा बेरोजगारों के कितने-कितने लोगों को कुशल, अकुशल,श्रमिक अथवा अर्द्धश्रमिक व अन्य पदों पर रखा गया है? नाम, पद, स्थायी पता के साथ औद्योगिक इकाईवार जानकारी देवें। **(ग)** यदि प्रश्नांश (क)

के औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय लोगों का अनुबंध के अनुसार रखे गये **(ख)** के पदों की संख्या कम है? तो कौन-कौन दोषी है? उन पर कब क्या कार्यवाही करेंगे तथा अनुबंध मापदण्ड के अनुसार कब तक पदों की पूर्ति कर दी जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) के औद्योगिक इकाईयों में से मयूर यूनी कोटर्स लिमिटेड एवं विक्टस में क्या एक भी स्थानीय एवं जिले के लोगों को किसी तरह के पदों में नहीं रखा गया है? तो क्यों? क्या इसे यह माना जायेगा कि उक्त औद्योगिक इकाई अपने अनुबंधों एवं श्रम कानून के विपरीत कार्य कर रही है? यदि हां तो उसके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे तथा कब तक स्थानीय लोगों को मापदण्डों के अनुसार पदों पर रखवा देंगे।

खनिज साधन मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **] (क)** मुरैना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कुल 75 औद्योगिक इकाईयां पंजीकृत है। श्रम कानूनों में स्थानीय लोगों को औद्योगिक इकाई में रोजगार देने की अनिवार्यता नहीं है। तथापि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत कंडिका 4.18 में प्रावधान है कि इस योजना में लाभ लेने वाली इंकाईयों को अपने कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा और उक्त 70 प्रतिशत रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाना अनिवार्य होगा। **(ख)** औद्योगिक इकाईयों में श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों के प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराया जाता है। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में 2 औद्योगिक इकाईयों द्वारा मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है। जिसमें स्थानीय स्तर के व्यक्तियों को योजना के प्रावधानानुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं तद्नुसार इन 2 इकईयों के संबंध में प्रश्नांकित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थिन नहीं होता है। **(घ)** मयूरयूनी कोटर्स लिमि. एवं वेक्टस इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 का लाभ नहीं लिया हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "बाईस"</u>

समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनाज का भंडारण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

158. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 4579) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग में अनाज भंडारण हेतु कितनी-कितनी भंडारण क्षमता के कितने और कौन-कौन से एवं किन-किन के भंडार गृह एवं ओपन-कैप और सायलों बैग कहाँ-कहाँ, कब से स्थापित हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) विगत 03 वर्षों में मार्कफेड एवं विभागीय ओपन-कैपो के निर्माण और मरम्मत के कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य किन शासकीय सेवकों के पर्यवेक्षण में किस-किस ठेकेदार कंपनी से कब-कब कराये गये?

(ग) प्रश्नांश (ख) कैपवार अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गयी एवं क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी और कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी तथा कैपो में कितने और कौन-कौन कर्मचारियों की किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किन कार्यों हेतु कब-कब नियुक्ति की गयी? नियुक्त कर्मचारियों के क्या दायित्व नियत थे? **(घ)** कटनी जिले में वर्ष 2019-20 से रबी,खरीफ और दलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर किन-किन खरीदी केन्द्रों से कितना-कितना अनाज कब-कब खरीदा गया और उपार्जित अनाज को किन-किन शासकीय/अनुबंधित भंडार ग्रहों एवं विभागीय कैंपो/सायलों बैगों में कब-कब भंडारित किया गया? **(ङ)** प्रश्नांश (घ) ओपन-कैंपो में भंडारित कितना-कितना और किस-किस अनाज का कब-कब उठाव किया गया और भंडारित कितना-कितना कौन सा अनाज किन कारणों से खराब होना पाया गया? खराब हुये अनाज का मूल्य कितना था? **(च)** प्रश्नांश (क) से (ड़) के परिप्रेक्ष्य में अनाज भंडारण में अत्याधिक राशि व्यय होने के बाद भी बहुमूल्य अनाज के खराब होने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेंगी? हाँ,तो किस प्रकार से कब तक नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जबलपुर संभाग में अनाज भंडारण हेतु संस्थावार, निजी गोदाम, ओपन कैप एवं सायलोबैग की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** जबलपुर संभाग में विगत वर्षों में ओपन कैप के निर्माण और मरम्मत में व्यय राशि, पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी कर्मचारी एवं कार्य करने वाले ठेकेदार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। **(ग)** जबलपुर संभाग में में कैप में अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु क्रय की गई आवश्यक सामग्री एवं व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स'** अनुसार है। कैप में पदस्थ कर्मचारी एवं उनके दायित्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द'** अनुसार है। **(घ)** कटनी जिले में वर्ष 2019-20 से समर्थन मूल्य पर उपार्जित रबी, खरीफ एवं दलहन की खरीदी मात्रा की केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'इ'** अनुसार है। उपार्जित मात्रा के भंडारण की स्थलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई'** अनुसार है। **(ड.)** ओपन कैप से दिनांकवार उठाव किये गये स्कंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ज'** अनुसार है। कैप में भंडारित अनाज खराब होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। **(च)** प्रश्नांश (क) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि में स्कंध के खराब होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवीन पंजीयन केन्द्र ओर नवीन उपार्जन केन्द्रों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

159. अता.प्र.सं. 40 (क्र. 5031) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2020 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु केन्द्र

बनाये गये थे? उन्हें ही वर्ष 2021 में भी इन केन्द्रों को यथावत उपार्जन केन्द्र रखे गये है? यदि नहीं तो क्या जो केन्द्र बन्द कर दिये गये है उन केन्द्र के किसानों को पंजीयन की क्या व्यवस्था की गई है तथा उपार्जन केन्द्रों को बन्द करने के कारण स्पष्ट करें। **(ख)** किसानों के गेहूँ उपार्जन हेतु कितने नवीन खरीदी केन्द्र तथा कितने नवीन पंजीयन केन्द्र बनाये गये है उन उपार्जन केन्द्रों के नाम, स्थान तथा उनमें कितने किसानों के पंजीयन की व्यवस्था की गयी है? उपार्जन केन्द्रवार जानकारी देवें तथा नवीन खरीदी केन्द्र निर्धारण किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों-प्रक्रिया की जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। वर्ष 2020 में जिला राजगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु 89 केन्द्र बनाए गए थे। वर्ष 2021 में जिला राजगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु विगत वर्ष के अनुसार ही उपार्जन केन्द्र यथावत रखे गए। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** रबी विपणन वर्ष 2021 में जिला राजगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु 24 नवीन पंजीयन केन्द्र एवं 27 नवीन खरीदी केन्द्र बनाए गए है। उपार्जन केन्द्रों के नाम,स्थान तथा केन्द्रों पर पंजीयन कराने वाले किसानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु नवीन खरीदी केन्द्र निर्धारण के संबंध में जारी नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं के खराब हो जाने की जॉच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

160. अता.प्र.सं. 51 (क्र. 5454) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं उज्जैन, नीमच, खरगौन, खण्डवा, रायसेन, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले के गोदामों में रखा गया गेहूं खराब हो गया है जो कि मनुष्य के खाने योग्य नहीं है? **(ख)** यदि हां तो किस-किस जिले में कितने-कितने मैट्रिक टन गेहूं खराब किन-किन कारणों से हुआ है गोदामों में गेहूं के रख-रखाव एवं देख-रेख में की गई लापरवाही एवं कुप्रबंधन के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है बतायें? **(ग)** क्या यह सही है कि उक्त खराब हुये अमानक गेहूं की बिक्री के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने माह-दिसम्बर, 2020 में निविदाएं आमंत्रित की थीं, यदि हां तो उक्त अमानक गेहूं कितने-कितने मीट्रिक टन किस-किस के द्वारा किस-किस दर पर खरीदा गया है, खराब हुये गेहूं खरीदी के समय कितना मूल्य था एवं अमानक हो जाने पर कितनी राशि पर बिका है इससे सरकार को कितनी राशि की हानि हुई है, बतायें? **(घ)** क्या यह सही है कि उक्त गेहूं को जानबूझकर भिगाया गया है ताकि शराब माफियों को मौलासिस बनाने के लिए सस्ती दरों पर खराब गेहूं बेचा जा सके, यदि नहीं तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित जिलों में से उपार्जन एजेंसी म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिले रायसेन, होशंगाबाद, हरदा एवं मुरैना में उर्पाजित गेहूं खराब नहीं हुआ है। उपार्जन एजेंसी म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ के जिले नीमच, खरगौन, खण्डवा एवं नरसिंहपुर में उपार्जित गेहूं खराब नहीं हुआ है, केवल उज्जैन जिले में गेहूं खराब हुआ है। **(ख)** जिलेवार खराब हुए गेहूं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। रबी उपार्जन वर्ष 2020- 21 में उज्जैन जिले का उपार्जित गेहूं रिक्त भण्डारण क्षमता के अभाव एवं परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन में की गई लापरवाही तथा निसर्ग चक्रवात के कारण हुई असामयिक वर्षा से जिले का स्कंध जिला/अंतर जिला परिवहन उपरांत कुल 13030.97 क्विंटल पानी से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त/अमानक हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा परिवहनकर्ता की लापरवाही के लिए परिवहनकर्ता के विरूद्ध राशि रूपये 5.09 करोड़ की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। **(ग)** जी हां। माह दिसम्बर 2020 में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई। जिसमें सफल निविदाकारों के डी.ओ.जारी किये गये थे। अमानक गेहूं का मूल्य खरीदी के समय 25.08 करोड़ था। हानि की राशि की गणना नीलाम किये गये स्कंध के पूर्ण उठाव के पश्चात की जा सकेगी। **(घ)** जी नहीं। वर्ष 2020-21 में निसर्ग चक्रवात के कारण हुई असामयिक वर्षा से प्रभावित होकर गेहूं का स्कंध खराब हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समतियों को घाटे से उबारने के प्रयास
[सहकारिता]

161. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 5518) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कितनी सहकारिता समतियाँ घाटे में चल रही हैं? **(ख)** क्या सरकार घाटे को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास कर रही है? अगर हां, तो अवगत करावें।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्र की जा रही है **(ख)** सहकारी संस्थायें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं इनके लाभ/हानि के लिये वे स्वयं उत्तरदायी हैं। शासन के समक्ष हानि समाप्त करने की कोई योजना नहीं है।] **(क)** 22,270 समितियां हानि में है।

डेम की मुख्य नहरों के पास सड़क निर्माण किया जाना
[जल संसाधन]

162. अता.प्र.सं. 55 (क्र. 5523) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी में सोन नदी पर बने बाणसागर बांध की मुख्य नहर के किनारे पर सड़क क्या डीपीआर अनुसार है तथा नहर के दोनों और दिवार क्यों नहीं बनाई गई। इस लापरवाही से 16.02.2021 को हुये दर्दनाक हादसो के लिये क्या विभाग की जिम्मेदारी तय की जावेगी। **(ख)** प्रदेश में किस-किस बांध की मुख्य नहर के किनारों पर सड़क है। उनकी कुल लंबाई कितनी है. क्या सारी सड़के डीपीआर के अनुसार बनाई गई है तथा किस नहर के दोनों

और दिवार है. यदि नहीं है तों क्यों? **(ग)** क्या ठेकेदार अपनी सुविधा के लिये नियम विपरित सड़क बनाता है। यदि हां तो क्या सीधी के दर्दनाक हादसे के लिये विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों तथा नहर बनाने वाले ठेकेदार पर प्रकरण दर्ज कराने हेतु लिखा जायगा। **(घ)** क्या प्रश्नांश (ख) की सारी नहरो के दोनों और यदि सड़क है तो दीवार बनाई जावेगी. यदि नहीं तो क्या सड़क को तोड़ दिया जायगा. यदि नहीं तो क्या फिर किसी दुर्घटना का इंतजार किया जावेगा।

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** सीधी जिले में सोन नदी पर बने बाणसागर बांध की मुख्य नहर (संयुक्त जल वाहिनी) के दाहिनें बैंक पर नहर की देखरेख, रखरखाव एवं आवागमन के लिए नहर निर्माण के दौरान जल संसाधन विभाग/म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड़ द्वारा वर्ष 2000 में नहर निरीक्षण मार्ग निर्मित कराया गया। जिला प्रशासन सीधी द्वारा संयुक्त जल वाहिनी के उक्त निरीक्षण मार्ग के कि.मी. 12.40 से कि.मी. 19.00 (लंबाई 6.60 कि.मी.) के उन्नयन का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कराने के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में लोक परिवहन अंतर्गत भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित रखते हुए मुख्य अभियंता (सिविल), पी एण्ड़ डी प्रोजेक्ट, म.प्र.रा.वि.मं. के द्वारा दिनांक 25.01.2003 को सशर्त जारी अनुमति पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन नहर निरीक्षण मार्ग का उन्नयन किया गया। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त निरीक्षण मार्ग के उन्नयन का कार्य स्वीकृत डीपीआर में किए गए प्रावधानानुसार किया जाना, डीपीआर में मार्ग की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नहर के दोनों तरफ दीवार बनाने के प्रावधान के स्थान पर नहर के किनारे गार्ड स्टोन का प्रावधान होने के कारण गार्ड स्टोन लगाया जाना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी में प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** विभाग के विभिन्न बांधों की मुख्य नहरों पर निर्मित सर्विस रोड की लंबाई की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि अनुसार** है। जी हां, सभी नहरों के बैंक में निरीक्षण हेतु निर्मित की गई सड़कें डीपीआर अनुसार बनाई गई हैं तथा किसी नहर के दोनों ओर दीवार नहीं है क्योंकि विभागीय तकनीकी परिपत्र में नहर की सर्विस रोड पर निरीक्षण हेतु आवागमन करने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए नहर के किनारे दीवार निर्माण के प्रावधान के स्थान पर नहर की सर्विस रोड के किनारे बर्म (मिट्टी का डोला) का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। **(ग)** जी नहीं, ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण स्वीकृत डीपीआर अनुसार किया जाता है। बाणसागर बांध की मुख्य नहर के दाहिने बैंक पर ठेकेदार द्वारा डीपीआर अनुसार ही सड़क निर्माण किए जाने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं, नहर की सर्विस रोड पर निरीक्षण हेतु आवागमन करने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए विभाग में प्रचलित तकनीकी परिपत्रों में बर्म (मिट्टी का डोला) के निर्माण के प्रावधान अनुसार बर्म (मिट्टी का डोला) का निर्माण किए जाने के कारण सर्विस रोड के किनारे दीवार का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राशन की दुकानों से गरीबों को अनाज वितरण में पारदर्शिता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

163. अता.प्र.सं. 59 (क्र. 5591) श्री मुरली मोरवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के कितने शहरों और गांवों में उचित मूल्य की दुकान संचालित हो रही हैं और गरीब परिवारों के लिए प्रति दुकान कितना-कितना अनाज प्रत्येक दुकान पर भेजा जा रहा है? **(ख)** क्या प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर स्थानीय विकासखंड स्तर पर जिले स्तर पर निगरानी और सफलता के लिए समितियां बनी हुई है? यदि हां तो उन समितियों द्वारा राशन की दुकानों पर विगत 2 वर्ष में कब-कब निरीक्षण किया गया और क्या कमियां पाई गई? निरीक्षणवार माहवार दिनांकवार जानकारी देवें। **(ग)** क्या उचित मूल्य की सभी दुकानों में इमानदारी से समितियों का गठन किया गया है? यदि हां तो किन-किन शासकीय और विभागीय अधिकारियों ने कब-कब उन समितियों का सत्यापन किया है? क्या सभी समिति के सदस्य सही पाए गए हैं, कोई सदस्य गलत तो नहीं पाया गया? इस संबंध में पूर्ण विवरण सहित दुकानवार जानकारी देवें। **(घ)** क्या प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों पर भंडार पंजी और वितरण पंजी और हस्ताक्षर पंजी रखी जाती है? यदि हां तो उन का अवलोकन करने के लिए उनकी जांच के लिए कौन.कौन सा विभागीय अमला और कौन-कौन सी समितियां उनका कब का निरीक्षण करती है? स्टॉक के अनुसार भेजा गया बांटा गया और बचा हुआ माल वस्तुएं या अनाज का हिसाब कैसे रखा जाता है? पूर्ण विवरण दीजिए।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** उज्जैन जिले के शहरी क्षेत्र में 184 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 582 कुल 766 उचित मूल्य दुकाने संचालित हो रही हैं। माह मार्च, 2021 में पात्र हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य दुकानों में भेजे जाने वाले अनाज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हां। जिला स्तरीय तथा विकासखंड स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण की जानकारी निरंक है। उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा प्रश्नांकित अवधि में किए गए निरीक्षण की माह एवं दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी हां। सतर्कता समितियों के गठन के दौरान दुकान आवंटन प्राधिकारी द्वारा पात्रता का सत्यापन किया गया है। गलत सदस्य का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। **(घ)** प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक पंजी और वितरण पंजी दस्तावेजी/इलेक्ट्रॉनिक रूप में एंड-टू-एंड कम्प्यूटराईजेशन के पश्चात जिन दुकानों पर पीओएस मशीन खराब हो जाती है वहीं पर वितरण पंजी से वितरण होता है। दुकानों का स्टॉक एवं वितरण रिकार्ड ऑनलाईन सर्वर पर भी रखा जाता है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के प्रावधान के अंतर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी या सहकारिता विभाग के उप-अंकेक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के

भीतर तथा सतर्कता समितियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। स्टॉक का विवरण उक्त उल्लेखित अनुसार रखा जाता है।

ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को नियंत्रण/ प्रबंधन का अधिकार

[राजस्व]

164. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 5623) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले के ग्राम टिकारी, सोनाघाटी, झगड़िया, डुल्हारा, कटंगी एवं सिवनपाट के पटवारी मानचित्र और निस्तार पत्रक में दर्ज सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रश्नांकित दिनांक तक भी ग्रामसभा और पंचायत को नहीं सौंपा गया। **(ख)** इन ग्रामों के निस्तार पत्रक में किस-किस मद में किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि दर्ज है इनमें से कितनी भूमि वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर अपने कब्जे में ले ली है। **(ग)** पटवारी मानचित्र एवं निस्तार पत्रक में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में ग्रामसभा और ग्राम पंचायत के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिए है उनका प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किए जाने का क्या कारण रहा है। **(घ)** कब तक निस्तार पत्रक में दर्ज संसाधनों का अधिकार नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को सौंपा जावेगा?

राजस्व मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** ग्राम टिकारी, सोनाघाटी, झगड़िया तथा तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन अनुसार डुल्हारा, कटंगी एवं सिवनपाट के पटवारी मानचित्र और निस्तार पत्रक में दर्ज सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभा और पंचायत को सौंपा जा चुका है। **(ख)** बैतूल जिले के ग्राम टिकारी, सोनाघाटी, झगड़िया, डुल्हारा, कटंगी एवं सिवनपाट के निस्तार पत्रक के गैर खाते मद में दर्ज भूमि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जिसमें उल्लेखित रकबा भारत सरकार की स्वीकृति से कार्य आयोजना में वैज्ञानिक प्रबंधन की दृष्टि से शामिल किया गया है। **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उदभूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेईस"

सार्वजनिक प्रयोजनों के संसाधन

[राजस्व]

165. अता.प्र.सं. 63 (क्र. 5632) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पंचायत बैतूल एवं जिले की 10 जनपद पंचायतों के द्वारा राजस्व ग्रामों के पटवारी मानचित्र एवं निस्तार पत्रक में दर्ज सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के दर्ज संसाधनों का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सौंपे जाने के

संबंध में प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है। **(ख)** जिले के कितने ग्रामों के पटवारी मानचित्र एवं निस्तार पत्रक में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए कितनी भूमि दर्ज है इनमें से कितनी भूमि वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर अपने कब्जे में ले ली है, विकासखण्डवार बतावें। **(ग)** जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने निस्तार पत्रक में दर्ज संसाधनों का नियंत्रण प्रबंधन एवं अधिकार ग्रामसभा और ग्राम पंचायत को सौंपे जाने के संबंध में किस दिनांक को क्या कार्यवाही की यदि नहीं की तो कारण बतावें कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिला पंचायत बैतूल एवं जिले की 10 जनपद पंचायतों के द्वारा प्रश्नांश (क) के संबंध में पंचायत विभाग के निर्देशों के अभाव में कार्यवाही नहीं की है। **(ख)** बैतूल जिले में जिला अभिलेखागार में उपलब्ध 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में आबादी मद में 3057 हे., अमराई 23 हे., बड़े झाड़ का जंगल 112018 हे., छोटे झाड़ का जंगल 27603 हे., पानी के अंतर्गत 29307 हे., पहाड़चट्टान 22374 हे. एवं सड़क व ईमारत 14525 हे., कुल 208907 हे. भूमि गैर खाते मद में दर्ज है। वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार 98 वनखंडो का अधिसूचित रकबा 15235.573 हे. एवं प्रस्तावित 51 वनखंडो का 1425.778 हे. रकबा कार्य आयोजना में शामिल किया गया। वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार 224 वनखंडो का अधिसूचित रकबा 32578.014 हे. कार्य आयोजना में शामिल किया गया एवं वनमंडलाधिकारी पश्चिम (सा.) वनमंडल के प्रतिवेदन 156 वनखंडो का अधिसूचित रकबा 23578.003 हे. एवं प्रस्तावित 56 वनखंडो का 1795.110 हे. रकबा कार्य आयोजना में शामिल किया गया। तीनो वनमंडलो से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अधिसूचित रकबा 71391.590 हे. एवं प्रस्तावित वनखंडो का रकबा 3220.888 हे., कुल 74612.478 हे. रकबा कार्य आयोजना में शामिल किया गया है। वनमंडलाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार तीनों वनमंडल में विकासखण्डवार जानकारी संधारित नहीं हैं। परिक्षेत्रवार तीनों वनमंडल के अधिसूचित रकबे की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित कारण से कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

अधिकार नियंत्रण एवं प्रबंधन

[राजस्व]

166. अता.प्र.सं. 64 (क्र. 5633) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के पटवारी मानचित्र एवं निस्तार पत्रक में सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सौपें जाने की कार्यवाही प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं की गई। **(ख)** सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजन के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में संविधान की 11 वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 वन अधिकार कानून 2006 एवं सर्वोच्च अदालत की या.क्र. 19869/2010 आदेश दिनांक 28

जनवरी 2011 में क्या प्रावधान दिया गया है। **(ग)** निस्तार पत्रक में दर्ज प्रयोजनों की जमीनों के वास्तविक अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रश्नांकित दिनांक तक भी ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को नहीं सौपें जाने का क्या कारण रहा है कब तक यह सौंपा जावेगा?

राजस्व मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के पटवारी मानचित्र एवं निस्तार पत्रक में सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सौपें जाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **(ख)** संविधान की 11 वी अनुसूची,पेसा कानून 1996,वन अधिकार कानून 2006 एवं सर्वोच्च अदालत की एस0एल0पी0 (सिविल) 1969/2010 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 अनुसार सर्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन की भूमि के प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभा में निहित हैं। **(ग)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

167. अता.प्र.सं. 65 (क्र. 5653) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत की जाने वाली खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का आंशिक भुगतान नहीं किया जा रहा है? **(ख)** यदि हां तो 31 जनवरी 2021 तक कितनी राशि का भुगतान नहीं मिला है? **(ग)** केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने का क्या कारण है?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजनांतर्गत खरीदी के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। उपार्जन का समस्त कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृत खाद्यान्न साख सीमा से राशि आहरित कर किया जाता है। उपार्जित मात्रा में अतिशेष मात्रा (अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के पश्चात बची मात्रा) का परिदान भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित खाद्यान्न की त्रैमासिक विक्रय के आधार पर दावे प्रस्तुति उपरांत अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/भुगतान की जाती है। **(ख)** दिनांक 31.01.2021 की स्थिति में भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए अनुदान देयकों में सम्मिलित राशि 8781.58 करोड़ के दावे स्वीकृति हेतु प्रचलन में है। जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा अनुदान राशियों की स्वीकृति आवंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "चौबीस"</u>

नियमों के विपरीत अधिकार ना होने पर भी खाद्यान्न, दलहन, जब्त करना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

168. अता.प्र.सं. 67 (क्र. 5696) श्री प्रदीप पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ई सी एक्ट/या अन्य प्रावधानों के तहत कोरोना समय में 01.04.2020 से 31.12.2020 तक कितने प्रकरणों में खाद्यान्न, दलहन जप्त किया गया? जिलेवार जब्त करने वाले अधिकारियों के नाम व पद/तत्कालीन पदस्थापना दें? **(ख)** बिन्दु (क) अनुसार कितनी-कितनी मात्रा की जप्ती की गई? की गई जप्ती में क्या इन अधिकारियों को अधिकार जप्ती के शासन द्वारा दिये गये है? या इन अधिकारियों का वसूली के लिए दबाव बनाने के लिए गैर कानूनी जप्ती की गई है? शासन द्वारा इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? नाम/पदनाम दें? **(ग)** खाद्य विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किस नाम/पदनाम के अधिकारियों की विभागीय जॉच के प्रकरण प्रश्नतिथि तक प्रचलित है? ये प्रकरण कब से चल रहे हैं? प्रकरणवार जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित विभागीय जॉचों के निराकरण की क्या सीमा नियमों में निर्धारित है? नियमों की एक प्रति दें? तयशुदा समय-सीमा में विभागीय जॉच पूर्ण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही प्रकरणवार चिन्हित कर सकेगा? अगर हॉ तो किन-किन के विरूद्ध? सूची प्रकरणवार दें?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं को जप्त करने की अधिकारिता संबंधित नियंत्रण आदेश के अंतर्गत की जाती है। उपार्जन अवधि में कृषकों के अतिरिक्त फर्जी कृषक के रूप में अथवा बिचौलियों की उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के प्रयास के संबंध में आशंका होने पर भी साक्ष्य के रुप में जप्तियां की जाती हैं। प्रश्नांश अनुसार कोई मामला शासन के संज्ञान में नहीं आया है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** खाद्य विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के 06 प्रकरण प्रचलित थे जिनमें 04 प्रकरणों में विभागीय जांच पूर्ण की जा चुकी है। 01 प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की कोरोना में मृत्यु होने के बाद प्रचलित है जिसका निराकरण 02 माह के भीतर कर लिया जायेगा। प्रकरण विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। 01 प्रकरण संभागायुक्त उज्जैन के कार्यालय में प्रचलित है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित है। 04 प्रकरणों में विभागीय जांच पूर्ण होकर आगामी कार्यवाही प्रचलित है। 01 प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का स्वर्गवास हो जाने के नवीन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा जांचकर्ता अधिकारी को सचेत किया जाकर 03 माह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। अत: उक्त स्थिति में किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत की जाने वाली खरीदी हेतु राशि के संबंध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

169. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 5730) श्री संजय उइके : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत की जाने वाली खरीदी हेतु राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? **(ख)** यदि हॉ तो प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है? केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण है?

खाद्य मंत्री : [(क) एवं **(ख),** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजनांतर्गत खरीदी के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। उपार्जन का समस्त कार्य भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृत खाद्यान्न साख सीमा से राशि आहरित कर किया जाता है। उपार्जित मात्रा में अतिशेष मात्रा (अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के पश्चात बची मात्रा) का परिदान भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित खाद्यान्न की त्रैमासिक विक्रय के आधार पर दावे प्रस्तुति उपरांत अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/भुगतान की जाती है। **(ख)** भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए अनुदान देयकों में सम्मिलित राशि 5565.46 करोड़ के दावे स्वीकृति हेतु प्रचलन में है। जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा अनुदान राशियों की स्वीकृति आवंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "पच्चीस"</u>

किसानों को बकाया राशि का भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

170. परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 5772) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** फरवरी, 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर क्रय धान, गेहूं, मूंग चना एवं अन्य फसलों के उपरांत कितने किसानों को राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? कारण बतायें। **(ख)** समर्थन मूल्य पर फसल क्रय के उपरांत किसानों को राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें तथा किस-किस अधिकारी की क्या-क्या जबावदारी है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी, मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा की गई कार्यवाही से संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया पूर्ण विवरण दें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** फरवरी, 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर चना विक्रय करने वाले 1498 किसानों

को 202.43 लाख रू. राशि का आंशिक भुगतान शेष है। वर्ष 2018-19 में असामयिक वर्षा के कारण उपार्जित चना खराब होने के कारण उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में अंतर परिलक्षित हुआ है। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान एवं गेहूं के किसानों को पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर फसल क्रय के उपरांत किसानों को राशि भुगतान के संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र 143-सिलवानी के माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह के पत्र दिनांक 24.10.2019, 13.12.2019 तथा 25.08.2020 प्राप्त हुए है, कार्यवाही प्रचलित। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में माननीय विधायक को की गई कार्यवाही से दिनांक 22.11.2019, 03.01.2020 एवं दिनांक 05.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है।

शाखा प्रबंधक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

171. अता.प्र.सं. 74 (क्र. 5789) श्री राकेश मावई : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दतिया में पदस्थ शाख प्रबंधक श्री जी.पी. जाटव के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बावत् प्रश्नकर्ता सदस्य ने प्रबंधक संचालक मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारर्पोरेशन भोपाल को पत्र क्रमांक 127/2021 दिनांक 21.01.2021 को लिखा था? यदि हॉ तो प्रश्न दिनांक तक जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं करायी गयी? कारण सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टक कारर्पोरेशन में श्री जाटव की पदस्थापना कहॉ पर किस पद पर हुई? श्री जी.पी. जाटव की पदस्थापना से लेकर प्रश्न दिनांक तक इनके विरूद्ध कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। **(ग)** दतिया में पदस्थ शाखा प्रबंधक श्री जी.पी. जाटव के मूल निवासी, प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र रोजगार कार्यालय का प्रमाण-पत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां कब तक उपलब्ध करायी जायेगी? श्री जाटव के मूल निवासी एवं जाति प्रमाण-पत्र किस आधार पर कहां से बनाये गये? गांव का नाम एवं जिला सहित जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। जानकारी पत्र क्रमांक 6973 दिनांक 04.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की गई है। **(ख)** श्री जी.पी. जाटव को मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन में पत्र क्रमांक 3079 दिनांक 27.03.1993 के माध्यम से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में हुई थी। श्री जी.पी. जाटव के विरूद्ध उनकी पदस्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाई गई। **(ग)** प्रश्नांकित व्यक्ति के संबंध में वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। श्री जाटव का मूल निवासी प्रमाण पत्र तराना तहसील जिला उज्जैन एवं जाति प्रमाण पत्र, कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति उज्जैन द्वारा बनाए गए हैं, जिनके आधार स्पष्ट

करने हेतु कलेक्टर जिला उज्जैन को लिखा गया है। श्री जाटव के मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र में उनके गांव का नाम एवं जिले का उल्लेख है।

नहर के पास सड़क की जानकारी

[जल संसाधन]

172. अता.प्र.सं. 75 (क्र. 5800) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी में बांध की प्रमुख नहर के पास सड़क किस विभाग ने बनाई विभाग ने सड़क के बनाने पर आपत्ति क्यों नहीं ली क्या यह सड़क विभाग द्वारा बनवाई गई यदि हां तो क्यों? **(ख)** क्या प्रदेश में जितने भी बांध की प्रमुख नहर है उनके दोनों और सड़क है यदि हां तो किस-किस बांध की प्रमुख नहर के पास कितनी-कितनी लम्बी सड़क है सूची देवें। **(ग)** क्या इन नहरों कि पास वाली सड़कों पर प्रति वर्ष कई दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके बाद भी सुरक्षा के कोई कदम नहीं उठाये गये क्या विभाग की 16 फरवरी को सीधी में हुई घटना की जिम्मेदारी नहीं बनती। **(घ)** क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित नहरों के दोनों और 4 फिट ऊंची और 2 फिट चौड़ी दीवार बनाई जायगी, यदि नहीं तो क्यों? **(ड.)** क्या सिधी में 16 फरवरी 2021 को हुई दुर्घटना में मृतकों को मंदसौर गोली-काण्ड की तरह एक-एक करोड़ का मुआवजा तथा परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सीधी जिले में बाणसागर बांध की मुख्य नहर (संयुक्त जल वाहिनी) के दाहिनें बैंक पर नहर की देखरेख, रखरखाव एवं आवागमन के लिए नहर निर्माण के दौरान जल संसाधन विभाग/म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड़ द्वारा वर्ष 2000 में नहर निरीक्षण मार्ग निर्मित कराया गया। जिला प्रशासन सीधी द्वारा संयुक्त जल वाहिनी के उक्त निरीक्षण मार्ग के कि.मी. 12.40 से कि.मी. 19.00 (लंबाई 6.60 कि.मी.) के उन्नयन का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कराने के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में लोक परिवहन अंतर्गत भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित रखते हुए मुख्य अभियंता (सिविल), पी एण्ड डी प्रोजेक्ट, म.प्र.रा.वि.मं. के द्वारा दिनांक 25.01.2003 को सशर्त जारी अनुमति पत्र के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन नहर निरीक्षण मार्ग का उन्नयन किया गया अत: विभाग द्वारा आपत्ति लिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं, विभागीय तकनीकी परिपत्र के अनुसार विभाग द्वारा निर्मित बांधों की मुख्य नहरों के एक ही बैंक पर सर्विस रोड बनाए जाने के प्रावधान के अनुसार सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। विभाग के विभिन्न बॉधों की मुख्य नहरों पर निर्मित सर्विस रोड की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। इन नहरों की सर्विस रोड पर प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं नहीं हो रही है अत: पृथक से सुरक्षा के कदम उठाने की स्थिति नहीं है। प्रश्नाधीन सड़क जल संसाधन विभाग की नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। नहर के किनारों पर सर्विस रोड पर निरीक्षण हेतु आवागमन करने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए विभाग में प्रचलित तकनीकी परिपत्रों में नहर की सर्विस रोड के किनारे बर्म (मिट्टी का डोला) का

निर्माण किए जाने का प्रावधान है। विभागीय तकनीकी परिपत्र में नहर की सर्विस रोड के किनारे दीवार निर्माण का प्रावधान नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** राहत आयुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार सीधी जिले में दिनांक 16 फरवरी 2021 को हुई बस दुर्घटना में मृतक 54 व्यक्तियों में से 53 परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। शेष 01 परिवार में उत्तराधिकारी के संबंध में अलग-अलग दावेदार होने के कारण सहायता अभी प्रदान नहीं की गई है। मृतक के परिवार को आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत उनके निकटतम वारिस को रू.04-04 लाख एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से रूपये 01-01 लाख साथ ही रूपये 02-02 लाख मान. प्रधानमंत्री (पी.एम.एन.आर.एफ.) मद से इस प्रकार कुल रूपये 07-07 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

राशन घोटाले की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

173. अता.प्र.सं. 76 (क्र. 5806) श्री जितू पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 694 दिनांक 23/09/2020 के परिप्रेक्ष्य में राशन दुकानों की हितग्राहियों कि संख्या में घोटाले का समय समय पर निरिक्षण किया जाता है या नहीं तथा अगर किसी राशन दुकान में काल्पनिक हितग्राहियों के नाम पर करोड़ों रूपये की सामान वितरित कर दी गई हो तो उस दुकानदार पर क्या कार्यवाही होगी। **(ख)** जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में जिलेवार राशन प्राप्त वृद्धि तथा कमी के कारण बताए। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित माह में जिलेवार वितरीत की गई सामग्री की मात्रा बताए तथा इस में होने वाली वृद्धि और कमी के कारण बताएं। **(घ)** वर्ष 2018 से 2020 तक राशि कि दुकानो के हितग्राहियों में से कितने संख्या में काल्पनीक हितग्राही पाये गये तथा उनके नाम किस वर्ष में हटाये गये सूची देवें कुल हटाये गये की संख्या बतावें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। किसी राशन दुकान में अनियमितता पाए जाने पर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** कार्यवाही की जाती है। **(ख)** जनवरी, 2018 से जनवरी, 2021 तक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में जिलेवार राशन प्राप्ति में वृद्धि एवं कमी का पत्रक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। पात्र हितग्राहियों को जोड़ना एवं अपात्रों को काटना एक सतत् प्रक्रिया है, इसके कारण राशन कार्ड में वृद्धि एवं कमी होती है तथा उसके कारण ही राशन में वृद्धि एवं कमी होती है। इसके अतिरिक्त दुकान में उपलब्ध बचत स्टॉक का समायोजन किए जाने के कारण आवंटन में वृद्धि एवं कमी होती है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित माह में जिलेवार वितरित की गई सामग्री की मात्रा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। सम्मिलित परिवारों में से अपात्र परिवारों को हटाने के कारण एवं नवीन परिवारों को जोड़ने के कारण वितरित मात्रा में वृद्धि/कमी हुई है। **(घ)** रतलाम जिले में वर्ष 2018 में जो अपात्र हितग्राही राशन प्राप्त करने हेतु दुकानों पर नहीं आ रहे थे, उनके कलेक्टर रतलाम के अनुरोध पर

एन.आई.सी. भोपाल द्वारा हटाया गया। ऐसे हितग्राहियों की संख्या 21202 है। प्रदेश के अन्य जिलों में काल्पनिक हितग्राही नहीं पाए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

174. अता.प्र.सं. 78 (क्र. 5820) श्री हर्ष यादव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का आंशिक भुगतान नहीं किया जा रहा है? **(ख)** यदि हां तो 31 जनवरी 2021 तक कितनी राशि का भुगतान नहीं मिला है? **(ग)** केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने का क्या कारण है?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजनांतर्गत खरीदी के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। उपार्जन का समस्त कार्य भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृत खाद्यान्न साख सीमा से राशि आहरित कर किया जाता है। उपार्जित मात्रा में अतिशेष मात्रा (अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के पश्चात बची मात्रा) का परिदान भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित खाद्यान्न की त्रैमासिक विक्रय के आधार पर दावे प्रस्तुति उपरांत अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/भुगतान की जाती है। **(ख)** दिनांक 31.01.2021 की स्थिति में भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए अनुदान देयकों में सम्मिलित राशि रूपये 8781.58 करोड़ के दावे स्वीकृति हेतु प्रचलन में है। जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा अनुदान राशियों की स्वीकृति आवंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "छब्बीस"</u>

दुकान आवंटन का निरस्तीकरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

175. अता.प्र.सं. 81 (क्र. 5864) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका क्षेत्र छतरपुर में कितनी उचित मूल्य की दुकाने संचालित है। इनमे किस समिति/दुकान के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। इनके संचालन मंडल में कौन-कौन है। कितनी समिति/दुकान के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य किया जा रहा है? किस नियम एवं किसके आदेश से? प्रति उपलब्ध करावे। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी दुकानों में कालाबजारी की या अन्य शिकायत आई। इस पर क्या कार्यवाही की गई। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में शिकायत सही पाये जाने के बाद भी समिति/दुकान की कार्यक्षेत्र एवं उसके बाहर आवंटित दुकाने निरस्त की गई? यदि नहीं तो क्यों? किस नियम से। प्रश्न दिनांक तक दुकान आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही

लंबित होने के क्या कारण है? नियमानुसार तय समय-सीमा में कार्यवाही नहीं करने पर कौन दोषी है।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित क्षेत्र में 32 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। दुकान चलाने वाली संस्थाओं एवं संस्था के संचालन मंडल में शामिल व्यक्तियों एवं उनके पद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। संस्थाओं का कार्यक्षेत्र उपायुक्त सहकारिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्धारित कार्यक्षेत्र के आधार पर ही पूर्व वर्षो में उक्त दुकानें आवंटित की गई थी। नगरपालिका छतरपुर का परिसीमन होने के उपरांत पूर्व के 33 वार्ड के स्थान पर वर्तमान में वार्डों की संख्या 40 है। परिसीमन के कारण ही वर्तमान में 07 दुकानों की सीमा पुराने वार्डों से भिन्न है। चूंकि पूर्व वर्षो से ही दुकाने अपने नियत भौगोलिक क्षेत्र में ही संचालित हैं। अत: इसे नियम विरूद्ध आवंटन नहीं कहा जा सकता है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में नगरपालिका छतरपुर के अंतर्गत कालाबाजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु उक्त अवधि में 03 अन्य शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें जांचोपरांत प्रकरण निर्मित किया गया है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नहरो के किनारे की रोडों पर हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में
[जल संसाधन]

176. अता.प्र.सं. 84 (क्र. 5880) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में क्या नहरों के किनारे पर जो रोड है जिन पर सवारी ट्रेफिक, हेवी ट्रेफिक या अत्यधिक वाहन चलते है और उन रोडों के किनारो पर गहरी-गहरी नहरें है जिसमें आये दिन दुर्घटना होकर सेकडों लोगों की मृत्यु नहरों में वाहनों के गिरने से हो रही हैं उन रोडों को नहरों के किनारे से हटाकर आवागमन की कोई वैकल्पिक रोडों की व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ? तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** ग्वालियर जिले में ऐसी कौन-कौन सी नहरे है जिनके किनारे-किनारे पर रोड है और उन रोडों पर दुर्घटनायें होती रहती है या हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना वनी रहती है? कहाँ से कहाँ तक कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी रोडें हैं? नामवार जानकारी देवें। क्या इन रोडों को क्या नहर के किनारे से हटाकर नया रोड बनवाया जावेगा? यदि हाँ? तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** विभाग द्वारा प्रदेश में नहरों के सर्विस बैंक पर रोड का निर्माण सवारी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक अथवा अत्यधिक वाहनों के उपयोग हेतु नहीं किया जाता है, अपितु नहरों के बैंक पर सर्विस रोड का निर्माण नहर की देखरेख, रखरखाव, नहर संचालन हेतु विभागीय अमले के आवागमन के लिए किया जाता है। इन नहरों में आए दिन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने से सैंकड़ों लोगों की मृत्यु होने की स्थिति नहीं है। विभाग द्वारा नहरों के रखरखाव हेतु नहरों के बैंक पर सर्विस रोड निर्मित की जाती है। आवागमन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा वैकल्पिक रोड की

व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** ग्वालियर जिले में हरसी मुख्य नहर तथा हरसी उच्च स्तरीय नहर के सर्विस बैंक पर क्रमश: 65 कि.मी. तथा 99.70 कि.मी. लंबाई की विभागीय सर्विस रोड हैं। उक्त सर्विस रोड का उपयोग नहर की देखरेख, रखरखाव एवं संचालन हेतु विभागीय अमले के आवागमन के लिए किए जाने से कोई दुर्घटना नहीं होना प्रतिवेदित है। इन सर्विस रोड को नहर के किनारे से हटाकर नए रोड के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

संचालित राशन की दुकानें
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

177. परि.अता.प्र.सं. 80 (क्र. 5882) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत कुल कितनी शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानें किस -किस ग्राम में किन-किन के द्वारा संचालित की जाती है? सूची देवें। संचालित राशन दुकानों को माह में कितने दिन खोले जाने का नियम है? क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक माह खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है? यदि हॉ, तो कब-कब इस राशन दुकानों का खाद्यान्न वितरण का भौतिक सत्यापन कब-कब,किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? **(ख)** क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राशन दुकानें दो-तीन माह में एक बार खुलती हैं जिससे क्षेत्र के गरीब आदिवासियों को राशन उपलब्ध नहीं हो पाता हैं? यदि हॉ, तो शेष एक-दो माहों का राशन को किसे वितरण किया जाता है? क्या इसकी जॉच सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती हैं, यदि हॉ, तो जॉचकर्ता अधिकारी का नाम बतावें? **(ग)** प्रश्नांश (क) में संचालित राशन दुकानों में की जा रही अनियमितता की जॉच कब की जावेगी? क्या अनिमितता बरतने वाली राशन दुकानों को बंद किया जावेगा? यदि हॉ, तो कब तक बतावें? समय पर संचालित न होने वाली दुकानों के जॉचकर्ता अधिकारी पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। माह में उचित मूल्य की दुकान रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर न्यूनतम 06 घंटे प्रतिदिन खोले जाने का प्रावधान म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में किया गया है, किन्तु एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक दुकान संचालित करने की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत द्वारा उचित मूल्य दुकान खोलने के दिन निर्धारित करने का प्रावधान है। सामान्यत: नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण किया जाता है निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राशन दुकानें निर्धारित दिनों में खोली जाती हैं जिससे पात्र परिवारों को पात्रतानुरूप राशन सामग्री प्राप्त होती है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में समाहित** है। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। अनियमितताएं प्रकाश में आने पर कार्यवाही भी की

जाती है। अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 तक अनियमितताएं प्रकाश में आने पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। समय पर दुकान संचालित न होने का तथ्य संज्ञान में आने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। अत: जांचकर्ता अधिकारी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धान/गेहूं के परिवहनकर्ताओं में गंभीर अनिमितताएं
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

178. अता.प्र.सं. 85 (क्र. 5883) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के अंतर्गत खरीब 2019-20 एवं रबी 2020-21 सीजन में कुल कितने कृषकों से कितनी मात्रा में खरीदी की गई है? खरीदी गई मात्रा में से कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कितने किसानों का भुगतान नहीं हुआ है? कब तक भुगतान किया जायेगा? नहीं तो क्यों? किसानों का भुगतान नहीं होने से कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? खरीदी केन्द्रवार बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिला अंतर्गत उपार्जित धान/गेहूं के भण्डारण की क्या योजना थी? जिले में कुल कितने भण्डारण केन्द्र,कितनी-कितनी क्षमता के निर्मित है? इन गोदामों में किन-किन खरीदी केन्द्रों का धान/गेहूं भण्डारित कराया गया है, क्या तहसील के बाहर के खरीदी केन्द्रों का भी धान भण्डारित किया गया है और तहसीलों के खरीदी केन्द्रों का धन/गेहूं जिले के अन्य गोदामों जिले के बाहर भण्डारित कराया गया है तो किन-किन गोदामों कितनी-कितनी मात्रा में? गोदामवार बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार खरीदी एजेन्सी द्वारा कितने परिवहनकर्ता नियुक्त किये गये थे? परिवहनकर्ता का नाम, उनके द्वारा लगाये ट्रकों/वाहनों की संख्या बतावें। क्या तहसील के खरीदी केन्द्रों का धान/गेहूं परिवहनकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से जिले के अन्य गोदामों में भण्डारित कराया गया हैं,तो कितना किन-किन गोदामों में? इससे परिवहनकर्ता को कितनी अधिक राशि भुगतान की गई बतावें?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सिवनी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 समर्थन मूल्य पर 40132 कृषकों से कुल 223549.39 मे.टन धान की खरीदी की गई है एवं उपार्जित धान की राशि रू. 405.74 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार रबी विपणन वर्ष 2020-21 समर्थन मूल्य 47401 कृषकों से 437018.30 मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया है, जिसकी राशि रू. 841.26 करोड़ का भुगतान किया गया है। समर्थन मूल्य पर एफएक्यू गुणवत्ता की स्वीकृत मात्रा के अनुसार समस्त कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** सिवनी जिले में उपार्जित धान एवं गेहूं के भंडारण हेतु सर्वप्रथम जिले में शासकीय एवं निजी गोदामो/सायलो, ओपन केप में भण्डारण की व्यवस्था की गई है। इसके उपरांत उपार्जित स्कंध शेष रहने पर रेल/सड़क मार्ग से परिवहन कर अन्य जिलो में भंडारण कराया जाने की व्यवस्था की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान के भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण छिंदवाडा

जिले के गोदामों में 33292 मे.टन मात्रा का भंडारण कराया गया है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन अनुमान से 144 प्रतिशत गेहूं का उपार्जन होने के कारण उपार्जित मात्रा को तहसील एवं जिले के बाहर स्थिति गोदामों/केप में भंडारित किया गया है, ताकि उपज सुरक्षित रह सके एवं किसानों को भुगतान किया जा सके। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** सिवनी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 एवं रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान एवं गेंहू के परिवहन हेतु नियुक्त सेक्टरवार परिवहनकर्ता के नाम एवं उनके द्वारा उपयोग किए वाहन (ट्रक) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। इसके अतिरिक्त उपार्जित धान के परिवहन हेतु अतिरिक्त वाहन भी अधिग्रहण कर जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये ताकि धान का परिवहन समय-सीमा में किया जा सके। मेपिंग अनुसार गोदम भर जाने पर जिला उपार्जन समिति की स्वीकृति अनुसार अंतर जिला परिवहन कर भंडारण कार्य कराया गया है। किसी परिवहनकर्ता को स्वीकृत दर से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। गोदामों में भंडरित गेंहू एवं धान की गोदामवार **जानकारी परिशिष्ट अनुसार** है।

गेहूँ, धान, चना एवं मक्का उपार्जन की खरीदी का भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

179. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 5933) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी-मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा कितना गेहूं, चना, धान, मक्का का उपार्जन किया गया? वर्षवार बतावें? **(ख)** क्या उपार्जन के पश्चात कृषकों, समितियों खरीदी केन्द्रों एवं परिवहन व हम्मालों का भुगतान कर दिया? **(ग)** यदि भुगतान शेष है तो कितने व्यक्तियों का कितना भुगतान देना शेष है? **(घ)** क्या परिवहन के बाद अनाज के वजन में कमी आई है? यदि हां तो कितनी? जिम्मेदार कौन है और उनके विरूध्द क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना एवं धान का उपार्जन किया गया है। उपार्जित मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उपार्जन के पश्चात कृषकों, समितियों, खरीदी केन्द्रों एवं परिवहन व हम्मालों का भुगतान कर दिया गया है। **(ग)** जिले एवं सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भुगतान शेष नहीं है। **(घ)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में समर्थन मूल्य पर स्कंध के उपार्जन के पश्चात परिवहन में कमी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - 'ब'** अनुसार है। परिवहन में हुई कमी की वसूली संबंधित समितियों से की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - ''सत्ताईस''</u>

खाद्यान्न वितरण के संबंध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

180. अता.प्र.सं. 98 (क्र. 5938) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा राशन वितरण प्रणाली में फिंगरप्रिंट व मशीन में उपभोक्ता का विवरण आने पर ही राशन प्रदाय करने का प्रावधान है? **(ख)** यदि हां तो फिंगरप्रिंट न मिलने एवं सर्वर/नेटवर्क न मिलने की स्थिति में राशन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन दुकानों द्वारा राशन वितरण की छूट प्रदान की गई है हां अथवा नहीं? **(ग)** यदि नहीं तो विगत 1 वर्ष में जबेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जहां पर भी सर्वर/नेटवर्क उपलब्ध नहीं है उन उचित मूल्य राशन दुकानों के नाम तथा कितने उपभोक्ताओं को फिंगरप्रिंट न मिलने या अन्य कारण से राशन प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे उपभोक्ताओं की राशन दुकानवार संख्या कितनी है? **(घ)** क्या फिंगर प्रिंट व नेटवर्क न मिलने पर या अन्य कारणों से उचित मूल्य राशन दुकानों में बचा शेष खाद्यान्न उपभोक्ताओं को अगले माह वितरित किए जाने का प्रावधान है अथवा नहीं? (ड़) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 1 वर्ष में किन-किन उचित मूल्य राशन दुकानों को कौन-कौन सा कितना खाद्यान्न आवंटन प्राप्त हुआ है तथा किस माह में कितना वितरण हुआ तथा कितना खाद्यान्न शेष है?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों की बायोमेट्रिक सत्यापन का आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है केवल नेट कनेक्टीविटी विहीन उचित मूल्य दुकानों से संलग्न परिवारों को समग्र परिवार आईडी से पीओएस मशीन द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। **(ख)** जिन उचित मूल्य दुकानों पर नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उन दुकानों से संलग्न परिवारों को समग्र आईडी से राशन का वितरण किया जाता है। साथ ही, वृद्धजन/नि:शक्तजन हितग्राही जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाते हैं, उनको नामिनी के माध्यम से राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है एवं दुकान की पीओएस मशीन से ही हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज करने एवं संशोधन भी किया जा सकता है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** पात्र परिवारों को माह की 01 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण किया जाता है एवं उसके पश्चात् कोई परिवार किसी कारण से राशन खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाता है तो आगामी माह की 10 तारीख तक राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

नेपानगर एवं बुरहानपुर के मार्फेट गोदाम प्रभारी द्वारा आर्थिक अनियमितताएं
[सहकारिता]

181. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 5942) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के खण्डवा मुख्यालय के अंतर्गत नेपानगर एवं बुरहानपुर में गोदाम प्रभारी द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताएं की जांच के लिए क्या भोपाल मुख्यालय मार्कफेड के एम.डी. ने कड़ी जांच के लिए दो टीम

बनाकर पादरर्शी कार्यवाही के आदेश माह दिसम्बर 2020 में दिए थे? **(ख)** यदि हां तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कर ली गई है? यदि हां तो जांच निष्कर्ष के आधार पर किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा दिनांक 12.01.2021 को 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। तदोपरान्त मंडल प्रबंधक इन्दौर द्वारा जांच निरीक्षण के दौरान स्टेको में विसंगति होने के कारण दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिला विपणन अधिकारी के द्वारा दिनांक 21.01.2021 से 6 सदस्यीय जांच दल का गठन मिश्रित स्टेको को रिस्टेकिंग कर गिनती करने के लिये किया गया। **(ख)** जी हां, श्री अमित मालवीय क्षेत्र सहायक गोदाम प्रभारी बुरहानपुर जिला बुरहानपुर एवं श्री प्रेम सिंह जमरा वरिष्ठ सहायक गोदाम प्रभारी नेपानगर जिला खण्डवा द्वारा खाद के स्कंध में अफरा-तफरी कर संघ को हानि पहुंचाने के लिये इन दोनों के विरूद्ध म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा पत्र क्र./जांच/6211/2021 दिनांक 05.01.2021 से प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु जिला विपणन अधिकारी खण्डवा को लिखा गया। जिला विपणन अधिकारी खण्डवा द्वारा श्री प्रेम सिंह जमरा वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध दिनांक 01.02.2021 को थाना नेपानगर एवं श्री अमित मालवीय क्षेत्र सहायक के विरूद्ध दिनांक 16.02.2021 को थाना शिकारपुरा जिला बुरहानपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही विपणन संघ द्वारा गोदाम नेपानगर में स्कंध की हेरा-फेरी के संबंध में श्री अमित तिवारी सहायक प्रबंधक तत्समय जिला विपणन अधिकारी खण्डवा/बुरहानपुर, श्री पी.के. काले सहायक लेखा अधिकारी जिला खण्डवा/बुरहानपुर, श्री राजेश खरे खाद कक्ष प्रभारी खण्डवा/बुरहानपुर, श्री प्रेम सिंह जमरा वरिष्ठ सहायक गोदाम प्रभारी नेपानगर जिला खण्डवा के विरूद्ध दिनांक 02.03.2021 से विभागीय जांच संस्थित की गई। इसके साथ ही बुरहानपुर गोदाम में स्कंध की अफरा-तफरी के लिये भी श्री रोहित श्रीवास्तव उप प्रबंधक जिला विपणन अधिकारी खण्डवा/बुरहानपुर, श्री राजेश खरे क्षेत्र सहायक खण्डवा, श्री फहीम अंसारी उप प्रबंधक वित्त खण्डवा/बुरहानपुर, सुश्री साजिया शेख उप प्रबंधक वित्त खण्डवा/बुरहानपुर, श्री अमित मालवीय क्षेत्र सहायक गोदाम प्रभारी जिला बुरहानपुर के विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2021 को विभागीय जांच संस्थित की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहूँ की कालाबाजारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

182. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 5997) श्री विनय सक्सेना : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पालन ना होने पर कलेक्टर/खाद्य विभाग को कार्यवाही का अधिकार है या सिर्फ पुलिस विभाग को है? **(ख)** क्या जबलपुर में अक्टूबर 2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 82 क्विंटल गेंहू जब्त होने पर सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जो लीड समिति है उसके प्रबंधक, परिवहनकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? **(ग)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी के उपरोक्त मामले में

कलेक्टर/खाद्य विभाग जबलपुर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों? **(घ)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 82 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी में परिवहनकर्ता कौन व्यक्ति हैं? आज तक कोई कार्यवाही उन पर नहीं की गयी है? **(ङ)** क्या जबलपुर कलेक्टर/खाद्य विभाग ने ई.सी. एक्ट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रकरण ना बनाकर स्वयं एक अपराध नहीं किया है? **(च)** क्या शासन सिविल सप्लाई के प्रबंधक,परिवहनकर्ता एवं कलेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं तो, क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण एवं कार्यवाही का अधिकार खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को है। उचित मूल्य दुकान के निलम्बन/निरस्तीकरण होने पर कलेक्टर अपीलीय अधिकारी है। जप्त वस्तु के निराकरण हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उसके राजसात करने के संबंध में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (अ) के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** चूंकि पुलिस द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। अत: कलेक्टर एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। **(घ)** उक्त प्रकरण में विजय कुमार मलिक, आजम खान उर्फ गुड्डन, अमर कुमार चौधरी, निजी गोदाम का संचालक पप्पू केशरवानी, मैनेजर गुड्डा खान एवं ड्रावयर विजय सिंह लोधी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 420, 406 एवं 34 के अंतर्गत पुलिस द्वारा अरोपी बनाया गया हैं। **(ड.)** जी नहीं। प्रकरण निर्माण के समय खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। कलेक्टर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जप्त सामग्री के निराकारण के लिए प्रकरण प्रस्तुत होने पर कार्यवाही की जाती है। **(च)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मध्य प्रदेश में हर्बल प्लान्ट मेडिशियन बोर्ड का गठन

[सहकारिता]

183. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 6009) श्री सुनील उईके : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. से अलग हुए छत्तीसगढ़ राज्य ने हर्बल छत्तीसगढ़ एवं उसके स्वास्थ्य सुधार हेतु पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मेडिसनल प्लान्ट बोर्ड रायपुर का पृथक से गठन किया है? **(ख)** म.प्र. में मध्यप्रदेश राज्य मेडिशनल प्लांट बोर्ड भोपाल का गठन कर पृथक से बोर्ड के माध्यम से हर्बल औषधि, वृक्षों की खेती एवं प्रसंस्करण का काम लघुवनोपज समितियों के माध्यम से कराने की कार्य योजना विचाराधीन है? **(ग)** औषधि पदार्थों का लोक जैव विविधता रजिस्टर का निर्माण कराकर पौधों को संरक्षित करने की योजना है? **(घ)** म.प्र. में लघुवनोपज के प्रसंस्करण केन्द्रों चुरहटा रीवा एवं भरतादेव छिन्दवाड़ा में आज तक कुल कितनी राशि वर्षवार खर्च की गई एवं कुल कितनी राशि की वर्षवार आय हुई? मदवार जानकारी से अवगत करावें।

सहकारिता मंत्री : [(क) प्रश्नांश (क) मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है अत: उत्तर देना सम्भव नहीं है। प्रश्नांश **(ख)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** म.प्र. राज्य औषधीय पादप बोर्ड का कार्य म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रबंधक संचालक (टा.फो.) द्वारा CEO/Member Secretary राज्य औषधीय पादप बोर्ड के रूप में संपादित किया जाता रहा है। भारत शासन आयुष मंत्रालय के पत्र क्र. D.O. No. A-11019/03/2018 NMPB दिनांक 15.05.2018 के द्वारा राज्य औषधि पादप बोर्ड को राज्य शासन आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करने के निर्देश के पालन में राज्य औषधीय पादप बोर्ड का कार्य आयुष विभाग को संघ के पत्र क्र. 11411 दिनांक 02.12.2020 द्वारा हस्तातंरित किया गया है। **(ग)** जी हां, म.प्र. जैव विविधता नियम 2004 के 23 (16) अंतर्गत ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिका निगम के स्तर को जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैव विविधता पंजी में उल्लेखित जानकारी के आधार पर जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार की जाकर जैव विविधता एवं जैव संसाधनों का संरक्षण प्रावधानित है। **(घ)** जिला यूनियन पूर्व छिन्दवाड़ा के अंतर्गत स्थापित पातालकोट औषधीय प्रसंस्करण केन्द्र भरतादेव छिन्दवाड़ा में म.प्र. राज्य लघु वनोपज भोपाल से रूपये 2,46,06,348/- प्राप्त एवं व्यय हुए है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। उक्त प्रसंस्करण केन्द्र को दिनांक 01.03.2012 से लीज पर दिया गया था, जिससे रूपये 36,31,320/- प्राप्त हुए, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र** 2 **अनुसार** है। औषधीय प्रसंस्करण केन्द्र चोरहटा रीवा में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2020-21 के मध्य राशि रूपये 2,69,85,876/- आय तथा राशि रूपये 2,67,10,625/- व्यय हुई।

<u>परिशिष्ट - "अट्ठाईस"</u>

धान खरीदी केन्द्रों की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

184. अता.प्र.सं. 125 (क्र. 6043) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा व शहडोल संभाग में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक के दौरान कितने धान खरीदी केन्द्र स्थापित किये गये हैं? का विवरण वर्षवार एवं जिलावार दिया जावे। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संचालित धान खरीदी केन्द्रों में कितनी-कितनी धान किन-किन खरीदी गई कितनी जमा की गई,कितना अन्तर हैं का विवरण वर्षवार,केन्द्रवार एवं जिलावार दिया जावे। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत खरीदी केन्द्रों पर खरीदे गये स्कंध की मात्रा के आधार पर राशि एवं उपार्जन एजेन्सियों से प्राप्त राशि के मध्य कितना अन्तर है का विवरण वर्षवार जिलावार दिया जावे। **(घ)** प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत खरीदी केन्द्रों द्वारा किसानों की धान की सफाई, तौलाई, भराई में कितनी राशि प्रति किलो या प्रति क्विंटल के मान से किसानों से ली जाती है? इस बावत् शासन के क्या निर्देश हैं? प्रति देते हुये बतावें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत धान खरीदी केन्द्रों में मनमानी धान की तौलाई, उठाई और भरवाई के नाम पर राशि वसूली के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** रीवा व शहडोल संभाग में खरीफ विपणन वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु केन्द्रों की वर्षवार एवं जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** रीवा व शहडोल संभाग में खरीफ विपणन वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु केन्द्रों पर उपार्जित मात्रा, जमा मात्रा एवं अंतर मात्रा की वर्षवार, जिलेवार, केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** रीवा व शहडोल संभाग में खरीदी केन्द्रों पर खरीदे गये स्कंध की मात्रा के आधार पर राशि एवं उपार्जन एजेन्सियों से प्राप्त राशि के मध्य वर्षवार, जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** समर्थन मूल्य पर कृषकों से उपार्जित धान की तौलाई, भराई हेतु कोई भी राशि नहीं ली जाती है। उपार्जित धान की तौलाई, भराई में व्यय राशि समिति स्तर से किया जाता है। समर्थन मूल्य पर कृषक से एफएक्यू गुणवत्ता की उपज का उपार्जन किया जाता है, इस कारण सफाई का दायित्व संबंधित कृषक का ही होता है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्नावधी में समर्थन मूल्य पर कृषकों से उपार्जित धान की तौलाई, भराई के नाम पर राशि वसूली की शिकायत के संबंध में जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

डिफाल्टर सहकारी समितियों के संबंध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

185. अता.प्र.सं. 130 (क्र. 6073) श्री संजय यादव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले की कितनी सहकारी समितियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया हैं? प्रत्येक के डिफॉल्टर घोषित करने के कारण सहित सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** डिफॉल्टर सहकारी समिति के किसानों से फसल खरीदी की क्या योजना है? ऐसे समितियों के गैर लाभान्वित किसानों की सूची उपलब्ध करावें। भविष्य में ऐसे किसानों की सुविधा की क्या योजना है? **(ग)** क्या समितियों में गबन के आरोप में समितियों को डिफॉल्टर घोषित किया है? यदि हां तो प्रत्येक दोषी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या समितियों में गबन के आरोपी कर्मचारियों को दूसरी अन्य समितियों में नियुक्त किया गया है? यदि हां तो किस नियम के अनुसार किया गया है? प्रति उपलब्ध करायें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जबलपुर जिले की 16 सहकारी समितियां उपार्जन कार्य हेतु अपात्र पायी गयी थी। अपात्र समितियों एवं अपात्रता के कारण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** अपात्र समिति के कार्य क्षेत्र में अन्य पात्र संस्थाओं को उपार्जन का कार्य दिया गया है। अपात्र समिति के कार्य क्षेत्र के संबंधित ग्रामों के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति के प्रावधानों के अनुसार विगत दो (खरीफ एवं रबी) विपणन वर्षों में उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत में 0.25 प्रतिशत से अधिक

अंतर पाए जाने के कारण संस्थाओं को अपात्र किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जबलपुर जिले में गबन के आरोपी कर्मचारियों को दूसरी अन्य समितियों में नियुक्त नहीं की गई है।

परिशिष्ट - "उन्तीस"

भारत सरकार द्वारा घोषित प्रासांगिक व्यय/कमीशन की दरों के संबंध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

186. अता.प्र.सं. 145 (क्र. 6107) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिलान्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन सतना द्वारा वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक में धान उपार्जन में प्रासंगिक व्यय में लोडिंग तथा समितियों द्वारा कराये गये हैंडलिंग, परिदान के व्यय का भुगतान क्या किया गया है? यदि हां तो प्रासांगिक व्यय की परिधि में कौन-कौन से व्यय आते हैं? स्पष्ट करते हुए वर्षवार, समितिवार किये गये भुगतान की जानकारी दी जावें। **(ख)** प्रश्नांश (ख) अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित प्रासांगिक व्यय/कमीशन की दरें क्या हैं? मदवार, जिसवार, पृथक-पृथक जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया जावे, कि क्या राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा उक्त राशि का सहकारी समितियों को समयबद्ध भुगतान किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? क्या निकट भविष्य में उक्त व्यय की दरों में मंहगाई के अनुपात में वृद्धि करते हुए समयबद्ध भुगतान किये जाने के निर्देश जारी किये जावेंगे?

खाद्य मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन करने वाली समितियों द्वारा आडिटेट बिल उपार्जन एजेन्सी को प्रस्तुत करने के उपरांत कमीशन/प्रसांगिक/लोडिंग एवं हैण्डलिंग के व्ययों का अंतिम भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को किया जाता है। प्रासंगिक व्यय के तहत मद- 1. स्कंध को बोरे में भरकर प्लेटफार्म/काटे पर रखना। 2. तुलाई व्यय। 3. बोरे को काटे से उतारना। 4. मशीन से सिलाई व्यय। 5. छापा लगाई व्यय। 6. अस्थायी थप्पी लगाना, शामिल है। वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक समितियों को किए गए भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** भारत सरकार द्वारा घोषित कमीशन/प्रासंगिक व्ययों के कमीशन की दरें मदवार, जिंसवार एवं पृथक-पृथक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। निगम द्वारा 2019-20 तक समितियों के कमीशन/प्रासंगिक व्ययों का अंतिम भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना को किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में समितियों को किए गए कमीशन/प्रासंगिक व्यय का पुन: मिलान की कार्यवाही प्रचलन में है। दरों में वृद्धि का निर्णय केन्द्र शासन द्वारा लिया जाता है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी वेयर हाउसों के निर्माण हेतु अनुदान राशि का भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

187. परि.अता.प्र.सं. 128 (क्र. 6196) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिला अंतर्गत नाबार्ड की योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त कर वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 वर्ष में कितने वेयर हाउस बनाये गये? **(ख)** प्रश्नांश (क) के क्रम में बनाये गये वेयर हाउस उद्यमियों को नियमानुसार अनुदान राशि का 50 प्रतिशत एवं फायनल निरीक्षण उपरांत अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दे कि अनुदान राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? **(ग)** क्या शासन कृषि उपज के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले वेयर हाउस उद्यमियों को समय पर अनुदान राशि भुगतान हेतु विलम्ब के कारण अनुदान राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उस पर लगने वाले ब्याज भुगतान की स्थिति से मुक्त रखे जाने हेतु सहयोगात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हॉ तो क्या? नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** ग्रामीण भंडारण योजना के तहत निवेशकों द्वारा प्रस्ताव सीधे बैंक के माध्यम से नाबार्ड को प्रस्तुत किये जाते हैं, इसमें राज्य शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। **(ख)** राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न किए जाने से जानकारी दी जाना संभव नहीं। **(ग)** राज्य सरकार की विषयवस्तु न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 23 मार्च, 2021

भोपाल एवं देवास नगर निगम अधिकारियों के विरुद्ध जांच
[नगरीय विकास एवं आवास]

188. अता.प्र.सं. 7 (क्र. 3388) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल एवं देवास नगर पालिक निगम में पिछले पॉच वर्ष में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन को क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई तथा उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी। वर्षवार/बिन्दुवार अलग-अलग बताया जाये। **(ख)** नगर पालिक निगम भोपाल के आयुक्त द्वारा अपने पत्र क्रमांक-25/सा.प्र.वि./2021 दिनांक 6 फरवरी, 2021 को प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर किसी अधिकारी को तत्काल निलंबन करने का अनुरोध किया है। यदि हॉ तो अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी बिन्दुवार बताया जाये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में वर्णित अनुसार उक्त अधिकारी कब-कब कहां-कहां पदस्थ रहे और क्या-क्या शिकायत शासन को प्राप्त हुई अभी तक उन शिकायतों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी बिन्दुवार निश्चित समय-सीमा बताया जाये।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) प्राप्त शिकायतों की **जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हॉ। आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा श्री एस.पी. श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी

(प्रतिनियुक्ति पर) को सौंपे गये दायित्वों से हटकर बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य करने, शासकीय कार्य में व्यवधान डालने, स्वेच्छाचारिता तथा निगम हित में कार्य नहीं करने पर निलंबित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** श्री एस.पी. श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देवास, दुर्ग, रतलाम, जबलपुर, खण्डवा, उज्जैन में पदस्थ रहे है। वर्तमान में नगर निगम भोपाल में दिनांक 24.10.2011 से पदस्थ है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ग) 1.** श्री एस.पी. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम भोपाल को निगम में आवश्यकता नहीं होने से प्रशासक संकल्प क्रमांक 181 दिनांक 24/08/2020 की परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 66/सा.प्र.वि/2020 भोपाल दिनांक 25/08/2020 द्वारा उनकी सेवाऐं उनके मूल विभाग नगर पालिक निगम देवास को वापस की गई। कार्यमुक्त करने के पश्चात श्री एस.पी.श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 14307/2020 में पारित आदेश दिनांक 06/10/2020 के पालन में श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी को निगम में पुन: कार्यभार ग्रहण कराया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 268/सा.प्र.वि/2020 भोपाल दिनांक 21.10.2020 द्वारा सी एम हेल्पलाईन महूआ एप मानिटरिंग आई.सी.सी. डोर-टू-डोर मानिटरिंग का दायित्व सौपा गया था, परंतु श्री श्रीवास्तव द्वारा अनाधिकृत रूप से अन्नपूर्णा भवन में बैठकर विवाह पंजीयन शाखा के कर्मचारियों को पत्र जारी कर अपने स्तर से कार्य करने के निर्देश दिये गये। जबकि उक्त कार्य श्री श्रीवास्तव को आवंटित नहीं है। जिस पर नगर निगम भोपाल के पत्र क्रमांक 842-843 दिनांक 02.11.2020 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। **2.** श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी को न्यायालय श्रीमान विधिक सेवाऐं प्राधिकरण एवं माननीय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भोपाल में प्रचलित क्रमांक 3/14 में माननीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त कथन विधि अनुकूल नहीं होने से माननीय न्यायालय में असत्य शपथ प्रस्तुत करने बिना सक्षम स्वीकृति/निर्देश प्राप्त किये माननीय न्यायालय में कथन दिये जाने पर सौंपे गये दायित्वों में उदासीनता बरतने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 799-811/आ.क्र/2015 भोपाल दिनांक 25.02.2015 द्वारा निलंबित किया गया था। जिसका प्रकरण माननीय उच्च नयायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में नगर पालिक निगम भोपाल का पत्र क्रमांक 269/सा.प्र.वि/2020 भोपाल दिनांक 17/11/2020 द्वारा श्री एस.पी.श्रीवस्तव स्वास्थ्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ति) मूल विभाग नगर पालिक निगम देवास की दो वार्षिक वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। **3.** श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निरंतर उन्हे सौंपे गये दायित्वों से हटकर बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य संपादित किये जाने पर भोपाल नगर निगम के पत्र क्रमांक 25/सा.प्र.वि/2021 भोपाल दिनांक 08.02.2021 द्वारा शासन स्तर से निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। **4.** श्री एस.पी.श्रीवास्त स्वस्थय अधिकारी की दो वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से आयुक्त नगर पालिक निगम देवास का पत्र क्रमांक 947/स्था/देवास/दिनांक 15.02.2021 के द्वारा रोकी गई है। **5.** आयुक्त नगर निगम देवास के आदेश क्रमांक 1390 दिनांक 05.03.2021 के द्वारा श्री श्रीवास्तव को मूलपद

स्वच्छता निरीक्षक के पद पर पदावनत करने हुए पदस्थ किया गया था। किन्तु श्री एस.पी.श्रीवास्तव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक आर.पी.28/2021 में पारित आदेश के तारतम्य में आयुक्त नगर निगम देवास द्वारा पत्र क्रमांक 1421/स्था/2021 दिनांक 06/03/2021 द्वारा यथास्थिति रखते हुए पदावनत आदेश क्रमांक 1390/स्था/2021/देवास दिनांक 05.03.2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

घटिया निर्माण कार्यों की जांच
[नगरीय विकास एवं आवास]

189. अता.प्र.सं. 43 (क्र. 4681) श्री राकेश मावई : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर निगम मुरैना को वर्ष 2017-18 से 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त बजट एवं निर्माण कार्यों की जानकारी देने बावत आयुक्त नगर निगम मुरैना को प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 40, दिनांक 17/12/2020 एवं 132, दिनांक 25/01/2021 दिये? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** नगर निगम मुरैना को वर्ष 2017-18 से 31 दिसम्बर 2020 तक शासन से कितना बजट कब-कब प्राप्त हुआ तथा इस अवधि में कौन-कौन से निर्माण कार्य किस-किस योजना से कहां-कहां पर स्वीकृत कराकर पूर्ण करायें गये और कौन-कौन से अपूर्ण है एवं इनकी निर्माण एजेंसी कौन-कौन हैं? इन सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कितनी-कितनी राशि की है तथा इन कार्यों का किस-किस उपयंत्री ने किस आधार पर मूल्यांकन किया एवं कार्यों की भौतिक स्थिति क्या हैं? वर्षवार, कार्यवार जानकारी देवें। **(ग)** वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ठेकेदार/निर्माण एजेंसी को किस आधार पर कितना-कितना भुगतान किया गया तथा कितने ठेकेदार/निर्माण एजेंसी के भुगतान शेष हैं उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ख) किये गये कार्यों की जांच कराई जायेगी? यदि हां तो किससे, कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) पत्र क्रमांक 40, दिनांक 17/12/2020 प्राप्त हुआ है, पत्र क्रमांक 132, दिनांक 25/01/2021 प्राप्त नहीं हुआ है। चाही गई जानकारी निर्माण, जलप्रदाय, स्थापना, स्टोर, वर्कशाप, विद्युत, स्वास्थ्य, लेखा एवं वित्त आदि शाखाओं से संबंधित एवं वृहद स्वरूप की होने से संकलित करने में विलंब हो रहा है, जानकारी संकलित की जा रही है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** बजट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। 172 ठेकेदार/निर्माण ऐजेंसी के भुगतान शेष हैं, निकाय में उपलब्ध राशि अनुसार भुगतान किया जा रहा है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** नगर पालिक निगम, मुरैना में नाला नम्बर 01 पर भूमिगत नाला निर्माण कार्य की

शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के आदेश क्रमांक 1341, दिनांक 11-02-2021 द्वारा जाँच समिति गठित की गई है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(क)** पत्र क्रमांक 40 दिनांक 17-12-2020 प्राप्त हुआ है, पत्र क्रमांक 132 दिनांक 25-01-2021 प्राप्त नहीं हुआ है। चाही गई जानकारी नगर पालिक निगम मुरैना द्वारा तैयार कर दिनांक 15-03-2021 को मा.विधायक श्री राकेश मावई, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 06 मुरैना को प्रेषित की गई है। जानकारी वृहद स्वरूप होने से बहुसंख्यात्मक होने के कारण जानकारी देने में स्वभाविक रूप से विलंब हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में श्री कैलाश बाथम, सहायक वर्ग 03 एवं श्री शैलेन्द्र श्रीवासतव सहायक वर्ग 03 को दण्डित किया गया है।

सांसद व विधायकों द्वारा निरीक्षण हेतु शासकीय नियम
[संसदीय कार्य]

190. अता.प्र.सं. 79 (क्र. 5661) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मान. सांसद व विधायकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निरीक्षण करने के किन-किन विभागों में अधिकार हैं व क्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी निरीक्षण कर सकते हैं अथवा नहीं? निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां हेतु शासन को क्या कार्यवाही अर्थात प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मान. सांसद व विधायकों के निरीक्षण हेतु शासन द्वारा कोई नियम अधिनियम प्रचलन में हो तो उसकी भी जानकारी भी दी जावे।

गृह मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जेल विभाग में। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

अवैध कालोनियों के प्लाट विक्रय पर रोक
[नगरीय विकास एवं आवास]

191. परि.अता.प्र.सं. 65 (क्र. 5774) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले में कौन-कौन से कॉलोनियां अवैध है उक्त अवैध कॉलोनियों में आवासीय प्लाट की बिक्री पर रोक लगाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो गया है उक्त अवैध कॉलोनियों में मकान बनाकर रह रहे व्यक्तियों को बिजली, पानी एवं सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** रायसेन जिले के नगरीय क्षेत्र में किन-किन अवैध कॉलोनियों में संबंधित नगर पालिका द्वारा कहॉ-कहॉ किस आधार पर सड़क का निर्माण किया तथा उक्त कॉलोनियों में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? **(घ)** रायसेन जिले की उक्त अवैध कॉलोनियों को वैध करने हेतु विभाग के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** निकायवार अवैध कॉलोनियों की जानकारी संकलित की जा रही है, अवैध कॉलोनियों में आवासीय प्लाट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभाग के नियमों में प्रावधान नहीं है यद्यपि नगरपालिका अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवैध कॉलोनी बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर अवैध कॉलोनी में प्लाट की बिक्री को हतोत्साहित किया जाता है। **(ख)** निकायवार अवैध कॉलोनियों की जानकारी संकलित की जा रही है, अवैध कॉलोनियों के मकानों में बिजली एवं पानी के संयोजन के लिए म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 15-ख के प्रावधान हैं जिसके तहत अवैध कॉलोनी के रहवासी निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, अवैध कॉलोनी में सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान न होने से विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** निकायवार जानकारी संकलित की जा रही है, ऊर्जा विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जाते है। **(घ)** राज्य शासन द्वारा अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरपालिका अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है जो प्रक्रियाधीन है।]
(क) रायसेन जिले के नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। अवैध कॉलोनियों में आवासीय प्लाट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभाग के नियमों में प्रावधान नहीं है यद्यपि नगरपालिका अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवैध कॉलोनी बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर अवैध कॉलोनी में प्लाट की बिक्री को हतोत्साहित किया जाता है। **(ख)** रायसेन जिले के नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। अवैध कॉलोनियों के मकानों में बिजली] पानी व सड़क के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। **(ग)** रायसेन जिले के नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों में सड़क निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। ऊर्जा विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जाते है।

न्यायालयों में रिक्त आशुलिपिकों के पद
[विधि और विधायी कार्य]

192. अता.प्र.सं. 104 (क्र. 6113) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चम्बल संभाग अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में वर्तमान में हिन्दी आशुलिपिकों के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं? जिलेवार अवगत करावें? **(ख)** आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा हैं? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ख)** तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** चंबल संभाग

अंतर्गत न्यायिक जिले भिण्ड मुरैना एवं श्योपुर आते है। उक्त तीनों जिलों की स्थापनाओं से संबंधित स्टेनोग्राफर्स संवर्ग के अंतर्गत पदों के संबंध में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी संकलित कर तैयार की गई है। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** वरिष्ठ निज सहायक एवं निज सहायक के पद, पदोन्नति से भरे जाने वाले पद है। पूर्व में इन पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई है किंतु वर्तमान में प्रभावी मध्यप्रदेश जिला स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2016 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28.06.19 में प्रकाशित) में स्टेनोग्राफर्स संवर्ग के अंतर्गत वरिष्ठ निज सहायक एवं निज सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिसूचित किया गया है, वर्तमान में मध्यप्रदेश जिला स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2016 में संशोधन किए जाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। भर्ती नियमों में संशोधन होने के पश्चात उक्त दोनों प्रकार के पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा की जावेगी। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर संवर्ग के अंतर्गत स्टेनोग्राफर के पदों पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में रजि0 ज्ञा0 क्र0 821, दिनांक 15.03.21 **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति किए जाने हेतु) आरक्षण पॉलिसी में छूट दिए जाने हेतु लिखा गया है। शासन से अनुमति प्राप्त होने पर स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने संबंधी आगामी कार्यवाही की जावेगी।

पर्यावरण सरंक्षण, मिशन का गठन

[पर्यावरण]

193. अता.प्र.सं. 117 (क्र. 6164) श्री सुनील उईके : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण मिशन का गठन किया जावेगा? प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के वार्डवार पर्यावरण संरक्षण समितियों का गठन कर पर्यावरण एवं प्रदूषण जनभागीदारी बढाई जावेगी। **(ख)** क्या सड़कों के किनारे, नदी नालों के किनारे एवं शासकीय कैम्पसों में पर्यावरण प्रदुषण रोकने हेतु छायादार एवं फलदार सुबादार एवं औषधिय पौधों का वृक्षारोपण करने की कोई योजना है जिससे लोगों को स्व रोजगार के साथ फलदार वृक्षों एवं फल प्राप्त हो। **(ग)** प्रदेश में ऐसी कितनी नदियाँ है जो प्रदूषित हो चुकी है एवं प्रदूषण को मुक्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कोई योजना है? **(घ)** शहरों एवं ग्रामों में पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु नेहरों, मेढ़ों एवं खाली जगह पर प्रदूषण एवं पर्यावरण सुधार हेतु प्रदुषण रोधी वृक्षों का रोपण किया जायेगा?

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [(क) पर्यावरण मिशन गठन के संबंध में वर्तमान में कोई नवीन निर्देश प्राप्त नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों की

जल गुणवत्ता मापन का कार्य मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिमाह किया जाता है। जल गुणवत्ता के आधार पर प्रदेश की 22 नदियों के कुछ भाग प्रदूषित क्षेत्र घोषित किये गये है। इन नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कार्य योजनाएं बनाई गई है। कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संबंधित विभागों के समन्वय से प्रगति पर है। योजनाओं में मुख्य रूप से नगरों से उत्पन्न घरेलू दूषित जल उपचार हेतु उपचार संयंत्र स्थापित किये जा रहे है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** जी हाँ। महात्मा गांधी मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय,मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28/4/2017 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ** अनुसार है। वानिकी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु वन विभाग की विस्तार वानिकी योजना क्रमांक-3536 क्रियान्वित है। पौधारोपण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। **(घ)** बजट की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी द्वारा परियोजना तैयार कर योजना अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है।

अनुसूचित क्षेत्र के जेल एवं कैदी संस्था

[जेल]

194. अता.प्र.सं. 122 (क्र. 6176) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में कितनी जेलें हैं, उन जेलों में कितने कैदियों को रखा जा सकता है? पृथक-पृथक जेलवार ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के जेलों में वर्तमान में कितने कैदी हैं? कितने कैदी सजाप्राप्त हैं, कितने विचाराधीन हैं? जातिवार-वर्गवार ब्यौरा दें। **(ग)** जेलों में यदि कैदियों की संख्या अधिक है तो क्या सेंट्रल जेल बनाने का प्रावधान है? **(घ)** पुलिस द्वारा किसी मामले में पकड़े गए किसी आरोपी के जाति का उल्लेख सार्वजनिक तौर पर अथवा मीडिया को किस नियम के तहत बताया जाता है? यदि कोई नियम नहीं है तो जाति का उल्लेख करने वाले पुलिसकर्मियों/संबंधित अधिकारियों पर किस नियम के तहत क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है? **(ड.)** धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बैतूल जिलों एवं 89 आदिवासी विकासखंडों में जनवरी 2015 से प्रश्न-दिनांक तक किन-किन मामलों में पुलिसकर्मियों/संबंधित अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक तौर अथवा मीडिया के समक्ष आरोपियों के जाति का उल्लेख किया गया?

गृह मंत्री : [(क) 15 जेलें, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** कैदियों की कुल संख्या का वर्गवार **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार एवं जातिवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** अनुसूचित क्षेत्र में केन्द्रीय जेल बड़वानी कार्यरत है, शेष जेलों की बंदी संख्या मानक अनुसार न होने से उन्हें केन्द्रीय जेल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (घ)** पुलिस द्वारा किसी मामले में पकड़े गये किसी आरोपी की जाति का पृथक से उल्लेख सार्वजनिक तौर पर अथवा मीडिया

में नहीं किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महिदपुर बस स्टैण्ड के संबंध में चल रहे प्रकरण की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

195. परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 6206) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर बस स्टैण्ड के संबंध में चल रहे प्रकरण क्रमांक 552/2015 ग्राम गौगापुर के प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक कितनी तारीखें लगी? शासकीय अधिवक्ता कब उपस्थित/अनुपस्थित रहे की जानकारी तारीख वार देवें। **(ख)** इस प्रकरण में स्टे कब-कब से लगा है इसे वेकेंट कराने के लिए विभाग ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की जानकारी देवें। क्या कारण है कि जनहित का यह मुद्दा जो कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष विचाराधी है पर अभी तक स्टे वेकेंट नहीं कराया जा सका है? **(ग)** स्टे वेकेंट न होने के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम की जानकारी देवें। **(घ)** कब तक स्टे वेकेंट करा लिया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** दिनांक 21-07-2016, 08-08-2016, 24-08-2016, 01-03-2019, 18-03-2019, 01-10-2019, 02-11-2019, 18-11-2019, 10-12-2019, 06-02-2020 कुल 10 तारीख लगी। समस्त तारीखों में शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे। **(ख)** प्रकरण में दिनाँक 18-02-2016 को स्टे लगा तथा दिनाँक 18-11-2019 को यथा स्थिति रखने का आदेश दिया गया। स्टे वेकेट कराने तथा शीघ्र सुनवाई हेतु दिनाँक 12-10-2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। न्यायालयीन निर्णय से ही स्टे हटाया जा सकता है। **(ग)** न्यायालयीन प्रक्रिया होने से कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। **(घ)** प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के न्यायालयों में महिला जजों की कमी के संबंध में
[विधि और विधायी कार्य]

196. परि.अता.प्र.सं. 117 (क्र. 6258) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 के अनुसार माह नवंबर 2019 की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों में महिला जजों की संख्या 27 प्रतिशत थी जबकि माह अगस्त 2020 की स्थिति में म.प्र. उच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या केवल 10 प्रतिशत थी? यदि हां तो इसका कारण क्या है और क्या इन पदों पर लिंग समानता/संवेदनशीलता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है? यदि हां तो बतायें? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लोक अदालतों के द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या में भारी कमी आई है? यदि हां तो इसका क्या कारण है? **(ग)** शासन लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों को

अधिकाधिक संख्या में निपटाकर न्यायालयों का बोझ कम करने की दिशा में क्या कर रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** वर्ष 2019 में लोक अदालत में कुल निराकृत प्रकरण 2,45,842 थे। वर्ष 2020 में लोक अदालत में कुल निराकृत प्रकरण 1,20,297 थे। वर्ष 2019 में 04 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जबकि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण लॉकडाउन होने से वर्ष 2020 में कुल 02 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा सका। इसके बावजूद भी वर्ष 2020 में ई-लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया गया। **(ग)** लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुदूर क्षेत्रों में वृहद प्रचार प्रसार, लोक अदालत के आयोजन के पूर्व प्री-सिटिंग के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किया जाता है। लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का आयोजन, सोशल मिडिया के माध्यम से लोक अदालत का प्रचार प्रसार एवं शासन द्वारा लोक अदालत में छूट प्रदान कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2020 में न्यायालय के लंबित 4371 प्रकरणों का निपटारा मीडिएशन के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2020 में 07 ऑनलाईन सामुदायिक मीडिएशन प्रशिक्षण द्वारा समुदाय के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। सामुदायिक मीडिएशन केन्द्रों में प्रशिक्षित सामुदायिक वॉलेंटियर द्वारा समुदाय के विवादों का निराकरण न्यायालय में जाने के पूर्व ही सामुदायिक स्तर पर किया जा रहा है, जिसकी निगरानी जिला प्राधिकरणों द्वारा की जा रही है। **] (क)** High Court- The elevation of candidate, as judge in the High Court of M.P. is made considering his/her merits, eligibility and suitability, irrespective of gender. Subordinate Court- अधीनस्थ न्यायालयों में कुल कार्यरत जजों/न्यायिक अधिकारियों की संख्या (1.11.2019 की स्थिति में) 1503. अधीनस्थ न्यायालयों में महिला जजों की संख्या (1.11.2019 की स्थिति में) 468 अधीनस्थ न्यायालयों में महिला जजों की संख्या का प्रतिशत (1.11.2019 की स्थिति में) 31 प्रतिशत। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माफियाओं विरूद्ध कार्यवाही

[गृह]

197. परि.अता.प्र.सं. 125 (क्र. 6290) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के किन किन जिलों में विगत एक वर्ष में किन माफिया के विरूद्ध क्या क्या कार्यवाही हुई? जिलेवार विवरण प्रस्तुत करें। **(ख)** क्या सरकार ने माफिया की कोई परिभाषा बनाई है? यदि हां तो वह क्या है? **(ग)** जिलो में किस किस तरह के माफियाओं को चिन्हित किया गया है तथा उसका मापदण्ड क्या है? **(घ)** विभिन्न विभागों से संबंधित माफियाओं के सांठ गांठ रखने वाले अधिकारियों पर क्या कोई कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जिलों में विभिन्न प्रकार के अवैध व्यवसायों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। **(घ)** जी हॉ।

जन समस्याओं का निराकरण

[विधि और विधायी कार्य]

198. परि.अता.प्र.सं. 131 (क्र. 6583) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जन सामान्य द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु तथा शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारियों को अपने सर्विस मेटर के निराकरण के लिए जो आवेदन दिए जाते है इनका निराकरण न होने के कारण जनसामान्य तथा सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट जाना पडता है? **(ख)** क्या यह भी सही है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जन सामान्य तथा कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तथा हाईकोर्ट में उन्हे अवमानना पीटीशन दायर करना पडता है तथा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निराकरण हो पाता है? **(ग)** विगत दो वर्षो में हाईकोर्ट में जनसामान्य तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किन-किन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना पीटीशन दायर की गयी? **(घ)** क्या यह सही है कि अवमानना पीटीशन का जवाब देते समय संबंधित अधिकारियों को पचपन सौ रूपये, अपने निजी खर्च करने होते है, किन्तु ये राशि वे शासकीय मद से या अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से जमा करते है क्या शासन इन सभी मामलों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेगा की बिना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के जन सामान्य तथा सरकारी कर्मचारियों की समस्या का निराकरण हो सके?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** म.प्र. राज्य प्रबंधन मुकदमा नीति, 2018 के तहत राज्य शासन ने प्रत्येक विभागों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, इसके तहत संबंधित विभाग में शासकीय सेवकों के सेवा शर्तों से संबंधित शिकायत का निराकरण किया जाता है, ताकि विभागीय स्तर पर शासकीय सेवक की सेवा शर्तों से संबंधित समस्या का समाधान किया जा सके तथा उन्हें अनावश्यक रूप से न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत न करना पडे, जिससे शासकीय सेवक के समय, धन एवं न्यायालय के समय का अपवय ना हो। **(ख)** माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निराकरण किया जाता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है। **(घ)** जी हां, अवमानना याचिका के निरस्त होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इस फीस की प्रतिपूर्ति अपने प्रशासकीय विभाग से वापस प्राप्त कर सकते है।

दिनांक 24 मार्च, 2021

गौ सेवा केन्द्र की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

199. अता.प्र.सं. 26 (क्र. 4430) श्री पी.सी. शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में गौ-शाला के निर्माण के लिये दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019

और 01/01/2020 से 31/12/2020 तक अलग-अलग कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? **(ख)** गौ-शालाओं के लिए निर्माण के लिये आवंटित की गई राशि में कितनी खर्च हुई और कितनी राशि शेष है। **(ग)** प्रदेश में कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और कितनी गौ-शालाओं का कार्य पूर्ण होना शेष है संख्या बतायें।

पशुपालन मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** मुख्यमंत्री गौ सेवायोजना अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 3247 गौशालाओं का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 969 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 2076 गौशालाओं का कार्य पूर्ण होना शेष है। **] (क)** मध्यप्रदेश में गौशाला के निर्माण के लिए मनरेगा योजनांतर्गत पृथक से राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है। निर्माण कार्यों का भुगतान मनरेगा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार।

म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग में दै.वे.भो. कर्मचारियों की नियुक्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

200. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 5547) श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पत्र क्रमांक म.प्र.रा.अ.आ./एफ/67/स्था./5683 दिनांक 21.02.2002 है जिसमें दै.वे.भो. स्वीकृत पदों का उल्लेख भी किया गया है तथा आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पत्र क्र. म.प्र.रा.अ.आ./3549 दिनांक 17.01.2008 प्रेषित किया गया था जिसमें आयोग के दैवेभो कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक और नियुक्तिकर्ता अधिकारी के नाम की जानकारी दी गई थी? यदि हां तो क्या जानकारी दी गई थी? **(ख)** क्या अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष/सदस्यगणों के निजी स्थापना में पदस्थ तीन कर्मचारियों को नियमित/विनियमित किया गया है? विधानसभा प्रश्न क्रमांक 459 दिनांक 28.12.2020 के उत्तर में विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है कि तीन कर्मचारियों को नियमित/विनियमित किया गया है परंतु शेष कर्मचारियों को गलत नियम का हवाला देते हुए कार्य से निकाल दिया गया है? जबकि नियमित किये गये और निकाले गये कर्मचारी की नुियक्ति एक ही नियम प्रक्रिया के अंतर्गत थी? यदि हां तो तीन कर्मचारियों को किस नियम के तहत नियमित/विनियमित किया गया है तथा निकाले गये कर्मचारियों को किन नियम के तहत निकाला गया है? नियम/प्रक्रिया सहित जानकारी देवें। **(ग)** क्या सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग की नोटशीट 28.08.2020 एवं 29.08.2019 को मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप क्रमांक 2116/सीएमएस/बीसीएस/2019, 21.08.2019 के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या परामर्श विभाग प्रमुख को दिया गया था? उक्त परामर्श के अनुसार श्री रमेश थेटे, सचिव/आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा लिये गये निर्णय/अभिमत अनुसार प्रश्न दिनांक तक आदेश नहीं जारी करने के क्या कारण हैं? आदेश कब तक जारी किये जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों? कारण

स्पष्ट करें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। पत्र में मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में स्वीकृत पदों तथा पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी दी गई थी। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभाग को कोई परामर्श नहीं दिया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माझी जाति एवं उनकी उपजातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने के संबंध में [पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

201. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 5718) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माझी जाति एवं इनकी उपजातियाँ केवट, मल्लाह, भोई, ढीमर, रायकवार आदि पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 12 पर एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 29 पर भी शामिल है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? **(ख)** क्या यह भी सही है कि सन् 1984 के पूर्व माझी जाति एवं इनकी अन्य उपजातियाँ केवल अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 29 पर ही शामिल थी, इसके बाद पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 12 पर जोड़े जाने का क्या कारण है? **(ग)** क्या शासन इस दोहरे मापदण्ड को समाप्त कर माझी जाति एवं इनकी उपजातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करेगा तथा कब तक? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। म.प्र.शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5/2009/54-1 दिनांक 01.10.2013 में पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची क्रमांक 12 पर ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया (वृतिया) सिंगरहा, जालारी, सौंधिया अधिसूचित है। म.प्र.शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5/2009/54-1 दिनांक 07.08.2018 से क्रमांक 12 पर दर्ज सोंधिया विलोपित होकर क्रमांक 93 पर अधिसूचित है। अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 पर केवल माझी अधिसूचित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए जारी अनुसूचित जनजाति सूची 1976 में क्रमांक 29 पर केवल माझी (Majhi) अधिसूचित है। इन सूची में माझी के साथ अन्य किसी उपजाति का समावेश नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उत्कृष्ट शिक्षक/व्याख्याताओं को लेपटॉप प्रदान करने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]

202. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 5915) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा अपने संचालित स्कूलों, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी.नगर, भोपाल में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षक एवं व्याख्याताओं द्वारा उनके प्रयासों से विगत वर्षों में अनेक छात्र/छात्राओं द्वारा म.प्र. की टॉपटेन मैरिट सूची में स्थान प्राप्त कर संस्था का नाम प्रदेश में गौरान्वित किया गया था, ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक एवं व्याख्याताओं को प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप से वंचित क्यों और कैसे किया गया है? **(ख)** संस्था में प्रोत्साहन स्वरूप किन-किन शिक्षकों को लेपटॉप प्रदान किया गया है? उनके कितने छात्र मैरिट सूची में कब-कब आये, उन छात्रों के नाम वर्षवार तथा विषयवार अवगत करायें। **(ग)** संस्था में लेपटॉप उत्कृष्ट शिक्षकों/व्याख्याताओं का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया गया था तथा कुछ उत्कृष्ट शिक्षकों को लेपटॉप से वंचित कर उनके मनोबल को गिराने का प्रयास किया गया है? **(घ)** क्या उत्कृष्ट शिक्षक/व्याख्याताओं को प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप से वंचित करने पर दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के कारण उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप कब तक प्रदान किया जायेगा?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। उत्कृष्ट शिक्षक एवं व्याख्याताओं को प्रोत्साहन स्वरूप लेपटाप से वंचित नहीं किया गया है। **(ख)** प्रथम बार उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य हेतु प्रोत्साहन स्वरूप जिन शिक्षकों को लेपटॉप प्रदान किया गया है उनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -अ पर** है। प्रथम बार ही सत्र 2019-20 में कक्षा 10वीं जिसमें सभी विषय अनिवार्य होते हैं, में जिन छात्रों को 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने के कारण लेपटॉप प्रदान किया गया है उनकी **संलग्न सूची परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट - "तीस"

लंबित वन खंडों में शामिल निजी भूमि को पृथक किया जाने के संबंध में
[वन]

203. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 5952) श्री सुनील सराफ : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुविभागीय अधिकारी/वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष भा.व.अ. की धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लंबित वन खंडों में शामिल निजी भूमि को पृथक किए जाने के आदेश का अनूपपुर जिले में प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किया गया? **(ख)** किस वनखण्ड के किस ग्राम के किस किसान के किस खसरा नंबर का कितना रकबा शामिल कर धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लंबित है। इसमें से किस खसरा नंबर के कितने रकबे पर वन विभाग का कब्जा है? वन विभाग ने वृक्षारोपण किया है? पृथक-पृथक बतावें। **(ग)** 01 जून, 2015 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस वनखण्ड में शामिल कितनी भूमियों का सीमांकन करवाया गया? कितनी भूमि

को वनखण्ड से पृथक किया गया? यदि सीमांकन करने व पृथक करने की कार्यवाही नहीं की गई है तो उसका कारण बतावें। कब तक कार्यवाही की जायेगी?

वन मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। अनूपपुर जिले में वनमंडल अनूपपुर के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच की कार्यवाही के लिए वर्तमान में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी को वन व्यवस्थापन कार्य हेतु दायित्व सौंपा गया है। उपरोक्त वन व्यवस्थापन की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष प्रचलन में है। **(ख)** अनूपपुर जिले में वनमंडल अनूपपुर के अन्तर्गत 130 वनखंडों में शामिल 727 किसानों की निजी भूमि रकबा 1268.788 हेक्टेयर भूमि धारा 5 से 19 तक की जाँच की कार्यवाही लबितं है। वनखंड में शामिल किसानों की भूमि के खसरा एवं रकबे के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण की जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है। वनखंड में शामिल निजी भूमि का खसरावार, रकबावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है। वन व्यवस्थापन की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया की तहत पूर्ण होने के पश्चात् पारित आदेश व अंतिम अधिसूचना जारी होने के उपरान्त की जा सकेगी।

संरक्षित आदेशित भूमियों के लंबित प्रकरण
[वन]

204. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 6105) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा रीवा राज दरबार के आदेश दिनांक 6-8 फरवरी 1937 से संरक्षित आदेशित भूमियों की भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच प्रश्नांकित दिनांक तक भी पूरी नहीं की जा सकी है? **(ख)** यदि हां तो कितनी भूमियों की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में किन कारणों से लंबित है? **(ग)** धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लंबित भूमि राजस्व विभाग के कौन से मानचित्र में दर्ज हैं। **(घ)** धारा 5 से 19 तक की जांच कब तक पूरी की जावेगी।

वन मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। रीवा राज दरबार के आदेश दिनांक 08 फरवरी 1937 से अधिसूचित संरक्षित वनभूमि की भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही के लंबित भूमि राजस्व विभाग के भू-अभिलेखों में दर्ज है। **(घ)** भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा 5 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिसकी समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "इकतीस"</u>

डाइंग केडर के पदों की जानकारी
[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]

205. अता.प्र.सं. 101 (क्र. 6433) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास के अधीन इकाईयों में शासन द्वारा डाइंग केडर के पद घोषित किये गये हैं? **(ख)** यदि हां तो किन-किन संवर्गों के कौन से पद डाईग केडर के कब-कब घोषित किये गये हैं? उन पदों के नाम, घोषित करने की तिथि, घोषित किये जाने के आदेश की प्रति देवें। **(ग)** क्या घोषित किये गये डाइंग केडर के पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां तो किन-किन पदों पर कब-कब किन-किन नियम युक्त विधियुक्त कारणों से नियुक्ति दी गई, इनकी संवर्गवार जानकारी देते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या घोषित किये गये डाइंग केडर के पदों पर नियुक्ति एवं अनुमति देकर शासन को जानबूझकर आर्थिक वित्तीय हानि पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के नाम, पद नाम बताते हुये उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हां तो कब तक व क्या? यदि नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 763/97/मेडि-1/17, दिनांक 10.12.1997 द्वारा संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं के अधीनस्थ प्रदेश के चिकित्सालयों एवं औषधालयों में डाइंग कैडर संवर्ग में रिक्त पदों को घोषित किया गया है **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भर्ती नियम 1988-89 मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के आदेशश क्रमांक एफ 1-2/2007/47, दिनाक 08.02.2008 द्वारा भर्ती नियम एडॉप्ट किया गया। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.09.1989 एवं 20.10.1989 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है :- **1-** नर्सिग संवर्ग के महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) **2-** प्रसाविका (एएनएम) **3-** औषधि निर्माण (फॉर्मेसी) सेवाएं के कम्पाउण्डर **4-** मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश क्रमांक एफ 7631/97/मेडि-1/17, दिनांक 10.12.1997 (संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार) द्वारा आदेश प्रसारित दिनांक से निम्न पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया। (1) कुक/हेड कुक (2) मैस सर्वेन्ट (3) धोबी (4) दर्जी (5) नाई (6) माली (7) स्वीपर (8) मशालची (9) खलासी (10) चौकीदार **(ग)** जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल द्वारा झुम्मक लाल मरावी, श्रवण बाधित आदेश क्रमांक 4645, दिनांक 28.06.2016 एवं दीपक शर्मा दृष्टि बाधित आदेश क्रमांक 1105, दिनांक 09.02.2017 के द्वारा स्वीपर संवर्ग के पद पर नियुक्ति की गई है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' एवं 'ई'** अनुसार है। **(घ)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के परिपालन में निःशक्तजनों के विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से रिक्त पदों पर की गयी, जिम्मेदार अधिकारी के नाम तय करने हेतु जॉच की जा रही है।

वन भूमि पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण

[वन]

206. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 6447) श्री सुनील सराफ : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर, शहडोल, उमरिया तथा बैतूल जिले में कोयला कंपनियों के द्वारा वन भूमि पर आवासीय कालोनियों का निर्माण वन विभाग की अनुमति के बिना ही कर लिया है? **(ख)** इन जिलों में किस किस क्रमांक के कितने रकबे पर आवासीय कालोनियों का निर्माण किया गया है? आवासीय कालोनी निर्माण की अनुमति वन विभाग ने किस आदेश क्रमांक दिनांक से प्रदान की? आवंटित भूमि में से कितनी भूमि राजपत्र में किस दिनांक को डीनोटीफाइड की गई है? **(ग)** वन भूमि पर आवासीय कालोनी का निर्माण किए जाने पर वन विभाग ने संबंधित कंपनी के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की तो कारण बतावें। कब तक कार्यवाही की जाएगी?

वन मंत्री : [**(क)** वन वृत्त बैतूल अंतर्गत उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल के सारनी परिक्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा द्वारा आवासीय कालोनी रकबा 4.181 हेक्टेयर पर निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के पूर्व वर्ष 1975 में किया गया था। वन वृत्त शहडोल के वनमंडल दक्षिण शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर के अंतर्गत कोयला कम्पनियों द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के वनभूमि पर आवासीय कालोनी का निर्माण नहीं किया गया है। **(ख)** अनूपपुर जिले के अनूपपुर वनमंडल एवं बैतूल जिले के उत्तर बैतूल वनमंडल अंतर्गत आवासीय कालोनी निर्माण की **जानकारी परिशिष्ट में संलग्न** है। उत्तर बैतूल वनमंडल अंतर्गत आवंटित वनभूमि लीज पर दी गई है, अत: डिनोटीफाई किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शहडोल एवं उमरिया जिले बावत जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल के अंतर्गत वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा द्वारा 4.181 हेक्टेयर पर आवासीय कालोनी का निर्माण वर्ष 1975 में किया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव नवीन निर्धारित प्रकिया अनुसार प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रस्ताव में भारत सरकार की स्वीकृति के बगैर निर्माण कार्य किये जाने के फलस्वरूप दण्ड अधिरोपित कर स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वन वृत्त शहडोल के वनमंडल दक्षिण शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर के अंतर्गत कोयला कम्पनियों द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के आवासीय कालोनी का निर्माण न किये जाने से विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** अनूपपुर जिले के अनूपपुर वनमंडल एवं बैतूल जिले के उत्तर बैतूल वनमंडल अंतर्गत आवासीय कालोनी निर्माण की **जानकारी परिशिष्ट में संलग्न** है। उत्तर बैतूल वनमंडल अंतर्गत आवंटित वनभूमि लीज पर दी गई है, शहडोल एवं उमरिया जिले बाबत जानकारी निरंक है। अत: डिनोटीफाई किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "बत्तीस"</u>

दिनांक 25 मार्च, 2021

कोविड पर व्यय संबध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

207. अता.प्र.सं. 5 (क्र. 1598) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड 19 महामारी में विधानसभा क्षेत्र पानसेमल की ग्राम पंचायतों में विभाग के द्वारा कुल कितनी राशि आवंटित की गई। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबध में प्राप्त राशि का व्यय किन किन मदो में किया गया मदवार व्यय वार खर्च राशि का ब्यौरा देवें। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र पानसेमल में कुल कितने मजदूर बाहरी राज्यों से वापस लौटे उनकी सूची देवें। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में सूची अनुसार मजदूरों के लिए विभाग के द्वारा उनको रोजगार देने के लिए क्या कार्य किए गए कार्यवार जानकारी एवं सूची अनुसार कितने मजदूर लाभान्वित हुए की जानकारी देवें। **(ङ)** स्थानीय स्तर पर कोविड महामारी में बेरोजगार हुए युवाओं के लिए विभाग के द्वारा पुनः रोजगार स्थापित करने के लिए क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है। यदि हॉ तो जानकारी देवें यदि नहीं तो कब तक बनाई जावेगी।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्र./पंरा./FFC/2020/4135 दिनांक 26.03.2020 द्वारा 14वें वित्त आयोग की राशि से 7.5 प्रतिशत राशि से अधिकतम रू. 30000/- कोविड-19 महामारी के लिये व्यय किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(ड.)** महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मांग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में वर्तमान तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" अनुसार** है।

मंडियों में कराये गये कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

208. अता.प्र.सं. 7 (क्र. 2319) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 अप्रैल 2018 प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले में बोर्ड निधि, अधोसंरचना निधि, बोर्ड ऋण निधि एवं अन्य योजनाओं में किस-किस मंडी प्रांगण में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुये तथा उनका किस-किस अधिकारी ने कब-कब मूल्यांकन किया कार्य स्थल पर सूचना पटल (बोर्ड) क्यों नहीं लगवाया कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा आप्रारंभ है, उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे। **(ग)** मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ दिया जाता है पात्रता की क्या शर्तें है पूर्ण विवरण दें। **(घ)** 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन

जिले की मंडियों में किन-किन को क्या-क्या लाभ दिया गया तथा किन-किन के प्रकरण कब से क्यों किस स्तर पर लंबित है उनका कब तक निराकरण होगा।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले की मंडी/उपमंडी प्रांगणों में बोर्ड निधि से कोई कार्य स्वीकृत नहीं है, अधो संरचना निधि (कि.स.नि) से 06 कार्य स्वीकृत हैं, बोर्ड ऋण निधि से कोई कार्य स्वीकृत नहीं है एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत मंडी निधि से 37 कार्य स्वीकृत हैं। इस प्रकार कुल 43 कार्य कुल लागत राशि रू. 660.380 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** उक्त स्वीकृत 43 कार्यों में से 24 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 13 कार्य अपूर्ण हैं एवं 06 कार्य अप्रांरभ हैं। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। तकनीकी संभाग भोपाल के तकनीकी अधिकारियों द्वारा अंतिम मूल्यांकन की तिथि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। निर्माण कार्य स्थल पर सूचना पटल (बोर्ड) लगवाये गये हैं। **(ग)** मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में योजना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले की मंडियों में हम्माल तुलावटी योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को विभिन्न सहायता योजना अन्तर्गत लाभ दिया गया है, मंडीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

209. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 2340) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील मुलताई एवं प्रभातपट्टन में वर्ष 2018-19 की खरीफ फसल की बीमा राशि का भुगतान कितने किसानों को कितनी राशि का किया गया? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के लिए तहसील मुलताई एवं प्रभातपट्टन के कुछ किसान बीमा राशि पाने से वंचित रह गए हैं यदि हां तो क्यों एवं कितने, इन्हें कब तक बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा? **(ग)** ग्राम सोनेगांव तहसीन मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 65 के किसानों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के लिए क्या बीमा राशि का भुगतान किया गया है यदि हां तो कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है यदि नहीं तो क्यों एवं इन किसानों को बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खरीफ 2018 मौसम में प्रभातपट्टन तहसील का गठन नहीं हुआ था अपितु तहसील मुलताई में प्रभातपट्टन राजस्व निरीक्षक मण्डल सम्मिलित था। तदानुसार तहसील मुलताई की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुलताई तहसील में क्षतिपूर्ति देय राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया था, जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी। मुलताई तहसील में 27408 कृषक

योजना के अनुसार पात्र नहीं पाये गये हैं। **(ग)** योजना के अनुसार तहसील मुलताई के ग्राम सोनेगांव में कुल 8 लाभान्वित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि रू. 17507.98 का भुगतान किया जा चुका है।

<u>परिशिष्ट – "तैतीस"</u>

रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार संशोधित विज्ञापन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

210. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 3232) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विद्यालय ग्वालियर अन्तर्गत 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कृषि महाविद्यालय खण्डवा में विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? क्या विज्ञापन में रोस्टर अनुसार पद विज्ञापित किये गये थे? यदि नहीं तो क्यों? शासन स्तर से विज्ञापित पदों की अनियमितता के संबंध में कोई जांच कराई गई? यदि हॉ तो जांच प्रतिवेदन एवं विज्ञापन की प्रति सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार विज्ञापित पदों के जांच प्रतिवेदन में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? उनके नाम पद सहित जानकारी देवें। क्या जांच प्रतिवेदन में दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि महाविद्यालय खण्डवा में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रखने के लिए विभिन्न पदों का पुन: संशोधित विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा? **(घ)** क्या कृषि महाविद्यालय खण्डवा में शैक्षणिक स्टाफ नहीं होने के कारण छात्र-छात्रों की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में है? यदि हां तो उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। प्राप्त शिकायत पर जांच समिति गठित की गई। जांच प्रतिवेदन एवं विज्ञापन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश "क" अनुसार। चयन प्रक्रिया निरस्त की जाकर शासन पत्र दिनांक 07.01.2021 से विश्वविद्यालय से दोषी अधिकारियों के संबंध में जानकारी चाही गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार** है। **(ग)** जारी विज्ञापन दिनांक 04.01.2018 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित अभ्यार्थियों द्वारा याचिका क्रमांक WP4024/2021 WP4863/2021 दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जाना संभव होगा। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 एवं 04 अनुसार** है। **(घ)** कृषि महाविद्यालय खंडवा में शैक्षणिक स्टॉफ कम है परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा खंडवा में संचालित अनुसंधान परियोजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं पार्ट टाईम शिक्षकों से महाविद्यालय का शैक्षणिक कार्य लिया जाकर छात्र-छात्रों की पढाई कराई जा रही है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अधोसंरचना मद से स्वीकृत निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

211. अता.प्र.सं. 9 (क्र. 3499) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले वर्ष 2011-2012 से वर्ष 2017-18 तक जिला पंचायत सीधी से परफॉरमेंस ग्रांट/अधोसंरचना मद के कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? कितने कार्यों की द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है? कितने कार्य अभी तक अपूर्ण हैं? निर्माण कार्य अपूर्ण होने का क्या कारण है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अपूर्ण कार्य क्या राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सके हैं? यदि हां तो उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पंचायतवार, कार्यवार कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता है? कब तक राशि उपलब्ध करा दी जायेगी? जबकि उक्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर जिला सीधी द्वारा कराया गया है फिर द्वितीय किश्त की राशि क्यों नहीं जारी की जा रही है? कब तक द्वितीय किश्त की राशि निर्माण एजेंसी को जारी कर दी जायेगी? उक्त निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? **(ग)** कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक 30/पर.ग्रा./जि.पं./19 सीधी दिनांक 01.01.2020 के द्वारा आयुक्त पंचायतराज संचालनालय भोपाल से उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था? उक्त मांग की गई राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? **(घ)** जिला पंचायत/जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुशंसा से स्वीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की राशि वर्ष 2019-20 की कब तक जारी की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। जिला पंचायत को प्रदाय आवंटन के विरूद्ध अधिक राशि के कार्य स्वीकृत किये जाने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण हैं। **(ख)** जी हॉ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जिले को पात्रता अनुसार राशि प्रदाय की जा चुकी है। इस मद से कोई राशि प्रदाय करना शेष नहीं है। प्रकरण की विभागीय जांच प्रचलित है जांच के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** पंचायत राज संचालनालय स्तर से जिला पंचायत सीधी को पूर्व में ही एक मुश्त परफारमेंस मद/अधोसंरचना मद की राशि जारी की जा चुकी है। जिला पंचायत सीधी को भुगतान हेतु कोई राशि लंबित नहीं है। **(घ)** जिला पंचायत/जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुशंसा से स्वीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की राशि वर्ष 2019-20 पर राज्य शासन द्वारा रोक लगाई गई है, नवीन दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सुमावली वि.स.क्षेत्र में किसान कल्याण हेतु स्वीकृत योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

212. अता.प्र.सं. 11 (क्र. 3763) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में विकासखण्ड जौरा एवं मुरैना में

विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें क्रियांवित है कितनी संचालित है? कितनी असंचालित है? इन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार विकासखण्ड जौरा एवं मुरैना में इन योजनाओं से कितने-कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? विकासखण्डवार लाभांवित कृषकों की संख्या की सूची उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। विकासखण्ड स्तर के कार्यालयों को आहरण, संवितरण के अधिकार नहीं होने से राशि आवंटित नहीं की जाती है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

कृषकों की आय के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

213. अता.प्र.सं. 14 (क्र. 4338) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग के पास कृषकों के वार्षिक आय की जानकारी नहीं है तथा उसने केंद्र शासन से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है यदि हां तो बताएं कि कृषको के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है तथा यह दावा किस आधार पर किया जाता है? **(ख)** क्या मुख्यमंत्री ने कृषकों की वार्षिक आय 5 साल में दोगुनी करने की घोषणा की थी यदि हां तो बताएं कि जब विभाग के पास कृषकों के वार्षिक आय की जानकारी नहीं है तो दोगुनी आय कैसे करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** विभाग के अंतर्गत कृषकों की वार्षिक आय की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना तथा आदान आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए समन्वय करना है। केंद्र शासन से इस बारे में कोई नीति निर्देशक जानकारी प्राप्त नहीं है। कृषि उत्पादन तथा फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ ही कृषि आदानों की खपत में हो रही वृद्धि से कृषकों के जीवन स्तर में सुधार का अनुमान लगाया जा सकता है किंतु इसके मूल्यांकन हेतु कोई सूचकांक निर्धारित नहीं है। किसानों के जीवन स्तर में सुधार एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा फसल सघनता, अंतवर्तीय फसलें, सोयाबीन में रिज एंड फेरो तथा रेज्ड बैड, धान के बाद उतेरा खेती, अरहर में धारवाड़ पद्धति एवं गन्ना में खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग पद्धति, फसल आधारित प्रदर्शन एवं अंतर्वर्तीय फसल प्रयोग, जैविक खेती, बहु फसली शस्य, कृषि सहकार्य आदि के लिए प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार के कार्य आयोजित किये जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभाग द्वारा कृषि उत्पादन से जुडे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा रही महत्वाकांक्षी योजना के रूप में एक जिला एक फसल एवं एक जिला एक उत्पाद का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले की विशिष्ट फसल के उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किये जा रहे

है। उपरोक्त उपलब्धियों के आधार पर सरकार किसानों की आय में वृद्धि का दावा करती है। **(ख)** जी हां। शेष प्रश्नांश 'क' अनुसार।

फसल बीमा से वंचित कृषकों को फसल बीमा के लाभ का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

214. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 4601) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उज्जैन जिले में कुल कितने कृषकों को उनकी रबी और खरीफ फसल नष्ट होने पर बीमा राशि का भुगतान किया? कितने कृषकों ने ऋणी व अऋणी फसल बीमा कराया? कितने कृषकों को फसल बीमा करवाने के पश्चात् भी फसल बीमा क्यों नहीं दिया गया? बैंकवार बतावें। **(ख)** आधार अपडेट नहीं होने की दशा में कुल कितने कृषकों को फसल बीमा प्रीमियम जमा होने के बाद भी फसल बीमा नहीं मिला? आधार अपडेट करना किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी गलती से कृषकों को फसल बीमा नहीं मिला उस पर शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? **(ग)** कितने कृषकों को फसल बीमा करवाने के पश्चात भी फसल बीमा नहीं मिला उन सभी को फसल बीमा कब तक मिल जाएगा? इस दिशा में अधिकारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खरीफ वर्ष 2019 में कुल 329616 पात्र कृषकों को दावा राशि रू. 10588634041/- का भुगतान किया गया है। रबी 2019-20 के दावों की गणना प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में दावों की गणना हेतु फसल कटाई प्रयोगों के आंकडों के संकलन का कार्य प्रचलन में है। ऋणी एवं अऋणी कृषकों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। खरीफ 2019 मौसम के लिये जो कृषक पोर्टल प्रविष्टि न होने के कारण वंचित रह गये थे उनकी प्रविष्टि बैंकों द्वारा करने हेतु भारत सरकार द्वारा फसल बीमा पोर्टल दिनांक 1.3.2021 से 10.3.2021 तक खोला गया है। बीमा कंपनी द्वारा उक्त प्रविष्टियों के सत्यापन उपरांत पात्रतानुसार दावा भुगतान हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। बैंकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। **(ख)** आधार संबंधी जानकारी बैंकों को प्रदाय करना मूलत: कृषक की जवाबदारी है। खरीफ 2019 हेतु दिनांक 1.3.2021 से 10.3.2021 तक शेष रहे किसानों की प्रविष्टियों को बैंकों द्वारा दर्ज करने हेतु फसल बीमा पोर्टल खोला गया था जिस पर संबंधित बैंकों द्वारा 8587 कृषक आवेदन (3940 किसान) की प्रविष्टियां की गई हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। बीमा कंपनी द्वारा उक्त प्रविष्टियों के सत्यापन उपरांत पात्रतानुसार दावा भुगतान हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** भारत सरकार के पोर्टल पर बैंकों द्वारा दर्ज होने से शेष रहे कृषकों की प्रविष्टि करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा खरीफ 2019 के लिये पुन: दिनांक 1.3.2021 से 10.3.2021 तक फसल बीमा पोर्टल खोला गया है। शेष उत्तरांश ख अनुसार।

<u>परिशिष्ट – "चौंतीस"</u>

भुगतान की गई राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

215. अता.प्र.सं. 19 (क्र. 4782) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले की जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में 01/04/2016 से 31/12/2020 के दौरान किस-किस नाम/पते/पार्टनरशिप फर्म/व्यक्तिगत फर्म (मालिक के नाम वाली फर्म) वाले वेंडरों को किस-किस स्थान पर, क्या-क्या कार्य करने पर किस दर पर, किन-किन जनपदों/ग्राम पंचायतों में, किस-किस मद से, कितना-कितना भुगतान उनके खातों में कब-कब किया गया? जनपदवार/ग्राम पंचायतवार/भुगतान हुई राशिवार/माहवार/वर्षवार/वेंडर के नामवार/पतेवार जानकारी उपलब्ध करायें? **(ख)** क्या पंचायत राज संचालनालय से ग्राम पंचायतों को 14 वें वित्त की राशि में कराधान की राशि में हुये आर्थिक गबन पर कलेक्टर रीवा द्वारा 01/04/2016 से 31/12/2019 के दौरान कोई जांच करवाई गई थी? अगर हां तो उक्त जांच रिपोर्टों का विवरण उपलब्ध करायें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित जांच रिपोर्टों में कौन-कौन नाम/पदनाम को दोषी पाकर कितनी धनराशि का हेर फेर होना पाया गया? क्या संबंधितों के विरूद्ध स्थानीय थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई? अगर नहीं तो क्यों? कारण दें? कब तक कराई जायेगी? क्या राशि की रिकवरी के लिये कोई आदेश प्रश्नतिथि तक जारी हुये? अगर नहीं तो कब तक जारी होंगे? अगर हुये तो सभी (रिकवरी) आदेशों का क्रमांक/दिनांक बताएं। **(घ)** राज्य शासन कब तक किस नाम/पदनाम के विरूद्ध आर्थिक प्रकोष्ठ में अमानत में खयाननत का प्रकरण दर्ज करायेगा? सूची दें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जानकारी वृहद स्वरूप की है तथा पंचायत दर्पण पोर्टल http://prd.mp.gov.in में पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। **(ख)** जी हॉ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राजेश सोनी सहायक ग्रेड - 3 जनपद पंचायत गंगेव द्वारा कराधान की राशि के भुगतान में सहभागिता के दोषी पाये गये जिसमें 6,17,27,500/- रूपये थे। जी हॉ संबंधित के विरूद्ध थाना मनगवॉ में दिनांक 26.08.2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा राशि की वसूली हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 3695 दिनांक 11.11.2019 एवं पत्र क्रमांक 5653 दिनांक 05.02.2020 से संबंधित सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **(घ)** जांच अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की गई है। अत: राज्य शासन द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कृषकों को विभिन्न योजनाओं पर अनुदान के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

216. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 5080) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिला अंतर्गत तहसील विदिशा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत वर्ष 2014 से 31.01.2021 तक की अवधि में किसान कल्याणकारी विभागीय योजनाओं से कितने कृषकों को अनुदान योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया? कृषक संख्यावार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराये? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के क्रम में लाभ प्रदान किये जाने वाली

योजनाओं के अनुदान का लाभ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेने की पात्रता है? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(ख)** के क्रम में है, तो विदिशा के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन एवं उनकी धर्मपत्नि के नाम पर किन-किन कृषक अनुदान योजनाओं का लाभ दिया गया? क्या उनके द्वारा पोली हाउस, ग्रीन हाउस एवं अन्य योजनाओं के लिये अनुदान प्राप्त किया गया? यदि हॉ तो क्या उक्त पोली/ग्रीन हाउस वर्तमान में उक्त जनप्रतिनिधि एवं उनकी धर्मपत्नि की भूमि पर स्थित है? यदि नहीं तो क्या विभाग धोखाधड़ी से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में R.B.C. Act 6/4 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर अनुदान की बसूली हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हॉ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। **(ख)** योजनाओं के मार्गदर्शी दिशानिर्देशानुसार पात्र कृषकों को लाभांवित किए जाने के प्रावधान है। **(ग)** प्रश्नांश में चाही गई योजनाओं के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार** है। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा संचालित योजना के प्रावधान अनुसार पोली/ग्रीन हाउस निर्मित होने पर गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात अनुदान का भुगतान किया जाता है। R.B.C. 6/4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाले क्षति के लिये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है, वसूली के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

यूरिया विक्रय की गई अनियमिताओं के सबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

217. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 5101) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने उर्वरक लायसेंस जारी किये गए फर्म का नाम सहित विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश (क) की खुदरा फार्मों द्वारा सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक डी.एम.ओ. (जिला विपणन अधिकारी कटनी) अथवा कम्पनी से कितनी यूरिया प्राप्त की गई? उक्त यूरिया विक्रय हेतु शासन के क्या दिशा निर्देश/मापदण्ड थे, उसकी प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या कटनी जिले के खाद विक्रेताओं द्वारा शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर जिन कृषकों को विक्रय करना बताया है, उन कृषकों ने यूरिया नहीं खरीदी, कृषकों को रसीद भी नहीं दी गई तथा जिसके पास जमीन नहीं है उनको भी विक्रय किया है। इस संबंध में श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) निवासी रचना नगर कटनी द्वारा दिनांक 15.02.2020 को कलेक्टर कटनी को शिकायत की गई है जिसमें उक्त अनियमिताओं का उल्लेख है। उक्त संबंध में उपसंचालक कृषि द्वारा जिन खाद विक्रेताओं को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया गया है उन पर उप संचालक कृषि के अंतिम निर्णय की प्रकरणवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) की खुदरा फर्मों द्वारा

सितम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक डी.एम.ओ. (जिला विपणन अधिकारी कटनी) अथवा कंपनी से प्राप्त यूरिया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक** एवं शासन के दिशा निर्देश/मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। **(ग)** जिले में उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्रधारी विक्रेताओं द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अनुसार यूरिया का विक्रय भारत सरकार शासन के निर्देशानुसार पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से किया गया है। प्रश्नांकित शिकायत दिनांक 15.02.2020 अप्राप्त है, अपितु शिकायत पत्र दिनांक 15.02.2021 कलेक्टर कार्यालय को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में माह जनवरी 2021 तक अधिक मात्रा में यूरिया क्रय करने वाले क्रेताओं को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया गया है। निरीक्षण अनुसार प्राप्त प्राथमिक कमियों के आधार पर कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किये गये है। जारी कारणदर्शी सूचना पत्रों पर अंतिम निर्णय की प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है।

किसान मण्डी सड़क निधि से निर्माणाधीन मण्डी लिंक रोड के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

218. अता.प्र.सं. 23 (क्र. 5220) श्री बाबू जण्डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या किसान मण्डी सड़क निधि से श्योपुर में सादुल्ला के बाग से मण्डी लिंक रोड चंबल नहर तक निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था? यदि हां तो कब एवं कितनी राशि का अवगत करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़क मार्ग अभी तक अपूर्ण है? यदि हां तो अपूर्ण रहने का क्या कारण है? वस्तुस्थिति से अवगत करावें? अभी तक कार्य अपूर्ण रहने के लिये कौन जवाबदार है? जिम्मेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक समय-सीमा बतावें? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी, हॉ। वर्ष 2017-18 में किसान सड़क निधि मद से मण्डी प्रांगण, श्योपुर में एप्रोच रोड पर डामरीकरण कार्य लागत राशि रूपये 350.00 लाख का पत्र क्रमांक - 6286 दिनांक 20.03.2018 से स्वीकृत किया गया था। **(ख)** जी हॉ। उत्तरांश-''क'' के कार्य में बगैर सक्षम स्वीकृति के कार्य का कुछ भाग कराने के उपरान्त कार्योत्तर पुनरीक्षित स्वीकृति का प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग, मुरैना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कार्योत्तर पुनरीक्षित प्राक्कलन में पूर्व निर्धारित मापदण्डों को परिवर्तित करने के कारण निर्माण लागत में लगभग 46.25 प्रतिशत की वृद्धि प्रथम दृष्टया परीक्षण में पायी गयी है। जिसके अनुक्रम में जिम्मेदार अधिकारी श्री एम.एस.बघेल तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग मुरैना को निलंबित कर उनके विरूद्ध राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम-32 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभागीय जांच अनुक्रम में प्रतिवाद प्रस्तुत करने बाबत आरोप पत्र इत्यादि पत्र क्र. 072 दिनांक 17.09.2020 से जारी किया गया है। प्रकरण परीक्षण में है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** उत्तरांश-''ख'' में उल्लेखित

कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य की पूर्णता हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

रोड निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

219. अता.प्र.सं. 36 (क्र. 5634) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले के रामपुर वघेलान जनपद के तहसील सीईओ जो वर्तमान में मैहर जनपद में पदस्थ हैं एवं सहायक यंत्री/उपयंत्रियों द्वारा स्वामी विवेकानंद स्व सहायता समूह का मनरेगा की निर्माण एजेंसी बनाकर स्व. सहायता समूह से सी.सी. रोड़ बनाकर व्यापक भ्रष्टाचार किया गया था। **(ख)** क्या रोजगार गारन्टी परिषद्, भोपाल के आदेश क्रमांक 8580 दिनांक 12 अगस्त, 2010 द्वारा अधीक्षण यंत्री सहित चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर इस घोटाले की जांच कराई गई थी तथा अनियमितता प्रमाणित पाई गई थी। **(ग)** क्या तत्कालीन सीईओ ने मनरेगा के नियमों की अनदेखी करते हुए मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान स्व सहायता समूह को किया जाकर भ्रष्टाचार किया गया था जो प्रमाणित पाया गया था? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क) (ख) (ग)** सही है तो तत्कालीन सीईओ को जिले की मैहर जनपद में किन नियमों के तहत पदस्थ किया गया है। क्या मनरेगा में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस में एफ.आई.आर. कराने एवं राशि वसूली का प्रावधान है यदि है तो सीईओ, दो सहायक यंत्री एवं चार उपयंत्री के विरूद्ध एफ.आई.आर. और वसूली की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी। आरोपी अधिकारियों को कब तक जिले से हटा दिया जायेगा। बतायें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हॉ। **(ख)** जी हॉ। **(ग)** जी हॉ। **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 के अनुक्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 2211/22/वि-2/मु.का.अ./स्था. दिनांक 28.02.2019 द्वारा श्री वेदमणि मिश्रा, वि.ख.अ. प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, जिला सतना से जनपद पंचायत मैहर, जिला सतना में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ किया गया था। श्री मिश्रा को हटाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अनियमितता प्रमाणित होने पर नियमानुसार गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है, तत्समय संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया की गई है, विवरण संकलित किया जा रहा है।] **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 के अनुक्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 2211/22/वि-2/मु.का.अ./स्था. दिनांक 28.02.2019 द्वारा श्री वेदमणि मिश्रा, वि.ख.अ. प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, जिला सतना से जनपद पंचायत मैहर, जिला सतना में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ किया गया था। अनियमितता प्रमाणित होने पर नियमानुसार गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है, तत्तसमय संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया की गई है। विवरण निम्नांकित है :–

- कलेक्टर, जिला सतना के आदेश क्रमांक 1648 दिनांक 23.02.2012 के द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह गौंड, उपयंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान की संविदा सेवा समाप्त की गई।
- आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 87 दिनांक 02.04.2012 के द्वारा श्री आर.ए. सिंह, तत्कालीन सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
- आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 55 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा श्री के.के. मिश्रा, तत्कालीन उपयंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
- आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 305 दिनांक 12.11.2012 के द्वारा श्री एल.पी. शर्मा, तत्कालीन उपयंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
- आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 54 दिनांक 28.02.2013 के द्वारा श्री बी.एल. गुप्ता, तत्कालीन उपयंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
- आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 2506 दिनांक 12.08.2013 के द्वारा श्री एच.पी. सक्सेना, तत्कालीन उपयंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
- आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 286 दिनांक 02.04.2012 के द्वारा श्री पी.एस. ठाकुर, तत्कालीन सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।
- श्री वेदमणि मिश्रा के विरूद्ध विभागीय आदेश क्रमांक 288/1198/15/22/वि.-5/स्थापना दिनांक 28/04/2017 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ती अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया।

आरोपी अधिकारियों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

कृषि उपज मंडियों में गेहूं का विक्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

220. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 5643) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत गेहूं को, वर्ष 2020-2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र हेतु अधिसूचित कृषि उपज मान्य किया गया है? यदि हां तो वर्ष 2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र में कृषकों द्वारा गेहूं का विक्रय कहां और किस अधिकतम मात्रा तक किया जा सकता है? उक्त वर्गीकृत स्थलों हेतु प्रावधानिक समयावधि भी बताएंगे। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित किये गए स्थलों के अतिरिक्त, भोपाल मंडी क्षेत्र में

किन्हीं अन्य स्थानों पर कृषकों द्वारा गेहूं का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है? यदि हां तो वर्ष 2020-2021 में प्रतिबंध उल्लघंन के कितने मामले बने? उनमें की गई कार्यवाही से अवगत करवाएंगे। **(ग)** भोपाल जिले की करोंद स्थित कृषि उपज मंडी 15-20 फरवरी, 2021 के दरमियान कितने सौदे हुए? दिवसवार विक्रय संख्या, दिवस का न्यूनतम मूल्य, दिवस का अधिकतम मूल्य व मॉडल रेट बताएंगे।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-2 में गेहूँ अधिसूचित कृषि उपज है इसलिए वर्ष 2020-21 में भोपाल मंडी क्षेत्र हेतु भी अधिसूचित कृषि उपज के रूप में मान्य है। वर्ष 2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र में कृषकों द्वारा अधिसूचित मंडी/उपमंडी प्रागंणों में एवं मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थलों पर उनके पास उपलब्ध मात्रा का तथा गेहूं के उपार्जन हेतु निर्धारित उपार्जन केन्द्रों पर शासन द्वारा निर्धारित की गई मात्रा तक गेहूं का विक्रय किया जा सकता है। मंडी एवं उपमंडी प्रागंण में विक्रय किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है कोई समय-सीमा प्रावधानित नहीं हैं। उपार्जन केन्द्रों पर शासन द्वारा घोषित समयावधि में विक्रय किया जा सकता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कृषि उपज अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कृषकों से गेहूं क्रय किया जाना प्रतिबंधित है तथापि दिनांक 05 जून 2020 से केन्द्रीय कृषि कानूनों संबंधी अध्यादेश लागू होनें से मंडी अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान अधिक्रमित हो गये थे तथा दिनॉक 12 जनवरी 2021 को उक्त कानूनों के क्रियान्वयन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जाने से मंडी अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान दिनांक 12 जनवरी 2021 से पुनः प्रभावशील हो चुके हैं। दिनांक 05 जून 2020 से 12 जनवरी 2021 की अवधि को छोड़कर वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में भोपाल मंडी क्षेत्र में प्रतिबंध उल्लंघन के कोई प्रकरण नहीं बनाये गये हैं। **(ग)** भोपाल जिले की करोद स्थित कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल में 15 से 20 फरवरी 2021 के दरमियान हुए सौदों (गेहूं विक्रय करने वाले कृषकों की संख्या) की दिवसवार विक्रय संख्या, दिवस का न्यूनतम मूल्य, दिवस का अधिकतम मूल्य, दिवस का मॉडल रेट की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – 'पैंतीस"</u>

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रचार-प्रसार में व्यय की गई राशि के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

221. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 5656) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के समस्त उप संचालकों को संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/एस.टी.-2/कृ.स.यो./2018/333 दिनांक 09/05/2018 के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रशासकीय मद से प्रचार-प्रसार बजट आवंटन किया गया था। **(ख)** यदि हां तो कटनी जिले के लिए स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि किस कार्य में खर्च की गई थी। कार्यवार, राशिवार विवरण दें।

(ग) प्रश्नांश **(ख)** में जो राशि जिस प्रचार-प्रसार सामग्री में व्यय की गई है वह सामग्री किस आदेश से किस प्रक्रिया से क्रय की गई क्या उसके लिए भण्डार क्रय नियम के तहत निविदा निकाली गई थी यदि नहीं तो नियमों का उल्लंघन कर सामग्री क्यों खरीदी गई। इसके लिए कौन उत्तरदायी है उसका नाम बताएं। **(घ)** प्रचार-प्रसार हेतु जो सामग्री क्रय की गई वह सामग्री कब और किसको इश्यू की गई? **(ड.)** नेमैतिक व्यय में कौन-कौन से कार्य आते है बताएं तथा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति नैमैत्तिक व्यय किस-किस कार्य में किया गया है। कार्यवार, राशिवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। **(ख)** कटनी जिले के लिए स्वीकृत राशि में से कार्यवार एवं राशिवार व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य अनुसार योजना में जो राशि प्रचार-प्रसार सामग्री में व्यय की गई है। कार्यालयीन नोटशीट दिनांक 11.06.2018 के द्वारा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल के पोर्टल में ऑन लाईन बुकिंग आर्डर कर कार्यादेश जारी किया गया है। जिसका इनडेन्ट रिफरेन्स नंबर 1A/1557/2018-19 एवं इनडेन्ट दिनांक 11.06.2018 है। जिसमें निविदा निकालने की आवश्यकता नही है। शेष सामग्री भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये क्रय की गई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। **(घ)** प्रचार-प्रसार हेतु जो सामग्री क्रय की गई थी वह सामग्री जुलाई 2018 को समस्त विकासखण्डो के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों की उपस्थिति में जिले की ग्राम पंचायतों में सामग्री प्रदायक संस्था द्वारा लगाया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है। **(ड.)** नेमैतिक व्यय में कार्यालय व्यय, डाक एवं तार व्यय, दूरभाष व्यय, कार्यालय फर्नीचर क्रय, पुस्तकें एवं नियतकालिक पात्रिकाएं, बिजली एवं जल प्रभार, बर्दिया, लेखन सामग्री एवं फॉर्म, अन्य आकास्मिक व्यय, पेट्रोल, तेल आदि आतिथ्य पर व्यय, किराया, महसूल और स्थानीय कर, मुद्रण एवं प्रकाशन, कार्यालय उपकरणों का क्रय, आई.टी.इन्फा आदि कार्य आते है तथा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में योजनान्तर्गत किये गये नेमैतिक व्यय का कार्यवार एवं राशिवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – "छत्तीस"</u>

निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की जांच
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

222. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 5657) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मण्डी बोर्ड ने तकनीकी संभागों में निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की जांच के लिये प्रयोगशालायें स्थापित की है यदि हॉ तो तकनीकी संभाग का नाम, प्रयोगशाला स्थापना दिनांक उपकरण/सामग्री का नाम, संख्या क्रय दिनांक, उपकरण स्टॉलेशन का दिनांक, क्रय कीमत सहित पूर्ण विवरण दें। **(ख)** उक्त प्रयोगशालाओं में सामग्रियों के नमूनों की जांच हेतु लैब टैक्नीशियन पदस्थ किये गये है यदि

हॉ तो कर्मचारी का नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रशिक्षित है या नहीं। कुल परिक्षित नमूनों की संख्या की जानकारी दें। यदि नहीं तो नमूनों की जांच कौन कर रहा है नाम, पद सहित विवरण दें। **(ग)** उक्त प्रयोगशाला स्थापित होने के पश्चात निर्माण सामग्रियों के नमूनों की जांच मंडी बोर्ड/मण्डीयॉ प्रदेश के इन्जीनियरिंग कॉलेजों की लैब से भी नमूनों की जांच कराई जा रही है यदि हॉ तो वर्षवार कराई जॉचों की संख्यात्मक जानकारी दें। **(घ)** उक्त प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच में रसायन/सामग्री का उपयोग हुआ है यदि हॉ तो कुल क्रय सामग्री मात्रा व्यय मात्रा शेष मात्रा जांच किये गये नमूनों की संख्यात्मक विवरण दें। यदि नहीं तो फर्जी जांच रिपोर्ट क्यों दी जा रही है। **(ड.)** प्रश्नांश **(क), (ख), (ग), (घ)** के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन मंडी बोर्ड की प्रयोगशाला के उपकरण सामग्री खरीदी एवं नमूनों का फर्जी जांचों की उच्च स्तरीय जांच करायेगा। यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हॉ। मण्डी बोर्ड के अंतर्गत 07 तकनीकी संभाग क्रमश: भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा तथा जबलपुर में निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। स्थापित प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु संबंधित तकनीकी संभागों में पदस्थ सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों को प्रभार दिया जाकर निर्माण सामग्री के नमूनों की जांच का कार्य कराया जा रहा है, जिनके नाम/पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। **(ग)** जी हॉ। विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों की लैब में वर्षवार कराई गई जांचों का संख्यात्मक विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। **(घ)** मण्डी बोर्ड अंतर्गत स्थापित प्रयोगशालाओं में जांच के लिये रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। अत: शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** उत्तरांश-'क' अनुसार स्थापित प्रयोशालाओं के उपकरण सामग्री खरीदी एवं नमूनों का फर्जी जांचों बावत शिकायत प्राप्त नहीं है। अत: शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायतों/जनपदों द्वारा जी.एस.टी. बगैर नम्बर वालों का भुगतान करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

223. परि.अता.प्र.सं. 49 (क्र. 5692) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2020 तक किन-किन माल सप्लायरो/सेवा प्रदाताओं को माल सप्लाई अथवा सेवा प्रदाता के बदले कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? व्यवसायीवार/व्यवसायी को किये गये भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.12.2020 तक किन-किन माल सप्लायरों अथवा सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर 2% के हिसाब से टी.डी.एस. की राशि काट

कर वाणिज्यक कर (राज्य कर) विभाग में जमा करायी गयी है? व्यवसायी बार काटे गये टी.डी.एस. की राशि का विवरण दें? **(ग)** क्या सप्लायरों एवं वेण्डरों अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान हेतु जारी समस्त बिलों में GST IN NO. के साथ-साथ काटे गए टैक्स, CGST, SGST अथवा IGST की राशि का पृथक से विवरण होता है यदि नहीं तो जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा उक्त बिलों पर भुगतान क्यों किया गया? **(घ)** जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सप्लायरों, वेण्डरों अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान हेतु लगाये गये बिलों के सत्यापन एवं उक्त बिलों में दर्शित माल की आपूर्ति के संबंध में सी.ई.ओ. क्या मापदण्ड अपनाते है? संज्ञान में आया है कि भारी मात्रा में फर्जी बिलों पर जनपद पंचायत सी.ई.ओ. एवं सचिव की सांठ गांठ से बिना माल की आपूर्ति किए ही फर्जी बिलों पर भुगतान किए गए है। इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? ग्राम पंचायतवार/जनपदवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2020 तक भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के अनुसार है। **(ख)** मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार पंचायतराज संस्थायें शासन का अंग होकर शासन की परिभाषा में आती है। अत: इनके द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान के लिये जीएसटी नहीं लगता है। ग्राम पंचायतों के देयकों में जीएसटी कॉलम में शून्य राशि दर्शाई जाये। अत: निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा जीएसटी की कटौत्री नहीं की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में सप्लायरों एवं सेवा प्रदाताओं से प्राप्त देयकों का शासन द्वारा निर्धारित मापदंण्डों का पालन करते हुये, नरेगा पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों की अनुसंशा, उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन, सहायक यंत्री द्वारा सत्यापन के पश्चात सहायक लेखाधिकारी, जनपद द्वारा प्रथम सिगनेट्री तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद द्वारा द्वितीय सिगनेट्री के रूप में ऑनलाईन भुगतान अनुमोदित किया जाता है। देयकों के फर्जी भुगतान के संबंध में शिकायत प्राप्त होने या संज्ञान में आने पर कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधीन प्रक्षेत्रों/फार्मों में फसल उत्पादन के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

224. अता.प्र.सं. 38 (क्र. 5708) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधीन संबंध प्रक्षेत्रों/फार्मों में फसल उत्पादन हेतु लागत की तुलना में आंकलित उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है? यदि हॉ तो मापदण्ड एवं जिन्सवार फसल उत्पादन वृद्धि का प्रतिशत बतायें? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार, टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ एवं बराना-बम्हौरी स्थित प्रक्षेत्र/फार्म में वर्ष 1982 से उत्पादन संचालित है? यदि हॉ तो वर्ष 1982 से अभी तक

कौन-कौन व्यक्ति प्रबंधक पद पर अन्तरालों में पदस्थ रहे? नाम पदनाम सहित कार्यकाल का विवरण दे? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार, फसल उत्पादन का, पर्यवेक्षण / निरीक्षण / सत्यापन / प्रयोग / परामर्श किसी उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है? यदि हॉ तो उसका नाम, पदनाम कार्यालय का नाम बताये? क्या फार्म/प्रक्षेत्र उत्पादन में कभी घाटा हुआ? यदि हॉ तो, कौन-कौन सी फसल में वर्षवार कितने प्रतिशत, उत्पादन प्रभावित हुआ विवरण दें? क्या किसी प्रबंधक विशेष की पदस्थापना के दौरान उत्पादन में घाटा हुआ? यदि हॉ तो ऐसे प्रबंधक का नाम बताये? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** अनुसार, क्या उत्पादन घाटा अवधि की समीक्षा की गई? यदि हॉ तो समीक्षा परिणाम बताये, क्या दोषियों/चूककर्ता के विरूद्ध कार्यवाही हुई? यदि हॉ तो विवरण दे, नही तो कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या जिले के बाहर दोषी का स्थानांतरण किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नही। म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधीन संबद्ध प्रक्षेत्रों/फार्मों में फसल उत्पादन हेतु लागत की तुलना में आंकलित उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता। **(ख)** जी हॉ। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम प्रक्षेत्र टीकमगढ़ (कुण्डेश्वर) पर वर्ष 1982 से तथा बम्होरीबराना पर वर्ष 1983 से बीजोत्पादन हो रहा है। बीज निगम में आने से अब तक पदस्थ प्रबंधकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। **(ग)** जी हॉ। फसल उत्पादन का पर्यवेक्षण/निरीक्षण/सत्यापन/प्रयोग/परामर्श संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। वर्ष 1982 से सागर संभाग में पदस्थ रहे क्षेत्रीय प्रबंधको के नाम एवं कार्यकाल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। दोनो प्रक्षेत्रों पर वर्ष वार हुये घाटे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 एवं 5 अनुसार** है। फसलवार, वर्षवार प्रभावित उत्पादन के प्रतिशत की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 एवं 7 अनुसार** है। प्रबंधक विशेष की स्थापना के दौरान हुये घाटे से संबंधित प्रबंधकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 एवं 5 अनुसार** है। **(घ)** जी हॉ। उत्पादन घाटा अवधि की समीक्षा की जाती है। घाटे के कारण प्राय: मौसम की प्रतिकूलता एवं प्रक्षेत्रो पर उपलब्ध स्त्रोंतो में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न होने के कारण उत्पादन प्रभावित होना पाया गया है। इस संदर्भ में लगातार घाटे की अवधि के दौरान पदस्थ प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। यदि प्रक्षेत्र प्रबंधक की चूक या लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है। चूकि घाटे के कारण प्राकृतिक है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

225. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 5975) श्री विष्णु खत्री : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) दिनांक 22 जुलाई 2019 में क्या किसी प्रकार की कोई त्रुटि है अथवा नहीं? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हॉ है तो क्या इस त्रुटि के

कारण विधानसभा बैरसिया के कोई ग्राम प्रधानमंत्री फसल बीमा (वर्ष 2019) योजना से वंचित है अथवा नहीं? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** यदि हां है तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है? उपरोक्त त्रुटि को कब तक सुधार लिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कलेक्टर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/कृषि/टी-5/2020-21/3777 दिनांक 24.12.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि खरीफ 2019 हेतु प्रकाशित अधिसूचना में टंकण त्रुटि होने से भोपाल जिले का ग्राम बर्रीछीरखेड़ा छूट गया है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** अनुसार। **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त द्वारा प्रेषित जिला स्तर, तहसील स्तर एवं पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची के आधार पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम के पूर्व अधिसूचना राजपत्र में जारी की जाती है। खरीफ 2019 में बैंकों द्वारा कृषकों का प्रीमियम काटकर फसल बीमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2019 थी। तिथि के संबंध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है। उत्तरांश (क) में उल्लेखित कलेक्टर जिला भोपाल का पत्र निर्धारित अंतिम तिथि से विलंब से प्राप्त हुआ था। योजना के प्रावधान अनुसार उक्त अंतिम तिथि के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कलेक्टर जिला भोपाल को पत्र लेख किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है।

समय पर राशि का उपयोग कर विकास कार्य न करने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

226. अता.प्र.सं. 64 (क्र. 6254) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल, सिंगरौली, सीधी व रीवा जिले की जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में कितनी-कितनी राशि किस मद की वर्ष 2018 से आज दिनांक के दौरान है का विवरण पृथक-पृथक देवें साथ ही यह भी बतावें कि वर्ष 2020-21 के दौरान किस-किस मद की राशि कितनी-कितनी राज्य शासन को वापस की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में प्रश्नांश (क) अनुसार वापस की गई राशि का जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों द्वारा उपयोग नहीं किये जाने के कारण वापस की गई है इसके लिये कौन-कौन जवाबदार है, इस राशि से क्षेत्र का विकास क्यों प्रभावित किया गया। इसके लिये कौन-कौन जवाबदार है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के जिलों में प्रश्नांश (क) की राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि कितनी-कितनी कब-कब किन-किन मदों की राशि है कितनी-कितनी प्राप्त हुई का विवरण वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें यह भी बतावें कि ये ब्याज की राशि कहॉ-कहॉ, कब-कब किनकी अनुमति से व्यय की गई? कितनी शेष है। **(घ)** 10 वां एवं 11 वां वित्त आयोग की राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से निर्माण कार्य कराए गए थे? वर्तमान में इनकी भौतिक स्थिति क्या है? द्वितीय तृतीय एवं अंतिम किश्त कब जारी की गई बताएं। यदि नहीं तो क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश (क) अनुसार राशियों का उपयोग जिला पंचायत व जनपद पंचायतों द्वारा नहीं किया गया प्रश्नांश

(ख) अनुसार राशि राज्य शासन को वापस की गई एवं प्रश्नांश **(ग)** अनुसार प्राप्त राशि का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है व प्रश्नांश **(घ)** अनुसार अन्य जनपद व जिला पंचायतों द्वारा राशि रहने के बाद भी विकास कार्य स्वीकृत कर राशि जारी नहीं की गई इस सबके लिये कौन-कौन जबावदार है। जवाबदारों के नाम व पद की जानकारी के साथ इसके लिये इन पर क्या कार्यवाही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड़.)** जानकारी संकलित की जा रही हैं।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** हैं। **(ख)** जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा पूर्व से संचालित योजनाएं जो लंबे समय से अनुपयोगी/बंद हो गयी हैं तथा जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी राशि के युक्तियुक्तकरण उपयोग एवं पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तर पर संधारित "पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता" में अंतरण की गई हैं। ऐसी योजनाओं के राशि वापस किये जाने से विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहा हैं। इसके लिए किसी को जवाबदार नहीं ठहराया जा सकता हैं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** हैं। **(घ)** जनपद पंचायत रीवा के पास स्वरोजगार योजना के तहत राशि थी, जिससे महसाव के प्रसिद्ध पान की पहचान हेतु एवं उत्पादन की बिक्री के लिए जनपद पंचायत रीवा द्वारा मनरेगा योजना एवं स्वरोजगार योजना की राशि से पान मंडी का निर्माण कराया जा रहा हैं। जिले की अन्य जनपदों में पान की खेती नहीं होने के कारण पान मंडी निर्माण की कोई योजना नहीं हैं। **(ड़.)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

कृषकों के लिये ऑनलाईन पंजीयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

227. परि.अता.प्र.सं. 74 (क्र. 6308) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभिन्न कृषि यंत्रों के लिये कृषकों को ऑनलाईन पंजीयन किया जाता है यदि हॉ तो विकासखण्ड सरदारपुर क्षेत्र के कितने कृषकों को योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक ऑनलाईन पंजीयन किया गया है कितने किसान लाभांवित हुए हैं अगर सरदारपुर विकासखण्ड में एक भी किसान लाभांवित नहीं हुआ है तो क्या कारण है क्या कृषकों को कृषि यंत्र के लिये लाभांवित किया जाएगा यदि हॉ तो कब तक? **(ख)** सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कृषि भूमि कितनी है तथा आदिवासियों के पास कितनी भूमि है। **(ग)** सरदारपुर विधानसभा में पिछले पॉच वर्षों में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता बतावें। **(घ)** सरदारपुर विधानसभा में कृषकों के विकास के लिये पिछले वर्ष क्या कार्य किये गये।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। विकासखण्ड सरदारपुर क्षेत्र के कृषकों के द्वारा डीबीटी पोर्टल पर किये गये ऑनलाईन पंजीयन एवं लाभांवित कृषकों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। यह कहना सही नहीं है कि सरदारपुर विकासखण्ड में एक भी किसान

लाभांवित नहीं हुआ है। सरदारपुर विकासखण्ड में विभिन्न योजनाओं अंतर्गत 845 कृषकों को लाभांवित किया जा चुका है। **(ख)** सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कृषि भूमि 78600 हेक्टेयर है। तथा आदिवासियों के पास 34638 हेक्टेयर भूमि है। **(ग)** सरदारपुर विधानसभा में पिछले पाँच वर्षों में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। **(घ)** सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष विभागीय योजनाओं में कृषकों के विकास के लिये पिछले वर्ष किये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है।

कृषि व्यापार हेतु जारी अध्यादेश
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

228. अता.प्र.सं. 66 (क्र. 6311) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 05 जून 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा कृषि व्यापार एवं विपणन (विकास एवं संवर्द्धन) द्वारा जारी अध्यादेश के द्वारा मण्डी प्रांगण के बाहर कोई भी संस्था या व्यक्ति कृषि उपज का व्यापार बगैर लाईसेंस के करने के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के कृषकों का हित संरक्षण किस प्रकार किया जावेगा? उक्त आध्यादेश में कृषकों के कृषि उत्पाद का प्रतियोगितात्मक मूल्य किस प्रकार प्राप्त करेगा। स्पष्ट नहीं है जिससे कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होना संभव नहीं है क्या राज्य शासन में संबंध में कोई नीति प्रस्तुत कर केन्द्र शासन को अवगत करायेगा। **(ख)** प्रश्न **(क)** अनुसार मण्डी एवं मण्डी बोर्ड के कर्मचारियों, हम्माल, तुलावटियों, छोटे व्यापारियों में उक्त संशोधन होने से उनकी रोजी रोटी पर प्रश्न उपस्थित हो रहा है। यदि हां तो शासन किस प्रकार से इनका हित संरक्षण हेतु योजना पर विचार करेगा एवं इस आध्यादेश के विरूद्ध केन्द्र शासन को अवगत करावेगा।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** वर्तमान में केन्द्र शासन के तीनों कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.01.2021 जारी कर रोक लगाई गई है। फलस्वरूप कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधान पूर्ववत लागू है तथा मण्डियों में कृषि उपजों का नीलाम कार्य बोली लगाकर सुचारू रूप से चल रहा है। अतः शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

जीएसटी के कटौती बाबत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

229. परि.अता.प्र.सं. 76 (क्र. 6318) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल, धार, मंडला जिला पंचायत जिले के जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा सितंबर 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक भी GSTR7 का पत्र जीएसटी विभाग में जमा नहीं किया गया? **(ख)** यदि हां तो उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा GSTR7 कितने जमा करवाए गए हैं. यदि नहीं करवाए गए, उसका क्या-क्या कारण रहा है। **(ग)** उपरोक्त अवधि में किए गए भुगतान पर कितना

जीएसटी काटा गया, कितना जीएसटी का भुगतान किया गया? पृथक-पृथक जानकारी दें। **(घ)** जीएसटी से संबंधित GSTR7 जमा करवाए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जाएगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही हैं।] **(क)** जी हां। बैतूल एवं मंडला जिले के जिला/जनपद/ग्राम पंचायत ने जी.एस.टी.आर 7 जमा नहीं किया गया। धार जिले की जिला पंचायत धार एवं जनपद पंचायत डही द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक जी.एस.टी.आर. 7 जमा की गई हैं। शेष जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कोई कटौत्रा नही किये जाने से जी.एस.टी.आर. 7 जमा नहीं किया गया। जानकारी पुस्तकाल में **रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-"ब" अनुसार हैं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** हैं। **(घ)** बैतूल एवं मंडला जिले की शेष रही जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही हैं। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर तथा जीएसटी विधान की धारा-51 के अनुसार 2.50 लाख से अधिक संविदा होने पर टीडीएस कटौत्रा किया जाकर जी.एस.टी.आर. 7 जमा किया जा सकेगा।

प्रदेश में नवीन औद्योगिक केन्द्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

230. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 6326) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने नवीन औद्योगिक केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किये जाकर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उक्त औद्योगिक केन्द्रों को कितना-कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलमेंट कार्पोरेशन लि., के क्षेत्रांतर्गत विगत पांच वर्षों में 25 नवीन औद्योगिक केन्द्र/क्षेत्र स्थापित किये गये एवं एक औद्योगिक केन्द्र/क्षेत्र का विस्तार किया गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों द्वारा कुल 19,263 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** पर है। उक्त औद्योगिक केन्द्रों/क्षेत्रों को स्थापित/अधोसंरचना विकास करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदाय वित्तीय अनुदान/सहायता की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र** "ब" पर है।

<u>परिशिष्ट – "सैंतीस"</u>

कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु कार्ययोजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

231. परि.अता.प्र.सं. 89 (क्र. 6367) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रतलाम जिला अंतर्गत एवं जिले से लगी समस्त सीमाओं से

अंतर्गत कृषि बाहुल्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं? **(ख)** यदि हां तो क्या रतलाम जिला उज्जैन संभाग का मध्य धुरी केंद्र स्थित होकर रेलवे जंक्शन फोरलेन, टू लेन, एट लेन इत्यादि सड़क व रेल मार्गों के माध्यम से संपूर्ण देश भर से जुड़ा केंद्र स्थल है? **(ग)** क्या उक्त जिले व संभाग के अन्य जिलों से कृषि प्रयोजन संबंधी उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं किंतु संभाग में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को अध्ययन अध्यापन हेतु अन्यत्र दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है? **(घ)** यदि हां तो रतलाम जिला अंतर्गत जावरा नगर केंद्र पर कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा कार्य योजना बनाकर स्वीकृति दी जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किये जाते हैं। **(ख)** जी हां। **(ग)** जी हां। उक्त जिले में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं होने से छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु अन्यत्र दूर जाना पडता है। **(घ)** प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

मंत्रिमंडल के पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में आयोजित औद्योगिक समिट के दौरान हुए खर्च एवं प्राप्त निवेश व नीति से पहुंचाए गए लाभ के संबंध में
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

232. अता.प्र.सं. 83 (क्र. 6379) श्री महेश परमार : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान मंत्रीमण्डल के पूर्व (चर्तुदश विधान सभा) और वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक नीति एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी बार औद्योगिक निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया? उक्त आयोजनों पर कितना खर्च हुआ? आयोजन उपरांत प्रदेश में कितने जिलों में कितना-कितना निवेश हुआ और परस्पर प्रोत्साहन के लिए कितने MOU हस्ताक्षर हुए और औद्योगिक नीतियों में क्या बदलाव हुआ? वर्षवार निवेश की गयी राशि का ब्योरा, स्थापित की गयी इकाइयों का ब्योरा, एमओयू का विवरण और मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक नीतियों में किए गए बदलाव के पृथक पृथक ब्योरे उपलब्ध कराएं। **(ख)** पूर्व और वर्तमान में सरकार द्वारा आयोजित निवेशकों के सम्मेलन में भारत के नामचीन कितने उद्योगपतियों के साथ कितने अनुबंध हुए और अधिकतम कितनी राशि का निवेश हुआ? पृथक पृथक जानकारी देवें। **(ग)** पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक निवेश एवं नीति को लेकर कितनी बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई और मंत्रिमंडल के निर्णय से कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए? बतावें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] वर्तमान मंत्रिमण्डल के पूर्व (चर्तुदश विधानसभा) कार्यकाल में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु 02 निवेशक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। उक्त आयोजनों पर निम्नानुसार खर्च हुआ:-

निवेशक समिट/सम्मेलन	आयोजन दिनांक	कुल व्यय (रू. लाख में)
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014	08-10 अक्टूबर 2014	1428.48
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016	22-23 अक्टूबर 2016	1685.28

वर्तमान मंत्रिमण्डल के वर्तमान कार्यकाल में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु किसी निवेशक सम्मेलन/समिट का आयोजन नहीं किया गया। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु आयोजित सम्मेलनों का उद्देश्य मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराना एवं विदेश में मध्यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने के प्रयोजन से की जाती है। इसके अंतर्गत सम्भावित निवेशकों के साथ सेमिनार तथा वन-टू-वन मीटिंग का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में पूंजी निवेश आना एक निरंतर प्रक्रिया है। अत: किसी सम्मेलन/आयोजन विशेष के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में हुए निवेश एवं स्थापित की गई इकाईयों के संबंध में पृथक-पृथक जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अत: आयोजन उपरांत निवेश के बारे में आकड़े दिये जाना संभव नहीं है। निगम द्वारा चर्तुदश विधानसभा एवं वर्तमान मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार के MOU हस्ताक्षरित नहीं किये गये है। प्रश्नांश अवधि में मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक नीतियों में किये गये बदलाव की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र -एक पर संलग्न** है। **(ख)** पूर्व कार्यकाल में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित निवेशकों के सम्मेलन/समिट में उद्योगपतियों के साथ अनुबंध नहीं हुए। वर्तमान मंत्रिमण्डल के वर्तमान कार्यकाल में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु किसी निवेशक सम्मेलन/समिट का आयोजन नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक निवेश एवं नीति को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक निवेश एवं नीति विभाग से संबंधित लिये गये निर्णयों पर शासन आदेश की जानकारी निम्नानुसार है :-

- वर्तमान मंत्रिमंडल के पूर्व (चर्तुदश विधानसभा) औद्योगिक निवेश एवं नीति को लेकर लिये गये निर्णयों के आदेश की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र एक पर संलग्न** है।
- वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक निवेश एवं नीति को लेकर लिये गये निर्णय संबंधी शासन आदेश की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र - दो पर संलग्न** है।
- वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक नीति एवं निवेश को लेकर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से लिये गये निर्णय संबंधी शासन आदेश की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र - तीन पर संलग्न** है।

<u>परिशिष्ट – "अड़तीस"</u>

लॉकडाउन में बजट की उपलब्धता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

233. अता.प्र.सं. 85 (क्र. 6389) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रवासी श्रमिको को भोजन,टेन्ट तथा क्वारंटाईन करने के संबंध में विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बजट की उपलब्धता के संबंध में कब-कब आदेश किये गये समस्त आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें? **(ख)** बालाघाट जिले में प्रश्नांश (क) **में** वर्णित कार्यो हेतु कब तक कुल कितना बजट आवंटित किया गया कृपया प्रश्न दिनांक तक कितना भुगतान बाकी है इसकी जानकारी दें? **(ग)** लंबित भुगतान करने की क्या व्यवस्था है तथा यह भुगतान अब तक कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" एवं "ब" अनुसार** है, प्रश्नांश "क" में वर्णित कार्यों हेतु किसी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायतों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

234. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 6418) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनपद पंचायत सेंधवा की 114 ग्राम पंचायतों में से सचिवों पर भ्रष्टाचार अनियमितता, अधूरे कार्यों के संबंध में कितनी शिकायतें 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीणों, सरपंचों एवं अन्य के द्वारा की गई हैं वर्षवार बतावें। **(ख)** प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है? **(ग)** जनपद पंचायत सेंधवा की पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों पर धारा 40-92 के तहत वर्ष 2015 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की गई वसूली/कार्यवाही बतावें।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** वर्ष 2018 में 03 शिकायतें, वर्ष 2019 में 92 शिकायतें, वर्ष 2020 में 38 शिकायतें, वर्ष 2021 में 06 शिकायतें प्राप्त हुई। **(ख)** समस्त प्राप्त शिकायतों को धारा 40-92 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर 62 प्रकरणों का निराकरण किया गया। **(ग)** कार्यालय जिला पंचायत बडवानी के पत्र क्रमांक 2667/रीडर/पंचा**0/202**1 बडवानी दिनांक निरंक के अनुसार वर्ष 2015 से 2017 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कुल 121 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। 09 प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को हस्तान्तरित किये गये। शेष 112 प्रकरणों में से 28 प्रकरणों में आदेश पारित कर तहसीलदार सेंधवा एवं वरला को वसूली हेतु आदेश भेजे गये हैं। शेष प्रकरणों में कार्य पूर्ण होने से प्रकरण समाप्त किये गये। वर्ष 2017 से वर्तमान तक विभिन्न योजनाओं में अब तक राशि रूपये 4,33,482/- वसूली की गई तथा 03 सचिवों को निलंबित किया गया एवं 01 ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई है।

भोपाल और रायसेन की कृषि उपज मंडियों में किसानों के भुगतान के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

235. परि.अता.प्र.सं. 101 (क्र. 6425) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल और रायसेन की कृषि उपज मंडियों में अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में अपनी उपज बेचने वाले अनेकों किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है? **(ख)** यदि हां तो भोपाल और रायसेन की कृषि मंडियों में कितने किसानों का कितना-कितना भुगतान बकाया है? सूची देवें। **(ग)** क्या मण्डी बोर्ड द्वारा किसानों को उनका भुगतान दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई? यदि हां तो किसानों को उपज का भुगतान कब तक प्राप्त हो जावेगा? यदि नहीं तो अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** माह अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक कृषि उपज मंडी समिति भोपाल में 09 कृषकों को तथा कृषि उपज मंडी समिति रायसेन में 222 कृषकों को उनकी कृषि उपज का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। कृषकों के मंडी में किये गये विक्रय संव्यवहार के भुगतान अभिलेखों के मूल प्रति प्राप्त कर, सत्यापन एवं कृषकों के बकाया भुगतान का परीक्षण उपरांत भुगतान कराने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। **(ख)** कृषि उपज मंडी समिति भोपाल के 09 कृषकों को राशि रूपये 8,52,320/- तथा कृषि उपज मंडी समिति रायसेन के 222 कृषकों को राशि रूपये 2,97,05,136/- का भुगतान शेष है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** मंडी बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 14.06.2019 द्वारा फर्म सियाराम इन्टरप्राईजेस द्वारा क्रय कृषि उपज का कृषकों को भुगतान न करने के कारण मंडी निधि/स्थाई निधि से कृषकों को भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृषि उपज मंडी समिति रायसेन को पत्र दिनांक 24.09.2020 के माध्यम से कृषकों का लंबित राशि का भुगतान मंडी निधि/स्थाई निधि से किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दोनों आदेशों के परिपालन में भुगतान कराने की कार्यवाही मंडी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

सहकारी संस्थाओं को राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

236. परि.अता.प्र.सं. 103 (क्र. 6436) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला व डिंडोरी जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सूरजधारा, अन्नापूर्णा व बीज ग्राम योजनाओं में कितनी बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? संस्था का नाम, योजना का नाम, खरीफ, रबी की पृथक-पृथक राशि की जानकारी देवें। **(ख)** इनका भुगतान लंबित रहने का कारण भी संस्थावार बतावें। **(ग)** यह लंबित भुगतान इन्हें कब तक कर दिया जाएगा? **(घ)** क्या संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक/सी.पी.9/सू./अ./2020-21/413 एवं 415 दोनों दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से जिलों

को आवंटन जारी किया गया था? यदि हां तो आवंटन जारी होने के बाद भी भुगतान लंबित क्यों हैं? इसमें कौन-कौन दोषी हैं, संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मण्डला व डिंडोरी जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सूरजधारा, अन्नपूर्णा व बीज ग्राम योजनाओं में बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को भुगतान हेतु शेष राशि की संस्थावार, योजनावार, खरीफ, रबी की पृथक-पृथक **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रमुखतः आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है। जिलावार/संस्थावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक सी-3 (1)/ब/4/2020-21/223 दिनांक 23.09.2020 द्वारा सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजनायें वर्ष 2020-21 में स्थगित की गई हैं। इन योजनाओं में बजट उपलब्ध नहीं है। इन योजनाओं के अंतर्गत बजट उपलब्ध होने पर लंबित भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। बीज ग्राम योजना अंतर्गत लंबित भुगतान हेतु जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जाकर भुगतान किया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ)** हां। प्रदेश के जिलों के कोषालयों में योजना मद के अतर्गत बजट शून्य होने के कारण जिलों द्वारा आहरण नहीं किया जा सका। प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के तारतम्य में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "उनचालीस"</u>

जी.एस.टी. आर. 7 फार्म में जी.एस.टी. से संबंधित जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

237. अता.प्र.सं. 98 (क्र. 6451) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पंचायत अनूपपुर, उमरिया, शहडोल एवं इन जिलों की जनपद पंचायतों में सितंबर 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक की जी.एस.टी. आर. 7 फार्म में जी.एस.टी. से संबंधित जानकारी प्रेषित नहीं की है। **(ख)** जी.एस.टी.आर.7 फार्म में कौन-कौन सी जानकारी कितनी अवधि में तैयार कर किसे प्रेषित किए जाने का प्रावधान सितंबर 2018 की किस दिनांक से लागू किया गया। **(ग)** सिंतबर 2018 से लागू प्रावधान का किस जिला पंचायत जनपद पंचायत ने दिसंबर 2020 तक किन-किन कारणों से पालन नहीं किया प्रारूप जी.एस.टी.आर.7 में जानकारी तैयार किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** कब तक जानकारी संकलित कर प्रेषित कर दी जावेगी।

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** जी हां। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। **(ग)** अनूपपुर, उमरिया एवं शहडोल जिले की जिला/जनपद पंचायतों द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक 250000/-का भुगतान न होने के कारण जी.एस.टी.आर-7 की कार्यवाही नहीं की गयी। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रोग्राम असिस्टेंट पद हेतु चयन प्रक्रिया

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

238. अता.प्र.सं. 101 (क्र. 6469) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र में वर्ष 2016 में प्रोग्राम असिस्टेंट पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था? **(ख)** यदि हां तो उक्त पद हेतु कितने आवेदन जमा हुये थे? कितने आवेदन मान्य और कितने किन कारणों से अमान्य हुए? **(ग)** क्या उक्त प्रक्रिया में आवेदकों की योग्यता अनुरूप मेरिट सूची बनाई गई? यदि हां तो मेरिट सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** उक्त पद पर चयनित व्यक्तियों की योग्यता तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति उपलब्ध करावे?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। **(ख)** वर्ष 2016 में विज्ञापित विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में कुल 940 आवेदन प्राप्त हुए। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्राप्त आवेदनों में से शैक्षणिक योग्यताओं/अर्हता अनुसार, कुल 775 आवेदन मान्य तथा 165 आवेदन अमान्य हुए। **(ग)** जी नहीं। वर्ष 2016 में प्रोग्राम असिस्टेन्ट के पदों की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई थी। **(घ)** वर्ष 2016 के उपरोक्त विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में प्रोग्राम असिस्टेंट के पद हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण किसी भी विषय के आवेदक का चयन नहीं किया गया। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

<u>परिशिष्ट – "चालीस"</u>

मंडियों में स्वीकृत पद

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

239. परि.अता.प्र.सं. 117 (क्र. 6524) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडी बोर्ड सागर कार्यालय में विभिन्न मंडियों से किस पद के कितने कर्मचारी प्रश्न दिनॉक तक कब से अटैच हैं? बोर्ड के सागर कार्यालय में कितने लोग किस पद पर पदस्थ है? कितने पद स्वीकृत है? कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** संभाग की मंडियों में कितने कर्मचारी अटैच हैं? कितने कर्मचारियों का अटैचमेंट प्रबंध संचालक ने किया है कितने कर्मचारियों का अटैचमेंट मंडी बोर्ड सागर कार्यालय ने किया है? कर्मचारी का नाम, पद मूल मंडी, अटैचमेंट की गई मंडी सहित बतायें? **(ग)** क्या जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है उन्हें सागर मंडी बोर्ड कार्यालय ने अटैच कर उपकृत किया है? यदि नहीं तो भारी संख्या में अटैचमेंट क्यों? **(घ)** क्या अटैचमेंट करने, निरस्त करने, फिर अटैचमेंट करने में धंधा/भ्रष्टाचार किया गया है? आर्थिक हित के लिए अटैचमेंट किया गया है? क्या इसकी जॉच कर दोषियों पर कार्यवाही एवं अटैचमेंट समाप्त किये जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर में प्रश्न दिनांक तक तीन कर्मचारी

क्रमशः, श्री रूपेश कोरी सहायक वर्ग-02 दिनांक 06/01/2017 से मण्डी समिति खुरई, श्री संतोष सोनी भृत्य दिनांक 17/06/2014 से मण्डी समिति राहतगढ़ एवं श्रीमती जरीना बेगम भृत्य दिनांक 20/04/2017 से मण्डी समिति खुरई में सम्बद्ध होकर पदस्थ हैं। आंचलिक कार्यालय सागर में पदस्थ कर्मचारियों एवं स्वीकृत पद की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। **(ख)** सागर संभाग की कृषि उपज मंडियों में 06 कर्मचारी सम्बद्ध है। प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड द्वारा किसी भी कर्मचारी को सम्बद्ध नहीं किया गया है। आंचलिक कार्यालय सागर द्वारा उक्त 06 कर्मचारियों का सम्बद्धीकरण किया गया है, शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। मात्र 09 कर्मचारियों को संबद्ध किया गया है। शेष का प्रश्न उदभूत नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उदभूत नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "इकतालीस"</u>

दिनांक 26 मार्च, 2021

मंदिरों से लगी औकाब की भूमि संबंधित जानकारी

[अध्यात्म]

240. परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र. 4732) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले में मंदिरों से लगी औकाब की कितनी भूमि वर्तमान में है, तहसीलवार, ग्रामवार सर्वे नम्बर सहित जानकारी दी जावे। **(ख)** क्या मंदिरों के पुजारियों, उनके वारिसों द्वारा कई जमीनों को नोटरी के माध्यम से बिक्री कर दी है, जिन पर मकान बनाये जा रहे है, शासन की इस भूमि की देखरेख की व्यवस्था पुजारियों के अलावा जिले के किन अधिकारियों को कस्टोडियन की जिम्मेदारी दी गई है, 2021 तक ऐसी कहां-कहां स्थिति है, उनकी पूर्ण जानकारी दी जावे। **(ग)** क्या अनियमिताओं के खिलाफ विगत 3 वर्षों में शासन प्रशासन को शिकायतें मिली, यदि हां तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? **(घ)** क्या शासन ऐसी जमीनों को मंदिरों के पुजारियों के आधिपत्य से हटाकर, अतिक्रमण मुक्त करायेगा यदि हां तो कब तक?

पर्यटन मंत्री : [भाग **(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** ग्वालियर जिले में मंदिरों के पुजारियों उनके वारिसों द्वारा जमीनों को नोटरी के माध्यम से बेचे जाने का कोई तथ्य उदभूत नहीं हुआ है और न ही पुजारियों के अलावा किसी अधिकारी को कस्टोडियन की जिम्मेदारी दी गई है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार अनियमितिता संबंधी तथ्य संज्ञान में नहीं आये है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

रामवन गमन पथ के विकास कार्य

[अध्यात्म]

241. अता.प्र.सं. 14 (क्र. 4858) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में पौराणिक इतिहास के अंतर्गत कुल कितने स्थानों को राम वनगमन पथ के रूप में चिहिन्त किया गया है। ऐसे समस्त स्थानों का नाम एवं इस राम वनगमन पथ की पूरी लंबाई बताने का कष्ट करें। **(ख)** वर्तमान में रामवन गमन पथ के विकास की क्या योजना विभाग के पास है क्या इस पथ में शामिल स्थानों पर आंतरिक पथ, यात्री निवास, भोजनालय आदि के निर्माण भी किया जाना संभावित हैं। **(ग)** क्या इस पथ के विकास से मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन से होने वाली आय बढ़ने की उम्मीद है क्या इसे भविष्य में अन्य पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर (सर्किट) बनाया जा सकेगा। **(घ)** क्या सरकार इसे सैद्धांतिक तौर पर बनाने के लिये सहमत है।

पर्यटन मंत्री : [**(क) से (घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** रामवन गमन पथ के शोध एवं सर्वेक्षण के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। विस्तृत सर्वे एवं डी.पी. आर बनाये जाने हेतु मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है। डी.पी.आर तैयार होने के पूर्व प्रश्नांश की प्रमाणिक जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(ख) एवं (ग)** प्रश्नांश "क" के उत्तर अनुसार। **(घ)** जी हॉ।

फिक्सड चार्ज एवं वेरियेवल चार्ज की व्याख्या शर्तें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

242. अता.प्र.सं. 18 (क्र. 5134) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 922 दिनांक 30.12.20 के खण्ड **(क)** के संदर्भ में बतावें की अनुबंध के अनुसार फिक्सड चार्ज तथा वेरियेवल चार्ज की व्याख्या एवं शर्तें क्या-क्या हैं तथा यह किस स्तर की बैठक में अनुमोदित की गई कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या यह सही है कि चिरायु अस्पताल तथा अरविंदो इन्दौर कॉलेज के मालिक फर्जीवाड़े में जेल जा चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री जी शासकीय अस्पताल की जगह चिरायु में 16 दिन भर्ती रहने के साथ ही कई मंत्री तथा बड़े अधिकारी भी चिरायु अस्पताल में भर्ती हुये तथा चिरायु प्रबंधन को 30 दिनों तक फिक्स तथा वेरियेबल चार्ज के 100 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया गया जो निजी चिकित्सालयों को किये गये कुल भुगतान का 50 प्रतिशत से ज्यादा है? **(ग)** अप्रैल तथा मई माह में चिरायु तथा अरविंदो के आरक्षित बेड का मात्र 10 प्रतिशत ही उपयोग हुआ यदि नहीं तो दिनांक अनुसार बेड के उपयोग की जानकारी बिल सहित उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या यह सही है कि चिरायु में भर्ती प्रत्येक मरीज इतना सीरियस था कि फिक्सड चार्ज अक्टूबर, 20 तक 35 करोड़ और वेरियेवल चार्ज 58 करोड़ था जबकि इस अवधि तक इस अस्पताल में 3 हजार मरीजों का उपचार भी नहीं किया गया? यदि हां तो जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** फिक्सड तथा वेरियेबल चार्ज की व्याख्या एवं शर्तें **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन की गई कार्यवाही का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** इस विभाग से असंबंधित है। जी हां। जी नही, कोविड-19 अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को माह अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक मासिक फिक्स एवं वेरियेबल चार्ज के रूप में नियमानुसार राशि रू. 185,33,78,466/- का भुगतान किया गया है। चिरायु प्रबंधन को माह अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक मासिक फिक्स एवं वेरियेबल चार्ज के रूप में नियमानुसार राशि 73,75,97,348/- का भुगतान किया गया एवं जो कि किये गये कुल भुगतान का 50 प्रतिशत से कम है। **(ग)** जी नहीं, दिनांकवार उपयोग किये गये बेड्स की संख्या तथा बिल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** जी नही, फिक्सड चार्ज अक्टूबर 2020 तक 33.97 करोड़ और वेरियेबल चार्ज 16.07 करोड़ था। चिरायु अस्तपाल भोपाल में माह अक्टूबर 2020 तक 7827 मरीजों का उपचार किया गया।

कोरोना इलाज का निजी चिकित्सालयों को भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

243. अता.प्र.सं. 24 (क्र. 5578) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को कोरोना इलाज के लिए फिक्स्ड एवं वेरियबल चार्ज के लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का भुगतान देय हैं? **(ख)** यदि हां तो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक किस-किस अस्पताल को सभी प्रकार के चार्ज मिलाकर कितना-कितना भुगतान देय हैं तथा वह राशि इस मद में कुल की कितना प्रतिशत है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्पतालों में कितने-कितने बेड आरक्षित किए गए थे अप्रैल 2020 में निजी अनुबंधित अस्पतालों में आरक्षित बेड तथा भर्ती मरीजों की दिनांक अनुसार जानकारी देवें तथा मरीजों का नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, भर्ती की दिनांक, डिस्चार्ज की दिनांक सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(घ)** अप्रैल तथा मई 2020 में अनुबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा जो बिल भुगतान हेतु दिया गया है, उनका विवरण उपलब्ध कराएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** अप्रैल 2020 में निजी अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती मरीजों का नाम, पता, उम्र, भर्ती होने की दिनांक, डिस्चार्ज की दिनांक की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(घ)** अप्रैल तथा मई 2020 में अनुबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा जो बिल भुगतान हेतु दिया गया है, उनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

अधिसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकान का संचालन
[वाणिज्यिक कर]

244. अता.प्र.सं. 27 (क्र. 5631) श्री ब्रहमा भलावी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वयं संचालित देशी एवं विदेशी शराब दुकानों का वर्तमान में ठेकेदारों के द्वारा संचालन किया जा रहा है। **(ख)** यदि हां तो राज्य में कितने अधिसूचित ब्लॉक एवं कितने गैर अधिसूचित ब्लॉक है इनमें से कितने ब्लॉक में कितनी शराब दुकानों का संचालन स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया गया यह संचालन कब से ठेकेदारों को सौंपा गया इस तरह के अधिसूचित, ब्लॉक में कितनी देशी एवं विदेशी शराब दुकान ठेकेदारों के द्वारा संचालित की जा रही है। **(ग)** अधिसूचित क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान ठेकेदारों को आवंटित करने का क्या कारण रहा है यह नीति किस दिनांक से राज्य में लागू की गई।

वित्त मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वयं संचालित देशी एवं विदेशी शराब दुकानों का संचालन वर्ष 2020-21 हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार लायसेंसियों द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** राज्य में अधिसूचित ब्लॉक एवं गैर अधिसूचित ब्लॉक तथा ब्लॉक में अधिसूचित क्षेत्र में संचालित की गई देशी एवं विदेशी शराब दुकानों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। अधिसूचित ब्लॉकों में सरकार द्वारा समस्त देशी/विदेशी शराब दुकानों का संचालन दिनांक 01.04.2001 से ठेकेदारों को सौंपा गया है। **(ग)** अधिसूचित क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान ठेकेदारों को शासन नीति वर्ष 2001-02 अनुसार दिनांक 01.04.2001 से लागू की गई।

<u>परिशिष्ट – "बयालीस"</u>

फर्जी नियुक्तियों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

245. परि.अता.प्र.सं. 34 (क्र. 5749) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18, 2019-20 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुरैना जिले में कितनी-कितनी आशा कार्यकर्ताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति की गई? **(ख)** क्या जिला स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जांच में दोषी पाया गया? जांच का विवरण उपलब्ध करायें? **(ग)** जांच में पाये गये दोषी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं? यदि नहीं की गई तो क्यों? **(घ)** क्या जांच में दोषी अधिकारी वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार में हैं? उन्हें जांच में दोषी पाये जाने के उपरांत भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य कर रहे हैं? यदि हां तो प्रकरण में कब तक कार्यवाही होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) विवरण निम्नानुसार** है **-**

वर्ष	चयनित आशा की संख्या
2015-16	**05**
2016-17	**45**
2017-18	**29**
2019-20	**0**

(ख) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** जी हॉ, जिला स्तर पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति द्वारा की गई प्रारम्भिक जाचं में तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दोषी पाया गया है, जांच विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हॉ, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.) भोपाल की शिकायत शाखा के पत्र क्रमांक 298 दिनांक 09.02.2021 द्वारा तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. बांदिल के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी करते हुऐ प्रक्रिया प्रचलन में है। **(घ)** जी हॉ, विभागीय जांच संस्थित करने हेतु आरोप पत्र जारी किया गया है, जांच पूर्ण होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

अनुकम्पा नियुक्ति की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

246. अता.प्र.सं. 30 (क्र. 5770) श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बालाघाट जिले में कलेक्टर के अधीनस्थ समस्त विभागों में वर्ष 2010 से 2018 तक मृतक के परिजन/पुत्र जो अवयस्क थे, को अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन विभाग में प्राप्त हुए? यदि हॉ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विभागवार, आवेदक के नाम एवं पता सहित जानकारी देवें। **(ख)** क्या कुछ कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश के तहत 07 वर्ष पश्चात् अवयस्क पुत्र का वयस्क होने पर कितने वर्ष वाद अनुकम्पा नियुक्ति दी गई तथा कितने आवेदकों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण निरस्त किये गये? नाम, पदनाम विभाग सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या वर्ष 2010 से वन विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग बालाघाट के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कितने आवेदकों द्वारा याचिका लगाई गई है? याचिका क्रमांक, याचिकाकर्ता का नाम, पता तथा उस पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल से कितने प्रकरणों में सहमति प्रदान की गई? उसके उपरान्त कितने आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई उनके नाम, पते, नियुक्ति आदेश सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट**-अ अनुसार। **(ख)** बालाघाट जिले के कार्यालय उत्तर सामान्य वनमंडल अंतर्गत म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश के तहत 07 वर्ष पश्चात अव्यस्क पुत्र का व्यस्क होने पर 11 वर्ष बाद एक प्रकरण में माननीय

न्यायालय के आदेशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** वर्ष 2010 से वनवृत्त बालाघाट अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाकर्ता श्री महेन्द्र कुमार शातुनकर, वार्ड 10 भटेरा, पोस्ट कुम्हारी, जिला बालाघाट के द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 21435/2016 लगाई गई है, जो वर्तमान में लंबित है। **(घ)** जानकारी निरंक है।] **(ख)** बालाघाट जिले के कोई भी जिला स्तरीय कार्यालय में किसी भी आवेदक के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण निरस्त नहीं किए गए हैं। अत: शेषांश जानकारी निरंक है।

विधायक, मंत्री के निज सहायकों के भत्तो में वृद्धि
[सामान्य प्रशासन]

247. परि.अता.प्र.सं. 50 (क्र. 6401) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में समस्त विधायक एवं मंत्रियो के निज सहायकों को 1990 से 200 रु प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है यदि हाँ तो क्या 30 साल बाद इस भत्ते को बढाया जाएगा? यदि हाँ तो कब-तक? **(ख)** क्या सह सही है की दिनांक 19 जुलाई 2019 को तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रश्नकर्ता विधायक के कटौती प्रस्ताव पर उद्बोधन देते हुये विधान सभा में कहाँ था की प्रदेश में समस्त विधायक एवं मंत्रियों के निज सहायकों के भत्तो को 200 रु से बढाकर हम 1000 रु कर रहे है जिसकी स्वीकृति तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी विधानसभा में दी थी तथा यह घोषणा दिनाक 19 जुलाई 2019 की विधानसभा कार्यवाही के पृष्ठ क्रमांक 124-125 पर अंकित है क्या भत्ता 1000 रु किया जा चुका है यदि नहीं तो क्या कारण है? कब तक भत्ता 1000 रु कर दिया जाएगा? **(ग)** क्या विधान सभा की कार्यवाही में उद्घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाना अनिवार्य है यदि हाँ तो इस प्रकरण में नहीं देने के क्या कारण रहे इस सम्बन्ध में तैयार की गई समस्त कार्यवाही से अवगत कराये?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** यह सही है कि माननीय विधायकों के साथ संलग्न किये गये लिपिकों को 200 प्रतिमाह नियत यात्रा भत्ता प्रदाय किया जाता है, परंतु यह भत्ता वर्ष 1990 से न होकर दिनांक 15.03.2005 से दिया जा रहा है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 'अ'** अनुसार है तथा माननीय मंत्रीगण की निजी स्थापना में पदस्थ निज सहायकों को 200 विशेष वेतन दिया जाता था जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 12.05.2017 द्वारा बढ़ाकर 490 प्रतिमाह किया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। शेष प्रश्नांश के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ख)** जी नहीं। इस संबंध में विधान सभा सचिवालय से तत्कालीन माननीय मंत्री जी के उद्भोदन के संबंध में कार्यवाही हेतु काई आश्वासन सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के स्थाई आदेश की कंडिका क्रमांक-87 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'स' अनुसार** है। उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जहरीली शराब से हुई मौतों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]

248. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 6570) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जून 2020 से प्रश्नदिनांकतक मध्य-प्रदेश के किस-किस जिले में जहरीली शराब पीने से किस-किस व्यक्ति की किस-किस दिनांक को मृत्यु हुई है। मृतक का नाम, जाति, उम्र, ग्राम पंचायत का नाम जिला वतावें? इस जहरीली शराब से हुई मृत्यु के लिये कौन-कौन शराब माफिया/आबकारी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी या अन्य कौन-कौन व्यक्ति दोषी है? उनके नाम, पद, बतावें? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई हैं? या की जा रही है? यदि हाँ? तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? क्या शासन द्वारा मृत व्यक्ति को कोई शासकीय धनराशि प्रदाय कराई गई है? यदि हाँ? तो किस-किस मृत व्यक्ति को कितनी-कितनी? **(ख)** ग्वालियर जिलें में कितनी देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें/उप-दुकानें कौन-कौन ऐजेन्सी/ठेकेदार प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस दिनांक से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता बतावें? उक्त दुकानों/उप-दुकानों से विगत 3 वर्षों में कितना-कितना राजस्व किस-किस ठेकेदार से प्राप्त हुआ है तथा कितना-कितना राजस्व वसूल किया जाना प्रश्न दिनांक की स्थिति में शेष हैं? अभी तक राजस्व वसूली के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? वकाया राजस्व वसूली न हो पाने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी या ठेकेदार दोषी हैं? उनके नाम बतावें? क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो क्या और कब तक? **(ग)** ग्वालियर जिलेमें अवैध शराब बनाने या बिक्री करने के कितने प्रकरण 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कायम (किस-किस व्यक्ति के नाम, पता) किये गये है।

वित्त मंत्री : [**(क) से (ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** 01 जून 2020 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में दिनांक 11 जनवरी, 2021 की घटना में अवैध शराब के सेवन से कुल 24 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है, जिनके नाम, जाति उम्र, ग्राम पंचायत की सूची विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर** है। पुलिस विभाग, मुरैना के द्वारा 15 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त में से चार आरोपियों के अवैध निर्मित मकानों को भी जमीदोज किया गया है। उक्त घटनाक्रम के संबंध में जांच अभी जारी है, प्रथम दृष्टया कलेक्टर, जिला मुरैना एवं पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना को स्थानांतरित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जोरा, थाना प्रभारी, पुलिस थाना बागचीनी एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना तथा वृत्त जौरा के आबकारी उपनिरीक्षक को निलंबित किया जा चुका है। स्थानांतरण/निलंबन आदेश विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -दो पर** है। **(ख)** ग्वालियर जिले में विगत तीन वर्षों में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र	वर्ष	दुकानों की संख्या	
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा
1	19-2018	74	38
2	20-2019	74	38
3	21-2020	74	39

उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की एजेंसी/ठेकेदारों से संबंधित जानकारी विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर** है। **(ग)** ग्वालियर जिले में अवैध शराब बनाने या बिक्री करने के लिये आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण कायम किये गये है। अवैध शराब से पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों की जानकारी विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 पर** है।

कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

249. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 6571) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक ग्वालियर जिले में कुल कितने कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया तथा कितने मरीजों को घर पर ही आईसोलेटकिया गया? चिकित्सालयों की एवं कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की संख्या बतावें। **(ख)** कोविड-19 प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 के लिये कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से ग्वालियर जिले में किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई तथा कितनी राशि किस-किस रूप में खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल अनुंधित निजी चिकित्सालय एवं घर पर आईसोलेट हुए मरीजों में से कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई? उनका नाम, पिता/पति कानाम, उम्र, पता तथा किस-किस दिनांक को मृत्यु हुई तथा उक्त अवधि में कौन-कौन व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित हुये उनका इलाज किस चिकित्सालय में कराया गया तथा किस-किस मरीज को होम आईसोलेट कर घर पर इलाज किया गया उनका नाम पिता/पति का नाम उम्र पता तथा किस दिनांक से किस दिनांक तक उनका इलाज किया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** 01 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक ग्वालियर जिले में 4104 कोविड-19 से प्रभावित मरीजों को 22 शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया एवं शासन द्वारा निजी चिकित्सालयों को अनुबंधित नहीं किया गया। 11012 मरीजों को घर पर ही आईसोलेट किया गया। कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की कुल संख्या 16541 है। **(ख)** ग्वालियर जिले में कोविड-19 प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 के लिये प्राप्त राशि, खर्च की गई राशि का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है।

(ग) शासकीय अस्पतालों एवं घर पर आईसोलेट हुये मरीजों में सें 230 मरीजों की मृत्यु हुई। नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, पता तथा दिनांक को हुई मृत्यु का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है तथा कोविड-19 से पीड़ित हुये मरीजों नाम पिता/पति का नाम, उम्र, पता, चिकित्सालय घर पर आइसोलेशन कि दिनांकवार जानकारी का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

ग्वालियर-चम्बल संभाग में की गई घोषणाओं के सम्बन्ध में

[सामान्य प्रशासन]

250. अता.प्र.सं. 52 (क्र. 6572) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, मेहगाँव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर-पूर्व, डबरा, भाण्डेर, करैरा, पोहरी, बमौरी, अशोकनगर एवं मुँगावली विधानसभा क्षेत्रों में 01 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर केन्द्रीय मंत्री, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद राज्यसभा एवं उक्त क्षेत्रों से उप-चुनाव लड़ रहे तत्कालीन माननीय मंत्रीगणों द्वारा क्षेत्र की जनता के हितों के लिये किन-किन निर्माण कार्यों के लिये घोषणायें की गई थी एवं कितने-कितने लागत के कौन-कौन से विभागों में शिलान्यास किये गये थे? उनमें से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? ऐसे कौन-कौन से कार्य थे जिनका शिलान्यास (चुनाव परिणाम घोषित) होने के बाद कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत राशि कितनी-कितनी वापिस ली गई है तथा की गई घोषणाओं एवं शिलान्यास के कौन-कौन से कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं किये गयें हैं? स्वीकृत न करने का क्या कारण है? अब कब-तक घोषणायें एवं शिलान्यास किये गये कार्यों को स्वीकृत कर निर्माण कराया जावेगा? **(ख)** क्या ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के उप-चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के अलावा उक्त अवधि में विधानसभा क्षेत्र भितरवार, ग्वालियर-दक्षिण, ग्वालियर-ग्रामीण में भी कोई शिलान्यास या नवीन निर्माण कार्यों (क्षेत्र विकास) के लिये काई घोषणायें या कार्य स्वीकृति किये गयें है? किस-किस विभाग के कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये है? यदि नहीं? तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

कोविड मरीजों हेतु अनुबंधित चिकित्सालय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

251. परि.अता.प्र.सं. 80 (क्र. 6625) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक किस-किस माह में कोविड के कितने-कितने, किस-किस प्रकार के बेड, किस-किस निजी चिकित्सालय में किस दर से अनुबंधित किये गये थे? माह अनुसार यह भी बतावें कि कुल कितने बेड किस-किस केटेगिरी के अनुबंधित थे? **(ख)** प्रत्येक निजी अस्पताल से हुये अनुबंध की शर्त 7 के अनुसार फिक्सड तथा वेरियल चार्ज हेतु प्रस्तुत इनवाइस की प्रतियां देवें तथा बतावें कि

अनुबंध की शर्तों के विपरीत भुगतान किया जा सकता है? **(ग)** इंदौर तथा भोपाल में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक अनुबंधित किस-किस निजी चिकित्सालय में कुल कितने-कितने कोविड मरीजों को उपचारित किया गया? उसके एवज में उन्हें कुल कितना फिक्स्ड तथा वेरियेबल चार्ज का भुगतान किया गया? **(घ)** अप्रैल 2020 में जब कोविड पॉजीटिव की संख्या बहुत कम थी फिर भी चिरायू भोपाल तथा अरविन्दो इंदौर को अनुबंधित क्यों किया गया? इससे संबंधित दस्तावेज का विवरण देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में बेड, केटेगिरी एवं दर की माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** निजी अनुबंधित अस्पताल से हुए अनुबंध की शर्त 7 के अनुसार फिक्सड तथा वेरियेबल चार्ज हेतु प्रस्तुत इनवाइस की प्रतियां **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जी नहीं। **(ग)** इंदौर तथा भोपाल में अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 माह तक अनुबंधित निजी चिकित्सालय में कुल उपचारित कोविड मरीजों का विवरण तथा उसके एवज में किये कुल फिक्सड चार्ज तथा वेरियेबल चार्ज का भुगतान का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** संबंधित जिले के कलेक्टर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चिरायु भोपाल तथा अरविन्दो इंदौर को अनुबंधित किया गया, कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

अस्पतालों में देय शुल्क के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

252. अता.प्र.सं. 72 (क्र. 6628) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्र.क्र.651 दिनांक 24.02.21 के खण्ड **(ख)** के संदर्भ में फरवरी 2021 तक शा. अस्पतालों में कोरोना मरीज पर हुये कुल खर्च की जानकारी तथा भर्ती मरीजों की संख्या बतावें। **(ख)** किस-किस शा.चिकित्सालय में फरवरी 2021 तक कितने कोरोना मरीजों का इलाज किया गया तथा इस अवधि में उन्हें इस मद में खर्च हेतु कितनी राशि भेजी गयी, क्या कालेज इस राशि के मद अनुसार खर्च राशि की जानकारी शासन को भेजेगा या नहीं। **(ग)** चिरायु अस्पताल भोपाल तथा अरविन्दों अस्पताल इंदौर में अनुबंध की शर्त 5 के अनुसार यह जानकारी दें कि अनुबंध प्रारंभ की दिनांक से 28 फरवरी तक प्रतिदिन कितने मरीजों को भेजा गया कितने मरीजों को प्रतिदिन डिस्चार्ज दिया गया। तथा प्रारंभ से 28 फरवरी तक कितने-कितने मरीज प्रतिदिन अनुसार अस्पताल में भर्ती थे। **(घ)** प्रश्नाधीन प्रश्न के संबंध में संलग्न अनुबंध के अनुसार बतावें कि चिरायु मेडिकल कालेज में मासिक राशि का निर्धारण किस अनुसार किया गया जबकि अनुबंध में किसी भी प्रकार की बेड संख्या का उल्लेख नहीं है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** शासकीय अस्पतालों में कोरोना मरीज पर हुये कुल खर्च की **जानकरी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है तथा भर्ती मरीजों की संख्या 94938 है। **(ख)** शासकीय चिकित्सालयों में फरवरी 2021 तक 94938 कोरोना मरीजों का इलाज किया गया। तथा इस अवधि में उन्हें इस मद में खर्च हेतु भेजी गयी राशि का विवरण की **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जी हां। **(ग)** चिरायु अस्पताल भोपाल तथा अरविन्दो अस्पताल इंदौर में 28 फरवरी तक 24136 मरीजों को भेजा गया, 23005 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया तथा अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज मरीजों की प्रतिदिन की **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** अनुबंध शर्त की बिन्दु क्रमांक 2 के खण्ड 2.4 की कंडिका – (ii) के बेडस् अनुसार मासिक राशि का निर्धारण किया गया है। **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]

253. अता.प्र.सं. 73 (क्र. 6629) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत दो वर्ष में खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं एवं कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है? यदि धनराशि आवंटित नहीं की गई है तो कब तक आवंटित की जायेगी? **(ख)** उपरोक्त के अतिरिक्त कितने मंदिरों के प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं? इन प्राक्कलनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये पत्राचारों पर की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

पर्यटन मंत्री : [भाग **(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** विगत दो वर्षों में खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंदिरों के जीर्णोद्धार का 01 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं 15.11 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** उपरोक्त के अतिरिक्त 06 शासन संधारित मंदिरों के प्रस्ताव विभाग को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है। पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने पर स्वीकृति जारी नहीं की गई। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

बिना लायसेंस प्राप्त किये शराब ठेके दिये जाना
[वाणिज्यिक कर]

254. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 6640) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावटखोरों तथा नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** यदि हां तो क्या भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना एवं छतरपुर नगर में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं? यदि हां तो उक्त शराब की दुकानें किस-किस ठेकेदार/कंपनी को किन-किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिये दी गई हैं? **(ग)** क्या एफ.एस.एस.ए.आई. के निर्देशानुसार शराब ठेकेदारों को फूड सेफ्टी से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है? यदि हां तो उपरोक्त किन-किन ठेकेदारों ने लायसेंस लिया है? लायसेंस की प्रतियां संलग्न करें। **(घ)** यदि लायसेंस नहीं लिया है तो उक्त ठेकेदारों/कंपनी को शराब की दुकानें किस आधार

पर आवंटित की गई हैं एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर ठेके निरस्त किये जायेंगे? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री : [**(क) से (घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावटखोरों तथा नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **(ख)** प्रदेश के जिला भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, मुरैना एवं छतरपुर में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या एवं कंपनी/ठेकेदार का नाम विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। छतरपुर जिले में मदिरा समूहों के ठेकेदार के नाम की सूची विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। उक्त शराब दुकानें 01 अप्रैल 2020 से 31 मई 2021 तक की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी 2020 एवं मध्यपद्रेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 23 मई 2020 में वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन ई-टेण्डर के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। **(ग)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बने नियमों में आबकारी के फुटकर लायसेंसी को एफ.एस.एस.ए.आई. के निर्देशानुसार फुड सेफ्टी से लायसेंस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में वर्णित अनुसार जानकारी निरंक है। वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश की मदिरा दुकानें मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी, 2020 से जारी आबकारी नीति के अधीन ई-टेण्डर (टेण्डर एवं ऑक्शन) पद्धति से आवंटित की गई है।

शराब के बिल उपभोक्ताओं को दिया जाना

[वाणिज्यिक कर]

255. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 6644) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खाद्य वस्तुएं एवं पेय पदार्थों के पैकेट/बोतलों पर एमआरपी एवं मेनुफेक्टरिंग दिनांक तथा एक्सपायरी दिनांक लिखा जाना अनिवार्य है? यदि हां तो क्या प्रदेश में बिकने वाली देशी/विदेशी शराब एवं बियर की बोतलों/केन पर एमआरपी/मेनुफेक्चरिंग दिनांक तथा एक्सपायरी दिनांक लिखा जाना भी अनिवार्य है? यदि नहीं तो क्यों और यदि हां तो बतायें? **(ख)** क्या प्रदेश में शराब/बियर दुकानों से बेची जाती है तो क्या उपभोक्ताओं को शराब खरीदने पर बिल दिये जाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या बिल दिया जाना अनिवार्य किया जायेगा ताकि नकली/मिलावटी शराब के विक्रय होने पर उसके पीने से होने वाले हादसे की उपभोक्ता को दिये गये बिल से पहचान हो सके? यदि हां तो यह व्यवस्था कब से लागू की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रदेश की शराब की दुकानों से बेची जाने वाली शराब से विक्रय कर जीएसटी एवं अन्य कौन-कौन से कर लिये जाते हैं? बतायें? यदि शराब के दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली शराब के बिल उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिये जाते हैं, तो कर वसूलने की गणना किस प्रकार से की जाती है?

वित्त मंत्री : [**(क) से (ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। प्रदेश में बिकने वाली देशी/विदेशी लेबल्स पर एमआरपी/एमएसपी तथा मैनुफैक्चरिंग दिनांक अंकित किया जाना प्रावधानित है एवं बीयर की बोतलों/केन पर एमआरपी/एमएसपी, मैनुफैक्चरिंग दिनांक तथा **''Best before six month from date of manufacturing''** अंकित किया जाना प्रावधानित है। **(ख)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित आबकारी नीति के अंतर्गत दुकानों से शराब/बीयर बेची जाने पर उपभोक्ताओं को बिल दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** प्रदेश की शराब दुकानों से विक्रय की जाने वाली शराब पर वार्षिक लायसेंस फीस, न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी, वेट टेक्स, टी.सी.एस. एवं परिवहन शुल्क की राशि वसूली जाती है। शराब के दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को बिल दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

गैर अनुपातिक दवाई खरीदी की जॉच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

256. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 6666) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में कितनी कितनी राशि की दवाईयां एवं उपकरण खरीदें गये तथा जिला स्तर से सिविल अस्पतालों एवं सामु. स्वा. केन्द्रों को किस अनुपात में दवाईयां एवं उपकरण आवंटित किये गये? आवंटित दवाईयों एवं उपकरणों तथा अन्य समस्त सामग्री की संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** क्या सिविल अस्पताल सबलगढ के लिये गैर अनुपातिक दवाईयां एवं उपकरण खरीदी मामले की विभागीय जांच की गई? यदि हां तो जांच में कौन कौन दोषी पाया गया एवं कितनी राशि का गबन होना सिद्ध पाया गया? जांच प्रतिवेदन के विवरण सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार सबलगढ़ हेतु गैर अनुपातिक दवाई खरीदी की जांच में गबन की राशि की वसूली अभी तक क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी देवें। **(घ)** 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक सिविल अस्पताल सबलगढ़ के लिये डिजीटल मशीन न होने के बावजूद भी कितनी फिल्म कब कब खरीदी गई तथा उनका उपयोग कहां किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।] **(क)** 01 जनवारी 2019 से प्रश्न दिनांक तक इस कार्यालय द्वारा राशि रूपयें 6,54,42,219.47 की दवाईयां एवं राशि रूपये 2,06,08,599.12 के उपकरण क्रय किये गये उक्त दवाईयां एवं उपकरण को सिविल हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र अनुसार दवाईयां एवं उपकरण प्रदाय की गई जिसकी वर्षवार/संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** सिविल हॉस्पिटल सबलगढ के लिये गैर अनुपातिक दवाईयां एवं उपकरण खरीदी मामले की विभागीय जांच प्रचलन में है। जांच परिणाम प्राप्त होने उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार है। **(घ)** दिनांक 07/03/2019 में 100 पैकेट एवं

30/03/2019 में 180 पैकेट (पैकेट/150 फिल्म) क्रय किये गये जिनका वितरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ को किया गया है। शेष जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार है।

उच्च पदनाम की प्रक्रिया लागू करने बावत्

[सामान्य प्रशासन]

257. अता.प्र.सं. 88 (क्र. 6667) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिस कारण सभी विभागों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक उच्चस्तरीय समिति बना कर उच्च पदनाम देने की घोषणा की है? यदि हां तो उच्च पदनाम देने के नियमों की प्रति सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की घोषणानुसार स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की पदोन्नति या उच्च पदनाम देने की प्रक्रिया प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ क्यों नहीं की गई? स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों को उच्च पदनाम देने की प्रक्रिया कब तक लागू कर दी जायेगी?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हां। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हां। इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड मरीज उपचार की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

258. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 6671) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 943 दिनांक 24.02.2021 के संदर्भ में अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक अनुबंधित निजी चिकित्सालयों ने अपने स्तर पर कितने कोविड पॉजिटिव मरीज का उपचार किया? माह अनुसार सूची देवें। **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 943 दिनांक 24.02.2021 के खण्ड ङ में उल्लेखित कलेक्टर के प्रस्ताव की प्रति देवें तथा बतावें कि 01 मार्च 2021 की कौन-कौन से अस्पताल अनुबंधित है? **(ग)** अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को वेरियेबल चार्ज किस अनुसार भुगतान किया गया? संबंधित प्रमाणित दस्तावेज तथा उनसे प्राप्त बिल का विवरण देवें तथा बतावें कि वेरियेबल चार्ज की दर का उल्लेख किस कणिका में हैं? **(घ)** जिन पांच कैटेगरी के बेड अनुबंधित किये गये उनकी दर अस्पताल अनुसार बतावें। वेरियेबल चार्ज की दर अस्पताल अनुसार बतावें तथा इसमें अंतर का कारण बतावें तथा वह दस्तावेज का विवरण देवें। जिसके अनुसार दर तय की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** अनुबंधित निजी चिकित्सालयों ने अपने स्तर पर 869 कोविड पॉजिटिव मरीजो का उपचार किया। माह अनुसार मरीजों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** कलेक्टर के प्रस्ताव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र "ब" अनुसार है। 01 मार्च 2021 को चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल, एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भोपाल एवं अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदौर अनुबंधित है। **(ग)** अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को वेरियेबल चार्ज का भुगतान Per day bed occupancy के आधार पर किया गया। अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है तथा प्राप्त बिलों के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। वेरियेबल चार्ज की दर का उल्लेख अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 6 के 6.1 (i) b में है। **(घ)** अस्पताल अनुसार पांच कैटेगरी के बेड़ो की दर एवं वेरियेबल चार्ज की दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार** है। वेरियेबल चार्ज की दर NABH Accreditation Level, Numbers of Beds & Multiple Factor Decided by State Executive Sub Committee एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित समिति के अनुमोदनोपरांत नियमानुसार तय की जाती है तथा दरें तय करने के दस्तावेज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "फ" अनुसार** है।

नि:शुल्क उपचार योजनाओं के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

259. अता.प्र.सं. 91 (क्र. 6679) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश भर में नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जांच व दवाईयां दिये जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है? **(ख)** यदि हां तो उक्ताशय की विभिन्न केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक होने पर की जाने वाली जांच किस-किस प्रकार की है व निर्धारित नि:शुल्क दवाईयां किस-किस प्रकार की प्रदान की जाती है? **(ग)** प्रदेश के लगभग जिला मुख्यालयों व संभागीय स्तर के महानगरों के साथ ही राज्य के बाहर भी मरीज का जांच परीक्षण कर नि:शुल्क दवाई व उपचार किया जाता है तो चिन्हित अस्पतालों की सूची व स्थानों से बतावें? **(घ)** क्या होने वाले मरीज के परीक्षण के पश्चात जांच हेतु जाने आने पर यात्रा व्यय भी दिया जाता है तो किस प्रकार व दवाईयां जो नि:शुल्क दी जाती है जो चिकित्सक द्वारा लिखी जाती है वह सभी अस्पताल से ही दी जाती है तो मरीज व परिजनों से वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत दवाईयां नहीं दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही हुई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। **(क)** जी हॉ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी हॉ। मरीजों की जांच परीक्षण एवं नि:शुल्क उपचार हेतु शासन द्वारा चिन्हित अस्पतालों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। जी हॉ। दवाईयों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।